

राजस्थान मे रवतंत्रला संघर्ष

मम्पादक
जहूरखा मेहर

जगदीश्विंह गहलोत शोध संस्थान
जगदीश्विंह गहलोत भार्या, मेहरतो दरवाजा, ओयपुर

प्रमुख वितरक
हिन्दी साहित्य मंदिर
जगदीशसिंह गहलोत माग,
मेडती दरवाजा, जोधपुर-342 002

© जगदीशसिंह गहलोत शोध संस्थान, जोधपुर

प्रकाशन वर्ष 1991
मूल्य 60.00 रुपये (साठ रुपये)

मुद्रक
भारत प्रिण्टस (प्रेस)
जालोरी गेट बारी, जोधपुर



(1896 ई०—1958 ई०)

राजस्थान के इतिहास, साहित्य
एवं संस्कृति को उजागर करने के
लिए प्राणीवन सघर्षशील रहने वाले
श्री जगदीशसिंह गहलोत
की पावन स्मृति में सादर समर्पित—

जहुरसाँ मेहर
रोडर, इतिहास विभाग,
जोधपुर विश्वविद्यालय, जाधपुर

खण्डपादकीय

बनल जेम्स टाड तथा अंग विद्वानों ने राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित शौध और वर्निदान की प्रशंसा कर आगे आने वाले लेखकों को एक विशेष माग की ओर अप्रसर कर दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि टाड जैसे पाश्चात्य विद्वानों के पदचिह्नों का अनुमरण कर हमने राजस्थान के इतिहास को ऐवल मध्य युगीय वीरता और युद्धों के घरे की उहापोह तक ही सीमित कर दिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इतिहास लेखन की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है जिन्हुंने स्वतंत्रोत्तर तीन दशकों तक अप्रेज विरोधी भावनाओं का केंद्र विन्दु मान कर स्वतंत्रता मादालन का इतिहास लिखने के उल्लेखनीय प्रयास नगण्य ही हुए। हाँ, जाधपुर, जयपुर व मवाड जैसे बड़े राज्यों में घटित घटनाओं का उजागर करने के प्रयास यदा कदा होते रहे, किंतु समूचे वर्तमान राजस्थान को एक इकाई मान कर इस क्षेत्र में हुए स्वतंत्रता संघर्ष की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस दृष्टि से दो प्रयत्नों को अपवाद माना जा सकता है—एवं नायूराम बडगावत की पुस्तक 'राजस्थान' रोल इन दी स्ट्रांग आर 1857 तथा दूसरा मुमनेश जोशी लिखिए 'राजस्थान' के स्वतंत्रता संग्राम के सनानी। गत कुछ वर्षों स, विशेषत 1985 में कॉर्प्रेस शताब्दी समारोह की आयोजना तथा सरकारी गर सरकारी संस्थानों की ओर से विशेष ग्राग्रह के पश्चात विद्वानों ने इस दिशा में बदल उठाने आरम्भ किये हैं।

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा डाले गये भुलावे के साथ साथ राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के सम्बन्ध में अनेक अंग बठिनाइया भी रही। विषम भौगोलिक दशाओं के पारण सुकृत, मुगल तथा अप्रेज भारत के अंग भू भागों की सुनिना में कई दर्जों पश्चात राजस्थान में पहुँच सके तो साय ही स्वतंत्रता संग्राम जसी महनी घटनाओं का सूत्रपात भी अपेक्षाकृत देरी से हुआ। अनेक बारणों में यह शेष अंद्रेज विग्रहों आदालनकारियों के लिये उपयुक्त क्षेत्र था भी नहीं।

के प्रथम स्वाधीनता संग्राम म राजस्थान न भी आय भारतीय प्रदेशों के साथ कधे से कथा मिलाकर ठास तथा कारगर कदम अवश्य ही उठाये।

स्वतंत्रता आदालत के दौर म देश के प्रभावशाली जन नेताओं का राजस्थान म आगमन भी यदा कदा ही हाता तिसस उनके व्यक्तित्व तथा विचार राजस्थान के जन मानम को भक्खार वर बाढ़नीय प्रेरणा और वल प्रदान नहीं कर सके। नताजी सुभापचार वोस बायुयान से जाते हुए एक गार जोधपुर हवाई ग्रहे पर बेवल कुछ समय के तिथे रुके कि तु उनक इस आगमन के सम्बंध म गनेक किंवदतिया इस क्षेत्र में आज तक प्रचलित है। राष्ट्रविता महात्मा गांधी सिध जाने हुए लूणी रेल्वे स्टेशन स गुजर तब ग्रामीण अचला तक के लोग हजारों की सह्या म 'गांधी बाबा' के दशनाथ लूणी की ओर उमड़ पड़े। जनता में असीम उत्साह विद्यमान था कि तु राष्ट्रीय आदोलन म उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका।

पश्चिम में पनरे हुए मरुस्थल तथा दक्षिण पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र म विखरे हुए ग्रामीण अचला में निवास के कारण राजस्थान की अधिकाश जनता लृदिवादी, अशिक्षित और अनेक सामाजिक कुप्रथाओं से जकड़ी हुई थी। इस प्रकार मे परम्परावादी लोगों में स्वायत्त शासन की इच्छा जागत करना अथवा उसे विदेशी दासता की जजीरे ताड़न हतु प्रेरित प्रात्साहित करना नि संदेश अत्यन्त ही दुष्कर काय था। रेल, डाक तार व्यवस्था का समुचित विकास न होना, गांवों का सड़क द्वारा नगरों में जुड़ा न होना भासाचार पत्रों का अधिक प्रभावी न होना आदि कारणों न जोधपुर जयपुर व उदयपुर जसे नगरों म यदा-कदा स्वायत्तता व स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से घटित होने वाली घटनाओं का व्यापक जन आधार न बनने दिया। सामाजी यातनाओं अथवा जागीरी जुल्मों न भी आय प्राप्तों की तुलना म यहाँ के स्वतंत्रता भेनानियों के लिये कई गुना अधिक कठिनाइया उत्पन्न की

उपरोक्त परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बहुधा यह प्रश्न उठाया जाता है कि अजमेर मरवाड़ा को छोड़ कर शेष राजस्थान द्विटिंश शासन के आधीन था ही नहीं तब यहाँ क्सा स्वतंत्रता आदालत? द्विटिंश साम्राज्य के साथ सम्पन्न संघिया के पश्चात कहन मात्र के लिये दशी राजा अग्रेजों के मिथ थे। वास्तव म अग्रेज न बेवल राज्यों के प्रशासन म हस्तक्षेप करते थे बल्कि दशी राजाओं की स्थिति अधीनस्थ से अधिक नहीं थी। रियासता पर पूर्ण द्विटिंश नियन्त्रण स्थापित था। इस प्रकार राजस्थान के स्वतंत्रता सनानियों की कठिनाइया आय देश म अपने समवानीयों की तुलना म अधिक थी। राजाओं की सरकार द्विटिंश हृकूमत निरकुश राजाओं तथा दमनकारी मामलों का एक साथ ललकारने की सामर्थ्य रखने वाले ही यहा स्वतंत्रता हतु जहाँ हद का शखनाद वर सकते थे। साम बाग, बठ वेगार आदि के बारण हुए सघर्षों, सामाजी आयाय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के प्रयत्नों, निरकुश एव स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर स्वतंत्रता की मार और अद्वेज द्विरोधी प्रयत्नों की ही व्यापद इटि रण वर स्वतंत्रता हतु सप्तव स्वीकार करारा मनुष्यकृत नहीं होगा।

राजस्थान के स्वतंत्रता सनानियों की भाँति इस आदोलन के इतिहास लेनका एक भी अपेक्षाकृत अधिक उल्लभा हुआ है। देशी रियासतों म आजादी के आगीवाना के द्विया बसानों को गुरुर्थित रखने के उद्देश्य से लिपियद्ध करा की इच्छा का नितात

अभाव था। अत स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिये विश्वसनीय साधना का अभाव स्वभाविक ही है। इस सध्य परे अतिम छोर के अनेक सेनानी अब तक विद्यमान हैं किंतु उनके द्वारा बताये गये सस्मरणों में यदा कदा भिन्नता नहीं जटिलताएँ उत्पन्न कर देती हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के चार अध्यायों में 1857 से 1947 तक राजस्थान में स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु की गई जटाजहद वा प्रमाणिक विवरण प्रस्तुत करन वा प्रयत्न किया गया है। प्रथम अध्याय राजस्थान में 1857 की क्राति में सम्बन्धित है। श्री नाथराम खड़गावत तथा डॉ० प्रकाश व्यास ने इस दिशा में उल्लेखनीय काय किया है। मैंने राजस्थान में 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के कारणों को नहीं तरह से बताने का यत्न किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्राति में फिगल कवियों ने अत्यत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

द्वितीय अध्याय में मजे हुए इतिहास लेखक श्री सुखवीरसिंह गहलोत ने 'राजस्थान में स्वतन्त्रता आदोलन' में अपने बरण वा केवल प्रजा मण्डल तथा राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखा। कौंप्रेस की स्थापना, गोलमेज सम्मेलन, बटलर कमीशन, साइमन व मीशन, नरेंद्र मण्डल के निर्माण राजपूताना मध्य भारत सभा जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ राजस्थान की घटनाओं का तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। अपने विवरण के समर्थन में श्री गहलोत ने जगह जगह प्रमाणिक साद्या के हवाले भी दिये हैं।

तीसरा अध्याय किसान आदोलन से सम्बन्धित है। आरम्भ स ही राजस्थान ग्रामीण अचलों में विखरा हुआ है इसलिये प्रदेश की अधिकाश जनसरया भी गाँवों में निवास करती है। केवल छाटे छोटे घरों में व्यस्त कुछ लोगों को छोड़ कर शेष सभी की आजीविका कृपि पर निमर है। डॉ० रामसिंह सोलकी ने गहरी सूक्ष्म से किसानों की वास्तविक दशा का चित्रण किया है। आजादी पूर्व के किसानों की समस्याओं में ही विजोलिया, शेरावाटी, अलवर, बीकानेर तथा मारवाड़ में हुए किसान आदोलनों के थीज निहित थे। विद्वान लेपाक ने विश्वसनीय साधनों के बल पर कृपक आदोलन का प्रमाणिक बरण प्रस्तुत किया है।

चौथा छूटी राजस्थान के वहाँ के भौतिकी की छिनाइया, उनके जीवन से जुड़ी कुरीतियों तथा इन समस्याओं के निरावरण के प्रयत्नों का लेया जोखा श्रीमती मञ्जु जन ने अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से किया है। गोविदगुरु तथा मोतीसाल सेजावत के नेतृत्व में हुए भील आदोलनों के सम्बन्ध में अभी तक अधिक नहीं लिखा गया है प्रत मञ्जु जन द्वारा किया गया भील आदोलनों वा यह विश्वसनीय विवरण निश्चय ही महत्वपूर्ण है।

वास्तविक मूल्य तो पाठक ही निर्धारित बरेंगे किंतु मैं आशा रखता हूँ कि इस पुस्तक की सामग्री जिनामु पाठकों तथा गम्भीर शोधकर्ताओं के लिये एक समान रूचिकर सारणित तथा उपयोगी मिद्द होगी।

अनुक्रमणिका

- | | |
|---|---|
| <p>1 जहूरता मेहर
गीड़र इतिहास विभाग
जोधपुर विश्वविद्यालय,
जाधपुर</p> | <p>1- 24 प्रथम स्वतंत्रता सप्ताह</p> |
| <p>2 मुख्योर्धसिंह गहलोत
गचिच जगदीशसिंह गहलोत
शाप संस्थान मेहती दरवाजा
जोधपुर</p> | <p>25-103 राजस्थान मे स्वतंत्रता आदोलन</p> |
| <p>3 डॉ० रामसिंह सोलको
भव्या राजनीति विज्ञान,
राजकीय बागद (पी जी)
कॉनिंग पासी</p> | <p>104-128 किसान आन्दोलन</p> |
| <p>4 धोमतो भनु जैन
प्रवता, इतिहास विभाग,
राजकीय बागद (पी जी)
कॉनिंग पासी</p> | <p>129-156 राजस्थान मे भीत आदोलन</p> |

प्रथम रवतत्रिता सवाम 1857

मध्यकाल में राजस्थान आन-वान वाला क्षेत्र रहा। यहा के सूरमाओं ने शीय और बलिदान के नये नये कीर्तिमान स्थापित किए। आक्रमणकारी राजस्थान की ओर आने से कतराते थे। इसलिये यह तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बलिदानी प्रवृत्ति वाले राजस्थान ने पेरामाउण्ट पावर का आश्रय क्यों लिया? इस प्रश्न का हल ढूँढने के लिये तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने पर कई तथ्य उजागर होते हैं। अठारवीं शताब्दी के अन्तिम छोर तथा उग्रीसवी के प्रारम्भिक वर्षों में राजस्थान में ऐसी उठक-पटक मची कि यहा के राजा-राणा हडबडा कर अग्रेजों की गोद में जा बैठे। और राजेव के पश्चात मुगल शासक निरन्तर निर्वल होते गये। राजस्थान पर भी मुगलों की नियन्त्रिता का प्रभाव पड़ा। मग यदुनाथ सरकार ने लिखा “समस्त राजस्थान एव ऐसा अजायबघर बन गया जिसके पिंजरों के न तो कहीं दरवाजे हीं थे और न ही पहरेदार।¹ मराठों के निरन्तर आक्रमण और जुल्म बढ़ने लगे। उस समय यहाँ उत्तराधिकार के युद्ध भी बहुत अधिक हुए।² कभी एक पक्ष मराठों को अपने समर्थन में बुला लाया³ तो कभी दूसरे पक्ष ने पिण्डारियों का आश्रय लिया।⁴ मराठों की लगातार लूट से अधिकाश रजवाडों के कोप रिक्त हो गए। राज्य कोप की रिक्तता ने सैनिक नियन्त्रिता को जन्म दिया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर सामन्त भी स्वेच्छाचारी होने लगे। इस प्रकार की विपदाओं से घिरे राजाओं ने अग्रेजों के आश्रय को धन्य भाग्य माना। 1818 ई० तक अधिकाश रजवाडों के अग्रेजों के साथ करारनामे हो गये।

अग्रेजों से सधियों होने पर विश्रृतिलित राजस्थान में एक बार तो व्यवस्था स्थापित हो गई। अगले चालीस वर्षों में लगभग सभी विपत्तियां दूर हो गईं। कुछ तो 1761 के पानीपत युद्ध में अहमदशाह अब्दाली ने मराठा

शक्ति को कुचल दिया और कुछ रही सही कसर अग्रेजों ने निकाल दी। उस प्रकार कुचले जाने पर मराठे राजस्थान पर आक्रमण करने योग्य नहीं रह गये। उत्तराधिकार के लिये युद्ध भी समाप्त हो गए। अग्रेज जिसके पक्षधर बनते उसका शासन निश्चित। अग्रेजों से सन्धियों से पूब रजवाडों के बीच छाटी छोटी बातों को लेकर होने वाले युद्ध भी रुक गये। सविया के अनुसार अग्रेजों के मित्रों के बीच सौहार्द बना रहना आवश्यक था। सामन्ता वा प्रभाव भी धीमा पड़ गया। इस प्रकार सन्धियों से पूब की लगभग सभी भमन्यामा वा समाधान हो गया।

प्रारम्भ में दिल्ली के रेजिडेंट को राजस्थान के रजवाडों की देख-रेख वा काय सौपा गया। 1832ई० में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेन्सी की स्थापना कर एजेन्ट टू गवर्नर जनरल (ए० जी० जी०) को काय भार सभलाया गया।⁵ 1857 में राजस्थान में 18 देशी रजवाडे, अजमेर वा त्रिटिश जिला तथा नीमच की छावनी सम्मिलित थे। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा पाच स्थानों पर पालिटिकल एजेंट नियुक्त थे। नसीरावाद, नीमच, दवली और ऐरतपुरा में फौजी मुकाम थे। इन फौजी मुकामों में देशी सिपाही नियुक्त थे। त्रिटिश अफसरों के आधीन छाटी छोटी फौजी टुकड़िया न्यावर तथा खेरवाडा में नियुक्त थी जिनमें भील और मेर सैनिक थे। राजपूताना में कुल पाच हजार के लगभग फौजी थे किन्तु केवल कुछ गिने चुने गोरों के अतिरिक्त सभी देशी सिपाही थे।⁶

1857 की आतिथे समय मारवाड में भेकमेसन, मेवाड में मेजर सावस और जयपुर में कनल ईडन पालिटिकल एजेंट थे तथा अजमेर में जाज पेट्रिक लारेस कायवाहक ए० जी० जी० के रूप में काय कर रहे थे।⁷

भारत में 1857 की आन्ति वा तात्कालिक कारण एकील राइफल थी जो सब प्रथम नीनिया युद्ध में परखी गई थी।⁸ इस राइफल में एक विशेष प्रकार का कारबूस प्रयोग में लिया जाता, जिस पर एक कागज चिपका रहता। कारबूस को राइफल में डालने से पूब सिपाही को अपने दातों से यह कागज हटाना पड़ता। कहा जाता है कि इस कागज को चिकना रखने के उद्देश्य से इस पर गाय और सूअर की चर्वी लगाई जाती। भारतीय सनिकों के मन में यह बात धर कर गई कि जान बूझ कर उनका धम भ्रष्ट करने के लिये अग्रेज यह राइफल लाए हैं। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19 वी रेजिमेंट

ने दखेड़ा कर दिया। 29 मार्च को 34 वीं रेजिमेंट के मगल पाण्डे नामक एक आहुण सिपाही ने वारकपुर छावनी में कुछ अग्रेज अफसरों पर हमला कर उन्हें जान से मार दिया। 10 मई को श्रान्ति की ज्वालाएँ मेरठ में भी पहुँच गईं। मेरठ के श्रान्तिकारी सैनिक छावनी लूटने के पश्चात् दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। देखते देखते समस्त उत्तरी भारत श्रान्ति की घपेट में आ गया।⁹

19 मई 1857 को राजस्थान के ए० जी० जी० पेट्रिक लारेंस के पास मेरठ की श्रान्ति के समाचार पहुँचे। उस समय वह राजपूताना के सभी पालिटिकल एजेंटों से आबू में विचार विमर्श कर रहा था।¹⁰ शिश्रातिशीघ्र बचाव के उपाय में उसने राजपूताना के राजाओं के पास फरमान भेजे।¹¹ अब प्रश्न यह सामने आता है कि अग्रेजों से कारारनामे होने के कारण राजस्थान में श्रान्ति स्थापित हुई, मराठों व पिण्डारियों की लूट और अत्याचारों से छुटकारा मिला तथा आपसी युद्ध भी समाप्त हो गए। बेचारे लारेम साहब ने समय रहते आवश्यक कदम भी उठा लिये। तब भी राजस्थान में श्रान्ति की अग्नि क्यों प्रज्जवलित हो गई। सभी तथ्यों का विवेचन विश्लेषण करने पर राजस्थान में श्रान्ति के निम्न फारण दिखलाई पड़ते हैं—

(1) भूगोल के विद्वानों ने राजस्थान को भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है।¹² कुल 63 प्रतिशत भूमि रेतीली।¹³ अरावली से पूर्वी क्षेत्र में स्वयं अरावली श्रृंखलाएँ दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई।¹⁴ विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही राजस्थान आक्रमणकारियों से सुरक्षित रह सका।¹⁵ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, मुगल और अग्रेज पहले भारत के अधिकांश क्षेत्रों को जीतने के पश्चात ही राजस्थान की ओर मुँह करने का साहस बटोर सके। अनेक वर्षों तक आक्रमणों से बचे रहने व जीवन यापन की कठिन परिस्थितियों के कारण यहाँ के नागरिकों में स्वतंत्रता प्रेम और स्वाभिभावन का विकास हुआ। इसलिये जब कभी आक्रमण होता यहाँ के लोग अधिक उत्साह से उसका सामना करते। अग्रेजी सत्ता को किसी ने भी हृदय से स्वीकार नहीं किया था। स्वतंत्रता के लिये सहृप सब कुछ न्यौद्योगिक करने वाले राजस्थानी वीर अग्रेजी अकुश कब तक सहन करते। विरोध तो होना ही था। यह तो अन्य स्थानों की श्रान्ति ने तुरन्त कार्यवाही के लिये परिस्थितिया उत्पन्न करदी अन्यथा भी राजस्थान तो अपनी स्वतंत्र प्रकृति के अनुरूप अग्रेजों वा विरोध करता ही। इस प्रकार यहाँ के भूगोल ने लोगों में

जिस स्वच्छन्द स्वतन्त्र प्रकृति का विकास किया उसके बारण अग्रेजों का विरोध तो निश्चित रूप से होना ही था ।

(2) प्रारम्भ से ही राजस्थान में कवियों का यह दायित्व था कि वे राजाओं को युद्ध बरने व आश्रमणों का सामना करने के लिये प्रेरित करे । दिल्ली सल्तनत और मुगलों के समय राजस्थान के साहित्यकारों ने सदैव राजाओं को मरने-मारने के लिये प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया । बीर रस सदैव ही यहा के कवियों का प्रिय विषय रहा । इस प्रकार प्रेरित प्रोत्साहित करते करते यहा के साहित्य का एक विशिष्ट स्वरूप बन गया । पुरानी गजस्थानी कविताओं का गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कवि और उसकी कविता जैसे युद्ध के धेरे में बधे हुए थे । फौजों पलटनों के समुद्र उमड़ पड़े, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना, तलवारों के प्रहारों से हाथियों की सूडों का चटाक चटाक कटना, तोप-बन्दूक व धोडों की खुरतालों के प्रहारों से आभै में गूज, झण्डों का फरफराना, तलवारों के टक्कराने से अग्नि की चिन्नारिया उछलना, बाले नागों के समान योद्धाओं की फुफ्कार, भालो-तलवारों के बार से शरीर के टुकड़े-टुकड़े होना, शरीर से रक्त के फब्बारे छूटना, फेफड़ा के टुकड़े विखरना, रक्तसनी आतों का पैरों तक लटकना, खून की नदिया वह जाना, बादलों की गडगडाहट के समान तोपों की गजना, कुँवारी सेना से व्याह रचना, सिंहु राग के समुद्र का लहराना, युद्ध क्षेत्र की धूलि से सूर्य का ढक जाना अथवा उसका तेज क्षीण होना, युद्ध के बेग से कच्छप की पीठ का चमराना, डाढ़ाले बीं डाढ़ का बड़कना, शेपनाग के फनों का टकराना, हडहडाहट से नारद मुनि का अद्वृहास, रक्त से भरी जिह्वाओं वाली योगिनों का तालिया पीट पीट कर उघगड़ करना, युद्ध के नगारों पर किलवारिया करती कालिका का नृत्य, यमदूतों का कबड्डी खेलना, युद्ध का दृश्य देखने हेतु सूर्य का रथ रुकना, महेश द्वारा मुडों की माला पहनना, योद्धाओं के साथ शिव द्वारा ताढ़व नृत्य,¹⁰ योगिनों के खप्पर रक्त से भर जाना, अप्सराओं द्वारा बर मालाएँ लेकर योद्धाओं वा स्वागत करना, योद्धाओं के ढिग लग जाना, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर तलवारों से चिपक जाना आदि आदि ।

युद्ध के बर्णन तथा योद्धाओं का प्रेरणा देने की कला पर राजस्थानी साहित्यकारों का परम्परागत अधिकार । यहा साहित्यकारों वे मान-सम्मान की भी पुष्ट परम्परा । साहित्य सृजन करो और लाख पसाब, ओड पसाब तथा जागीरों के पट्टे प्राप्त करो । अग्रेजा से संधिया के कारण साहित्यकार जुच्च

हो गये । अग्रेजों को विदेशी बता कर विरोध करने पर स्वयं राजाजी के कोप का भाजक बनना पड़े । सामन्तों की प्रशंसा करना भी व्यर्थ हो गया । सन्धियों से सामन्तों की दशा भी विगड़ने लगी थी । अग्रेजों के मिश्र रजवाड़ों में युद्ध पर सन्धि द्वारा प्रतिबंध लग गया । मुगल-पठान अथवा मराठे-पिंडारी निर्बल हो गये तथा उनके राजस्थान पर आक्रमण पूरी तरह रुक गये । युद्धों के वर्णन में परम्परागत पारगतता निठली होने लगी । कलमों पर काट चढ़ने लगा तथा पोथी-पानडों के उर्द्दी का भख बनने की नीवत आ पहुँची । साहित्यकारों की दशा विगड़ने लगी । मन में उहापोह मच गई । अनेक विचारवान साहित्यकारों को अपने वर्ग की इस हीन दशा का आभास हुआ । उन्होंने अपने वर्ग को चेताया । इस स्थिति से छुटकारे का एक मात्र उपाय अग्रेजी शासन की समाप्ति दिखलाई पड़ा । अन्तत अग्रेजों के विरोध का अन्दर ही अन्दर खदबदता ज्वालमुखी फूटा । वाकीदास और सूरजमल भीसण जैसे बुद्धिमानों को अग्रेज मातृभूमि का शोपण करते हुए भी दिखलाई पड़े । राजस्थानी क्लम सदैव ही तलवार से अधिक धातव धाव लगाने वाली रही है । साहित्यकारों ने एक बार अग्रेजों का विरोध करने की ठान ली तब उन्हें रोकना किसके वश में था । जोधपुर महाराजा भानसिंह के काव्य गुरु वाकीदास द्वारा कहा गया गीत—

आयो इगरेज मुलक रे ऊपर, आहस लीधा खेचि उरा ।
 धणिया भरै न दीधी धरती, धणिया ऊभा गई धरा ॥
 फौजा देख न कीधी फौजा, दोयण किया न खला-डला ।
 खवा साच चूड़े खावद रै, उण हीज चूड़े गई यळा ॥
 छथपतिया लागी नह छाणत, गढपतिया घर परी गुमी ।
 बल नह कियो वापडा योता, जोता जोता गई जमी ॥
 दुय चत्रमास वादियो दिखणी, भोम गई जो लिखत भवेस ।
 पूगो नही चाकरी पकड़ी, दीधो नही मरेठा देस ॥
 वजियो भली भरतपुर वाली गाजे गजर धजर नभ गोम ।
 पहिला सिर साहब रौ पडियो, भड ऊभा नह दीधी भोम ॥
 महि जाता चीचाता महिला, औ दुयमरण तणा अवसाण ।
 राखी रे विहिव रजपूती, मरद हि दु^{अंगी}मुसलमान^{जा} ॥
 पुर जोधाण, उदंपुर जैपुर, पह थारा, लूटा परियाण ।
 आकं गई आवसी आकं, बाके असल किया-बगाण ॥

ठीक बाकीदास के समान 1857 से पूर्व अग्रेजों वा विरोध करने वाले वूँदी के सूरजमल मीसण ने राजस्थानियों की नीद उडाने के उद्देश्य से बीर सतसई की रचना की। उन्होंने देशी राजाओं को अग्रेजों के विरोध हेतु कवित रच कर प्रेरित करने के प्रयत्न भी किये।¹⁷ गीत-कवित लिखने के साथ ही सूरजमल मीसण ने राजाओं को अनेक पश्च भेजकर अग्रेजों से मातृभूमि को आजाद करने का आह्वान भी किया।¹⁸ जीवनपथन्त अग्रेजों वा विरोध करने वाले जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने अपनी लेसनी के हारा भी अग्रेजों का विरोध किया।¹⁹ आढा जवानजी,²⁰ वारहठ दुर्गादत्तजी²¹ आढा जादूरामजी,²² आसिया बुबजी,²³ तिलोबदानजी²⁴ आढा चिमनजी,²⁵ गोपानदानजी दधवाडिया²⁶ लाल्स नवलजी²⁷ शक रदान सामीर इत्यादि कितने ही साहित्य-कारों वा उल्लेख किया जा सकता है जिन्होंने 1857 की ऋान्ति का अलव जगाने में अपनी कलम की करामत दिखलाई।

फ्रासीसी राज्य ऋान्ति के समय रूसो, बाल्ट्यर, माटेस्क्यू, दिदरो और कोलीन जैसे विद्वानों नथा रूस की बोल्शेविक ऋान्ति से पूर्व माकम, टालस्टाय, गोर्की व दत्तोब्हेस्की आदि विद्वानों ने जो काय किया ठीक वही काय राजस्थान में 1857 की ऋान्ति से पूर्व यहाँ के साहित्यकारों ने सम्पन्न किया। राजा से रक्तव के हृदय में अग्रेजों के लिये विरोध के बीज थे कर 1857 की ऋान्ति के लिये वातावरण तैयार करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने का श्रेय इन साहित्य भनीयियों को ही प्राप्त है। दुर्भाग्य से फ्रास व रूस के विद्वानों की प्रशसा में लगे इतिहासकारों ने राजस्थान के इन साहित्यविदों की उपलब्धियों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है।

(3) काति जैसा महत्वपूर्ण कार्य साधारण जन के सहयोग के अभाव में कभी सफलतापूर्वक भयन्न नहीं किया जा सकना। राजस्थान में 1857 की ऋान्ति से पूर्व यहाँ के लोगों के मन टटोलने से ज्ञात होता है कि आम आदमी ने अग्रेज सत्ता का विरोध करने के लिये बमर कस रखी थी। लोक गीत आम आदमी के मन का दपण माने जाते हैं। लोगों के मन पर अग्रेजी शामन की कैसी बलुपित छवि अवित थी इसका साक्ष्य उस समय प्रचलित यह सोक गीत प्रस्तुत करता है —

मोड़की मगरी रो पाएंगी ढाली ढाली ढलियो रे
आवू थारै पा'डा मे आगरेज बहियो रे

क काळी टोपी रो वा वा^{काळी टोपी रो}
 देस मे छावणिया न्हाखी रे क काळी टोपी रो
 देस मे अगरेज आयो काई एकाई लायिं रे
 फूट न्हाखी भाया मे बेगर लायो रे
 क काळी टोपी रो वा वा काळी टोपी रो
 घोडा रोबै धास ने टावरिया रोबै दाणे नै
 बुरजा मे ठकराणिया रोबै जामण जाया नै
 क रोलो वापरिया वा वा रोलो वापरियो

इस लोक गीत से ज्ञात होता है कि राजस्थान अपने आप मे मगन मस्त
 था। अग्रेज न यहा बलपूर्वक धुसपैठ की ओर प्रसन्न-सन्तुष्ट गाव-ढाणियों को
 भमकती छावनिया बना डाला। यह अग्रेज रूपी 'कातरा' (कीड़ा) यहा के
 काचगे को कुतरने लगा। यहा की समृद्धि मे सेध लगा कर विलायत को
 समृद्ध करने मे जुट गया। भाईयो को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने - लडाने
 लगा। यहा के बच्चे भूख से विल-विलाने लगे। जानवरो के लिये धास-चारा
 तक नहीं वचा। सामन्त भी निर्वंल हो गये। चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई।
 निरन्तर युद्धो से मरने वालों की सरया प्रति दिन बढ़ने लगी। घर घर मे
 मातम ठा गया।²⁸

जयपुर के राजा पर लोक गीतो मे व्यग-वाणों की वर्षा इसलिये की गई
 कि उसने साभर अग्रेजों को दे दिया।

म्हारी राजा भोली साभर ताँ है दीनी अगरेज नै
 म्हारा टावर भूखा रोटी तौ मारे तीखे लूण री।²⁹

जयपुर मे कप्तान ब्लैक की हत्या का कारण भी यही था कि अग्रेजों ने
 साभर हडप लिया।³⁰ लोग अग्रेजो से इतनी अधिक धूणा करते थे कि उन्होंने
 डू गजी जवाहरजी जैसे डाकूओं की लोक-गीतो में केवल इसलिये प्रशसा की कि
 उन्होंने अग्रेजों की छावनी को लूट लिया।³¹ बीकानेर के महाराजा रत्नर्सिंह
 की गीतो मे इसलिये सराहना की गई कि उन्होंने जवाहरर्सिंह को अग्रेजों को
 सौपने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। जोधपुर के तखतर्सिंह की आलोचना का
 कारण केवल यह था कि उसने डू गजी को अग्रेजों को सौप दिया।³²

इस प्रकार लोक गीतो से पता चलता है कि लोगो के हृदय मे अग्रेजो के
 प्रति धूणा के समुद्र हिलोरे ले रहे थे।

राजस्थानी लोग परम्परावादी-रुद्धीवादी थे। धर्म को बतारे वा आभास होने पर वे सबस्व न्यौछावर करने के लिये तत्पर हो जाते। 1807 से पूर्व अग्रेज, डच, और फासीसियों ने राजस्थान व समस्त भारत में अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये। अग्रेजी सूलो, अस्पतालों और अनाथालयों की स्थापना होने लगी थी। अकाल की चपेट में घिरे लोगों की सहायतार्थ अन्न-वस्त्र व आवश्यक वस्तुओं का वितरण वर पादरियों ने धर्म परिवर्तन का जाल फैलाना आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार ईसाइयत के प्रचार से आम आदमी रुष्ट हो गया।³³ सती प्रथा को समाप्त करने के अग्रेजी प्रयत्नों का भी उल्टा असर पड़ा। परम्परागत रीति रिवाजों पर प्रतार से रुद्धिवादी लोग अग्रेजों के विरोधी बन गये।³⁴

इस प्रकार 1857 से पूर्व राजस्थान वा आम आदमी अग्रेजों से घृणा करता था। जनमत ने स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों वा आवश्यक प्रेरणा और वल प्रदान किया।

(4) राजस्थान में अधिकाश रजवाडों के संस्थापन बाल से ही सामनों की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी और राजाओं को उनकी शक्ति पर अकुश लगाने के लिये अनेक प्रयत्न करने पड़ते थे।³⁵ मारवाड़ में तो यह कहावत प्रचलित थी 'रिडमला थाप्या तिकै राजा'। राज्य का वास्तविक फौज-बल सामन्त ही थे। अग्रेजों से राजाओं की सधियों के कारण सामन्तों की शक्ति-प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। राजाओं के तख्त के पायों ने सामन्तों के कन्धे छोड़कर अग्रेजों वा आश्रय ले लिया। न तो बाह्य आक्रमणों का भय रहा और न ही रही सामन्तों की खुश रखने की आवश्यकता। राजाओं के सभी कष्टों की एक मात्र रामबाण दवा अग्रेज सरकार बन गई। स्वयं राजाओं और सामन्तों के दीच झगड़ों का निवारण भी अग्रेज सरकार ही करती। सामन्त अपने कष्टों वा कारण अग्रेजी सरकार को समझने लगे। बातों-गीतों में प्रशंसित अउवा ठाकुर खुशालसिंह अग्रेजों वा महा वैरी। उसकी मायता थी कि अग्रेजी सरकार उसके विरुद्ध महाराजा तखतसिंह के कान भरती है।³⁶ उदयपुर का ताजिमी सरदार अजीतसिंह कनल जेम्स टाड और महाराणा दोनों का ही विरोधी था। जोधपुर वे महाराजा मानसिंह ने अपने सामन्तों की दुरी दशा बना दी तथा अनेकों को विष के प्याले पीने के लिये विवश कर दिया।³⁷ सलू वर ठाकुर वैसरीसिंह भी अपने कष्टों वा कारण अग्रेजों को मानता था।³⁸

सामन्तों की शक्ति कम करने के उद्देश्य से अग्रेजी सरकार ने अनेक प्रचलित प्रथाओं को समाप्त करने के प्रयत्न किये। मेवाड़ में सलूवर रावत की सहमति से नये महाराणा का अभियेक होता।¹⁹ यदि मेवाड़ के महाराणा किसी को गोद लेते तब भी अन्य खास सरदारों के साथ सलूवर रावत की स्वीकृति आवश्यक थी। अग्रेजी सरकार ने सलूवर रावत के यह अधिकार समाप्त कर दिये। ठाकुरों को शरणागत की रक्षा का अधिकार प्राप्त था।²⁰ अग्रेज सरकार ने 'शरणे' का अधिकार भी समाप्त कर दिया। सामन्तों के न्याय सम्बन्धी अधिकार भी समाप्त हो गये। वीकानेर में तो साधारण न्यायालयों को सामन्तों के मुकदमों की सुनवाई और उनके विरुद्ध कुड़की के फैसले के अधिकार तक मिल गये। ब्रिटिस हब्बमत ने लोगों पर से सामन्तों का प्रभाव समाप्त करने के लिये और भी अनेक कदम उठाये। पहले जागीर के निवासी अपने ठाकुर की आज्ञा विना किसी अन्य स्थान पर जाकर नहीं बस सकते थे। राजपूताना के ए० जी० जी० आरेंस की इच्छानुसार ठाकुरों का यह अधिकार भी छीन लिया गया। पहले व्यापारी वर्ग पर सामन्तों का दबदबा था। राहदारी और दानापानी जैसे कर सामन्तों द्वारा वसूल किये जाते थे। सामाता के नाम से आने वाला माल चुगी मुक्त होता था। अग्रेज सरकार ने सामन्तों के इन आर्थिक अधिकारों का खातमा कर दिया।²¹

इस प्रवार अग्रेजों के कारण सामन्तगण भी आम आदमी की पगत में आ पहुँचे। सभी वर्गों के सामन्त अग्रेजों पर खार खा रहे थे तथा किसी ऐसे अवसर की ताक में थे जबकि वे अग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंकें।

(5) राजस्थान के राजाओं ने अग्रेजों से संधिया भी तब उनके मन में मराठों, पिण्डाग्नियों और सामन्तों वा ढर वंठा हुआ था। अग्रेजों ने भी इन राजाओं को सात्वना देकर समझा बुझा वर संधिया की थी। किन्तु धीरे-धीरे अग्रेज स्वामी बन गये। अनेक राजाओं को आधीनता खटकने लगी। जिस राज्य की नीव को उनके पूवजों ने अपने रक्त से सीचा उस पर शासन बरने में अग्रेजों का बंसा हस्तक्षेप? दैनिक वार्यों में अग्रेजों वा वडतों हुया हस्तक्षेप राजाओं के लिये असह्य हो गया। जोधपुर के महाराजा मानसिंह जैसे कई राजा अग्रेजों से धूणा बरने लगे। मानसिंह वा शासन समस्त उत्तरी भारत में अग्रेज विरोधियों का शरण स्थल बन गया। तिघी शाहजादे और नागपुर में आप्पा साहब भोसले जैमे अग्रेजों के शत्रुओं की मानसिंह ने अपने दरबार में आधय दिया।²² गवर्नर जनरल लाइं विलियम विंस्टन ने राजपूताना के राजा

को अजमेर में आयोजित दरबार में बुलाया विन्तु माननिह के बहिपार करने से शिलिंग हूँमत ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया।

भरतपुर, कोटा, अलवर इत्यादि में उत्तराधिकारी भगडों में अग्रेजों का हस्तक्षेप भी उनके प्रति धृणा का बारण बना। अनेक राज्यों के परम्परागत क्षेत्रों पर अग्रेजों के अधिकार के बारण वे अग्रेज विरोधी बन गये। अपनी योग्य शासकों को अग्रेज शोपण करते हुए दिखलाई पढ़े। अपनी जनता तथा सामन्तों के अग्रेज विरोधी व्यवहार से भी अनेक शासक प्रेरित प्रोत्साहित हुए होंगे। बुद्धिमान लोगों ने उलाहने भी दिये। सूर्यमल मिश्रण ने वि० स० 1914 में पीपल्या ठाकुर फूलसिंह को तिखे पत्र में राजाग्रा बो इस प्रकार लताडा “मेरा राजा लोग देसपति जमीं का ठाकर है जे सारा ही हिमालय का गळ्या ई नीसरया सो चाढ़ीस से लैंरे साठ सत्तर बरस ताई पाल्छा पटक्या है तो भी गुलामी करै है। पर यो म्हारो बचन राज याद राखोगा वे जे अवकं अगरेज रह्यो तो ईको ही पूरी करसी। जमीं को ठाकर कोई भी न रहती। सब ईसाई हो जाती, तीसो दूरन्देसी विचारे तो फायदो कोई के भी नहीं, परन्तु आपणों आद्धों दिन होय तो विचारे और राज जिसो सुहृत म्हारे होय तो बढ़ाई तरीके लिखी जावै, तीसू थोड़ी में बहुन जाए लेसी।”⁴³

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्राति का श्री गणेश हुआ तब राजागण या तो एक दम दुबक गए अथवा अग्रेजों के विशेष हिमायती सिद्ध होने के प्रयत्न में जुट गये। जो राजा अग्रेजों पर खार खा रहे थे वे अवसर आते ही व्यों दूर हट गये। इस प्रश्न की गम्भीरता से छानबीन करने पर दो बातें स्पष्टत सामने आती हैं। प्रथम तो यह कि देशी राजाओं पर अग्रेजों की जबरदस्त धोस जमीं हुई थीं और दूसरी यह कि वे क्राति की व्यापकता का अनुमान नहीं लगा सके। उन्हें इस बात का तनिक आभास भी न होगा कि समूचे देश में क्राति की आग लग चुकी है। अग्रेज उहाँ क्रान्ति सम्बंधी सूचनाएँ देते नहीं थे। स्वयं राजाओं ने अपनी सड़ी गली गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से इस दिशा में कुछ भी जानने का कभी प्रयास तक नहीं किया। कारण कुछ भी रहे हो यह निश्चित है कि राजाओं की निरुचियता देश के लिये हानिकारक सिद्ध हुई। यदि सभी राजा अपने सम्मान में छोड़ी जाने वाली तीपों की गिनती बढ़ाने की आशा छोड़ अपने समस्त सैनिक बल सहित

आजादी के इस सघर्ष में सम्मिलित हो जाते तो अगरेजों की ऐसी दुगति होती वि उनके समाचार लन्दन पहुँचाने वाला भी न बच पाता ।

(6) ऐसा नहीं है कि राजस्थान में 1857 में होने वाली क्रान्ति का देश के अन्य भागों में होने वाली क्रान्ति से कोई सम्बन्ध ही न हो । ग्रिटिंश फौज के देशी सिपाहियों के साथ जो सीतेला व्यवहार किया जाता उससे राजस्थान की छावनियों में स्थित देशी सैनिकों के हृदय में भी आग लगी हुई थी । साधू तथा फकीर वेप में दिल्ली के असन्तुष्ट सैनिक राजस्थान पहुँचे और गाय-मूलर की चर्वी वाले कारतूसों की सूचना यहां के फौजियों के बीच घोड़ दी ।⁴⁴ राजस्थान की छावनियों में एक यह बात भी बहुत रग लाई कि फौज को जो आटा सप्लाई होता है उसमें मनुष्य की हड्डिया पीस कर मिलाई जाती है ।⁴⁵ मेवाड़ के अजु नर्सिंह को तो सिपाहियों के सम्मुख बैठ कर इस आटे से बनी रोनिया खाने के लिये बाध्य होना पड़ा ।⁴⁶ चर्वी के कारतूसों और आटे में मिली हड्डियों ने देशी सिपाहियों के हृदय में घाय कर दिये । उन्होंने इसे अपना धर्म भ्रष्ट कर इसाई बनाने का कुचल समझा । 1857 के अमर शहीद रिसल-दार मेहरावखा,⁴⁷ हरिंसिंह⁴⁸ और बन्दूखची गुल मोहम्मद⁴⁹ जैसे आजादी के परवानों के हृदय में देश को अग्रेजी आधिपत्य से मुक्त कराने की लालसा हिलोरे ले रही थी ।

इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रान्ति वो जड़ें कुरेदने पर दिखलाई पड़ता है कि आम जनता, साहित्यकार सामन्त, राजा और देशी सैनिक सभी ने शोपण करने वाली भूरी जीक से मुक्ति की ठान रखी थी । राजस्थान में क्रान्ति आकस्मिक रूप से नहीं हुई । अग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश का पहाड़ तो बहुत पहले ही सड़ा था, अन्य स्थानों पर प्रान्ति के समाचारों ने तो बालू के उस ढेर में अग्नि लगाने का काय ही किया । एक बार अग्नि प्रज्जवलित होने पर तो नसीराबाद, कोटा, उदयपुर, अलवर, देवली, अजमेर, जोधपुर (अउवा), भरतपुर टौक आदि स्थानों पर ऐसी धमचक मच्ची वि अग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिल गई और वह पूरी तरह अव्यवस्थित दिखलाई देने लगा ।

आबू मे आराम करते ए० जी० जी० लारेस के पास 19 मई 1857 को भेरठ की क्रान्ति के समाचार पहुँचे तो एक बार तो वह सकपका गया । इस तथ्य से तो वह पहले ही अवगत होगा कि राजस्थान के लोग अग्रेजी शासन से तग आ चुके हैं और किसी सुश्रवसर की तलाश में है । आने वाली कठिनाईयों के अनेक दृश्य स्वत ही उसे दिखलाई पहने लगे । अपनी ओर से सुरक्षा के

उपाय करने का विचार कर उसने राजाओं को पत्र लिखे कि वे अपने अपने रजवाड़ों में सुरक्षा के उपाय करले और बागियों को अपनी सीमा में प्रवेश न करने दे।¹⁰⁰

घबराहट में ए० जी० जी० साहब अजमेर की स्थिति पर विचार करन लगे। राज्य का सारा कोष और शस्त्र अजमेर में ही थे।¹⁰¹ राजस्थान में अग्रेज सत्ता का केंद्र अजमेर ही था अत यदि अजमेर में ही खेड़ा हो गया तो कुछ भी उपाय न हो सकेगा। साहब की वोखलाहट का विशेष बाररण यह था कि अजमेर की सुरक्षा के लिये पन्द्रहवीं नेटिव इन्फैन्ट्री की जो दो टुकड़िया नियुक्त थीं वे हाल ही में मेरठ से म्यान्तरित होकर अजमेर पहुँची थीं। इस प्रकार एक तो राजस्थान में पहले ही अग्रेजों के प्रति धृणा की भावना विद्यमान थी और फिर मेरठ में क्रान्ति के समाचार मिल गये तब बेचारे साहब का घबराना स्वभाविक ही था। हड्डवडाहट में साहब न अजमेर की सुरक्षा के प्रथम उपाय के रूप में 15 वीं नेटिव इन्फैन्ट्री की दोनों टुकड़ियों को अजमेर से हटा कर नसीरावाद भेज दी जहा इस इफैन्ट्री के शेष सैनिक तैनात थे।¹⁰² इससे भी घबराहट दूर नहीं हुई तो छानवी में तोपें लगवाकर अन्य पलटनों के वफादार सैनिकों को मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। साहब की अजमेर की सुरक्षाथ की गई व्यवस्था ने ब्रिटिश राज्य को आपत्ति में डाल दिया। 15 वीं नेटिव इन्फैन्ट्री के सैनिक कोधित हो गये। बर्तावरसिंह नामक सैनिक ने अग्रेज अफसर प्रिचार्ड के पास जाकर पूछा कि "क्या यह सत्य है कि यहा यूरोपियनों की एक फौज बुलाई गई है?" 28 मई 1857 को मुश्ती भीर बाकर अती ने प्रिचार्ड को बताया कि सभी फौजी इस बात से अधृत हैं कि उन्हें जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डिया मिला दी जाती है। प्रिचार्ड कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका किन्तु उसने ब्रिगेडियर के पास रिपोट भेज कर आवश्यक वायवाही का आश्वासन दिया। दुपहर दो बजे प्रिचार्ड भोजन करने के पश्चात हाथ साफ कर रहा था कि तोप छूटने की तेज आवाज से उसके बानों के पर्दे झटा उठे। घर से बाहर देखने पर उसे जबरदस्त भगदड़ मची हुई दिखाई दी। पन्द्रहवीं नेटिव इन्फैन्ट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। पहले घुड़सेना और बाद में अन्य सैनिकों को तोपखाने की ओर बढ़ने के आदेश दिये गये बिन्तु किसी ने इन आदेशों की अनुपालना नहीं की। तोपखाने से लगातर गोले दागे जा रहे थे। स्पोडिसवुड नामक एक भेजर तोपखाने की ओर बढ़ा बिन्तु चार कदम बढ़ाते ही एक दनदनाती गोली ने

उसका भेजा विखेर दिया। कर्नल न्यूबरी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिये गये। छावनी के कनल सहित अनेक अग्रेज अफसर घायल हुए। घबराये हुए अग्रेज अफसर अत्यन्त ही कठिनाई से स्थिरा व बच्चों को साथ लेकर छावनी से निकल सके। यह अदेशा था कि छावनी के विद्रोही सैनिक अजमेर की ओर बढ़ेंगे। अत छावनी से भगोड़े अग्रेजों ने व्यावर की राह पकड़ी। छावनी के विद्रोही इच्छानुसार फोध प्रवट करने लगे। चर्च और अग्रेज अफसरों के बगलों को आग लगा दी। माल-असरावाद कब्जे किया और कपड़ों व अन्य सामान को मैदान में एकत्रित कर दिया। छावनी वो तहस नहस कर यह सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए।⁶³ यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह केवल असन्तुष्ट सैनिकों का बखेड़ा अथवा बोई आकस्मिक घटना नहीं बी बल्कि पूर्व नियोजित विचार विमर्श के अनुसार अग्रेजी साम्राज्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से की गई क्रान्ति थी। सब प्रथम तो इस क्रान्ति में सभी धर्म-सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित थे। फिर यदि छावनी लूटने के पश्चात् यह सैनिक लूट के माल-सहित अपने अपने घर की ओर चले जाते तब तो वात अलग होती। किन्तु सब ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में लडते-भिडते दिल्ली पहुँच गये।⁶⁴ वहाँ पहुँच कर दिल्ली का धेरा डाली हुई एक अग्रेज पलटन पर टूट पड़े।⁶⁵ इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह क्रान्तिकारी भारत भूमि को अग्रेजी दासता से मुक्त करना चाहते थे। यह लोग दिल्ली के अग्रेज विरोधी बादशाह बहादुरशाह जफर की सहायतार्थ दिल्ली पहुँचे थे। एक बहुत खटकने वाली वात यह है कि अग्रेज तो अजमेर की सुरक्षा के लिये बहुत ही चिंतित थे और नसीरावाद के क्रान्तिकारी सैनिकों ने अजमेर की ओर देखा तक नहीं। जाते समय यदि अजमेर पर धावा बोल देते तो राजस्थान में अग्रेजी शासन की बमर ही टट जाती। उदयपुर में पालिटिकल एजेट सावस ने लिया कि दिल्ली के विद्रोहियों ने इहाँ दिल्ली पहुँचने का निमन्यण दिया था।⁶⁶ यही कारण है कि नसीरावाद के सैनिक शिवातिशिव दिल्ली पहुँचने के लिये आतुर थे। इनके दिल्ली पहुँचने की आतुरता की जानकारी इस तथ्य से भी होती है कि शीघ्र दिल्ली पहुँचने की धुन में अनेकों ने लूटे हुए माल को मार्ग में ही फेक दिया। भार कम कर जल्दी पहुँचने के उद्देश्य से ही लूट का माल फेंका गया था।

नसीरावाद के पश्चात् नीमच में क्रान्ति की ज्वाला ने अग्रेजी साम्राज्य की नीव हिलाई।⁶⁷ नीमच की छावनी नसीरावाद से 120 मील की दूरी पर

स्थित थी। वहा मेरठ के समाचार पहुचने से पहले ही भयभीत करने अंग्रेजों को नसीरावाद में कान्ति की सूचना मिलने पर वह आतंकित हो गया। देशी सिपाहियों को एकत्र कर अनुनय विनय बरने लगा। उसने घाँटिल पर हाथ रख कर सौगन्ध खाई कि वह देशी सैनिकों पर पूर्ण विश्वास बरता रहेगा।⁶⁷ फिर कुरान तथा गगाजल की शपथ दिलवाकर देशी सैनिकों से आश्वासन लिया कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहेंगे। 2 जून को पुढ़सवार मोहम्मद अली बेग ने करने अंग्रेज के सम्मुख जाकर कहा "अग्रेजों ने सौगन्ध कब निभाई। क्या अब वे मेरा जवारदस्ती नहीं धुसे। फिर मैं तो हिन्दुस्तानी ही सौगन्ध पर क्या अड़े रह?"⁶⁸ उस समय तो अंग्रेज ने जैसे-तैसे लल्लु-चप्पु कर मोहम्मद अली को शान्त कर दिया। बिन्तु अगले दिन प्रात ही नसीरावाद की त्राति के समाचार नीमच पहुच गये। दिन के भारह बजते-बजते छावनी में भचाभच मच गई। सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार जमाया और छावनी को आग लगा दी। कोधित सैनिकों ने एक अग्रेज सार्जेंट के बच्चों को आग में फेंक दिया। छावनी के लगभग चालीस अग्रेज जान बचा कर मेवाड़ की ओर भागे। छावनी के बन्दियों को मुक्त कर, खजाना लूटा और छावनी को आग लगाने के पश्चात् इन देशी सैनिकों ने भगोडे अग्रेजों का पीछा किया। डूगला नामक गांव पहुचने पर इन भागते हुए अग्रेजों को कप्तान सावर्स और वर्तावर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी फौज का मरक्षण मिला तब इनकी जान बची।⁶⁹

नीमच के फौजी सूबेदार गुरेसराम को कमाण्डर, सूबेदार सूदेरीसिंह को ब्रिगेडियर और जमादार दोस्त मोहम्मद को मेजर नियुक्त कर बैण्ड-बाजी के साथ रवाना हुए। चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ और बनेडा के सरकारी बगलों को लूट कर आग लगाते हुए साहपुरा, निम्बाहेड़ा होते हुए देवली पहुचे। देवली में भी छावनी थी जहां के अग्रेज तो पहले ही भाग गये और देशी सैनिक नीमच के इन सैनिकों के साथ मिल गये। यहां से यह लोग टौक पहुचे जहां जनता ने इनका स्वागत किया। यही कोटा से आए हुए अनेक सैनिक भी इनके साथ हो लिये। टौक के नवाब के अनेक प्रयत्न करने पर भी वह असफल रहा और उसकी फौज के अनेक सैनिक भी नीमच के इन त्रातिकारियों के साथ मिल गये। टौक से यह सम्मिलित सेना दिल्ली पहुची और वहां अग्रेजों से युद्ध करने वाली एक बड़ी सेना वी सहायता में जुट गई।⁷⁰

1836 ई में अग्रेजों ने जोधपुर लीजियन, नामक एक फौज बनाई। मारवाड़ में 1857 ई का कान्ति का इस फौज से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 18 अगस्त

को जोधपुर लीजियन की एक टुकड़ी रोवा ठाकुर के बखेडे के समाधान हेतु आबू की जड़ों में वसे हुए गाव अनादरा पहुची। 21 अगस्त की रात्रि को लगभग पचास फौजी अनादरा से माउण्ट आबू चढ़े। प्रात लगभग सवा तीन बजे कोहरे से छाई हुई युन्द के बीच यूरोपियन सॉल्जरों की बैरेको तथा जोधपुर लीजियन के कप्तान हाल साहब के बगले पर गोलिया बरसने लगी। हाल साहब के बगले में ए जी जी का पुत्र ए लारेन्स भी घायल हुआ।⁶¹

यद्यपि आबू में छुट-पुट वारदात ही हुई किन्तु इसकी सूचना जोधपुर लीजियन के प्रमुख केन्द्र ऐरनपुरा पहुँचने पर तो गजब हो गया। 22 अगस्त को ऐरनपुरा में भी क्रान्ति का विगुल बज गया और उसी दिन आबू में गोलियाँ बरसाने वाले सैनिक भी ऐरनपुरा आ पहुँचे। क्रोधित सैनिकों ने छावनी और स्टेशन को लूट लिया तथा मेहरबानसिंह को अपना जनरल नियुक्त कर अजमेर की तरफ रवाना हो गये। थोड़ी दूर जाने पर इन्ह समाचार मिला कि किलेदार अनाडसिंह के नेतृत्व में आई हुई जोधपुर के महाराजा तखतसिंह की एक फौज पाली में डेरा डाले हुए हैं। इस सूचना पर ऐरनपुरा के सैनिकों ने खेतवा का मार्ग पकड़ा और अउवा के पास एक गाव में पहुँच कर डेरा डाला।⁶²

अउवा ठाकुर खुशालसिंह चापावत के महाराजा तखतसिंह से अनबन। ठाकुर अग्रेजों को झगड़े का कारण मानकर उनसे धूरण करता था। यह बात गाव की चौपालों में आज तक प्रसिद्ध है कि खुशालसिंह दस सिर और चौपन हाथों वाली अपनी कुल-देवी सुगाली माता की मूर्ति के सम्मुख पूजा हेतु बैठा था तब उसे ऐरनपुर के सैनिकों के आगमन की सूचना मिली। तुरन्त सामने जाकर ठाकुर इन सैनिकों को गढ़ में ले आया। ठाकुर के चाकरों ने समझा कि देवी मा को आदेश होने पर ही ठाकुर क्रान्तिकारियों का स्वागत कर रहा है। आगे से आगे खुसर-पुसर होते-होते यह बात चौपालों तक पहुच गई। आसोप के ठा० शिवायसिंह, गूलर ठा० विशनसिंह और आलणियावास ठा० अजीतसिंह भी अपनी-अपनी सेनाओं सहित अउवा आ पहुचे।⁶³ इनके अतिरिक्त लाम्बिया, बाटा, भीवालिया, राडावास तथा बाजावास के ठाकुर भी खुशालसिंह के समर्थक थे। खेजड़ा तथा भेवाड के सलूम्बर, स्पनगर, लासाली तथा आसीद के ठिकानों की फौजें भी अउवा पहुच गई।⁶⁴ एक हजार सैनिक तथा छ सौ पुड़सवार ऐरनपुरा से आए ही थे। सब मिलाकर छ हजार के लगभग सैनिक सख्त्या हो गई।

किलेदार अनाडसिंह के नेतृत्व में आई हुई जोधपुर महाराजा की सेना के साथ ए जी जी वा खास मर्जीदान ले हीथकोट भी था। आरम्भ में छोटी-छोटी मुठभेड़ों के पश्चात् विथोरा नामक गाव के निकट बड़ी लडाई हुई। अउवा ठाकुर तथा ऐरनपुरा के क्रान्तिकारियों ने इतना भयकर युद्ध किया कि जोधपुर की सेना पस्त होने लगी। कुशलराज सिंधवी तथा मेहता विजयसिंह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। कठिनाई से हीथकोट अपनी जान बचा सका। अनाडसिंह तथा उसके साथ दरबार की फौज के छीयत्तर सैनिक मारे गये। शेष फौज के पैर उखड़ गए तथा युद्ध क्षेत्र से भाग गई। दरबार की फौज का सामान खुशालसिंह तथा उसके सहयोगियों ने लूट लिया।⁶⁵

अनाडसिंह की मृत्यु और अपनी सेना की पराजय के समाचार से महाराजा तखतसिंह बहुत दुखी हुए। सुबह तथा साथ दो बार दुग में प्रतिदिन बजने वाली नीपत को केवल एक बार बजवा कर महाराजा ने अपना दुख प्रकट किया।⁶⁶ ए जी जी लारेंस तो क्रान्तिकारियों की सैनिक सफलता की सूचना से बाबला हो उठा। उसने तुरन्त व्यावर से सेना साथ लेकर अउवा की ओर प्रस्थान कर दिया। जोधपुर से पालिटिकल एजेन्ट केप्टन मैंक मैसन भी ए जी जी की सहायतार्थ पहुंचा। 18 सितम्बर, 1857 को पुन भयकर युद्ध छिड़ा। ए जी जी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। अग्रेजी सरकार पर जोरदार बलक यह लगा कि मैंक मैसन क्रान्तिकारियों के हाथ पड़ गया। देचारे मैंक मैसन को मारकर उसकी लाश को अउवा गढ़ के मुरथ द्वार के सामने एक वृक्ष पर लटका दी। हताश ए जी जी को अजमेर लौटना पड़ा। देचारे मैंक मासन ने व्यथ ही जान गवाई। जनता के भय से महाराजा उसकी मृत्यु के शोक में नीपत बजवाना भी बद न करा सके।

अउवा के आजादी के आगीवानों का सम्पक दिल्ली से था और मारवाड़ की जनता की सद्भावना उनके साथ थी।⁶⁷ गत दो वर्षों से खुशालसिंह का सहयोगी सिभरथसिंह मारवाड़-मेवाड़ के जमीदारों में एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। एक जुट होकर मारवाड़-मेवाड़ से अग्रेजों वा सफाया करने की ठान रखी थी।⁶⁸

10 अक्टूबर को जोधपुर सीजियन के फौजी और खुशालसिंह के कई सहयोगी ठानुरों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वा पारण यह था कि यह लोग बहादुरशाह जफर वा फरमान प्राप्त कर उसकी मैनिक सहायता से मारवाड़ तथा मेवाड़ वो अग्रेजी आधिपत्य से मुक्त

मरवाना चाहते थे।^{१९} दिल्ली की ओर कूच करने वाली इस कान्तिकारी सेना में भरने मारने के लिए तत्पर लगभग चार हजार सैनिक थे। रेवाड़ी पर विजय के पश्चात दिल्ली में अग्रेजों की विजय से खिन्न चित इस सेना की 16 नवम्बर को नारनोल में त्रिगोडियर गेराड़ के नेतृत्व वाली एक विशाल अग्रेजी फौज से भिड़न्त हुई। जोधपुर लीजियन की पराजय से मारवाड़-मेवाड़ से अग्रेजी प्रभाव समाप्त करने की लालसा की इति श्री हो गई।

सब स्थानों की ओर से पूणतया आस्वस्थ हो जाने पर जब जनवरी 1858 में वम्बई में नई कुमक भी आ गई तब अग्रेजों ने पुन अउवा की तरफ मुह करने का माहस किया। कर्नल होम्स की कमान में वम्बई की पलटन और 12वी नेटिव इन्फेन्ट्री ने अउवा की घेरावन्दी की। जोधपुर महाराजा की फौज भी इस त्रिटिस सेना की सहायता कर रही थी। 20 जनवरी को घमासान युद्ध हुआ। चार दिन तक दोनों पक्षों की तोपें आग उगलती रही। उस समय अउवा की रक्षा के लिये दुग में बहुत कम सैनिक ही थे। 23 जनवरी की रात्रि को आकाश बादलों से ढक गया। निरातर वर्षा होने लगी। कामदार तथा सहयोगियों के अधिक आग्रह करने पर आजादी का यह दीवाना खुशालसिंह गोला-वारी के बीच से निकल कर, सैनिक सहायता की आशा से मेवाड़ पहुच गया।^{२०} शेष लोगों ने दुर्ग की रक्षाथ जबरदस्त युद्ध किया जिसने अग्रेजों की कई गुना विशाल सेना और जगी तोपखाना निरण्यिक सिद्ध हुए। 24 जनवरी को दुर्ग पर त्रिटिस सेना का अधिकार हो गया। फिर तो अग्रेजों ने वहां यातनाओं का ताड़व ही कर दिया।^{२१}

बाद में अग्रेजों ने खुशालसिंह पर मुकदमा चलाने का दिवावा भी किया जिसने सजा देने का साहस न जुटा सकने पर अन्त में परी कर दिया। 25 जुलाई, 1864 को आजादी के लिये अलय जगाने वाले इस शूरमा का उदयपुर में स्वगवास हुआ। युगो-युगो के लिये इस स्वतन्त्रता सेनानी के वृत्तित्व की छाप राजस्थानी जन मानस में अकित रहेगी।

कोटा में 1857 की क्रान्ति का महत्व अपेक्षाकृत इसलिये अधिक माना जाता है कि लगभग द्य महीनों तक कोटा पर क्रान्तिकारियों का अधिकार रहा। सारी जनता क्रान्ति समर्थक बन गई। मारवाड़ भी अधिक नुई। मितम्बर में बादशाह जफर कैद हो गया और लाल यिने पर अग्रेजी आधिकार स्थापित हो गया तब भी कोटा के क्रान्तिकारी बेवन अपन नींव बन पर अग्रेजों ने लोहा लेते रहे। 1838 ई में कोटा भटागव में गर्व ग निर्मित थों।

कॉटिजेट नामक व्रिटिश सेना के देशी सिपाही मेरठ, नसीरावाद, नीमच इत्यादि में नान्ति के समाचारा से व्याकुल हो गए। ऐसे में 'पायगा पलटन' के रिसालदार मेहरावखा के हस्ताक्षरों वाली एवं अपील फौजिया के पास पहुंची। इसमें चरबी वाले कारतूसों तथा आटे में मिली हुई हट्टियों के उल्लेख के पश्चात् देश से अग्रेज आधिपत्य को समाप्त करने में सहयोगी बनने का निवेदन किया गया था। 15 अक्टूबर को प्रात् फौज ने बगावत कर दी। दो तोपों तथा दो धोमलों (ऊट पर लादी जान वाली ढोटी तोप) सहित लगभग तीन हजार सैनिकों ने महरावखा के नेतृत्व में एजेसी हाऊस को घेर तिया। बगले को आग लगा कर कुछ सैनिक लकड़े की सीटी लगाकर ऊपर के कमरे में पहुंचे जहां कोटा का पालिटिकल एजेन्ट मेजर वर्टन और उसके दो युवा पुत्र छुपे हुए थे। नोधित सैनिकों ने तीनों के टूकड़े-टूकड़े कर दिये।⁷² एजेसी हाऊस पर इस हमले के समय दो अग्रेज टॉक्टर भी मीत के घाट उत्तार दिये गए। मेजर वर्टन का सिर बाट कर समस्त कोटा शहर में घुमाया गया। छ दो माह तक मेहरावखा और जयदयाल के नेतृत्व में फौज ने इच्छानुसार शासन चलाया। अग्रेजों के ग्रनेक पिट्ठुओं को तोपों के मुह पर बाध कर उड़ा दिया गया।⁷³

अग्रेजों के विरुद्ध कायवाही के पश्चात् नान्तिकारी असमजस में पड़ गये। ग्वालियर में सम्मलगढ़ के शासक गोविंदराव विट्ठल को सहायता के लिये जो पन भेजा उसने वह पन अग्रेजों को सौप दिया।⁷⁴ कोटा महाराव किले के भीतर दुबके हुए थे। इस बठिन परिस्थिति में कौन सहायता करे? मार्च 1858 में वर्मवर्ड से आई हुई विशाल व्रिटिश सेना के साथ बनल रॉवर्ट कोटा पहुंचा। महाराव की स्वामी भक्त सेना, वरौली के शासक वी फौज तथा गोटपुर शासक वी फौज भी इस व्रिटिश सेना के साथ मिल गई। जगह-जगह घमासान युद्ध हुए। अनेक लोग मारे गये। कई दिनों तक सामना करने के पश्चात् नान्तिकारी सेना पराजित हुई। नेताओं पर अग्रेजों ने जवरदस्त अत्याचार किए। मेहरावखा और जयदयाल पर मुकदमों के दिखावे के पश्चात् भारत के गवनर जनरल वी इच्छानुसार उहों उसी एजेन्सी हाऊस में कासी पर लटकाया गया। जहां उहोंने मेजर वर्टन और उसके पुत्रों को मारा था। एक बार नान्ति पर नियंत्रण हो जाने पर तो अग्रेजों ने प्रत्याचारों की सारी सीमाएं पार करली।⁷⁵

नवाव के मामू आलमखा के नेतृत्व में टाँक की फौज ने भी बगावत बर दी। नवाव की स्वामी-भक्त सेना से लड़ता हुआ आलमखा तो मारा गया विन्तु टाँक के लगभग छ सौ क्रान्तिकारी मैनिक लडते-भिडते बहादुरशाह जफर की सहायतार्थ दिल्ली जा पहुंचे। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, मेवाड तथा जयपुर सभी स्थानों पर 1857 में कुछ न कुछ क्रान्तिकारी घटनाएँ अवश्य ही हुईं। उस समय अग्रेजों के एक प्रबल विरोधी के हृषि में राजस्थान की प्रसिद्धी समस्त भारत में फैल गई। तात्या टोपे जैसा अग्रेजों का शत्रु राजस्थान को अपने लिये उपयुक्त शरण-स्थल मानकर अलीपुर में चालस नेपियर में पराजित होने के पश्चात् राजस्थान आ पहुंचा।

इस प्रकार 1857 की क्राति के समय राजस्थान के कीने-कीने में ज्वालाएँ धघकने लगी। जैसे-तैसे अग्रेजों ने इस आग को बुझा तो दिया किन्तु फिर भी इससे वह धुनी चेतन हो गई जिसकी राख मल कर अर्जुनताल सेठी, गोपालसिंह खरवा, विजयसिंह पथिक और जोरावरसिंह बारहठ जैसे क्रातिकारियों ने पुन आजादी का अलस जगाया। असफल होकर भी प्रथम स्वाधीनता संग्राम आगे आने वाले आजादी के मतवारों के लिए एक प्रेरणा पुञ्ज बन गया।

टिप्पणिया—

- 1 (अ) शमा एव व्यास, राजस्थान का इतिहास, 342
(ब) यदुनाथ मरकार मुगल नाम्राज्य का पतन, 1, 127
- 2 (अ) सूयमल मिथ्रण, वश भास्कर, 3096 3100
(ब) जाघपुर में बदरसिंह—रामसिंह संघ
- 3 भलीमन, द इण्डियन म्यूटिनी आफ 1857, 294
- 4 टी आर होम्स, ए हिन्दी आक दी इण्डियन म्यूटिनी, 149
- 5 फारन पानिटिकल ब्रॉसलेशन, 16 अप्रैल 1832, न 22
- 6 आदश शर्मा, 1857 और राजस्थान, कथा क्राति की, 1
- 7 शर्मा एव व्याम राजस्थान का इतिहास, 397 8
- 8 टर्की की समस्या के कारण 1855-6 म यूरोप में भयकर युद्ध हुआ। एक पश्च म इगलठ, प्रास तथा इटली की ममिलित भेनाएँ थी व दूसरी और अबेला सम। युद्ध में स्स बुरी तरह पराजित हुआ।
- 9 डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 71
- 10 (अ) एजेंसी रिकाड, लेटर बुक न 13, पृ 43
(ब) सावस, ए मिसिंग चैप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 8

- 11 (अ) फारेन पालिटिकल काल्टसर्स, 26 जून, 1857, नं 113 116
 (ब) वही, 31 दिसम्बर, 1858, नं 3146 7
- 12 (अ) अमल कुमार सेन, ज्योग्राफिकल रीज म आफ राजस्थान, ट्रांजेक्शन आफ द इण्डिया कालिल आफ ज्योग्राफ्स, स्पेशल आई जी यू बोल्यूम, 99 104
 (ब) घमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राजस्थान, 17
 (स) वी सी मिथ, ज्योग्राफिकल रीजस आफ राजस्थान, थी इण्डियन नरनल आफ ज्योग्राफी 1 1, 1966, नं 35 48
 (द) इरफान मेहर, राजस्थान का भूगोल, 5
- 13 वी सी मिथ, राजस्थान का भूगोल, 23
- 14 (अ) जहूरखा मेहर राजस्थानी सरकृति रा चितराम, 92
 (ब) घमपाल, इण्डिया लण्ड एण्ड द पीपल, राजस्थान, 1
- 15 (अ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 96
 (न) फरिश्ता, 228
- 16 डॉ नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गारा हट जा, 37 38
- 17 जिए वन भूल न जावता, गैंद गवय गिडराज ।
 तिए वन जबुक तालिड उधम माठ आज ॥
- 18 डा नारायणसिंह भाटी परापरा गोरा हट जा 141 42
- 19 राणिया तरोटिया उत्तर राजा भुगत रस ।
 गढ़ ऊपर गारा फिर सरग गया भगतम ॥
- 20 हुव फ्ल धरण हक्कप हुव
 चढ़ तुरा राख कुण खाग चाली ।
 गढपति आज दूसरा नमिया धरणा
 औक रही अनम गुमान वाली ॥
- 21 यह जोधपुर के लोढ़ावास गाव के निवासी तथा सूयमल मिथण के निकट मित्र 4 ।
- 22 डाकर कर फिरग फेर गिर दाढ़ा
 ज खग ठाकर बैम भल ।
 ऊभा भागर बलु अभनमो
 भागर ढाणी बैम भल ॥
- 23 यह कविराजा वाकीदास क चार भाइया म सबस छोट भाई थ ।
- 24 महाराजा मानसिंह के समकालीन प्रसिद्ध कवि ।
- 25 पाचेटिया के निवासी । मानसिंह क समय के प्रसिद्ध कवि ।

- 26 फिरे फिरगी के हका काज सुधार हवार फौजा
 धूबल्ही उवार रका मार बवा धीग ।
 सबादी भभीत होय नगारा धुरावै मारे
 माभी थार भरोस नचीता मानसीग ॥
- 27 आया लाट रा यत्तीता बाचता धक लाय ऊभौ
 धर हाथ मूद्धा आय ऊभौ ब्रोब धीग ।
 आपर भरास राग जागडा दिराय ऊभौ
 साथ ऊभौ जनबा खागडौ भानसीग ॥
- 28 जहूरखा भहर धर मजला धर कासा, 105-6
- 29 डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 67
- 30 जगदीशसिंह गहलोत, राजस्थान का इतिहास, 3, 149 50
- 31 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की आर, 117
 (ब) अजमेर के सुपरिटेंडेंट सी जी डिक्सन का ए जी जी मदरलण्ड का पत्र,
 दि 1 मई, 1848, एन्क्लोजर न 2, करस्पोण्डेन्स 26 अगस्त, 1848,
 न 101, एक एण्ड पी
 (स) परम्परा, ढूगजी जवाहरजी री पड लोक काव्य परम्परा, 125 35
- 32 (अ) नाथूराम खडगावत, राजस्थान रोल इन द स्ट्रॉगल आफ 1857, 123
 (ब) राजस्थान हिस्ट्री काप्रेस प्रोसीर्डिंग्स, VII, 118
- 33 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की आर, 179
 (ब) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 61
 (स) वि स 1814 मे सूयमल मिश्रण ने पीपल्या ठा फूलसिंह को यह पत्र लिखा
 "य राजा लोग देसपति जमी वा ठाकर छ जे सारा ही हिमाल्य वा गळ्या
 ई नीसरया, सा चालीस स ले'र साठ सत्तर वरस ताई पाढ्या पटकिया छ
 तोई गुलामी बर छ । पर यो म्हारौ बचन राज याद राखागा क जे अबक
 अगरेज रह्यो ता इका गायो ही पूरो बरसी । जमी का ठाकर काई भी न
 रहसो । मब ईसाई हो जासी ।" परम्परा, गोरा हट जा, 141
- 34 मु शी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 278 80
- 35 (अ) टाट, एनल्स एण्ड एटीकवीटीज आफ राजस्थान, 1, 560
 (ब) श्यामलदास, बीर बिनोद, 806
 (स) तवारीख जोधपुर, बडल 40, ग्रथ 7 (पुरातोखागार, बीकानेर)
 (द) तवकात ए नासीरी, 465
 (घ) जी एन शर्मा, सोसियल लाइफ इन मेडाइवल राजस्थान, 512
 (ई) जहूरगा भेहर, राजस्थानी सस्तति रा चितराम, 97

- 11 (अ) फारेन प्रतिटिकल क-मल्टस-स, 26 जून, 1857, न 113 116
 (ब) वही, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146 7
- 12 (अ) अमल कुमार सेन, ज्याग्राफिकल रीज़-स आफ राजस्थान, द्राजेशन आफ द इण्डिया कौसिल आफ ज्योग्राफ्स, स्पशल आई जी यू बोल्यूम, 99 104
 (ब) घमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राजस्थान, 1 7
 (स) वी सी मिश, ज्याग्राफिकल रीज़-स आफ राजस्थान, दी इण्डियन चरनल आफ ज्याग्राफी, 1, 1 1966, टृ 35 48
 (द) इरफान महर, राजस्थान का भूगाल 5
- 13 वी सी मिश राजस्थान का भूगाल, 23
- 14 (अ) जहूरखा महर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 92
 (ब) घमपाल, इण्डिया लण्ड एण्ट द पीपल, राजस्थान, 1
- 15 (अ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम 96
 (ग) परिष्ठिता, 228
- 16 डा नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गारा हट जा, 37 38
- 17 जिण बन भूल न जावता गैंद भवय गिडराज ।
 तिण बन जबुक ताखड, उधम माड आज ॥
- 18 डा नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गोरा हट जा 141 42
- 19 राणिया तलेटिया उत्तर, राजा शुगत रेस ।
 गढ़ ऊपर गारा फिर सरण गया सगतम ॥
- 20 हुव कल धरण हैवप हुव
 चढ़ तुरा रातै बुण लाग चालौ ।
 गठपति आज दूसरा नभिया धणा
 येक रह्ये अनम मुमान वालौ ॥
- 21 यह जाधपुर के लोलावास गाव के निवासी तथा सूखमल मिथण के निकट मिन थे ।
- 22 डाकर बर फिरग ऐर गिर दाढ़ा
 ज खग ठाकर बेम भल ।
 ऊभा भायर 'बलू अभनमौ
 भायर ढाणौ बेम भल ॥
- 23 यह नविराजा बाकीदास के चार भाइया भ सबस छाट भाई थ ।
- 24 नहाराजा मानसिंह के समकालीन प्रसिद्ध कवि ।
- 25 नाचठिया व निवासी । मानसिंह के समय के प्रसिद्ध कवि ।

- 26 किर फिरगी के हका काज मुद्धार हकार फौजा
धूकली उबार रवा मारै बका धीग !
सबादी भैभीत होय नगरा धुराव सार
माभी थार भरोसै नचीता मानसीग ॥
- 27 आया लाट रा खलीता बाचता घक लाय ऊभी
घरे हाय मूद्धा आय ऊभौ ब्रोध धीग !
आपर भरस राग जागडा दिराय ऊभी
साथ ऊभौ जनेवा खागडौ मानसीग ॥
- 28 जहूरखा महर, घर मजला घर कामा, 105-6
- 29 डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता सग्राम, 67
- 30 जगदीशसिंह गहलोत, राजस्थान का इतिहास, 3, 149 50
- 31 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की ओर, 117
(ब) अजमेर के सुपरिटेंडेंट सी जी डिक्सन बा ए जी जी मदरतण्ट को पर
दि 1 मई, 1848, एनलोजर न 2, करस्पोष्टस 26 अगस्त, 1848,
न 101, एफ एण्ड पी
(स) परम्परा, डूगजी जवाहरजी री पड, लाक व्यापर परम्परा, 125 35
- 32 (अ) नायूराम खडगावत, राजस्थान राल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 123
(ब) राजस्थान हिस्ट्री काप्रेस प्रासीडिग्स, VII, 118
- 33 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान अराजकता से व्यवस्था की ओर, 179
(ब) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता सग्राम, 61
(स) वि स 1814 मे सूयमल मिश्रण ने पीपल्या ठा फूलसिंह को यह पत्र लिखा
“य राजा लोग देसपति जमी का ठाकर ठ जे सारा ही हिमाल्य वा गढ़्या
ई नीसरया, सा चालीस से ले’र साठ सत्तर बरस ताई पाल्या पटकिया छ
ताई गुलामी कर छ । पर यो म्हारो बचन राज याद राखोगा क ज अबक
अगरेज रह्यो तो इको गाया ही पूरा बरसी । जमी को ठाकर वाई भी न
रहसी । मव ईसाई हो जासी ।” परम्परा, गारा हट जा, 141
- 34 मुशी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 278 80
- 35 (अ) टाड, एनलस एण्ड एंटीक्वीटीज आफ राजस्थान, 1, 560
(ब) श्यामलदास, बीर बिनोद, 806
(स) तबारील जाधपुर, बडल 40, प्रथ 7 (पुरालेखामार, बीकानेर)
(द) तबकात ए नासीरी, 465
(घ) जी एन शर्मा, सोसियल ताइफ इन मेडाईवल राजस्थान, 512
(ई) जहूरखा महर, राजस्थानी सस्कृति रा चितराम, 97

- 11 (अ) फारेन पालिटिकल वा सल्टमास, 26 जू
 (ब) वही, 31 दिसंबर, 1858, न 314।
- 12 (अ) अमल कुमार सेन, ज्योग्राफिकल रीजन
 इण्डिया कॉसिल आफ ज्योग्राफस, सप्त
 (ब) धमपाल, इण्डिया लण्ड द पीपल, राज
 (स) बी सी मिश्र, ज्योग्राफिकल रीजन
 आफ ज्योग्राफी 1, 1, 1966, पृ 3
 (द) इरफान मेहर, राजस्थान का भूगोल,
- 13 बी सी मिश्र राजस्थान का भूगोल, 23
- 14 (अ) जहूरखा महर राजस्थानी सस्कृति रा
 (ब) धमपाल, इण्डिया लण्ड एण्ड द पीपल
- 15 (अ) जहूरखा मेहर, राजस्थानी सस्कृति ॥
 (न) फरिष्ठा, 228
- 16 “नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गारा ह
- 17 जिस उन भूते जावता गैद गवय गिटरा
 तिस बन जबुक तायड उधम माड ग
- 18 डा नारायणसिंह भाटी, परम्परा, गोरा ~
- 19 राणिया तलेटिया उत्तर, राजा भुगत रम
 गढ़ ऊपर गारा फिर सरग गया सगतम
- 20 हुव फैल घरण हकम हुव
 चड़ तुरा राख कुण खाग चाढ़ी ।
 गहपति आज द्वूसरा नमिया घणा
 और रहौ अनम युमान चाढ़ी ॥
- 21 मह जोधपुर के लोकावास गाव के निवास
- 22 डाकर वर पिरग फेरे गिर दाढ़ा
 ज खग ढाकर केम भल ।
 ऊभा भरवर ‘बलू अभनमी
 भायर ढाणी केम भल ॥
- 23 यह विवराजा बाकीदाम के चार भाइया
- 24 महाराजा मानसिंह के समवातीन प्रसिद्ध
- 25 पाचटिया के निवासी । मानसिंह के समय

- 51 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनीज, 3-4
 (ब) टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनीज, 3 4
- 52 (अ) नाथराम घडगावत, राजस्थान सोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 17
 (ब) ग्राई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 39
- 53 फारस्ट, हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनी, 3, 450
- 54 (अ) टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 151
 (ब) ग्राई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 89-90
 (स) फारेन पालिटिकल कम्बल्टमन, 27 जुलाई, 1858, न 3146 7
- 55 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 5
 (ब) मुशी ज्वाला सहाय, लायल राजपूताना, 200 1
- 56 एजेंसी रकाड, मेवाड, 1857, न 88, कप्तान सावस का ए जी जी के नाम पत्र, 25 मार्च, 1858
- 57 (अ) प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 121 128
 (ब) नीमच के केप्टन लायड की ए जी जी को रिपोर्ट, 16 जून, 1857
- 58 मी एन सावस ए मिर्सिंग चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 27
- 59 वही, 27-29
- 60 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम
- 61 डा जबरसिंह, द ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड, 120
- 62 हकीकत वही, 18, 384
- 63 (अ) ढोलिया रा कोठार, न 59 तथा 63
 (ब) जोधपुर राज्य रेकाडम, सनद वही 126 पृ 546
 (म) डा जबरसिंह द ईस्ट इण्डिया क एण्ड मारवाड, 126
- 64 मारवाड म सन् सत्तावन की चिंगारी, 2
- 65 हीथकोटस रिपोर्ट आफ दी प्रासीडेंस अग्रेस्ट द म्यूटिनीय आफ जाधपुर लिजियन, 13 सितम्बर, 1857
- 66 (अ) हकीकत टही, 18, 284
 (ब) घडगावत राजस्थान सोल इन द स्ट्रगल आफ 1857 180
- 67 (अ) फारन पालिटिकल कॉस्टेसन, 27 दिसम्बर, 1857
 (ब) खडगावत, राजस्थान सोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 152
 (स) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 107
- 68 नाथराम घडगावत, वही, 153 54

- 36 (अ) निमला गुप्ता, राजस्थान ग्राजकता से व्यवस्था की प्रोर, 176
 (ब) श्यामलदास, दीर विनोद, 2, 1815
- 37 टाड, एनल्स एण्ड एटीक्वोटीज आफ राजस्थान, 2, 121
- 38 श्यामलदास, दीरविनाद 2 प्रबरण 18
- 39 (अ) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान वा स्वाधीनता संग्राम, 54-55
 (ब) मेहता संगमसिंह कलेक्शन हवाला न 28
- 40 (अ) डा व्याम, गज का स्वा स, 54
 (ब) पा यो कॉसल्टेसन, 31 अक्टूबर, 1833, न 37 44
 (स) मेहता संगमसिंह कलेक्शन, हवाला न 787
 (द) एजे मी रेकाड, हिस्टोरीकल रेकाड 215 जोधपुर फार्मल न 5 नंड 1,
 सन 1834, पृ 19
- 41 डा व्याम, राज का स्वा स, 56
- 42 (अ) 1857 और राजस्थान, क्या ब्राति की, 3
 (ब) डा भाटी, परम्परा, गोरा हट जा, 145
- 43 डा भाटी, परम्परा, गोरा हट जा, 141
- 44 (अ) ग्राई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 19 20, 29 30 व 99
 (ब) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ इण्डियन म्यूटिनी 4
- 45 (अ) ग्रा टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 29 आर 99
 (ब) सावस, 48 85
- 46 मावस, ए मिसिंग चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनीज, 48 85
- 47 बोटा मे 1857 की ब्राति के नेता महरावखा का जाम कोटी म हुआ। बोटा के
 एजेंसी हाऊम म भजर बटन व उसके दो पुत्रों को मारने वाले मेहरावखा को
 1860 म फासी हुइ।
- 48 मेहरावखा के सहयोगी हरितसिंह का जाम कोटा के नाता गाव म हुआ। एजेंसी
 हाऊम पर हमन मे विशेष योगदान। नवम्हर 1857 म बोटा म अप्रेजी सेना से
 लड़ते हुए मारा गया।
- 49 यादूवची गुलमाहम्मद ब्रातिकारी भना व माथ लडते हुए दिल्ली तक जा पहुचा।
 वहा अप्रेजा व विस्त युद्ध लडते हुए मारा गया।
- 50 (अ) राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 72 87
 (ब) पा कॉसल्टेसन (गुप्त), 26 जन 1857, न 113-116
 (ग) वही, 31 दिसम्बर, 1858, न 3146 7

- 51 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ दे इण्डियन म्यूटिनीज, 3-4¹²
 (ब) टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनीज, 3-4
- 52 (अ) नाथुराम खडगावत, राजस्थान सोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 17
 (ब) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 39
- 53 फारेस्ट, हिस्ट्री आफ दी इण्डियन म्यूटिनी, 3, 450
- 54 (अ) टी आर होम्स, ए हिस्ट्री आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 151
 (ब) आई टी प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 89 90
 (स) फारेन पानिटिकल बास्टलेसन, 27 जुलाई, 1858, न 3146 7
- 55 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 5
 (ब) मुशी जवाला सहाय, लायल राजपूताना, 200 I
- 56 एजेंसी रेकाड, मेवाड, 1857, न 88, क्षत्तान सावस का ए जी जी क नाम पत्र, 25 मार्च, 1858
- 57 (अ) प्रिचाड, द म्यूटिनीज इन राजपूताना, 121-128
 (ब) नीमच के केटन लायड की ए जी जी को रिपोर्ट, 16 जून, 1857
- 58 सी एल सावस, ए मिर्सिंग चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 27
- 59 बही, 27 29
- 60 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम
- 61 डा जवरमिह, द ईम्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड, 120
- 62 हवीकत बही, 18, 384
- 63 (अ) छोलिया रा कोठार, न 59 तथा 63
 (ब) जाधपुर राज्य रेकाडस, मनद बही 126, पृ 546
 (स) डा जवरमिह द ईम्ट इण्डिया क एण्ड मारवाड, 126
- 64 मारवाड म सन् मत्तावन की चिंगारी, 2
- 65 हीथबोटम रिपोर्ट आप दी प्रासीडिग्म भगेम्ट द म्यूटिनीय आफ जाधपुर लिजियन, 13 सितम्बर 1857
- 66 (अ) हवीकत टही, 18, 284
 (ब) खडगावत राजस्थान सोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 180
- 67 (अ) पारन पानिटिकल बास्टलेसन, 27 दिसम्बर, 1857
 (ब) खडगावत, राजस्थान सोल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 152
 (स) डा प्रवाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 107
- 68 नाथुराम खडगावत, बही, 153 54

- 69 तिली की ओर दूच करने वाला म शिवनाथसिंह ग्रामोप, विसनमिह गुलर, अजीत
मिह आलगियावाम, जोधसिंह बाजावास, चादमिह मिनाली इत्याद ठाकुर तथा
अउवा की तरफ म पहाड़मिह व सलू घर की ओर म नगतमिह के नाम विशेष
उल्लेखनीय है ।
- 70 डा आर पी व्याम, रान आफ नोविलिटी इन मारवाड, 138
- 71 वही, 139
- 72 फारेस्ट, हिस्ट्री आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 3, 555 6
- 73 (अ) जी एच ट्रेवर, ए चेप्टर आफ द इण्डियन म्यूटिनी, 12
(ब) खडगावत राजस्थास रोन इन द स्ट्रगल आफ 1857, 67
- 74 (अ) डा प्रकाश व्यास, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, 131
(ब) फो पो कॉस्टलेसन, (मीकेट) 28 मई, 1858, न 136, 39
(स) गवनर जनरल का सीक्रेट कमटी को डिस्पेच, 1858, न 14
- 75 (अ) नाथूराम खडगावत, राजस्थास राल इन द स्ट्रगल आफ 1857, 66 8
(ब) वीर सतसई (सहल), 77 78
(स) कोटा महाराव की सलामी की तोपा की सहया घटा दी, विराज की रकम
उड़त बढ़ा दी तथा कोटा पलटन म सनिका की सहया बढ़त कम कर दी ।

राजस्थान में रवतंत्रता आनंदोलन

सन् 1857 का विद्रोह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी। यह विद्रोह अग्रेजो पर पहला मर्मान्तक प्रहार था जिससे उन्हें काफी पीड़ा हुई। भारतीय नरेणों के बारण ही वे बच भके। अग्रेजी जनता समझ गयी कि अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के विजित प्रदेशों पर अच्छी प्रकार नियन्त्रण नहीं रख सकती है अत अग्रेजी पालियामेट ने कम्पनी के प्रदेशों को अपने प्रत्यक्ष नियन्त्रण में लेना उचित समझा।¹ सन् 1858 के अधिनियम द्वारा भारत की सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्रिटिश ताज को हस्तान्तरित कर दी गयी। ई० सन् 1858 की पहली नवम्बर को इंगलैण्ड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था—

“हिन्दुस्तान पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी से इंगलैण्ड की महारानी अपने हाथ में लेती है। कम्पनी की रियासतों से जो सन्धिया हुई थी उनका पूरी तरह से पालन किया जावेगा। महारानी का राज्य विस्तार करने की तोई इच्छा नहीं है। वह राजाओं के अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाये रख कर देश में शांति और न्वराज्य स्थापित करने में राजाओं से सहायता की इच्छुक है। प्रत्येक प्रजाजन से, चाहे वह ब्रिटिश भारत का हो अथवा देशी रियासत का, समान व्यवहार किया जावेगा। सभी धर्मों के अनुयायियों को कानून की वट्ठि से समान व निप्पक्ष स्प से सरकारण प्राप्त होगा। सरकारी नौकरियों के लिये धर्म का आधार नहीं माना जावेगा। शिक्षा, योग्यता और चारित्रिक निष्ठा के आधार पर ही उत्तरदाई पदों पर नियुक्तिया की जावेगी। हिन्दुस्तानियों की पूर्व परम्पराओं, रीतिया तथा प्राचीन रुढ़िया की पूरी रक्षा की जावेगी। देश में शांति स्थापित होते ही उद्योग-धर्वों को प्रोत्साहित किया जावेगा। सावजनिक उपयोग के काम आरम्भ विये जायेगे। शासन का उद्देश्य प्रजा का हित ही माना जायेगा।”²

शिक्षित भारतीयों ने इस ऐतिहासिक घोपणा को अपने अधिकारों का महत्वपूर्ण चिठ्ठा माना।³ यह घोपणा-पत्र अत्यन्त आर्दशवादी एवं उच्च विचारों से परिपूर्ण तथा दूरदर्शी मालूम होता है लेकिन वास्तव में यह घोपणा ब्रिटिश सरकार को एक चाल मात्र थी। इसके पीछे न तो ईमानदारी थी और न इसमें दिये गये आश्वसनों को पूरा करने की इच्छा थी। एक दूसरी रानी अवध की वेगम हजरत महल ने इस घोपणा की सच्चाई में तब ही मादेह प्रकट कर दिया था। वेगम ने प्रश्न किया कि कम्पनी और रानी के शासन में अन्तर ही वया रहा, जबकि कम्पनी का प्रबन्ध पहले की तरह वायम है और कम्पनी के नीकर, गवर्नर जनरल और कम्पनी का न्यायिक प्रशासन नव कुद्द अपरिवर्तित रूप में बना हुआ है।

इस घोपणा के बाद इगलैण्ड की महारानी के नाम से वहां का मन्त्रिमण्डल भारत पर शामन करने लगा। भारत स्थित गवर्नर जनरल “वायसराय” (महारानी का प्रतिनिधि) भी कहलाने लगा। इगलैण्ड की महारानी और देशी राजाओं के बीच के सम्बन्ध में कोई कानूनी तथा वैधानिक परिवर्तन नहीं आया, लेकिन राजनीतिक व्यवहार आदि में अवश्य ही काफी परिवर्तन आया। अग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इन अद्वैत-स्वतंत्र राज्यों को पूर्णतया अपने आधिकारिक में ले लिया। या ये राज्य पहले भी मुगलों के आधीन रह चुके थे अत इनको अग्रेजों की आधीनता स्वीकार कर लेने में कोई हिचक नहीं हुई। 1857 के विद्रोह के समय अग्रेजों की सहायता करने के कारण राजाओं को पुरस्कृत भी किया गया। जयपुर नरेश को कोट-बासीम का परगना दिया गया।⁴ अब कुद्द नरेशों को प्रशंसा के प्रमाणपत्र दिये गये।

अग्रेजों ने ई० सन् 1857 के विद्रोह से दो महत्वपूर्ण बातें सीखी थी—
(1) रियासतों की भावना के विश्व जाना, समझदारी नहीं है चाह भले ही वे वत्तमान प्रगति में कितनी ही पिछड़ी प्रतीत होती हो। (2) उनकी शक्ति वो देखते यह आवश्यक था कि उन रियासतों को एक दूसरे से सगठित होकर शक्तिशानी होने से बचाने वे लिये राजनीतिक, सैनिक तथा आय उपाय बाम में लिये जायें। अत एक और उहोंने उदारता की भावना दियाई तो दूसरी और उनको शनै शनै शक्तिहीन भी किया गया। वास्तव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ताज वे हायों में प्रभुसत्ता जाते ही देशी रियासतों की सवधानिक स्थिति बदल गयी। वे अब स्वतंत्र मिश्रो वे स्थान पर ताज वे सरकारित शामन्त बन गयी। ग्रियामतें अब भलग इकाइया नहीं रही तथा उनके शामन-

ताज के सामन्तों के समान हो गये। वे भारतीय साम्राज्य के भाग बन गये।^५

राजाओं को प्रसन्न करने के लिये महारानी का घोपणापत्र काफी था। जिसके अनुसार राजाओं को विश्वास दिलाया गया कि उनके राज्यों के साथ की गई सन्धियों का आदर किया जायेगा। उनके वशानुगत विशेषाधिकारों को भी चालू रखे जाने वा विश्वास दिलाया गया। दूसरी और राजाओं को बतना दिया गया कि वे अग्रेजी साम्राज्य की एक राजनीतिक इकाई मान्य है। भारत की मर्वोच्च सत्ता इगलैण्ड के राजमुकुट में निहित है। भारतीय नरेश उनके सामन्त ही है। ई० सन् 1862 में यहाँ के राजाओं को गोद लेने की सनदें दी गई जिनके अनुमार राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों के निस्मन्तान होने पर गोद लेने वा अधिकार मान लिया लेकिन साथ में यह शर्त भी रखी गई कि उन राजघरानों को इगलैण्ड के बादशाह का राजभक्त रहना तथा भारत में अग्रेजी राज्य के प्रति सधि, समझौते आदि के अनुसार अपना कर्तव्य पूरी तरह निवाहना होगा। ई० सन् 1884 में अग्रेज सरकार ने यह आदेश भी जारी किया कि किसी देशी राज्य का उत्तराधिकार अवैव होगा जब तक वह अग्रेज सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में स्वीकृत न हो जाये। इस आदेश का जब राज्यों ने विरोध किया तो ई० सन् 1891 में स्पष्ट निषय दिया गया कि भारत सरकार का यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि देशी राज्यों का उत्तराधिकार तय करे। इस प्रकार गोद की सनद के नाम पर अग्रेजों ने राजाओं को पृणतया अपने अधीन कर लिया। वे अब भारत के किसी गप्टीय साम्राज्य के अग या स्तम्भ बन कर नहीं रह सके। यह रियासतें भारत भर में फैली हुई थीं अत अग्रेजों ने यह फैलाव अपने हित में अच्छा माना एक प्रकार से यह उनके मित्रों के दुर्गंथे जो किसी भी सकट में अग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के समय में उनकी सुरक्षा के काम आ सकते थे।^६ अत सन् 1860 में लाड केनिंग ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में अग्रेजी शासन को बनाये रखने के लिये इन रियासतों को राजनीतिक शक्ति के बिना ही बने रहने दिया जावे।^७

ई० सन् 1876 में राज्यों व राजघरानों की महत्ता के अनुसार राजाओं की तोपों की सलामी तय की गई। अग्रेज सरकार को प्रसन्नता या अप्रसन्नता के अनुसार तोपों की स्वयं घटती रहती थी। कोटा के महाराव रामसिंह, जोधपुर के महाराजा तस्त्सिंह व टोक के नवाब इब्राहीम अलीखा की तोपों की सलामी अप्रसन्न होने पर घटा दी गई। राजाओं की बैठकों का कम भी निश्चिन-

किया गया। इसमें विभिन्न नरेशों में राष्ट्री प्रतिस्पर्धा आरम्भ हा गई। ई० सन् 1870 में अजमेर दरवार में जोधपुर नरेश तत्त्वर्मिह ने उदयपुर के महाराणा शम्भूसिंह के बाद बैठना अस्वीकार कर दिया। इसी रारण अग्रेज सरकार न तस्त्वसिंह की तोपों की सलामी 19 से 17 वर्डी थी। ई० सन् 1875 में बम्बई में उदयपुर के महाराणा सज्जनर्मिह द्वारा हैदराबाद निजाम के बाद उन्हन मना कर देना पारस्परिक स्पर्धा का एक उदाहरण है। वे राजा जा अठारवी शताब्दी तब मूलत सब सत्ताधारी थे लेकिन विधित आधित थे न अब गास्तर में आधित हो गये जबकि उनके माय की गई मर्दियों के अनुमार उन्ह विधित सर्व सत्ताधारी मायता प्राप्त थी।⁸

ई० सन 1861 से राजाओं को प्रमाण करने व उनकी गजभक्ति को ग्राहने के लिये उनको मिताव भी दिये जाने लगे। इनमें मुख्य “स्टार ऑफ इण्डिया” (सितारे हिन्द) था। उल्लेखनीय यह है कि “हिंदुआ मूरज” महाराणा उदयपुर को भी “सितारे हिन्द” की पदवी दी गई। व ‘मूरज’ से केवल माय “सितारे” रह गये। इस प्रकार रियासतों में को गई मर्दियों, उनके माय विये गये डकरारनामा तथा उनको दी गई मनदा के आधार पर, भारत सरकार द्वारा दिय गये निर्णया तथा भारत सचिव द्वारा किये जाने वाले व्यवहारा से अब अग्रेजी ताज की सर्वोच्च शक्ति स्पष्ट दियाई देने लगी।⁹ मर्दोच्च शक्ति होने के कारण रियासतों के विदेशी तथा आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा। विदेशी मामले भारतीय रियासतों तथा उनकी जनता अग्रेजी भारत के प्रान्तों तथा वहा की जनता की भाँति ही मानी जाने लगी।¹⁰ भारतीय रियासतों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय महत्व नहीं था। भारत सरकार ने 21 अगस्त 1891 को ही एक विज्ञप्ति द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि “अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धात सभ्राजी की प्रतिनिधि भारत सरकार तथा महारानी के अधीनस्थ भारतीय रियासतों के बीच के सम्बन्धों पर लागू नहीं होते हैं। पूर्ववर्ती का परमोच्च अधिपत्य पश्चातवर्ती पर भी लागू होता है तथा माना जाता है।¹¹ इस कारण परमोच्च शक्ति की अतराष्ट्रीय आश्वासनों को लागू करने की जिम्मेवारी थी और राजाओं को परमोच्च शक्ति द्वारा किये गये अन्तराष्ट्रीय करारों का पालन करने को बाल्य होना पड़ा।

अग्रेज सरकार अब राज्यों के आतंरिक मामला में ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगी। कुप्रशासन व अव्यवस्था के नाम पर जब तब राजाओं के हाथ से प्रशासन लिया जाने लगा। ई० सन् 1870 में लाड मेयो ने अजमेर में

एक दरवार किया तब उसने उपस्थित नरेशों को कहा था—“हम आपको आपके द्वारा लाई गई भेटो से नहीं आकते हैं और न आपके ठाठवाट से बल्कि आपके द्वारा अपनी प्रजा से किये गये वर्ताव से। यदि हम आपके अधिकारों और विशेषाधिकारों को स्वीकार करते हैं तो आपके लिये यह अत्यावश्यक हो जाता है कि आप भी अपने अधीन प्रजा के अधिकारों व विशेषाधिकारों का पूरी तरह पालन करें। यदि हम आपकी सत्ता की सहायता करते हैं तो उसके बदले में हम आपके शासन को मुच्यवस्थित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण राजस्थान में शांति बनी रहे और वहां सब अन्याय-मूर्ण शासन हो। आप विश्वास रखें कि और किसी के नहीं बल्कि आपके भले के लिये ही यह सब कुछ करने के लिये आग्रहपूर्वक आपसे यह अनुरोध किया जा रहा है।¹² इसके बाद ई० सन् 1874 में जो कुछ बड़ोदा राज्य के मामले में कहा गया वह राजस्थान के राज्यों के लिये भी लागू होता है—“यदि शासकीय कत्तव्य नहीं निभाये जाते ह, यदि कुशासन चलने दिया जाता है, यदि प्रजा को न्याय प्राप्त नहीं होता है, यदि जनता के जान व माल वा वचाव नहीं किया जाता है, और यदि जनता के कल्याण का ध्यान नहीं दिया जाता है तो अग्रेज सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी।”¹³ सर्वोच्च सत्ता ने इस प्रकार कुशासित राज्यों के लिये स्पष्ट नीति बतला दी। बड़ोदा नरेश को राजगढ़ी से उतार दिया गया। इस प्रकार राजगढ़ी पर मे उतारा जाना स्पष्ट बतलाता है कि अग्रेजी सरकार भारतीय रियासतों के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर तुली हुई थी और कोई रियासत सुरक्षित नहीं थी।¹⁴ राजाओं को यह बहुत बुरा लगा और उनमें असतोष फैल गया। इसी समय दिल्ली में एक दरवार ई० सन् 1877 में किया गया जिसमें राजाओं की उपस्थिति में महारानी को “केसरे-हिन्द” “भारत की साम्राज्ञी” घोषित किया गया। राजाओं के हृदयों में अब यह बात जम गई कि मुगल बादशाहों की भाँति ही अब अग्रेज बादशाहत चलेगी। इसके बाद अग्रेज सरकार न स्पष्ट रूप से राजाओं की अवाध सत्ता और अधिकार छीन लिये और उनके विरुद्ध जब भी आवश्यक समझा गया हस्तक्षेप किया गया। राज्यों की वैदेशिक नीति अग्रेजों के हाथ में आ गई और परिस्थितियों के ग्रन्तिसार उनके आतंरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया जाने लगा। अग्रेज सरकार उनके गोद के मामलों में रोडे अटकाने लगी। राजा के अव्यस्क होने पर उसका नियन्त्रण रहने लगा, और कुशासन होने पर वह राजा को राजगढ़ी से हटाने तक लग गई। साम्राज्य व देश की सुरक्षा के लिये राजाओं से सैनिक सहायता ली जाने लगी। आर्थिक मामलों में भी मनमानी की जाने

लगी। इस प्रकार राज्य के वास्तविक अधिकार नरेशों से छीने जाकर अग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले लिये। अग्रेज सरकार वा प्रतिनिधि राज्यों में रहता था। उसकी इच्छा के अनुसार ही शासक राजगद्दी से उतारे जाने लगे या यश पाने लगे। अग्रेज रेजिडेन्ट या अग्रेज राजनीतिक एजेण्ट रियासत वा वस्तुत शासक तन गया राजाओं को आदेश देने लगा और राजाओं को उह मानना आवश्यक हो गया।

हस्तक्षेप की ऐसी ही नीति के कारण ई० सन् 1867 म ठीक के नवाब को राजगद्दी से हटाया गया। उसने अपने अधीन लाना छिनाने के राजपूत जागीरदार के बाबा की हत्या करवा दी।¹⁵ ई० सन् 1868 में ज़र जोधपुर नरेश तख्तमिह तथा उसके जागीरदारों के बीच ज्यादा विवाद बढ़ गया तथा गृह-युद्ध की आशका हो गई तो अग्रेजों ने उसे वाध्य किया कि वह शासन वाय मन्त्रियों की एक परिपद को सौंप देवे। महाराजा के अधिकार भी सीमित कर दिये गये।¹⁶ ई० मन् 1870 में अनवर नरेश शिवदानसिंह के शासन काल में अव्यवस्था फैल गई तथा वहा मुसलमान मन्त्रियों के विरुद्ध तीव्र त्रिरोध उठ खड़ा हुआ तब अग्रेज अधिकारियों को हस्तक्षेप कर शिवदानसिंह के प्रशासनिक अधिकार लेकर एक मात्री परिपद नियुक्त करनी पड़ी।¹⁷ तब लाई मेयो ने यत्नाया—“यदि किसी देशी रियासत में आत्म, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची अधिक बढ़ गई हो तो सर्वोच्च सत्ता के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह हस्तक्षेप करे। दूसरी ओर यदि शासक अपने राज्य का प्रशासन ठीक बरना चाहता हो लेकिन उसके जागीरदार, सैनिक या राजद्रोही विरोध करे तो हमारा वक्तव्य हो जाता है कि हम उस सत्ता ओर शक्ति का समर्थन करें। हम किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में गह युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं।”¹⁸ इन तीन मुरय आधारों पर ही अग्रजों ने अपनी नीति रियासतों के प्रति बनाये रखी।

ई० मन् 1903 में जोधपुर नरेश संदार्शिन के भी अधिकार उम्मी फिजूलखर्ची के कारण अस्थायी रूप से ले लिये गये तथा उसे पचमड़ी भेज दिया गया और शासन एक मात्री परिपद के अधीन कर दिया गया। ई० सन् 1905 में उसे वापस राज्य में आने दिया गया लेकिन उसको सीमित अधिकार दिये गये। उसे पूर्ण अधिकार बाद में 1908 में ही कुछ शर्तों के अधीन दिये गये।¹⁹

राजाओं की स्थिति और भी ज्यादा तब विगड़ी जब वायसराय लॉड वर्जेन 1898-1905 के समय में साम्राज्यवादी सिद्धान्त अपनी चरम सीमा पर

पहुँच गये। वह राजाओं को ताज का केवल एजेण्ट मानता था जिनका कोई अपने क्षेत्रों पर केवल शासन करना था और उनके स्वयं के कोई मूल अधिकार नहीं थे। उसके विचार से ताज की प्रभुसत्ता मवन बिना विवाद स्पष्ट है। उसने स्वयं अपने परमाधिकार की सीमा वाध रखी थी।¹⁰ अत राजा लोग वश परम्परागत अधिकारी मात्र रह गये। उन्हें सीधे गये अधिकारों का दुरुपयोग न कर अपनी उपयुक्तता प्रमाणित करना अत्यावश्यक हो गया। उसके मस्य में राजा लोग बिना अनुमति लिये अपना राज्य तक नहीं छोड़ सकते थे। राजनीतिक अधिकारी तथा रेजीडेण्ट मनचाहे जब हस्तक्षेप करने लग। रियासतों में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार चलाना नग्न रूप से दिखाई देने लगा।¹¹ इसके परिणाम स्वरूप राजाओं में असतोप फैल गया। फिर भी वे राजाओं पर सुधारों के लिये पूरण दबाव न डाल सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अग्रेज लार्ड डलहोजी द्वारा अपनाई सुधारों की नीति के परिणाम नहीं भूले थे। अत उन्होंने आर्थिक कारणों व सुरक्षा के लिये आवश्यक सुधारों को करके ही सन्तोप कर लिया। यो जनता में भी इतनी जागृति नहीं आई थी कि वे अपने राजा को सुधारों के लिये विवश करते।

अग्रेजों ने अपना रीब जमाने व राजभक्ति का प्रदर्शन कराने के लिये ई० सन् 1903 में सम्राट् एडवड के राज्यारोहण के उपलक्ष में दिल्ली में दरबार किया जिसमें राजस्थान के समस्त नरेशों को आमंत्रित किया गया। उदयपुर नरेश महाराणा फतहार्सिंह भी इस समय दिल्ली पहुँचा। लेकिन महाराणा ने दरबार की बैठक में हैदराबाद, बडौदा और मैसूर के बाद चौथा स्थान रखने के बारण दिल्ली पहुँच कर भी दरबार में भाग नहीं लिया। लाड कजन जैसा कठोर प्रशासक यह सब कुछ देख कर भी महाराणा को कुछ न कह सका।¹² इसकी प्रतिक्रिया अन्य नरेशों में भी हुई और जन साधारण में भी साहस वा सचार हुआ। भारत में अब राष्ट्रीय भावना तेजी से पनप रही थी अत अग्रेज सरकार ने यही उचित समझा कि राजाओं से सहयोग लेना ही उचित है। जिस प्रकार भारतीय सैनिक विद्रोह ने अग्रेजों को रियासतों के प्रति नीति बदलने के लिये बाध्य किया उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें पुन नीति बदलने को विवश बर दिया। अग्रेजों ने अग्रेजी भारत में राष्ट्रीय आनंदोलनों के बढ़ते ऋम को रोकने के लिये राजाओं को सुन्द दीवार वे रूप में देखा। अग्रेजों को प्रतिक्रियावादी के रूप में देशी नरेश बहुत ही अच्छे लगे। अत लाड कजन वाली नीति को आगे चलकर

नरम वर दिया गया जिसके कारण नरेण में अग्रेज विरोधी भावना जागृत न हो सकी, लेकिन जनसाधारण में जो गप्टीय भावना उदय हुई वह बगावर बढ़ती ही गयी।

सर्वोच्च सत्ता वो नीति वा प्रियास जिसी मीमा तब राज्यों के लिये हितवर सिद्ध हुआ। यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों पर गाँर करें तो यह प्रतीत होगा कि उस समय राजस्थान के राज्यों वा प्रशासन वाली मीमा तब अव्यवस्थित हो गया था। जोघपुर व उदयपुर जैसे बड़े राज्यों में भी जागीरदारों के भगटों व उत्तराधिकार के मामला वा नेपर काफी प्रथ्यवस्था फैल गई थी। ऐसी दशा म अग्रेज सरकार जैसी मत्ता ही यहाँ शानि व सुव्यवस्था स्थापित कर सकती थी। ऐसी ही मत्ता अग्रेजी-प्राता व देशी राज्यों के बीच वो खाई की पाट वर भारत मे एकता ला सकती थी। अत अग्रेज सरकार ने राज्यों मे शानि व सुव्यवस्था स्थापित कर भारत के प्रशासनिक जीवन मे एकता लाने वा प्रयत्न किया। इसमे वोई सन्देह नहीं कि अग्रेजी प्राता व देशी राज्यों के बीच भेद-भाव भी लाने ता प्रयत्न किया गया ताकि दोनों एक दूसरे के मामलों मे अलग रह।

सुधारों की ओर—

नये राजनीतिक परिवर्तनों के कारण रियायतों को भी मुधारो के विषय मे सोचना पड़ा। चालू प्रशासनिक पद्धति को यदि परिवर्तित नहीं किया जाता तो परिवर्तित आधुनिक युग के साथ चला नहीं जा सकता वा और न वे रह ही सकती थी। अग्रेजी भारत के परिवर्तनों को नरेणों तथा उनकी जनता ने पहले तो पसन्द नहीं किया तथा उन्हे सन्देह की छप्ट से देखा लेकिन अब जब अग्रेज भारत के सर्वेसर्वा हो गये तब उनके पाश्चात्य विचार तथा उनकी सस्कृति पूर्वी विचारों तथा स्स्कृति तो धीरे-धीरे प्रभावित करने लगी। अत नई प्रशासनिक पद्धति तथा राजनीतिक संस्थाये, जो पाश्चात्य विचारों पर आधारित थी, अपनाई जाने लगी। सभी रियायते अब अग्रेजी सरकार की सलाह तथा निर्देशन पर प्रशासनिक तथा राजनीतिक सुधार करने लगी। अग्रेजी भारतीय प्रातों मे जो भी कायवाही की गयी उसी को आवश्यक परिवर्तनों के साथ यहा भी अपनाया गया। परमोच्च शक्ति की नीनि के अनुमरण मे अग्रेज सरकार ने भी देशी राज्यों मे शानि, व्यवस्था, सुरक्षा व कुशल प्रशासन लाने के लिये सुधारों की ओर कुछ ध्यान दिया। इस काल मे भारत के मुख्य बैन्ड रेल द्वारा जोडे गये और इस कारण यहा के

राज्यों में होकर भी 'रेल की लाइने निकली। ई० सन् 1884 के बाद के वर्षों में अहमदाबाद को आगरा से मिलाने के लिये मारवाड जकशन, अजमेर व जयपुर होकर रेल की पटरी विद्धाई गई। जयपुर राज्य के बादीकुई से एक और पटरी विद्धा कर अहमदाबाद को अलवर व दिल्ली से भी जोड़ दिया गया। एक दूसरी रेल पटरी को नीमच से चित्तोड़ व आगे अजमेर तक पहुँचा दिया गया। जोधपुर व बीकानेर राज्यों ने मिलकर ई० सन् 1889 में अपनी ही रेल लाइनें चलाई। इसके फलस्वरूप मारवाड जकशन से जोधपुर, मेडता, बीकानेर, भटिण्डा (पजाव) तक रेल लाइने बनाई गई। एक लाइन मेडता से कुचामण रोड व फुलेरा तक तथा दूसरी लाइन लूणी से हैदराबाद (सिन्ध) तक खोली गई। इन लोडनों के बनने में लगभग 14 वर्ष लगे लेकिन इससे दोनों राज्यों के व्यापार को काफी बढ़ावा मिला व अच्छी आमदनी होने लगी। ई० सन् 1895 में उदयपुर राज्य ने चित्तोड़ तक तथा जयपुर राज्य ने ई० सन् 1906 में सागानेर से मवाई माधोपुर तक रेल की लाइन बनवाई। इन रेलों के इजन, पटरिया, डिव्हे आदि इगलैण्ड से ही आये और इस कारण अप्रत्यक्ष रूप से इगलैण्ड को काफी आर्थिक लाभ हुआ। आरम्भ में यह रेले, यहां के निवासियों के घन, उनके कई धन्धों और उनके स्वास्थ्य के लिये विनाशकारी और अनेकों गावों को उजाड़ देने वाली सिद्ध हुई। लेकिन इनसे आगे चलकर लाभ कम नहीं हुए।

रेन पटरियों के अलावा आगरा से जयपुर, अजमेर व डीसा (पालनपुर राज्य) तक तथा नसीराबाद से चित्तोड़ होकर नीमच तक मढ़के बनी। इससे यातायात व व्यापार भी बड़ी सुविधा हो गई तथा अकाल के समय अम व चारा लाने ले जाने में भी सुविधा हो गई। यहाँ के लोगों के धार्मिक आचार विचार पर भी रेलों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और राजस्थानी समाज के सास्कृतिक दृष्टि में आतिकारी परिवर्तन आ गया।

इस बाल में विभिन्न राज्यों की डाक पद्धति वा भी एकोवरण किया गया और प्रत्येक राज्य में डाकघर व तारघर खुले जो केंद्रीय सरकार के नियन्त्रण में रहे। यो, जयपुर, उदयपुर आदि राज्यों में उनके डाकघर चलते रहे। ई० सन् 1880 तक सम्पूर्ण राजस्थान में अग्रेज सरकार के डाकघर स्थापित हो गये। राजस्थान में तार की सर्वप्रथम लॉइन ई० सन् 1864 में आगरा से अजमेर तक चालू की गई।

राजस्थान में अनेक तरह के सिवको का प्रचलन था। प्रत्येक राज्य के, सिवाय सिरोही राज्य के, अपने पृथक सिवके थे। ई० सन् 1859 से ही यहा के सिवको पर मुगल बादशाह का नाम लिखा जाना बद हो गया था। इगलैण्ड की महारानी विक्टोरिया के सिवके चलने लग गये थे। ई० सन् 1873 के बाद चादी के रूपये की कीमत घटने लगी तब ई० सन् 1893 में अंग्रेज सरकार ने अपनी टकसालों में रूपया छालना बद बर दिया जिससे अंग्रेजी रूपये की दर कुछ बढ़ गई। अब इस दर को स्थायी रखने के लिये उन्होंने राजाओं को फुसलाकर उनकी टकसाले बद कर दी और उनकी टकसालों के सिवके चादी के भाव खरीद लिये। केवल मात राज्यों-जयपुर, उदयपुर, बूदी, जोधपुर आदि ने फिर भी अपनी टकसाले चालू रखी। इनके मिवको का प्रचलन उन राज्यों की सीमा तक ही रह गया।

अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी कि यहा के राज्यों की सनिक शक्ति घडे अत यहा की सेना का पुन सगठन किया गया। ई० सन् 1870 में लाड मेयो ने लिखा—“देशी राजाओं के पास काफी सेनाएँ हैं। वे राजा अपने मिश्र हो सकते हैं, लेकिन इनके सनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।” वे अभी तब यह नहीं भूले थे कि तात्या टोप को देशी राज्यों के विद्रोही सनिकों से ही सहायता मिली थी अत उन्होंने ई० सन् 1889 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व अलवर राज्यों में नई सेनाएँ संगठित कराई जो “इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स” कहलाई। ये सेनाएँ रियासतों के निवासियों का भर्ती कर बनाई गयी थीं और इनके अधिकारी भी भारतीय थे लेकिन इनका प्रशिक्षण व नियन्त्रण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इन सेनाओं के बारण अंग्रेज सरकार को भरोसा हो गया कि इन राज्यों की सेना से अब कोई खतरा नहीं है तथा भारत की एकता के लिये यह कहा जान तगा कि भारत की सुरक्षा के लिये इनका होना आवश्यक है।

अंग्रेजी प्राता में राजस्थान के नमक का निर्यात रोकने के लिए प्रारम्भ में अंग्रेज सरकार ने काफी चौकिया स्थापित की लेकिन इसमें उनको काफी धन रखना पड़ता था इससे समस्या मुलभी नहीं थी अत अब साम्भर भील, पचपदरा भील आदि के नमक का एकाधिकार अंग्रेजों ने ई० सन् 1869-70 में जयपुर व जोधपुर राज्य से संधि कर ले लिया।¹³ अब अंग्रेज सरकार ही नमक का निर्यात बरने लगी तथा बेचने लगी। ई० सन् 1879 तथा 1882 के बीच नमक न बनाने तथा नमक पर कोई चुम्बी या राहदारी बसूल न बरने

के लिए अन्य राज्यों से भी सन्धिया की गई।²⁴ ई० सन् 1900 में किशनगढ़ राज्य को वाध्य किया गया कि वह साम्भर भील से लगे रूपनगर तहसील के इलाके में सिंचाई के लिए कोई वाध न वाधे तथा कुएं न खोदे।²⁵ इन राज्यों को नमक की आमदनी के बदले मुआवजा दिया जाने लगा। इससे यहाँ के राज्यों की आमदनी को छेस तो लगी ही यहाँ के काफी लोग वेकार भी हो गये। केन्द्रीय सरकार के नमक विभाग को खरी आमदनी ई० मन 1903 के अन्त तक एक करोड़ रुपारह लाख हो गई,²⁶ जिसका अर्थ हुआ कि राज्यों की इतनी ही आमदनी समाप्त हो गई। दूसरी ओर नमक तीन गुणा अधिक महगा हो गया जिसका भार जनता पर पड़ा।

निरकुश व विलासी नरेश

कुछ राज्यों में सुधार किये जाने से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि राजस्थान की शियासतों के प्रशासन में सामायत सुधार कर दिये गये थे। उनमें अभी तक पुराने टग की मध्यकालीन व्यवस्था चली आ रही थी। राजा पूर्णतया स्वेच्छारी थे और उपकी दमनकारी शक्तियों पर कोई रोक नहीं थी। कानून से शासन करने का कम ही विचार किया जाता था। निरकुश राजा मनचाहे टग से शासन चलाते थे। मेयो कालेज में शिक्षा प्राप्त राजा केवल दिखावे के लिये आधुनिक टग के नरेश बन गये। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के राजनीतिक विभाग द्वारा चयन किये गये दीवाना व मंत्रियों को नियुक्त किया। इन्होंने अप्रेजी प्रान्तों के सुधारों की नकल करना आरम्भ किया, लेकिन वे सुधार केवल नाम के थे। अब तक अप्रेजी प्रान्तों में विधान सभाओं के निर्माण के लिये कानून बन गये थे। अत यहाँ भी जनतात्रिक सम्प्रांतों के निर्माण के लिये प्रयत्न किये गये लेकिन वास्तव में यहाँ के राजा निरकुश ही रहे। उनके अपनी प्रजा को दबाये रखने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं थी। अप्रेजी प्रान्तों में प्रत्येक व्यक्ति की जान व माल की रक्षा के निये कानून या प्रथा द्वारा कई गोके लगी हुई थी, और यदा यदा इनके विरुद्ध विभिन्न सोगों वो अपमानित करने व नुकसान पहुँचाने तथा यहा तक कि हत्या करवा देने की शिकायते सुनी जाती रहती थी। कई बार स्त्रियाँ भरी पड़ी थी। कई राजाओं ने तो वैश्याओं के पीछे राज्य के लासों स्पष्ट उठा दिये। जोधपुर नरेश द्वितीय जसवन्तरासिंह या एक वश्या नहीं जान से इतना लगाव या कि न्यामी दयानाद सरन्वती को

इसके लिये महाराजा की काफी भत्तना करनी पड़ी, लेकिन महाराजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत उस वैश्या ने स्वामीजी के रसोइये को अपने पक्ष में कर जहूर दिलवा दिया जिसके कारण उनकी ई० सन् 1883 में मृत्यु हो गई। जोधपुर के ही एक दूसरे नगेश सरदारसिंह अपनी शान शौकत बनाये रखने के इतने इच्छुक थे कि ई० सन् 1901 को 17 अक्टूबर को जोधपुर नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि महाराजा जिस दिन इगनण्ड से लौटे तब दीपावली की जाये वरना 100) न्यये जुर्माना किया जायेगा। इन्ही महाराजा से ई० सन् 1903 में फिजूल खच के कारण अधिकार छीन लिये गये और पचमढ़ी भेजा गया। ई० सन् 1905 में पचमढ़ी से लौटने पर सीमित अधिकार भी दिये गये। ई० सन् 1908 में इन्ह शासन के पूर्ण अधिकार कुछ शर्तों के अधीन ही दिये गये।²⁷

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्यादातर नरेश अग्रेजों के कुचक्र में फस गये थे और उनके इशारों पर ही शासन चलाने लगे थे लेकिन कुछ नरेश फिर भी स्वतन्त्रता पूर्वक शासन चलाने का प्रयत्न करते थे। ऐसे राजाओं के लिये भी अग्रेज अधिकारियों वा विरोध करना आसान नहीं था। भालावाड नरेश द्वितीय जालिमसिंह ने जब विरोध करने वा साहस किया तो उसे ई० सन् 1896 में राजगढ़ी से उतार दिया गया।²⁸ बाद में उसके उत्तराधिकारी न होने से भालावाड राज्य के दो टुकडे कर दिये गये। केवल मात्र चौमहला और भालरापाटन छावनी के परगनों की मिलाकर भालावाड राज्य की पुनर्स्थापिना की गई तथा शेष भाग को पुन बोटा राज्य में मिला दिया गया और प्रथम जालमसिंह भाला के ही सम्बन्धी के बशज को नये भालावाड राज्य का शासक बना दिया गया।²⁹ इस काल में जब कभी कोई अल्पवयस्क राजा राजगढ़ी पर बैठा अग्रेजों ने अपनी रीजेसी परिपद् उस राज्य में स्थापित कर दी। बीकानेर बोटा, अलवर आदि राज्यों में ऐसा ही किया गया।

दयानाद सरस्वती का जागृति सदेश

अब तक न केवल राजस्थान बल्कि भारत में भी एक राष्ट्र का स्पष्ट रूप नहीं था। अपना प्रात या राज्य ही जनता के लिये सब कुछ था। हिंदू मुसलमान, मराठा, जाट, राजपूत आदि भेद, इनके एक राष्ट्रीय हाने में रोक लगाये हुए थे। अब नई शिक्षा के प्रभाव से लोग एक राष्ट्र के विषय में सोचने लगे। जब विदेशी विद्वानों ने यहां वे प्राचीन ग्रन्थों वा अध्ययन वरना प्रारम्भ किया तथा यहां वे प्राचीन गौरव के विषय में लिखने लगे तब यहां के शिक्षितों

ने भी इस ओर ध्यान दिया। इससे उनमें राष्ट्रीय चेतना तथा आत्म-विश्वास जगा तथा अपने राष्ट्रीय रूप को पहचानने का प्रयत्न किया। इस समय भारतीय जनता और विशेषकर राजस्थान की जनता को जागृत करने वालों में स्वामी दयानन्द प्रमुख थे। वह भारत को उन्नत, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी तथा शक्तिशाली बनाना तथा स्वतन्त्र देखना चाहते थे। इसके लिये उसने धर्म और समाज सुधार को प्राथमिकता दी। उसने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी अपने ग्रन्थों में काफी लिखा। स्वयं गुजराती होते हुए भी हिन्दी को सामान्य जनता की भाषा के रूप में अपनाया और इस बारण न केवल हिन्दी में ग्रन्थ लिखे बल्कि भाषण भी दिये। धीलपुर, वरोली, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, आदि राज्यों में रहकर उसने न केवल राजघरानों बल्कि सामान्य जनता में जागृति उत्पन्न की। स्वामी दयानन्द ही पहला व्यक्ति था जिसने यह भावना जागृति की—“कोई कितना भी करे परंतु स्वदेशी राज्य सबथ्रेष्ठ होता है। माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया रखते हुए भी विदेशियों का राज्य सुखदाई नहीं हो सकता है।”^{०५} अपने इन अनुभवों का प्रचार उसने राजस्थान के विभिन्न राज्यों में किया। ये विचार शीघ्र ही भारतीय भाषा के समाचार पत्रों द्वारा भारत भर में फैल गये। अग्रेज सरकार ने प्रेस के काले कानून बनाकर ऐसे विचारों को रोकने का प्रयत्न भी किया लेकिन विफल रही। स्वामी दयानन्द ने अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा आदि पर काफी जोर दिया जिसका प्रभाव न केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रान्तों पर भी पड़ा। स्वामी दयानन्द के ही शिष्यों—श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरीसिंह वारहट आदि ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये सशस्त्र क्राति के बीज बोये। स्वामो दयानन्द के अलावा स्वामी विवेकानन्द ने भी राजस्थान में रहकर लागों में जागृति पैदा की। उसने हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता बतला कर लोगों में आत्म विश्वास जगाया।

राष्ट्रीयता का उदय

पश्चिमी शिक्षा के प्रसार^{०६} के कारण सबसे बड़ा लाभ भारतीयों को राजनीतिक जागृति का मिला। इस शिक्षा को प्राप्त कर भारतीयों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, राजनीतिक अधिकार प्राप्ति के लिये चेतना आई। इसके बारण देश के विभिन्न प्रान्तों में राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुईं जिनमें ‘इण्डियन एसोसियेशन’ मुख्य है। आत्मसमाज तथा आय समाज ने तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व समाज में समानता की भावना भरने में कोई क्षसर नहीं रखी। आर्य समाज ने सम्पूर्ण भारत के लिये एक ही धर्म तथा संस्कृति स्थापित करने

वा उद्देश्य बनाया। स्वामी दयानन्द ने ही सबसे पहले 'स्वराज्य' शब्द वा प्रयोग किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का वहिप्कार करने व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ही सबसे पहले हिन्दू को भारत की राष्ट्र भाषा बतलाया। इस प्रारंभ भारत में राष्ट्रीयता की लहर तेजी से फैलने लगी।

उनीसकी शदी के उत्तराद्व में अग्रेजा को मुसलमाना पर पूरा भरोसा नहीं था। वे मुसलमानों का रव 1857 के महान् विद्रोह में देख चुके थे। अत उन्होंने हिन्दूओं पर भरोसा करने की ढानी ताकि आपत्तिकाल में वे काम आ सके तोकिन साधारण लोग अज्ञानता व गरीबी के कारण खुद ही परेशान थे। शिक्षित मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से सक्रिय था लेकिन उस पर निश्चित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनमें मामाजिक व आर्थिक कारणों से काफी असतोष था। यह देखकर उन्हे यहा के राजाओं, वडे जमीदारों, जागीरदारों आदि की महायता लेन का सोचना पड़ा।

राजाओं के साथ की गई सन्धियों की शर्तों की व्याख्या इस प्रकार अग्रेजी सरकार करती रही कि वे ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में आते ही गये। इसी से उनकी मर्यादा भी घटती चली गयी। जब भी कोई नया राजा गढ़ी पर बैठता था तब उसे मायता देना या न दना इंगलैण्ड के बाहशाह या उसके प्रतिनिधि बायसराय पर निभर था। यदि किसी नावालिंग को राजा का उत्तराधिकारी बनाया जाता तो ब्रिटिश सरकार नावालिंगी के दोरान उसके राज्य का शासन भार अपने ऊपर ले लेती थी। सामान्यत किसी राज्य में अव्यवस्था फैलने पर राजा को गढ़ी से हटा देती थी। इस अधिकार को ब्रिटिश प्रभुसत्ता का नाम दिया गया।¹ प्रभुसत्ता को आपत्ति काल में रियासतों के सारे साधनों पर असीमित अधिकार प्राप्त थे। रियासतों की सेना पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के निर्देशन में ही काम बरती थी। इसी प्रकार सचार के सारे साधन—रेल, तार, डाक आदि भी ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में रहते थे।

अब तक अग्रेजी शासन के प्रति जनता में असन्तोष काफी फैल गया था। सरकार द्वारा गोरो व कालों के बीच भेद-भाव न केवल सरकारी नौकरियों वर्तिक याय बनने में भी रखना, आर्थिक नीति में इंगलैण्ड के हितों को भारत के विरुद्ध प्राथमिकता देना, आदि के कारण जनता समझने लग गई थी कि इन

बुराइयों का आत अग्रेजी साम्राज्य द्वारा समाप्त कर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति पर ही हो सकता है। अग्रेज भी यह समझने लगे कि उस असन्तोष के कारण कहीं यहाँ विप्लव न हो जाये, जिससे सरकार के अस्तित्व द्वारा ही यतरा हो जाये। अत ऐसी कोई स्थिति का होना आवश्यक है जो सरकार की कमियों तथा उनको सुधारने के विषय में सुभाव दे सके तथा जनता को भी यह बता सके कि सरकार उनके लिये वया काम कर रही है। यो इस समय भारत में “इण्डियन एसोसियेशन”, नामक संस्था सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में राजनीतिक कार्य कर रही थी लेकिन अग्रेजों को उसके विचार ज्यादा प्रगतिशील तथा उग्र लगे। अत एक नई संस्था की स्थापना की ओर उनका ध्यान गया।³²

कांग्रेस की स्थापना

अग्रेजी साम्राज्य की द्वन्द्वाया में भारत के लिए आंपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने ‘इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ की स्थापना ई० सन् 1885 में की।³³ इसकी स्थापना पर तत्कालीन वायसराय लाड डफरीन ने आशीर्वाद दिया तथा कई अधिकारियों ने इसके सम्मेलन में भाग लिया। इसका प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू० सी० बनर्जी को बनाया गया जो अग्रेजी सम्यता में पूर्णतया रगा हुआ था तथा राजनीतिक आदोलनों से दूर रहने में ही कांग्रेस का हित समझना था। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में भारत के विभिन्न प्रान्तों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें दो मुसलमान थे। इम अधिवेशन में भापण वादशाह के प्रति आदर दिखाते दिये गये लेकिन फिर भी इगलैण्ड की जनता ने कांग्रेस की स्थापना को अग्रेजी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बतलाया।³⁴ भारत में कांग्रेस की स्थापना से जनता में राजनीतिक चेतना और भी ज्यादा बढ़ी। उस समय की चालू राजनीतिक संस्थाएं इसके सामने बौने जैसी लगने लगी। अब कांग्रेस ही भारत की मुख्य राजनीतिक प्रगति में योग दिया जिसके फलस्वरूप आगे चलकर भारत स्वतन्त्र हुआ। प्रारम्भ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशी रियासतों के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। अपने प्रारम्भिक तीस वर्षों में केवल एक बार ही कांग्रेस ने देशी राज्यों के मामले में दिलचस्पी ली। ई० सन् 1896 में जव भालावाड नरेश जालिमसिंह द्वारा पदच्युत किया गया तभी कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अग्रेज सरकार द्वारा न्यायिक जाच किये विना किसी भी

नरेश को राजगढ़ी से नहीं हटाना चाहिये। इस प्रस्ताव की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।³⁵

अग्रेजों की ही प्रेरणा से स्थापित कांग्रेस वाद के तीस वर्षों तक अग्रेजों की आँखों में खटकती रही। सरकार द्वारा कांग्रेस के द्वारा पारित प्रस्तावों की कोई परवाह नहीं की जाती थी। ई० सन् 1897 तक कांग्रेस भी केवल प्रस्ताव पास करना ही अपना मुख्य धम समझती रही। ई० सन् 1898 में बाल गगाधर तिलक का कांग्रेस में प्रवेश हुआ। उसी वर्ष नाड़ कर्जन भारत वा वायसराय बनकर आया। तिलक के हृदय में देश के लिए मुद्द करने भी लालसा थी और लाड कर्जन के हृदय में भारत को पूणतया दवा रखने की इच्छा थी। तिलक ने अपना नारा दिया—“स्वराज्य हमारा, जन्म-सिद्ध अधिकार है और वह म अवश्य प्राप्त कर रहूँगा।”³⁶ लाड कर्जन के विचार थे—“भारत एक पिछड़ा देश है। वह किसी भी दशा में पश्चिमी राष्ट्रों की वरावरी नहीं कर सकता है। अत यहां की नई राजनैतिक चेतना को समाप्त कर रहूँगा।”³⁷

तिलक ने देखा कि कांग्रेस ने केवल प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजने का उद्देश्य बना रखा है, जो ठीक नहीं है। केवल पश्च भेजने से भारत का कोई भला नहीं होने वा है। भारत का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना है और उसकी प्राप्ति के लिये शिवाजी जैसे वीरा के पथ वा अनुगमन करना पड़ेगा। अत्याचार के सामने झुकना अपनी निवलता है। अत्याचार का सामना शक्ति से ही करना पड़ेगा। तिलक के ऐसे ही विचारा से प्रभावित होकर पूना के चापेकर भाइयों ने पूना के कलकटर रेण्ड को मार डाला क्योंकि उसके अग्रेज सैनिकों ने पूना की जनता वो काफी परेशान कर रखा था। सरकार ने इसका अप्रत्यक्ष अपराधी तिलक को माना और उसे राजद्रोह के अपराध में 18 माह की सजन सजा दे दी। तिलक को इस प्रकार सजा दिये जाने वे बारह भारत में राष्ट्रीयता की लहर और तेजी से फैली। अब लेप लिखने व भाषण देने से ज्यादा त्याग व वष्ट सहने को सराहा जाने लगा। अब तक क्यंग्रेसी यहीं मोचते थे कि भारत में अग्रेजी राज ईश्वर की देन है और हमें आगा है कि उनके सरकार में सर्वेधानिक ढग से भारत एक दिन स्वराज्य पा लेगा। तिलक जैसे नये राष्ट्रवादी कहने लगे कि “यदि इस प्रकार भाषा किये वेठ रहे तो स्वराज्य कभी प्राप्त नहीं होगा। विदेशी तो और ज्यादा जमा रहने वा प्रयत्न करेगा। भत सर्वेधानिक ढग से आदोलन करना

व्यर्थ है क्योंकि भारत में कोई मविधान है ही नहीं। जो बुद्ध हो रहा है वह प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी से हो रहा है। अंत हमारे लिये उनके आदेशों की पालना बरना आवश्यक नहीं है।” कांग्रेस के कई नेतॉंओं ने इन राष्ट्रवादियों के विचार को बेकार व भयानक बतलाया।⁸ ई० सन् 1905 से नये राष्ट्रवादियों के विचारों व कार्य-प्रणाली से उनका काफी मनमुटाव हो गया। अंत महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों व समस्याओं में भी यह बातें देखी जाने लगी।

हिन्दू मुस्लिम भेद-भाव

लगभग 700 वर्षों तक हिन्दुओं व मुसलमानों के साथ-साथ रहने के कारण उनके आपसी भेदभाव काफी कम हो गये थे। अग्रेजों द्वारा भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिये जाने के कारण मुसलमान अग्रेजों के ज्यादा विरुद्ध थे जबकि हिन्दू मुसलमानों के अत्याचारों से छूट जाने के कारण अग्रेजों के प्रति शब्दुता नहीं रखते थे बल्कि उन्हे अपना हितैषी ममझते थे। इसी कारण हिन्दुओं ने अग्रेजी शिक्षा को शीघ्र अपनाया लेकिन मुसलमानों ने अग्रेजी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। हिन्दू अग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो गये और अब स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। अग्रेजों ने इसमें सतरा ममझा और अब इस कारण वे हिन्दुओं के प्रति सशक्त रहने लगे तथा मुसलमानों को, जो अब तक पूर्णतया जागृत नहीं हुए थे, हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काने लगे कि यहा स्वराज्य हो गया तो वहुसर्यक हिन्दू अल्प-संस्कृत मुसलमानों को गुलाम बना देंगे। उनके नेता सैयद अहमद ने ई० सन् 1888 में एक भाषण में कहा था कि “हिन्दुओं तथा मुसलमानों के दो राष्ट्र होने चाहिये क्योंकि यदि कभी अग्रेज भारत छोड़कर चले गये तो दोनों एक समान राजनीतिक जीवन नहीं विता सकेंगे। दोनों में से कोई एक विजयी होकर दूसरे को दबा कर ही रह सकेगा।” उसने यहाँ तक कहा कि “यदि वहुसम्यक हिन्दुओं की सरकार बन गई तो अल्प-संस्कृत मुसलमान तलवार के जोर से अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न नहेंगे।”⁹ इस प्रकार प्रारम्भ से ही मुसलमानों ने बांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया।

अग्रेजों ने हिन्दुओं व मुसलमानों के अलगाव को और ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने हितों के लिये इस अलगाव का प्रयोग किया और उसी के फलस्वरूप आगे चलकर पाकिस्तान की मांग ई० सन् 1930 से की जाने लगी कि “हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, रीति-रिवाज, साहित्य, आर्थिक पद्धति,

उत्तराधिकार, विवाह आदि के नियम हिन्दुओं से पूर्णतया भिन्न हैं। मोटे स्प से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से भी भिन्न है। हिन्दुओं व मुसलमानों में खान-पान व विवाह का भी सम्बन्ध नहीं है।”

लाड कजन ने यहीं देख वर राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक जागृत बगाल प्रान्त को विभाजित कर दिया ताकि एक भाग में मुसलमान वहुसत्यक हो जावे और दूसरे भाग में हिन्दू वहुसत्यक। इस प्रकार भारत के प्रमुख धर्मावलम्बियों को विभाजित कर एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने की पहली बार चेष्टा की गई। बग भग की यह योजना 16 अक्टूबर, 1905 के दिन लागू की गई। इस योजना को देश-धारी समझकर तब सम्पूण भारत ने इसका विरोध किया। उस दिन हड्डाले हुई तथा लोगों ने व्रत रखे। महात्मा गांधी ने इस विषय में लिखा था—“भारत का वास्तविक जागरण बगाल के विभाजन के पश्चात् हुआ और वह दिन अग्रेजी साम्राज्य के विभाजन का दिन भाना जा सकता है। बगाल में जो जागृति आई वह शीघ्र ही उत्तर में और दक्षिण में केप कमोरीन तक फैल गयी।”⁴⁰

बग भग के बाद

बग भग के बाद भारत में अग्रेजी सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हो गया। जनता को यह पक्का विश्वास हो गया कि अग्रेजों के भारत में रहते उनकी स्थिति सुधारने की नहीं है। अत जनता में अग्रेजी माल का वहिकार करने तथा स्वदेशी माल को अपनाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा लेने की भावना जागृत हुई। अपनी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिये इससे अच्छा और कोई तरीका था भी नहीं। कांग्रेस ने इस आन्दोलन की स्वीकृति दे दी यद्यपि किरोजशाह मेहता, गोपाल छप्पण गोपले आदि नम दलीय नेता इसके विरुद्ध थे। उनके विचार से ऐसे अग्रगामी तरीकों से कांग्रेस के नष्ट होने का सतरा था लेकिन वास्तव में ऐसा बुध न हुआ। इसी समय जापान ने इस पर विजय प्राप्त वर ससार को बतला दिया वि पश्चिमी राष्ट्र प्रजेय नहीं है। अत भारतीय भी अग्रेजों वो शक्ति का प्रयोग वर देश से बाहर वर सकते ह। राष्ट्रवादी यह सोचकर सशस्त्र शान्ति का सोचने लगे।⁴¹

राजस्थान में आतंकवादी गतिविधिया (1905-1914)

राजस्थान में स्वामी दयानन्द व स्वामी विवेकानन्द में उपदेश वा नवयुक्तों पर यापी प्रभाव पड़ा था। उनमें हूदयों में जातीय आत्मभिमान

पुन जागृत हो चुका था। श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रान्तिकारियों ने यहां रहकर उनको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये प्रयास करने को उक्साया। बाद में भारत के स्वदेशी आन्दोलन का भी राजस्थान पर प्रभाव पड़ा। यहां भी स्वदेशी भाल व राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार हुआ। सिरोही राज्य में तब ही “सम्प सभा” स्थापित हुई। जनता ने इस सभा के कार्यक्रमों में बड़ी हृचि बतलाई। पिछडे वर्गों में इससे बड़ी चेतना आई। इसकी प्रगति देखकर अग्रेजी सरकार चौंकी और ई० सन् 1908 में सैनिक कारवाई कर इस सभा को ही समाप्त कर दिया।

व्यावर में दामोदर दास राठी क्रान्तिकारी विचारों का व्यक्ति था। वह सशस्त्र क्रान्ति में यिश्वास बरता था। अत उसने क्रान्तिकारियों को सहायता देना प्रारम्भ किया। कई क्रान्तिकारी उसके घर में शरण लेने लगे। अग्रेज सरकार ने जब गर्म दल वालों तथा क्रान्तिकारियों का दमन आरम्भ किया तब कई क्रान्तिकारी राजस्थान में विशेषकर व्यावर व अजमेर नगर में आ दिए। इसी कारण दामोदर दास राठी के घर की तलाशी भी ली गई। ई० सन् 1907 में जयपुर में अजु नलाल सेठी ढारा जैन वर्द्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त कर यहा के छात्रों में देश-भक्ति व दलिदान की भावना जागृत हुई। कई क्रान्तिकारी यहा वरावर आया जाया बरते थे। अत यहा नाति के लिये एक अच्छा दल बन गया जिसमें शाहपुरा का केसरीसिंह बारहठ, खर्बा का गोपालसिंह, व्यावर का दामोदरदास राठी व जयपुर का अजु नलाल सेठी मुख्य थे।

क्रान्तिकारियों के लिये यह आवश्यक था कि वे शस्त्रों को इकट्ठा करे या बनाये। अस्त्र-शस्त्र राजस्थान के राज्यों में ही प्राप्त हो सकते थे क्योंकि यहा तब तक शस्त्र बानून लायू नहीं हुआ था। अत क्रान्तिकारियों ने शस्त्रों का संग्रह करने के लिये एक गूजर नवयुवक भूपसिंह को ई० सन् 1912 में अजमेर भेजा। यहा रहते भूपसिंह ने न केवल शस्त्रों का संग्रह किया बल्कि वट्टूकों की मरम्मत करना, वारतूस बनाना व भरना भी सीख लिया। उसने ई० सन् 1913 में “वीर भारत समाज” नामक संस्था क्रान्ति का प्रशिक्षण देने के लिये स्थापित की। ऐसी ही संस्थाएं भारत के अय प्रान्तों में भी स्थापित हुई थीं। यथा वम्पई प्रात में “अभिनव भारत”, मध्य भारत में “आय बाँधव समाज”, बगाल में “अनुशीलन समाज” आदि। राजस्थान के कुछ नरेश-वीकानेर के गगासिंह, उदयपुर के फतहसिंह व बोटा के उम्मेदसिंह,

इस गुप्त सैनिक संगठन से छिपे तौर पर सहानुभूति रखते थे तथा सहायता देते रहते थे।¹⁴² उनके विचार से यह सशस्त्रकान्ति सफल होने को थी। अत वे आशा लगाये बैठे थे कि अग्रेजों के जाते ही वे पुन स्वतन्त्र हो जायेगे तथा प्रान्त की वागडोर उनके हाथों में आ जायेगी।

क्रान्तिकारियों को अपना कायन्त्रम चलाने के लिये धन की आवश्यकता होती तो कई बार वे डैकैनी करके अपना काम चलाते थे। ई० सन् 1913 में अजुनलाल सेठी के चार छात्रो—मोतीचन्द्र, माणकचन्द्र, जयचन्द्र तथा जोरावरसिंह (केसरीसिंह का भाई) ने विहार प्रान्त के आरा जिले के निमेज गाव के एक महन्त की हत्या कर दी। इसके पूछ सन् 1912 में जोधपुर के प्यारेराम साधु की हत्या कोटा में कर दी गयी। हत्या करने वालों में लक्ष्मीलाल, हीरलाल, केसरीसिंह, नारायणसिंह, जोरावरसिंह और निवेणी दास उपनाम 'लहेरी' थे। इस साधु को फुसला कर कोटा ले गये और वहाँ लहेरी ने कटार भोक कर हत्या कर दी। वहा राजपूत बोर्डिंग में मारकर लाश गाड़ दी गयी। लगभग 6 माह बाद लाश निकाल कर जला दी गई। जोरावरसिंह की आरा (विहार) वाले मुकदमे में भी जस्तरत थी।¹⁴³ आरा निमेज के साधु की हत्या (20 मार्च, 1913) का मुकदमा चला उसमें भी यही अभियुक्त था। जोरावरसिंह के भाई केसरीसिंह को कोटा केस में आजन्म कारावास की सजा हुई। इन्हे हजारी बाग जेल भेज दिया गया। बाद में यह सजा 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दी गयी। और सन् 1919 में उसे 5 वर्ष की सजा भुगतने के बाद कारावास से मुक्त कर दिया गया। जोरावरसिंह विहार के आरा केस में आजन्म फरार रहे। इनके मफले भाई किशोरसिंह के बड़े पुत्र प्रतापसिंह को वनारस पड़यत्र केस में 5 वर्ष का कारावास दिया गया। वह 22 वर्ष की अल्पायु में वरेली जेल में शहीद हो गया। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक ने उसके लिये लिखा था कि "मैंने आज तक प्रतापसिंह जैसा वीर तथा विलक्षण बुद्धि का युवक नहीं देखा। उसे सताने में हमने कोई क्सर नहीं रखी परन्तु वह टस से मस नहीं हुआ।" अग्रेज सरकार द्वारा राजस्थान के कुछ लोगों पर सदेह था अत शान्तिकारीयों पर कड़ी इट्टि रखती थी लेकिन फिर भी इनकी कारबाइया चलती रही। भूपसिंह खर्बा के गोपालसिंह का बामदार बन गया। एक शान्तिकारी वालमुकुद जोधपुर के महाराजा सुमेरसिंह का शिक्षक नियुक्त हो गया तथा एक शान्तिकारी वीवानेर राज्य को सेवा में नियुक्त हो गया।

इनकी क्रान्तिकारी गतिविधिया और ज्यादा चलती लेकिन ई० सन् 1913 के लाहोर बमकाण्ड के सिलसिले मे जब अर्जुनलाल सेठी का एक छात्र शिवनारायण पकड़ा गया तो उसने सब भेद खोल दिया। तत्काल केसरीसिंह, हीरालाल जालोरी, लहेरी व रामनारायण पकड़े गये और उन्हे 20 वर्ष की सस्त कैद की सजा दे दी गई। उनकी कुल सम्पत्ति जब्त कर ली गई। जयपुर राज्य द्वारा तग किये जाने व आर्थिक अभाव के कारण अर्जुनलाल सेठी ने अपनी जैन पाठशाला इन्दौर स्थानात्तरित कर दी। वहा वह 1914 मे कैद कर लिया गया और उसके विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित न होने पर भी उसे पाच वर्ष तक नजरवन्द ही रखा गया। अत बाद मे वह 1920 के आरम्भ मे जेल से छोड़ा गया। इस कारण 1914 के बाद के वर्षों मे राजस्थान मे क्रान्तिकारियो का सगठन टूट गया।

प्रथम विश्व युद्ध

ई० सन् 1914 की 4 अगस्त को यूरोप मे इगलण्ड का जमनी से युद्ध घिर गया। भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का ही एक भाग होने के कारण इस युद्ध मे भाग लेना पड़ा। जमनी को ऐसा विश्वास था कि जब इगलैण्ड विपदा मे पड़ेगा तब भारत मे उसके विरुद्ध विद्रोह हो जायेगा लेकिन इसके विपरीत भारत के सभी वर्गों के लोगो ने अंग्रेजो के प्रति स्वामी-भक्ति बतलाई। स्वय अंग्रेजो को भारत से इतनी सहायता की आशा नही थी। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेता ने सैनिक सेवा मे जाने का विचार प्रकट किया। ई० सन् 1914 के कांग्रेस अधिवेशन मे वडे धमड से अध्यक्ष ने कहा—“अपनी इज्जत, स्वनन्त्रता व न्याय के लिये भारतीय अंग्रेजो के साथ अपना खून बहा रहे हैं।” अगले वर्ष 1915 मे कांग्रेस अधिवेशन मे पुन कहा गया कि—“विश्व की इन सकटमय घटियो मे, भारत को अंग्रेजी राष्ट्र को मह बतलाना है कि पिछले 150 वर्षो मे उनके शासन के अन्तर्गत उन्हे जो शांति तथा समृद्धि मिली है उसके उपलक्ष मे हम यह बलिदान कर रहे हैं।” इस युद्ध मे हजारो भारतीय जवानो ने भाग लिया व अपना खून दिया। उस समय सभी भारतीय युद्ध की परिस्थितियो वो भारत की राजनैतिक प्रगति हेतु मोड़ना चाहते थे। गांधीजी ने युद्ध के बाद वायसराय को लिखा था—“यह सत्य है कि हमारा सहयोग देने का कारण यह था कि हम आशा करते थे कि हम अपने उद्देश्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। इसी विश्वास से ज्यादातर सदस्यो ने सरकार को खुले हृदय से सहयोग दिया।” राजस्थान का भी इस युद्ध मे कोई कम योगदान

नहीं रहा। यहाँ के राजाओं को पता था कि यदि अग्रेज हार गये तो उनकी काफी दुगति होगी। अत उन्होंने अग्रेजों का पक्ष खुले हृदय से व उदारता से लिया।¹⁵ सभी नरेशों ने युद्ध में स्वयं जाने के लिये अग्रेज सरकार को लिखा। उन्होंने अपने राज्य की सेनाएं धन आदि देने की इच्छा प्रकट की। इनमें वीकानेर नरेश अग्रगामी था। जोधपुर के प्रतापसिंह, जो उस समय लगभग 70 वर्ष का था, ने भी युद्ध में भाग लिया। वायसराय ने जोधपुर, वीकानेर व किशनगढ़ के नरेशों को युद्ध में भाग लेने के लिये चुना। भारत की इन सैनिक सेवाओं को देखकर ई० सन् 1915 में इंगलैण्ड के प्रधानमंत्री ने भारत की सेवाओं की सराहना की और इसके फलम्बरूप भारत के भावी राजनीतिक प्रश्नों को सहानुभूति-पूर्वक निपटाने का आश्वासन दिया।

युद्ध के अंत तक वीकानेर के 2592, किशनगढ़ के 38, जयपुर के 1181, ढूगरपुर के 100 व करीली के 400 सैनिक भर्ती किये गये। राज्यों ने काफी धन भी दिया। जोधपुर ने 35,96,095 रुपये, वीकानेर ने 42,08,865 रुपये, जयपुर ने 1,65,000 रुपये, धोलपुर ने 1,21,000 रुपये, झालावाड़ ने 3,25,375 रुपये, किशनगढ़ ने 27,000 रुपये, कोटा ने 1,40,572 रुपये तथा बूद्धी ने 1,82,700 रुपये दिये। कई प्रकार के युद्ध-ऋण भी विभिन्न राज्यों ने दिये। इस प्रकार राजस्थान ने अग्रेजी साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा बतलाई। विभिन्न नरेशों से सहायता प्राप्त कर अग्रेज जमनी पर 1918 में विजय प्राप्त कर सके। राजस्थान के कई जवान युद्ध में मारे गये तथा लाखों रुपये अग्रेजों के हितों की रक्षा के लिये खर्च किये। इनका भार राजस्थानी जनता पर ही पड़ा। इस युद्ध में भाग लेने के बारण राजस्थान की अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी प्राप्त हुआ। राजस्थानी सैनिकों के अन्य भारतीय मौनियों के साथ युद्ध में भाग लेने तथा युद्ध काल में प्रशासन को ठोक ढ़ू¹⁶ रखने के लिये एक समान प्रशासनिक कायवाइयों ने अग्रेजी की जनता को काफी निवट ला दिया। विदेशों से लौटे सैनिक वी भावना को देख चुके थे। अत, वैसी ही वे भी यहा स्वतन्त्रता प्राप्ति की सो-

वडी रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध कर दिया जायेगा। राजाओं के शासन में कोई गडबडी होने पर इसकी जाच एक कमीशन द्वारा कराई जायेगी।”^{४८} इस प्रकार के आश्वासन पाकर राजा लोग फूले न समाये। वे और ज्यादा अग्रेजी साम्राज्य के भक्त बन गये।

अप्रतक राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों के लिये कोई माग नहीं कर पाती थी। यो उनका व्याल कर भारत सरकार ने राजाओं को आदेश दिया कि वे अपना निजी सच्ची राज्य वी आमदनी का दस प्रतिशत तक रखें। उनके अन्य अधिकारों को भी बम किया गया। यह सब कुछ करते भी राज्यों की प्रजा के अधिकारों व स्वतन्त्रता के लिये कुछ नहीं किया गया। अत यहां की प्रजा में असन्तोष बना ही रहा। यह भी सत्य है कि यहाँ के राजाओं को यह भान नहीं था कि भारत में राजनैतिक जागृति लेजी से आ रही है और अब राज्यों के लिये आवश्यक हो गया है कि वे अपने शासन को जनहित के लिये सुधारे लेकिन फिर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं दी।

जन आन्दोलन

लाड़ कर्जन की उप्र नीति के कारण अग्रेजी प्रान्तों में जो राजनैतिक हलचल तथा तीव्र विरोध की भावना फैली उससे घबरा कर अग्रेजों ने भारतीय नरेशों को अपने पक्ष में करने के लिये उन्हे शासन के मामलों में काफी छूट दे दी। अब राज्यों के आन्तरिक मामलों में कम ही हस्तक्षेप किया जाने लगा तथा उन पर अनुचित दबाव डाला जाना भी बन्द कर दिया गया। उनके प्रति विश्वास और सहयोग की नीति बरती जाने लगी। ई० भन् 1911 में बादशाह पचम जाज ने दिल्ली में राजदरवार किया तब भारतीय नरेशों ने भी अपनी राजभक्ति का प्रदर्शन किया। उदयपुर के महाराणा फतहर्सिंह भी बादशाह से मिले लेकिन वह न तो शाही जुलूस में सम्मिलित हुए और न दरवार में ही उपस्थित हुए।

कई नरेश अब यह समझने लगे कि जनता अब उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना की माग करेगी। अग्रेजी प्रान्तों में चल रही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लहर से यहाँ वी जनता खूब प्रभावित होने लगी। अत बीकानेर नरेश गगासिंह ने अपने शासन काल की रजत जयन्ती के अवसर पर ई० सन् 1912 में बीकानेर राज्य में “प्रतिनिधि सभा” स्थापित करने की घोषणा कर दी। इस सभा में 27 नामजद सदस्य (19 कमचारी, 8 गैर सरकारी), 5 ताजीमी सरदार और जागीरदार व 3 अन्य सदस्य, 18 निर्वाचित

सदस्य (11 नगरपालिकाओं से, 3 सरदारों से व 4 जमीदारों से) रखे गए।⁴⁷ नगरपालिकाओं, सरदारों व जमीदारों की ये संस्थाएँ राज्य के द्वारा निर्मित संस्थाएँ थीं। अत इस सभा को जनता की प्रतिनिधि संस्था कहना केवल धोखा देना मात्र था, फिर भी उस समय को देखते हुए यह एक प्रगतिशील कदम था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति की लातसा अब धीरे-धीरे गावों में भी फैल रही थी। नवजागरण की यह किरण ई० सन् 1916 में उदयपुर राज्य के जागोरी ठिकाने विजोलिया में दिखाई दी, जहां के काश्तकारों ने ठिकाने की अनुचित लागवागी तथा अत्याचारों के विरुद्ध आनंदोलन आरम्भ कर दिया। उन्होंने उस वप में ठिकाने का लगान देना बाद कर दिया और काश्त करना छोड़ दिया। उनके इस आनंदोलन का मुर्त्य नेता साहु सीताराम था।

प्रथम महायुद्ध के आरम्भ के कुछ समय बाद ही भारत के कुछ क्रांतिकारी—हरदयाल, महेद्वप्रताप आदि जमन सम्राट से मिले और भारत में सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनाई। उस समय भारत में बहुत कम अग्रेजी सेना थी तथा जो सैनिक थे वे पूर्णतया प्रशिक्षित नहीं थे प्रत उनसे आसानी से निपटा जा सकता था। यह सोचा गया कि यदि क्रान्तिकारी एक वर्ष तक जम सके तो अग्रेजों के शत्रु उनकी सहायता कर देंगे और यहां युद्ध में लगे रहने के कारण भारत को आसानी से स्वतन्त्रता मिल जावेगी। अत नान्ति आरम्भ करने की तिथि सन् 1915 की फरवरी 21 निश्चित की गई जबकि भारत के सबसे बड़े शहरागार फिरोजपुर पर कब्जा किया जाना था। उसके बाद अन्य स्थानों पर क्रांति होनी थी। राजस्थान में गोपालसिंह तथा दामोदरदास राठी को व्यावर तथा भूपर्सिंह को नसीरावाद पर कब्जा करने का भार सापा गया। सब प्रकार से तैयारिया हो गई लेकिन निर्धारित तिथि के पूर्व ही एक भेदिये ने सब वातें सरकार को बतला दी। अत इन क्रांतिकारियों को गिरफतार कर लिया गया। राजस्थान के इन क्रांतिकारियों को भेवाड़ पर भेरवाड़े की सीमा पर स्थित टाडगढ़ में नजरबाद कर दिया गया। लगभग एक पखवाड़े तक नजरबाद रहने के बाद ये लोग वहां से भाग खड़े हुए।⁴⁸ भूपर्सिंह अब विजयसिंह पर्थिक के नाम से विजोलिया में जाकर रहने लगा। उसने किसानों के आनंदोलन को और बढ़ावा दिया। ई० सन् 1917 में राज्य की पुलिस की सहायता से लगान के अलावा युद्धकोप के लिए धन वसूल किया जाने लगा। पर्थिक का नेतृत्व पाकर उन्होंने कुछ भी देने से इकार कर दिया।

उदयपुर के अग्रेज रेजीडेंट को जब यह पता चला तो उन्होंने पथिक की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया लेकिन पवित्र भेष वदलकर वहां से बूँदी होकर रोटा चले गये। अब किसानों का नेतृत्व एवं दूसरे नेता माणकलाल वर्मा ने मम्भाल लिया। उसके सहायका में जयसिंह धाकड़, भवरलाल सुनार, प्रेमचन्द भील व घनश्याम जोशी थे। ई० मन् 1916 में वहां वर्षा के अभाव से फसलें कम हुईं लेकिन फिर भी काशनकाग को लगान के लिए तग किया जाने लगा। उदयपुर के मटाराणा ने वाश्तकारों को राहत देना उचित समझा लेकिन अग्रेज अधिकारिया ने, इसमें वाश्तकारों को बढ़ावा मिलेगा की आशका बताकर मना कर दिया और दमन बरने के लिए पुलिस भेज दी। आमीणों पर गोलिया चलाई गई तथा गावों को लूटा व जलाया तक गया लेकिन किमानों ने सब यातनाएँ सह ली। उन्होंने अपने क्षेत्र में पचायती राज्य स्थापित कर लिया और चर्चे व रघों का घर-घर प्रचार कर गृह उद्योगों को बढ़ावा दिया।⁴⁹ उनकी आत्म-निभरता व सगठन क्षमता के कारण राज्य को मुम्भा पड़ा। ई० सन् 1922 में ठिकाने से किसानों का राजपूताना के ए०जी०जी० की मध्यस्थता से 1922 में समझौता हुआ। इसके अनुसार अधिकार बर माफ कर दिये गये, बेगार उठा दी गयी और लगान घटा दिया गया। किसानों की पचायत को मायता दे दी गयी।⁵⁰ विजोलिया किमान आदोलन की भाँति ही उदयपुर राज्य के एक और ठिकाने बेगू में भी किसान आदोलन हुआ।⁵¹ आन्दोलनों की यह लहर और भी जागीरी गावों में फैलते रही। आन्दोलनकारी नेताओं का तप खूब महत्व बढ़ गया। जनता को यह विश्वास हो गया कि यदि वे भगठित हो जावेंगे तो वे अपनी मागों को मनवा भी सकते ह।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्

सन् 1917 की 20 अगस्त वो भारत सचिव माटग्यू ने घोपणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार बना दी जावेगी और इसके लिये यथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। भारतीय नेता बहुत ही प्रसन्न हुए लेकिन शीघ्र ही उन्हें निराश होना पड़ा। महायुद्ध के समाप्ति के बाद ही प्रधानमंत्री लायड जार्ज ने 22 नवम्बर 1918 को स्पष्ट कर दिया कि अग्रेजी सरकार की यह नीति है कि “धीरे-धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित की जावे इसके लिये हम कायवाही कर रहे हैं।” अत अग्रेजी सरकार की मत्रा अब स्पष्ट हो गई। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध में अग्रेजों की हार्दिक सहायता परों

के बाद भी भारत के सविधान में नाम-मात्र के सुधार किये गये। कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त तथा व्यथ माना। कांग्रेस ने अब पुन अपना उद्देश्य “शान्तिपूर्ण ढग से स्वराज्य की प्राप्ति” दोहराया।⁶² इसकी प्राप्ति के लिये कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाया। भारत सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के लिये नये कानून बनाये जिनमें रोलेट एकट सम्मेज्यादा दमनकारी कानून था। उस समय कांग्रेस का नेतृत्व मोहनदास कमच्चद गांधी कर रहे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए 6 अप्रैल 1919 को गाम हड्डाल करने की घोषणा की। इस कारण उस दिन भारत भर में हड्डाले, सामूहिक प्रदर्शन व साथ में कई स्थानों पर दगे भी हुए। सरकार ने इस आन्दोलन को और ज्यादा सर्ती से दबाया। गांधी 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर दिये गये। सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार अमृतसर में किया जहा 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग में एक शान्तिपूर्ण सभा पर गोलिया चलाकर सैकड़ा स्त्री, पुरुषों व बच्चों को मात्र वे घाट उतार दिया। पजाव में सैनिक कानून लागू कर दिया। भारतीय जनता में ऐसे अमानुपिक अत्याचारों के कारण अप्रेजी सरकार के प्रति तीव्र धूरण फैल गई तथा गांधीजी का अहिंसात्मक आन्दोलन लोकप्रिय हो गया।⁶³ राजस्थान की जनता पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा। यहां भी राजनीतिक विभाग द्वारा नियन्त्रित राजाओं के शासन के प्रति असन्तोष फैलने लगा तथा उसका विरोध किया जाने लगा।

राजपूताना मध्यभारत सभा

ई० सन् 1918 के दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। इससे यहां के नेताओं का अप्रेजी भारत तथा अंतर्राष्ट्रों के नेताओं से सम्पर्क हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शक्तर विद्यार्थी, विजयसिंह पवित्र, जमनालाल वजाज, चादकरण शारदा, गिरवर शर्मा, स्वामी नरसिंहदेव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से ‘राजपूताना मध्यभारत सभा’ नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चादनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई।⁶⁴ इस सभा का मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना तथा रियासत के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। इस संस्था का मुख्य कार्यालय कानपुर खाला गया जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूजीपतियों व भजदूरा का सबसे बड़ा केंद्र था। यहां से गणेश शक्तर विद्यार्थी, के सम्पादकत्व में ‘प्रताप’ नामक साप्ताहिक भी प्रकाशित होता था। यह पथ इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्रीय पथ था। राजस्थान के राजनीतिक जीवन

के निर्माण में इस पत्र ने अभूतपूर्व कार्य किया। सभा के सदस्यों ने इस सभा वो कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की पहले कोशिश की लेकिन वे विफल रहे। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (सन् 1920) के ममय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था भान ली गयी।⁶⁵

मन् 1920 में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ तब राजपूताना मध्य भारत सभा वा भी अधिवेशन 29 दिसम्बर को हुआ। या अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणी केलवर चुने गये थे लेकिन कुछ कारणावश वह नहीं आ सके। अत जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्व सम्मति से सभापति चुना गया।⁶⁶ इस सम्मेलन में रियासतों के प्रतिनिधि काफी संस्था में थे। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि रियासतों वे शासकों को अपनी-अपनी रियासत में शीघ्र उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया जावे। यह भी मात्र वी गयी कि कांग्रेस के संगठन में ऐसा परिवर्तन किया जावे कि जिससे देशी रियासतों की जनता वो भी उससे प्रतिनिधित्व मिले।⁶⁷

फरवरी सन् 1920 में सरकार ने महात्मा गांधी के चलाये आन्दोलन से तग आकर देश के राजनीतिक बातावरण को शात करने के लिये काफी राजवादियों वो छोड़ दिया। भूपसिंह, जो नाम बदलवर विजयसिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हो गये थे, वा गिरफतारी वारण्ट रद्द कर दिया गया। राजस्थान के अंग आन्तिकारी—अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह वारहठ, गोपालसिंह आदि छोड़ दिये गये। इन लोगों ने अजमेर में मार्च सन् 1920 में ‘राजपूताना मध्य भारत सभा’ का अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किया। बजाज वर्धा में व्यापार बरते थे तथा वहाएक राष्ट्रीय पाठशाला चलाते थे। अत वहाएसे राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए ‘राजस्थान केसरी’ नामक पत्र ई० सन् 1920 की अक्टूबर 22 से निकाला जाने लगा। इसका सम्पादक विजयसिंह पथिक तथा प्रकाशक एक दूसरा राष्ट्रीय कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी बनाये गये। इस पत्र के लिए आधिक सहायता मुख्य स्प से जमनालाल बजाज ने की। ‘राजस्थान केसरी’ ने प्रारम्भ से ही किसानों व मजदूरों के ममयन वी नीति अपनाई। इसको मारवाड़ी पूजीपतियों ने पसन्द नहीं किया। राजस्थान के जन आन्दोलन के नेतृत्व पर भी जमनालाल बजाज आदि पूजीपतियों से पथिक की नहीं बनी। अत वह ई० सन् 1921 में राजस्थान लौट आये और अजमेर से उसने ‘नवीन राजस्थान’ नामक पत्र निकालना आरम्भ

किया। बाद में इस पत्र का नाम 'तरण राजस्थान' रख दिया गया।⁵⁸ राजपूताना मध्यभारत सभा 1920 के पश्चात् सनिय नहीं रह सकी।

ई० सन् 1920 में सेवर की सधि के कारण तुर्की का साम्राज्य छिन-भिन्न हो गया। इस सधि में अग्रेजो का मुराय हाथ था। भारत के मुसलमान तुर्की साम्राज्य की समाप्ति का मुराय दोप अग्रेजो पर डालकर अग्रेजो के विरोदी हो गये और यहाँ इनके विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन चलाया। सितम्बर 1920 में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में, खिलाफत व पजाव के मामला में अग्रेजो द्वारा कोई पश्चाताप न किए जाने के कारण राष्ट्रीय इज्जत को बनाये रखने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करना आवश्यक मानकर, अग्रेजी सरकार के विरुद्ध अर्हिसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाने का कायकम अपनाया। कांग्रेस व खिलाफत समिति ने सयुक्त रूप से तथ किया कि माटम्यू चेम्फाइ मुधारो के अन्तर्गत होने वाले चुनावों का वहिष्कार किया जावे तथा अग्रेजो द्वारा दी गई पदविया को लोटाया जावे, सरकार तथा उसकी मस्वाओं का, उसके कर्मचारियों, द्यात्रों, बरीलों आदि द्वारा वहिष्कार किया जावे। इस प्रकार हिन्दुओं व मुसलमानों ने पहली बार एक हाकर ई० सन् 1921 के इस महान आन्दोलन में भाग लिया। इसके कारण अग्रेजा को भय हो गया कि कही उनका भारत से साम्राज्य ही समाप्त न हो जावे। अग्रेजो ने इस आन्दोलन को बुरी तरह से दबाया। 'राजद्रोह वैठक अविनियम' लागू कर हजारा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन्ह सरत मजाए दी गई।⁵⁹

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् रियासतों के राजनैतिक वातावरण म परिवर्तन आया। अब अप्राकृतिक सीमावन्दी समाप्त होने लगी। जनता में असतोष व्याप्त हो गया। अब वे सर्वेवानिक सुधारों की माग करने लगे तथा नागरिक अधिकारों की भी माग करने लगे। कम से कम अग्रेजी भारत में जनता द्वारा उपभोग किये जाने वाले अधिकारों को तो चाहने ही लगे।⁶⁰ अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ देशी रियासतों की प्रजा के भी सम्मेलन होने लगे। सन् 1924 में भारतीय रियासतों की प्रजा के सम्मेलन में, जो बेलगाव में एन०सी० केलकर की अध्यक्षता में हुआ अध्यक्ष ने कांग्रेस को देशी रियासतों के मामलों में पूर्ण रूचि लेने की अपील की।⁶¹ सन् 1927 में देशी रियासतों के कुछ प्रतिनिधियों ने बम्बई में इकट्ठे होकर अविल भारतीय प्रजा परिषद वा अधिवेशन 17 दिसम्बर 1927 को किया। लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।⁶² इस अधिवेशन की अध्यक्षता रामचन्द्र राव ने की।

अग्रेजी भारत के जन आन्दोलनों से भारतीय नरेश घबरा गये। वे यह कहने लगे कि यह असहयोग आन्दोलन आगे चलकर हिंसात्मक आन्दोलन हो जायेगे। जनता के हाथों में सत्याग्रह रूपी हथियार धातक सिद्ध होगा।⁶³ तब ही मोतीलाल नेहरू ने राजपूताना मध्यभारत तथा अजमेर मेरवाडा के राजनैतिक सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुये राजाओं से कहा था कि “वे असहयोग आन्दोलन से घबराये नहीं क्योंकि यह उनके विरुद्ध न होकर केवल अग्रेजी सरकार के विरुद्ध चलाये जा रहे हैं। देशी रियासतों की प्रजा व राजाओं के बीच आपसी सहयोग बना ही रहना चाहिये और इसी में दोनों का भला है। यदि असहयोग आन्दोलन रियासतों में चलाया जायेगा तो इसे जनता का ही अनिष्ट होगा।”⁶⁴ यह सब कुछ होते हुये भी रियासती जनता पर इन आन्दोलनों का प्रभाव पड़ा और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गयी।

राजस्थान भी इस आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहा। जोधपुर में एक सत्याग्रही भवरलाल सरफाफ हाय में तिरगा भण्डा लेकर फिरा जिसके एक और ‘महात्मा गांधी’ तथा दूसरी और ‘स्वराज्य’ लिखा था। उसने वाजार में व्याख्यान भी दिया जिसे जनता ने बड़े प्रेम व उत्साह से सुना।⁶⁵ टोक राज्य की जनता ने एक सभा कर काग्रेस से पूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित की और असहयोग आन्दोलन का अनुमोदन किया। वहाँ के अग्रेज पुलिस अध्यक्ष ने उनके नेताओं—मौलवी अब्दुल रहीम, सेयद जुवेर मिया, सेयद इस्माइल मिया, काजी महमूद अर्यून आदि को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 70 ग्राम व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिये गये।⁶⁶ जयपुर राज्य के जमनालाल वजाज ने अपनी ‘रायवहादुर’ की पदबी लौटा दी तथा एक लाख रुपये ‘तिलव स्वराज्य फण्ड’ में दिये और उसी समय मुस्लिम नीग को 11,000 रु० तथा खिलाफत समिति को 10,000 रु० भी दिये। वजाज, अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की 15 सदस्यों वाली कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी बनाये गये।⁶⁷ उसके बाद तो वह गांधीजी के बहुत ही निकट आ गये। वजाज की देखादेखी राजस्थान के दूसरे मारवाड़ी व्यापारियों ने भी इस आन्दोलन में काग्रेस का साथ दिया। इसमें वाँग्रेस को बाकी आर्थिक सहयोग मिला।

बीमानेर में राजनैतिक जागृति ना आरम्भ सन् 1920 के लगभग हुआ। इस रियासत में जनता को अपने विचार प्रकट करने की कम ही स्वतंत्रता थी। अपने मौलिक अधिकारों कि माग करना यहाँ अपराध माना

जाता था। धीरे धीरे जब यहां भी अग्रेजी प्रातो से असहयोग आदोलनों की हवा आने लगी और जनता में रियासती शासन के प्रति असतोप फैनना आरम्भ हुआ तो महाराजा ने बीकानेर सावजनिक सुरक्षा अधिनियम 4 जुलाई 1932 से लागू कर दिया जो मार्शल लॉ की भाँति ही कठोर था। यो उस समय बीकानेर में कोई सोचता ही नहीं था कि यहां कोई हिंसात्मक आदोलन होगे। यहां का प्रेस एकट बड़ा बठोर था जो समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन पर काफी प्रतिवध लगाता था। यहां की मस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के अविनियम के अनुसार अनायालयों, विधवाश्रमों आदि का भी पजीयन होना अनिवार्य था। राजनीतिक सम्प्रदायों के पजीयन का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। जनता में यह आम धारणा थी कि उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है और वे एक जेल में रहते हैं।⁶⁸

सन् 1921 में बीकानेर में मुक्ताप्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा शुद्ध खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भण्डार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये ताकि जनता कुछ जागत हो। चुरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ आदि में सब हितकारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के लक्ष्य को सामने रखकर संस्थाये स्थापित की गयी। इन मस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रचारित किये गये।⁶⁹

बीकानेर के महाराजा गगासिंह अपने को ज्यादा ही प्रगतिशील समझते थे। उन्होंने शिवमूर्तिसिंह, सम्पूर्णनिन्द व जानाद वर्मा को सरकारी नौकरी से हटा दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र धारण करते थे और उन्होंने राष्ट्रीय सप्ताह में कुछ चन्दा 'तिलक स्वराज्य फण्ड' के लिये जमा कराया था। जोधपुर में महाराजा के सरकार प्रतापसिंह इस आदोलन के कारण इतने बांखला उठे कि उन्होंने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरम्भ बर दिया जब कि इससे पूर्व वह दयानाद के उपदेश मान कर हिंदी भाषा व स्वदेशी माल के प्रचार के लिये बाकी प्रयत्न घरते रहे थे। अजमेर में भी अजु नलाल सेठी, चादकरण शारदा आदि ने असहयोग आदोलन में खूब भाग लिया व विदेशी माल को नष्ट किया।

उदयपुर वे महाराणा फनहर्सिंह इस आदोलन के प्रति छिपे छिपे सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार के राजनीतिक विभाग को महाराणा के प्रति पहले ही से शका बनी हुई थी। इस समय सरकार ने उन्हें आदेश

दिया कि वह या तो उनके कहे अनुसार मन्त्रीमण्डल का पुनर्गठन करे या युवराज को शासन के अधिकार सौंप कर स्वयं राजकाज से अलग हो जावे।¹⁰ महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपालसिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार संभाल दिये। युवराज ने नया मन्त्रीमण्डल अग्रेज सरकार की मर्जी के अनुसार बना लिया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अग्रेज अधिकारी ट्रैच को सौंप दिया गया। स्पष्ट रूप से अब ऐसा कोई राजा नहीं था जो अग्रेजों की हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला हो।

अग्रेजी सरकार की भारत के प्रति ऐसी दमनवारी नीति को देख कर पहली फरवरी 1922 मे “सरकारी अव्यवस्था तथा अत्याचार” के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आन्दोलन चलाने की सूचना गांधी ने सरकार को दी।¹¹ अब गांधी केवल जनता का नेता ही नहीं रहे बतिक वह महात्मा बन गये थे। अत जागरूक भारतीय जनता गांधी के इस प्रस्तावित आन्दोलन मे पूर्ण जोश के साथ भाग लेने को तैयार हो गई। अग्रेज यह देखकर घबरा गये और वे यह सूचने लगे कि भारत उनके हाथ से जाने वाला है। वे कहने लगे कि “हिन्दुओं मे माता के स्थान पर गांधी की पूजा होने लग गयी है।”¹² आन्दोलन की तैयारी जोर पकड़ ही रही थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा स्थान पर 5 फरवरी को एक हिंसात्मक घटना हो गई जिसमे आन्दोलनकारियों की एक रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर आत्ममरण कर 21 पुलिसमेना व एक थानेदार को जला दिया। अत महात्मा गांधी ने जनता को अहिंसात्मक आन्दोलन के लिये तैयार न मानकर इस आन्दोलन को बाद करा दिया। जनता मे इससे गांधीजी के प्रति काफी रोप फैल गया और कई नेता गांधी के विरुद्ध हो गये। यह देख कर सरकार ने माच 13 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हे छ वप की सजा दे दी। बाद मे अस्वस्थता के कारण उन्ह करवरी 1924 मे छोड़ दिया गया।¹³

इस आन्दोलन ने जनता को राजनीतिक सघण का एक नया तरीका बतलाया और लोगों को अहिंसात्मक नान्ति के लिये तैयार कर दिया। लोगो मे आत्मविश्वास जगा। अब उनके हृदया से अग्रेजी सरकार की अपार शक्ति का भय जाता रहा। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा। खादी राष्ट्रीय देशभक्तों वा पहनावा हो गया। काग्रेस जनता की संस्था बन गई। इसके साथ ही इस आन्दोलन के समाप्त होते होते हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य भी ज्यादा बढ़ गया। तुर्की के जिस खलीफा के लिये मुसलमान अग्रेजों के

आदोलन कर रहे थे, वही तुर्की के कमानपाणा द्वारा अपने देश में भगा दिया गया और उसने अग्रेजों दी शरण ले ली। अत मुमलमानों के सरकारपरम्परा नेता राष्ट्रवादी मुसलमानों व कायेमियों के विरुद्ध प्रचार बने रहे कि ये आन्दोलन हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने के लिये किये जा रहे ह। अग्रेजी सरकार हिन्दू-मुस्लिम विरोधी भावना भड़काने में ही अपना हित समझती थी। अन अनेकों स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम दग हुए जिससे आपसी मौहाद भाइ प्रिलबुल समाप्त हो गया। अजमेर में 1923 में भीपण हिन्दू-मुस्लिम दग हुआ जिसमें कई हिन्दू मारे गये। रवाजा माहूर की दरगाह पर भी सेना दो गोली चलानी पड़ी। अजुनलाल सेठी घायल हो गये और चाँदाररगा जारदा को अजमेर छोड़ना पड़ा।⁴

राजस्थान सेवा सघ

फरवरी 1921 में राजस्थानिया में सगठन एवं राष्ट्रीयता के भावों की वृद्धि करने तथा राजनीतिक वायकलापों को और वढ़ावा देने के लिये राजस्थान में विजयभिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हिन्दिभाई किकर के प्रयत्नों से “राजस्थान सेवा सघ” की स्थापना की गई। पथिक इनके अध्यक्ष तथा चौधरी मंत्री बने। इस सघ के सदस्य वही हो सकते थे जो अपने कुल समय तथा शक्ति से राजस्थान की सेवा करने का व्रत लेते थे। प्रत्येक सदस्य अपने तथा अपने आधिकारिकों के लिये एक सी रपये मासिक से ज्यादा खर्चा नहीं ले सकता था। विजयसिंह पथिक ने तो अपना खर्चा वाकी समय तक आठ रपये मासिक तक ही सीमित रखा था।⁵ इसके मुख्य कार्यकर्ता थीमती अञ्जनादेवी, मारणकलाल वर्मा, नानूराम व्यास, शोभाराम गुप्त, लादूराम जोशी आदि थे जो सामाजिक तीस रपये मासिक खर्चा लेते थे। सघ की शाखाएँ—जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, कोटा, खेतडो आदि स्थानों पर स्थापित हुईं। जोधपुर में ‘मारवाड़ सेवा सघ’ के अलावा ‘मारवाड़ हितकारिणी सभा’ ई० सन् 1915 से काम कर रही थी। इसका सगठन चाँदमल सुराणा ने मारवाड़ के लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक हितों के रक्षार्थ किया था। ई० सन् 1920 से इसका सचालन जयनारायण व्यास के हाथों में आया। उनके समय में इसकी सदस्य संख्या 10,000 तक पहुंच गई। राजनीतिक क्षेत्र में तब से ही वह प्रसिद्धी पा गये और ‘लोकनायक’ कहलाने लगे।⁶

भील आदोलन

इसी समय उदयपुर राज्य के भोमट क्षेत्र में भोतीलाल तेजावत ने भील स्तोगों में सेवा कर उनको जागृत किया। सन् 1922 में उसके नेतृत्व में वहे

लगान को कम करने, बेगार न लिये जाने, महाजन, ग्रेहरो आदि द्वारा अनुचित व्याज न लिये जाने के विरुद्ध जो आनंदोलन चला वह शीघ्र जोधपुर, सिरोही, दीता, पालनपुर व ईडर तक फैल गया। सरकार ने इसको दबाने में कोई कम प्रयत्न नहीं किये। जोधपुर राज्य के सुमेरपुर के आसपास के गाँवों में भीलों व गिरासियों को दबाने के लिये 7 फरवरी 1922 को जोधपुर में मरदार रिसाले के दो दल भेजे गये। भीलों व गिरासियों ने सेना के डर से लगान देने का इकरार लिख कर दे दिया। उदयपुर राज्य के अग्रेज सेना अधिकारी भेजर सटन ने भोमट व कोटडा में भीलों पर गालिया चलवाई जिससे लगभग 200 व्यक्ति मारे गये। भीलों के दो गाँव—भूला व वालोलिया (सिरोही राज्य) जला दिये गये। मोतीखाल तेजावत को अज्ञातवास में जाना पड़ा और 7 वप बाद जब वह देशी राज्य नोक परिपद की व्यवहार में होने वाली वैठक में उपस्थित हुए तब अपने साथियों की सलाह से उन्होंने उदयपुर राज्य की आत्ममरण कर दिया। इसके बाद उह 7 वर्ष जेल में तथा 1947 तक नजरबन्द के रूप में रहना पड़ा।⁷

किसानों का आनंदोलन उदयपुर राज्य के बेगू ठिकाने में तथा बून्दी राज्य के कुछ गाँवों में भी उग्र रूप से फैला। बेगू में तो माल अधिकारी ट्रैक स्वयं गाँव जनाने के लिये मिट्टी के तेल के पीपे, पुलिस आदि को लेकर गया और गाँवों में आग लगवा दी। पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी नगा बर पीटा गया। लगभग 500 व्यक्तिया, जिनमें लगभग 100 बच्चे थे, बुरी तरह सताये गये। जनता से तग आकर 4 जुलाई 1923 को ठिकाने को समझीता करना पड़ा। किसान आनंदोलन के फलस्वस्प बेगू राव को लगभग 3 वप तक उदयपुर में नजरबन्द रहना पड़ा। 1 मई 1926 में उसे पुन श्रविकार मिले तभ वह 2 मई को बेगू गये।⁸

मेवाड़ के किसान आनंदोलन के कारण परिवर्तन व वर्मा के अलावा हरिभाई बिंकर वो जेल जाना पड़ा। रामनारायण चौधरी, सीताराम दास साधु, प्रेमचंद भील पर मुकदमे चले। परिवर्तन, चौधरी, हरिभाई दिनकर व हरिभाऊ उपाध्याय मेवाड़ से निर्वासित किये गये। इससे उदयपुर राज्य के अलावा बून्दी, कोटा, सिरोही आदि राज्यों के किसानों में बाकी असतोप फैल गया। राजस्थान के बाहर के समाचारपत्रों ने इस असतोप व अमानुषिकता का खूब प्रचार किया। यह देयकर सरकार ने राज्यों में ऐसे प्रचार को रोकने के लिये सितम्बर 1922 में 'भारतीय राज्यों में असतोप विरोधी अधिनियम' लागू

कर दिया। इस अधिनियम वो लागू करने का अग्रेज मरवार का मुख्य उद्देश्य राजाओं के हाथ मजबूत करना था तथा उनकी टज़ित बनाये रखना था। इस अधिनियम से राजाओं के विरुद्ध कुछ भी छापना या प्रकाशित करना अपराध माना गया। जिसकी सजा 5 वर्ष तक की केंद्रीयी थी। इस अधिनियम के बारे में अग्रेजी पार्लियामेट में भी वाकी विरोध हुआ। भारतीय नेताओं व समाचार पत्रों ने भी इसका विरोध किया।⁷⁹ इसी वय विजोलिया के किसानों के संगठित सत्याग्रह वी सफ़तता तथा उसका प्रभाव पड़ोसी राज्य में बढ़ता देखकर, भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के द्वारा से उदयपुर राज्य ने किसानों व ठिकाने के बीच पट कर समझौता करा दिया। किसानों वी अधिकतर मार्ग मान ली गई। किसान आन्दोलन के कारण राजस्थान मेवा सघ के ज्यादातर कार्यकर्ता दिसम्बर 1923 तक गिरफ्तार कर लिये गय। ज्यादातर गिरफ्तारिया उदयपुर राज्य में बी गई। मुकदमा चलाने के बाद मेवाड़ प्रवेश नियंत्रण लगाकर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। विजयसिंह पथिक पर वेगु आदोलन के सिलसिले में राजद्रोह का अपराध लगाया गया और उसका मुकदमा साटे तीन वप तक चलता रहा। इस कारण लगभग साढ़े तीन वप तक नजरबन्द रहने के बाद वह ई० मन् 1927 में छोड़ा गया।⁸⁰

ई० सन् 1924 में यहाँ के राज्यों की आर्थिक स्थिति नराव होने लगी। राजाओं के निजी खच तथा शामन प्रवाद वे खन काफी बढ़ गये थे। व्यापार में मन्दी चल रही थी। अत विभिन्न राज्यों में भूमि कर लगान बढ़ाया जाने लगा। पशुधन बाहर भेजे जाने लगा। इससे किसानों व जनता में व्रस्तोष बढ़ गया और आदोलन किये जाने तागे। इस वप जत्र मारवाड़ में मादा जानवरों (गाय, भेड़ व बकरी) की निकासी ज्यादा ही होने गई तब वहाँ की जनता ने निकासी रोकने के लिये १८ की ओर⁸¹ गाडियों के सामने धरना दिया। इस⁸² १८८५ | १८८६

15 अगस्त 1924 से मादा पशुओं की निकासी⁸³ १८८७

की आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी⁸⁴ नी⁸⁵

साथ 1925 में इंग्लैण्ड⁸⁶ १८८८

सरकार ने इस आन्दोलन से पवा⁸⁷ १८८९

व्यास, चादमल सुराणा⁸⁸ १८९०

जयनारायण व्यास तथा⁸⁹

सम्पादक बन गये जिसके माध्यम से राज्य प्रशासन के विस्तृद्व प्रचार अभियान चलाया। बाद में दिसम्बर 1925 में सभी राजनीतिक वार्यकर्ताओं को माफी दे दी गई।⁸¹

ई० सन् 1925 की 14 मई को अलवर राज्य के निरकुश शासन के विस्तृद्व उम्मेदों एवं गाव नीमूचाणा के किसानों ने विराट प्रदर्शन किया। अलवर नरेश जयसिंह अग्रेजों वा वडा भक्त बना हुआ था। उसने अग्रेज सरकार से इष्टारा पाकर वहां के ग्रामीणों को गोलियों से भुन दिया। पचास स्त्री-मुरुरु मारे गये व सैकड़ों भोपडे जला दिये गये। राज्य की ओर से पीडितों की कोई महायता नहीं दी गई। महात्मा गांधी ने इस काण्ड को जलियावाला बाग काण्ड से भी अधिक बीभत्स बतलाया। सभी भारतीय भमाचार पत्रों ने इस काण्ड की ओर निन्दा की।⁸²

जयपुर राज्य के शेखावटी व खेतडी के जागीरी क्षेत्रों में भी किसानों ने जागीरदारों में तग आकर ई० सन् 1925 में प्रदर्शन किये लेकिन उनका निर्दियतापूर्वक दमन किया गया। किसानों को धोड़ों की पूँछों से बाध कर दी गया। किसान नेताओं को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। देगार व ऊची उगान दरे व लाग त्रागे नी जाती रही।⁸³

अप्रैल 1926 में जोधपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुखदेवप्रसाद के स्वेच्छाचार तथा चरित्रहीनता से तग आकर जोधपुर की जनता ने जयनारायण व्यास तथा भैंवरलाल सरफि के नेतृत्व में एक आदोलन किया। यह माग की गई कि प्रधानमन्त्री को हटाया जावे तथा शासन में सुधार किये जावे। इस आदोलन के बारण भैंवरलाल जेल में डाल दिया गया लेकिन अन्त में राज्य ने प्रधानमन्त्री को हटा दिया और प्रशासन में सुधार किये।⁸⁴

जयपुर राज्य में भी असातोप काफी फैला हुआ था। यह असातोप तब फूट पड़ा जब वहां के एक तांगे वाले दो एक पुलिसमेन ने पीट दिया। इस पर वहां की जनता न पहली सितम्बर 1927 को विशाल प्रदर्शन किया तथा 5 दिन तक हड्डनाल रखी। जनता पर लाठियों की वर्षा की गई लेविन जनता ने परवाह नहीं की। इस ग्रवसर पर उन्होंने अपराधी पुलिस कर्मचारियों को सजा देने, राज्य की मन्त्री परिपद में जनता के दो प्रतिनिधि लेने तथा राज्य की आर्थिक स्थिति की जाच करने के लिये एक ममिति म्यापित करने की माग की।⁸⁵

उदयपुर राज्य में नया भूमि बन्दोपस्त (1926) हो जाने पर भूमि का लगान वटा दिया गया। पुरानी लाग वागे पहले की तरह ही चलती रही। उदयपुर राज्य का प्रधानमंत्री अब सुखदेवप्रसाद बन गया था। जोधपुर की तरह ही वह यहां भी किसानों को दबाने लगा। विजोलिया में समझौते के अनुसार किसानों की मागे पूरी नहीं की जा रही थी। अत यहां के लगभग 800 किसानों ने भूमि से स्तीका दे दिया।⁸⁶ राज्य ने ये जमीनें महाराजनों, हरिजनों और जागीरदारों को नीलाम कर दी। ई० सन् 1927 में पथिक छुट गये थे लेकिन उसे उदयपुर राज्य में घुसने की मनाही थी। अत वह गवालियर राज्य से किसान आन्दोलन चलाने लगे। राज्य ने विजोलिया के किसानों का पुन दमन किया। इस सत्याग्रह में माणिकलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा आदि बुरी तरह परेशान व अपमानित किय गये। अत मे जमनलाल वजाज ने अजमेर के काग्रेसी नेता हरिभाऊ उपाध्याय का उदयपुर राज्य व विजोलिया के किसानों के बीच समझौता कराने भेजा। उन्हें राज्य से मिलकर ई० सन् 1929 में समझौता करा दिया। यह व्यान देने की बात है कि 1927 में ही रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, विजयसिंह पथिक व माणिकलाल वर्मा के बीच कुछ निजी कारणों से मतभेद हो गये थे। इस कारण इस समझौते से किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आपसी मतभेद के कारण राजस्थान सेवा सघ जैसी तजस्वी संस्था का विघटन हो गया।⁸⁷ इसके बाद ही विजोलिया का खादी उत्पादन केंद्र जयपुर राज्य में गोविंदगढ़ ले जाया गया। अब तक चर्चा सघ द्वारा खादी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना राजस्थान के बईं गावों में भी हा चुकी थी। अत इसके साथ ही राष्ट्रीय भावना का प्रचार भी बराबर होता रहा।

ई० सन् 1929 में जयनारायण व्यास तथा उसके नायिया न गावा में राजनतिक चेतना लाने के लिये मारवाड हिन्दूरियों सभा का एक मम्मेलन बुलाने के लिये व्यावर के आमपास के जागीरी गावो—बलुन्दा, वगडी, रायपुर आदि मे प्रचार आरम्भ किया। महाराजा को जब यह पता चला तो उहोन 12 सितम्बर का परिपद पर रोक लगा दी। व्यास ने इस कारण 'तरुण राजस्थान' मे एक लेख लिखकर जोधपुर के महाराजा उम्मेदसिंह के विरुद्ध काफी लिखा और इस लेख की प्रतिया जोधपुर भेजी जिनको भौवरलाल मर्राफ ने नगर मे बाटा। सितम्बर 10 को जयनारायण व्यास व आनंदगाज मुराणा ने व्यावर मे एक सभा बुलाकर महाराजा के विरुद्ध भापण भी दिये।

तर ही एक पुस्तक “पोपावाई की पोल” नाम से बटवाई गई जिसमें महाराजा के शासन के विरुद्ध काफी व्यग्य था। अत जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराणा व भैंवरलाल मर्फाक के विरुद्ध राजद्रोह वा अपराध लगाया जाकर उन्हें राज्य की जेल में डाल दिया गया।⁸⁸

नई राजनीतिक स्थायें

सन् 1927 में विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ‘अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद’ के नाम से एक संघ स्थापित की। इसका प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसम्बर 1927 को वर्माई में किया गया जिसमें भारतीय प्रान्तों व देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ राज्य की स्थापना कर, संघ परिपद में देशी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि लेने की मांग की गई। इसमें नेनूराम (कोटा), शकरलाल शर्मा (अजमेर), जयनारायण व्यास व कन्हैयालाल बलयश्वी (जोधपुर), रामदेव पोद्दार व वानकिशन पोद्दार (बीकानेर) और त्रिलोकचन्द माथुर (करोली) कायकारिणी के सदस्य लिये गये। विजयसिंह पथिक वो उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी वो राजस्थान और मध्यभारत के लिये प्रान्तीय सचिव बनाया गया। इस परिपद की स्थापना से राज्यों में राजनीतिक चेतना की प्रगति पर बहुत प्रभाव पड़ा।⁸⁹

ई० सन् 1924 में पथिक की गिरफ्तारी के बाद ‘राजस्थान सेवा संघ’ का काय मन्द पड़ गया था। कायरेस में अब तक दो दल हो गये थे जिनमें एक दल गांधीवादियों का था जिसका नायक जमनालाल बजाज था। उसका स्थानीय प्रतिनिधि हरिभाऊ उपाध्याय था। कायरेस के दूसरे दल का नेतृत्व अर्जुनलाल सेठी कर रहो था। उसकी अजमेर व व्यावर की शाखा में कुछ काम हो रहा था लेकिन पुष्कर, कोटा, करोली, जोधपुर आदि की शाखा नाम-मान्न को थी। इन दोनों दलों में पारस्परिक सहयोग का अभाव था। ई० सन् 1927 में बैंद से छूटने पर पथिक को महात्मा गांधी ने सायरमती बुलाया। गांधीजी की इच्छा थी कि पथिक जमनालाल बजाज के पथ-प्रदर्शन में राजस्थान में बाम करे लेकिन पथिक नहीं माने। वह केवल सहयोग रखने को तयार थे। अत दोना दलों में भीतरी मत-भेद बढ़ता ही गया। सेवा संघ शीघ्र ही समाप्त हो गया। अर्जुनलाल सेठी तथा हरिभाऊ उपाध्याय के दीच में भी दल का चुनाव युद्ध छिड़ गया। दोनों आर से वही प्रकार की अवाद्यनीय कार्रवाइया हुई। अन्त में सेठी को हार खानी पड़ी।⁹⁰ उसका राजनीतिक जीवन ही समाप्त हो गया। प्रान्तीय कायरेस में गांधीवादी दल की प्रधानता

हो गई नेविन किर भी पारस्परिक भत्तेद समाप्त नहीं हुए। अत कांग्रेस मगठन उतना शक्तिशाली न हो सका जितना कि होना चाहिये था।

नरेन्द्र मण्डल

वायमग्रय लॉड लीटन का प्रस्ताव था कि सरकार की सहायता के लिये भारत के गड़े-गड़े राज्यों के नरेशों की भारतीय प्रिवी कॉमिल उनाई जाने लेकिन उमके समय में यह नहीं हो सका। बाद में लॉड बर्जेन ने यह घोषणा की कि भारतीय मान्मान्य सगठन में देशी नरेशों का महत्वपूर्ण स्थान है। अत देशी नरेशों की बौसिल स्थापित की जावे लेकिन वह भी अपने विचार राय-न्प में परिणित नहीं कर सका। इसी प्रकार लॉड मिष्टो ने भी एक शाही मनाहकार परिपद बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ के राजाश्रों ने इतना दिल खोल कर अप्रेजों की सहायता की थी कि त्रिटिंग मरकार ने यह उचित समझा कि राजाश्रों की आवाज बुलाद बरने के लिये बोई मम्था हो। अत उमके आदेश से वायसराय लॉड चेम्सफोड ने ३० मं १९१६ में नरेशों का सम्मेलन बुलाया। युद्ध के बाद साम्राज्य की पहली युद्ध परिपद तथा बाद में वासई की सन्धि परिपद में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि वे स्प में बीकानेर नरेश गगासिंह को भेजा गया।^१ "म प्रकार 'भारतीय राजनीतिक द्वेष' में नरेशों का महत्व बढ़ने लगा।

३० मं १९१९ में माटेग्यू-चेम्सफाड रिपोर्ट में उल्लाया गया कि नरेशों की एर परिपद होना आवश्यक है क्याकि "ऐसे अनेक प्रश्न आ जाते हैं जो या तो गामायत देशी राज्यों से सम्बन्धित होते हैं या समस्त साम्राज्य और अप्रेजी भारत एवं देशी राज्यों पर समान अमर डालने वाले होते हैं। वायमराय एमे मामना पोंगामिल वे पास भेजे और राजाश्रों के विचारपूर्ण बाद दिवांग ग मरकार नाम उठावे।" इसी वय देशी नरेशों का एर सम्मेलन जिसमें उपर्युक्त प्रभावों पर विचार कर ऐसी आसिन वा नाम 'नरेशों प्रस्ताव' पारित किया गया। इस प्रस्ताव को अधिनियम पर लिया। अत १९२१ की ८ फरवरी को 'हृषा'^२

नरेन्द्र मण्डल में १२० गदम्य—

पांच तथा छाप १२ द्वितीय श्वलों के १२७ नं
शाला थे। छाप ३२७ गज्या या कोई प्रतिनिधि
यारण थाएँ। गार्जुग, जाया य ..

18 राज्य प्रथम थेरेणी में आ गये थे। इसका अधिवेशन प्रतिवय जनवरी या फरवरी में दिल्ली में होता था। इसकी अध्यक्षता वायसराय करता था लेकिन उसकी अनुपस्थिति में चासलर करता था जो प्रतिवर्ष नरेन्द्र मण्डल द्वारा चुना जाता था। मण्डल द्वारा उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता था जिनकी वायसराय स्वीकृति देता था। ई० सन् 1927 तक इसका अधिवेशन बन्द करने में होता था लेकिन 1928 से खुला अधिवेशन होने लगा। मण्डल द्वारा एन् स्थाई समिति, जिसमें चार भद्रस्य होते थे, चुनी जाती थी। इनमें राजस्थान, बम्बई, मध्यभारत तथा पश्चिम के राज्यों का एक-एक सदस्य होता था। स्थाई समिति की बैठक वर्ष में दो या तीन बार होती थी।⁹³

नरेन्द्र मण्डल के बत्तव्य व अधिकार, नरेन्द्र मण्डल की स्थापना के समय सम्राट् की ओर से की गई शाही घोषणा में बतला दिये गये थे—

“वायसराय नरेन्द्र मण्डल से उन मामलों पर सलाह लेंगे जो सामान्यत देशी राज्यों से सम्बन्धित होंगे और जिनका प्रभाव देशी राज्यों तथा अंग्रेजी भारत या मेरे साम्राज्य के अन्य भागों पर सम्मिलित रूप से पड़ता हो। किसी राज्य विशेष अथवा देशी राज्यों के नरेशों के व्यक्तिगत मामलों या किसी राज्य विशेष आंदोलन के सम्बन्धी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। राज्यों के बत्तमान दण और उनके बाय की स्वतन्त्रता में इससे कोई वाधा नहीं पड़ेगी।”⁹⁴

नरेन्द्र मण्डल में कठिनाई से 50 सदस्य ही भाग लेते थे और ये सदस्य भी मध्य भवन में कम ही बैठते थे। राज्यों की प्रजा का न तो प्रतिनिधित्व या और न उनके हितों के लिये कोई बात ही की जाती थी। कोई भी पारित प्रस्ताव उपस्थित या अनुपस्थित सदस्यों पर विना उसकी स्वीकृति के लागू नहीं हो सकता था।⁹⁵ अत यह केवल सलाहकार संस्था बन कर रह गया। इस प्रकार नरेन्द्र मण्डल की स्थापना के कारण 562 राज्य आपस में बैठ गये। बड़े राज्य छाटे राज्यों से अलग हो गये। अत नरेन्द्र मण्डल के कारण राजाओं में सगठन होने के बदले विघटन हो गया।⁹⁶ भारत के पाच राज्यों के नरेश ही नरेन्द्र मण्डल में ज्यादा रुचि लेते थे जिनमें बीकानेर व अलवर नरेश मुख्य थे।

इस समय जन आनंदोलन तेजी से चल रहे थे जिनका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। अत नरेन्द्र मण्डल का इस और विशेष ध्यान गया और उसने यह प्रयत्न किया कि देशी राज्यों का भारत सरकार तथा प्रिटिश

गरवार में ग्राम्य में पर्गे गजाओंगा गम्भीर है इमारा गुनामा हो जाय। यो गजामा में अपनी वान्निंग स्थिति दिखो गई भी नहीं। उस रक्त में गजनीतिक आदोभाना पा लिचार पर व पुछ नाम उठाया जाता थे। अत फिल्में ही नरेषा ने यह माँग की कि मर्योच्च मत्ता में माय उनके गम्भीर का गुनामा होना आवश्यक है और उसे गुनार ही धरवार छापा जानिय। राजामा की एमी इच्छा पा र्यान पर यायमराय न गजामा के प्रतिनिधिया की एवं वैठा मई 1927 म तुनाई। इम वैठा म यह निषय निया गया कि ए निमिति राजामा के भारत मरवार पर्या श्रिटिंग मरवार में गम्भ गा री जान के निये नियुक्त की जाए।¹⁰

बट्टर जाच समिति

देशी राज्यों तथा श्रिटिंग मरवार के गोत पर्या गम्भीर थे, इमरा उन्नेस हमे यायमराय लॉड रोहिंग के 27 माच 1926 के पत्र में मिनता है जो उमा हैदराबाद के निजाम को लिया था।¹¹ उमम यहा गया है—‘ भारत में श्रिटिंग ताज की प्रभुमत्ता मर्योच्च है आर इम पारण पोइ भी नरेष श्रिटिंग सरखार में समानता पर धातचीत परों पा अधिकार नहीं कर मकता है। उम्मी सर्वोच्चता वेवल भनद और गम्धियों पर ही आधारित नहीं है वन्ह उनसे स्वतंत्र है। विदेश नीति और विदेशी राष्ट्रों के विषय में हस्तक्षेप की वात छोड़वार भी, श्रिटिंग सरखार का यह अधिकार और वत्तव्य है कि वह ममस्त भारत में देशी राज्यों से विये गये समझौता आर मधिया पा मम्मान करते हुए शाति और सुव्यवस्था बनाये रने। देशी राज्यों की आतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का श्रिटिंग सरखार का अधिकार श्रिटिंग ताज के सर्वोच्च सत्ता से मम्बिघत है। जहा साम्राज्य के हितों का प्रश्न हो या इसी राज्य की जनता के सामाय वल्याण में उसकी मरवार के बायों से वाधा पड़ती हो तो उसके लिये कारंवाई करन पर उत्तरदायित्व सर्वोच्च सत्ता पर आ पड़ता है। आतरिक व्यवस्था का अधिकार जो देशी गज्यों को प्राप्त है वह सर्वाधिकारी सरखार के इस उत्तरदायित्व की शत पर ही निर्भर है।

सर्वोच्च सत्ता का यह अधिकार है कि वह दो राज्यों के भगडों का अथवा उसके तथा एक राज्य के धीच विवाद का निराय बर दे। यद्यपि कुछ मामलों में मध्यस्थ अदालत नियुक्त की जाती है पर उसका बायं स्वतंत्र हृष से भारत सरखार को वेवल परामर्श देना है, जिस पर निषय करने का अतिम दायित्व है। मुझे यह म्मरण कराने की आवश्यकता नहीं कि इस अधिकार को देशी

नरेणो ने सम्मिलित स्प से माटारयू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के पैरा 208 मे स्वीकार न लिया है। यह व्यर्थ है कि जिम विपय मे निणय हो चुका है उम्ब्रो दोनों दलों मे वाद-विवाद के स्प मे चलाया जाये।⁹⁹

यह पत्र देशी राज्यो तथा ब्रिटिश सरकार के सम्बन्धो को स्पष्ट करता है। इसी कारण इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस पत्र के कारण राजाओं मे काफी असन्तोष फैल गया और वे अपने तथा भारत सरकार के बीच के सम्बन्धो के खुलासे के लिये वरावर माग करने लगे। अत ब्रिटिश सरकार ने हरकूट वटलर वी अध्यक्षता मे 'देशी राज्य जाच समिति' की 1927 मे नियुक्ति की, ताकि वह भारत सरकार व देशी राज्यो के बीच के सम्बन्धो की जाच करे तथा उनके सन्तोषजनक सामजिक्य के लिये आवश्यक मलाह दे। यह केवल समिति थी। इसे कोई निर्णय लेने की शक्तिया नहीं दी गयी थी। इस समिति को परमोच्च शक्ति के साथ रियासतो के चालू सम्बन्धो वी जाच करना या तथा इसे यह सिफारिश नहीं करनी थी कि भविष्य मे कैसे सम्बन्ध हो या कैसे उनका नियमन किया जावे। फिर भी इस समिति ने अपनी रपट के द्वितीय भाग मे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतो के बीच वे वित्तीय तथा आर्थिक सम्बन्धो का उल्लेख करते भविष्य मे इस क्षेत्र मे क्या-क्या काम किया जावे के लिये सुझाव दिये थे। इस समिति ने जाच कर निम्नलिखित सिफारिशो की—

(1) वायसराय, न वि गवर्नर जनगल ताज के प्रतिनिधि के स्प मे राज्यो से सम्बन्ध रखें।

(2) ताज तथा नरेणा के सम्बन्ध विना राजाओ से सहमति लिये, अग्रेजी भारत को कोई नई उत्तरदाई सरकार को हस्तातरित नहीं किये जायें।

(3) राज्यो की परिपद बनाने की योजना रद्द कर दी जाये।

(4) किसी राज्य के प्रशासन मे हस्तक्षेप वायसराय के नियम के अनुसार ही हो।

(5) राज्यो तथा अग्रेजी भारत के बीच कोई विवाद उठ खडे होने पर विशेष समिति नियुक्त कर जाच कराई जाये।

(6) देशी राज्यो तथा अग्रेजी भारत के बीच आर्थिक सम्बन्धो की जाच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

(7) इंगलैण्ड के विश्वविद्यालयों से निकले छात्रों को अलग से भरती कर व प्रशिक्षण देकर राज्यों में राजनीतिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जावे।

(8) सर्वोच्च शक्ति रियासता की प्रभुसत्ता में सम्पूर्ण भारत के आर्यिर हित हेतु हस्तक्षेप कर सकती है।

(9) रियासतों में सर्वेधानिक परिवर्तना हेतु किये जाने वाले जन आनंदोलनों के मामले में सर्वोच्च शक्ति ऐसी मागों के प्रूग करन हेतु कार्यवाही करने के लिये सुझाव दे सकती है।

इस प्रकार बटलर समिति न बेवल राजाओं के विषय में बहुत भी सिफारिशों की लेकिन वहां की जनता के विषय में कुछ नहीं कहा। इसकी सिफारिशों ने अग्रेजी भारत तथा देशी राज्यों के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी कर दी। भारतीय नरेश समिति की इस सिफारिश से अवश्य प्रसन्न हुए कि जब भी भारत सरकार भारतीयों के हाथ में दी जायेगी तब वे उसके नियन्त्रण से बाहर रखे जायेंगे। समिति की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार राज्यों में किसी प्रकार के सुधार नहीं चाहती थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि राज्यों में उत्तरदायी या लोकप्रिय शासन हो। राजाओं को अब यह भी ज्ञात हो गया कि उनके साथ की गई सन्विधाया, जनतामें आदि रही कागज है और वे पूर्णतया ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं।

इस प्रकार इस समिति की रिपोर्ट से न तो यहां के नरेश मातृप्त हो सके और न राज्या की जनता ही। इस रिपोर्ट को न बेवल राजाओं बतिक जनता ने भी अपने लिये हितकर नहीं माना। अत बटलर समिति की रिपोर्ट का सबल बहिकार किया गया तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिये बराबर माग की जाती रही।

साईमन कमीशन

जनता में बढ़ते असन्ताप तथा अधिश्वास की भावना को कम करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन ई० सन् 1927 में जॉन साईमन की अध्यक्षता में नियुक्त कर भारत भेजा। इसके सभी सदस्य अग्रेज थे जबकि भारतीयों की माग थी कि इसके कुछ सदस्य भारतीय भी हों। अत भारतीयों ने इस कमीशन का आरम्भ से ही बहिप्रार किया।¹⁰⁰ यह कमीशन फरवरी 3 से 31 मार्च 1928 तक तथा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहा। भारत में जहां भी यह कमीशन गया जनता ने हड्डाले कर

इसका विरोध किया। अत काफी म्यानो पर लाठी के प्रहार भी किये गये तथा गोलिया चली। दिसम्बर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि विटिश सरकार एक वप के भीतर उपनिवेशिक स्वराज्य दे देवे अन्यथा कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की माग करेगी। ई० सन् 1929 के अन्त तक सरकार की ओर से बोर्ड आशवासन नहीं दिया गया। सरकार ने केवल एक गोन मेज सम्मेलन बुलाकर उपनिवेशिक संविधान का प्रारूप तैयार करवाने का कहा लेविन भारतीय नेता इससे सन्तुष्ट नहीं हुए और 31 दिसम्बर 1929 को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का ही है। उसी रात के 12 बजे पूर्ण स्वतन्त्रता का झण्डा फहरा दिया गया। 31 अक्टूबर 1929 को वाइसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार वी नीति है कि भारत को डोमेनियम स्टेट्स दिया जावे।

कांग्रेस ने तय किया कि धारा सभा के सभी कांग्रेस मदस्य स्तीफा दे देवे तथा सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस (स्वतन्त्रता दिवस) मनाया जावे। उस अवसर पर गांधीजी द्वारा तैयार की गयी घोषणा भारत भर में नगरों व गावों में जनता के समक्ष पटी जावे तथा हाथ उठाकर श्रोताओं की सहमति ली जावे। इस प्रवार प्रत्येक भारतीय को पूर्ण स्वतन्त्रता वी उद्घोषणा करनी थी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति निष्ठा तथा भारतीय स्वतन्त्रता के लिये लड़ने का प्रण लेना था। तदनुसार सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतन्त्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया तथा स्वतन्त्रता की घोषणा सभाओं में पढ़ी गई। जनवरी 30 को महात्मा गांधी ने सरकार के सामने 11 मारे रखी और सरकार को सूचना दी कि यदि ये मारे पूरी नहीं वी गई तो वह नागरिक अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करेंगे। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधीजी 12 मार्च को अपने 78 साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिये डाण्डी से रवाना हुए। इस सत्याग्रह का सन्देश तत्काल सम्पूर्ण भारत में फैल गया। गांधीजी ने अप्रैल 6 को समुद्र के किनारे से नमक उठाकर सत्याग्रह आरम्भ किया। अब तो नमक ने जनता में शक्ति भर दी। लगभग 75000 व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। उनबो सब्त सजायें दी गई तथा उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। स्त्रियों ने शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देकर तथा चखें का प्रचार करके सत्याग्रह में भाग लिया। उनबो भी गिरफ्तार किया गया तथा सजायें दी गई।¹⁰¹

राजस्थान में सत्याग्रह का केन्द्र अजमेर रहा। अबु नलाल मेठी, विजयर्सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, जीतमल लूणिया, रामनारायण चौधरी, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा आदि कई सत्याग्रही गिरफतार बिचे गये। अब राज्या के व्यक्तियों ने भी अजमेर आकर सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफतार हुए। व्यावर में अजमेर से भी अधिक जोश दिखाई दिया।

ऐसे ही बातावरण में साईमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पेश की गई जो 7 जून 1930 को प्रवाशित की गई। इसने देशी राज्यों के लिये लगभग वही बातें कहीं जो बटलर कमीशन न बतलाई थी। साईमन कमीशन ने यह सुझाव दिया कि 'भारत को एक सघ राज्य बनाया जाए जिसमें देशी राज्या व अंग्रेजी प्रातों को सम्मिलित किया जाये। उनको आतंत्रिक मामलों में स्वतंत्रता दे दी जाये। देशी राज्यों के मामलों की देखरेख वायसराय के रूप में तथा अंग्रेजी प्राता का वाय गवनर जनरल के रूप में एक ही व्यक्ति नुरता रहे।'¹⁰ इस प्रवार का सघ बनाने से ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को अपने बश में रख सकती थी तथा उनको अंग्रेजी प्रातों के विरुद्ध एक रोक भी बनाये रख सकती थी। उन्होंने जनता की आवाज तथा समय को नहीं पहचाना। उनके सामने ही रस्स के बादशाह जार तथा जमनी के बादशाह केसर को जनता द्वारा हटाये जाने का उदाहरण था फिर भी उन्होंने इस पहलू पर कर्तव्यानन्द नहीं दिया। ऐसा कर उन्होंने अनायास ही जनता को अपना प्रबल विरोधी बना लिया।

गोल मेज सम्मेलन

ब्रिटिश सरकार ने अब भारतीयों को ललचाने के लिये साईमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत का नया संविधान बनाने के लिये अंग्रेजी लोकसभा के 16 सदस्यों तथा अंग्रेजी प्राता व देशी राज्या के 73 व्यक्तियों को भारत का प्रतिनिधि बनाकर, लन्दन में एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया जो 12 नवम्बर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लन्दन में चलता रहा। इस सम्मेलन में राजाश्री ने बड़ी देशभक्तिपूण बातें की। उन्होंने इस शत पर सघ शासन में आना स्वीकार किया कि उनके सभि अधिकार सुरक्षित रहे जावेग। मुस्लिम लीग ने भी सघ शासन स्वीकार कर लिया। सम्मेलन के अन्तिम दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने नये शासन विधान की भावी योजना की रूपरेखा इस प्रकार बतलाई — 'भारत का भावी केन्द्रीय शासन एक सघीय विधान सभा के प्रति जिसमें अंग्रेजी प्रातों और देशी राज्यों के भी प्रतिनिधि सम्मिलित होंगा,

अशत जिम्मेवार होगा क्योंकि सामरिक, विदेशिक और आर्थिक मामलों में सध सभा का नियन्त्रण नहीं रहेगा। प्रातों को शासन के आतंरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जावेगी।¹⁰³

इस सम्मेलन की समाप्ति के 6 दिन बाद ही 26 जनवरी 1931 को कांग्रेस की कायकारिणी ने सदस्यों को जेल से छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी ने 17 फरवरी को वायसराय लाई इरविन से मुलाकात की और उससे समझौता 5 माच को किया। इसके अनुसार भारत को केन्द्रीय शासन में कुछ सुरक्षित विधाया को छोड़ आशिक उत्तरदायी शासन और प्रातों में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शामन मिलना था। इस समझौते पर 5 माच को हस्ताक्षर हुए और तब ही सत्याग्रह और अग्रेजी माल का वहिकार बद कर दिया गया।¹⁰⁴ समझौते के अनुसार सभी सत्याग्रही छोड़ दिये गये लेकिन आय कान्तिकारियों व तोड़-फोड़ बरन वाले गिरफ्तार सत्याग्रहियों के लिये कोई समझौता नहीं किया गया। इसी कारण इस समझौते के बाद ही 23 माच को प्रसिद्ध कान्तिकारियों—भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु वो फासी दे दी गई और उनकी लाशें गुप्त रीति से नष्ट बर दी गई।¹⁰⁵ जब जनता को इसका पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राष्ट्रकर्मियों और नवयुवकों में गांधीजी के नेतृत्व के प्रति गहरा असन्तोष फैल गया। फिर भी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह तय किया गया कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गोल मेज में केवल गांधीजी करे जबकि वायसराय ने कांग्रेस के 16 प्रतिनिधि लेने की स्वीकृति दे दी थी। देशी राज्य लोक परिषद ने भी रियासती प्रजा का प्रतिनिधि गांधीजी को ही नाया।

ई० सन् 1931 की 7 सितम्बर से शुर होने वाले द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में गांधीजी ने भाग लिया लेकिन मुस्लिम सम्प्रदायिक नेताओं और विशेष हितों के हिमायतियों ने गांधीजी की नहीं चलने दी। राजाओं के प्रतिनिधियों, जिनमें बीकानेर नरेश गगतसिंह मुग्य थे, ने प्रस्तावित मध परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को लिये जाने की माग का बहुत विरोध निया। इस सम्मेलन में ज्यादा वाद-विवाद विधान सभाओं के निर्माण के सम्बन्ध में, अर्थात् अन्य सरकारों के विषय में ही हुआ। लगभग चार माह तक सम्मेलन चला। गांधीजी के भारत में आने के बाद ही सरकार ने नये दमनकारी आनून बनाकर कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। गांधीजी तथा कई आय नेता शीघ्र गिरफ्तार कर लिये गये।¹⁰⁶ राजस्थान में भी कांग्रेस तथा इससे सम्बद्ध नौजवान भारत सभा, भारतीय सेवा दल आदि

स्थानों के कायकर्ता एकदम गिरपतार कर लिये गये। इन स्थानों की सम्पत्ति भी जब्त कर ली गई।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेबडोनल्ड ने शीघ्र ही मुसलमानों, सिक्खों, ईसाईयों, यूरोपियनों, एंग्लोइण्ट्रियनों, अछूनों तथा मराठों के लिये अलग निर्वाचक मण्डल होने की घोषणा की ताकि इन अल्प समुदायों के अधिकार सुरक्षित रह सके। इनको जनसाधारण के अनुपात से ज्यादा स्थान दिये। गांधीजी ने अछूतों को हिन्दुओं से अलग मानने का विरोध किया और इस बारण जेल में रहते आमरण उपचास किया जिसके बारण एक समझौता किया गया था कि उनके अलग मतदाता नहीं होंगे लेकिन उनको काफी ज्यादा सीटें दे दी जावेगी। अछूतों के लिये तब से हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। छूआछूत निवारण तथा हरिजनों की उन्नति के लिये हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई।¹⁰⁷

ब्रिटिश सरकार ने दिखावे के लिये गोलमेज सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक बिया। यह सम्मेलन संविधान के सिद्धान्तों को निश्चय घरने के लिये बराबरी के लोगों का नहीं था। इसमें कायेस तथा मुस्लिम नेताओं को नहीं बुलाया गया। रियासतों को इसकी वार्षिकाहियों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस बारण बिसी नरेश ने इसमें भाग नहीं लिया। उनका प्रतिनिधित्व उनके मनियों व अधिकारियों ने किया। ब्रिटिश मजदूर दल ने भी सम्मेलन में भाग लेने से भना कर दिया। गोल मेल सम्मेलन की समाप्ति के बाद 15 मार्च 1933 के ब्रिटिश सरकार ने श्वेतपन प्रकाशित किया जिसमें प्रस्तावित संविधान की पूरी व्यपरेखा दी हुई थी। इसमें साइमन आयोग की प्राय सिफारिशें थीं परन्तु इसके दूसरे भाग में केंद्र की सधीय भारत की योजना थीं जो कुछ शर्तें पूरी जाने पर कार्यस्प में आनेवाली थीं। शर्तें यह थीं कि राज्यों की एक निश्चित सत्त्वा इस संघ के पक्ष में हो।¹⁰⁸

भारत सरकार अधिनियम 1935

यह अधिनियम पहली अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया। इसका एक भाग केन्द्रीय सरकार के गठन से सम्बंधित था और उसे लागू करने के लिये यह शर्त थी कि पहले पर्याप्त सत्त्वा में देशी राज्य संघ में सम्मिलित हो जाए लेकिन यह शर्त पूरी नहीं हुई। इस बारण सधीय विधान स्थगित रहा। अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार सारे भारत का एक संघ बनना था जिसमें अंग्रेजी भारत के प्रान्त और भारत के देशी राज्यों को भी सम्मिलित

होना था। वह शर्त पूर्ण न होने पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम कुछ सशोधनों के साथ लागू रहना था। अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सभा के दो सदन बनाए गए थे। ऊपरी सदन में 260 प्रतिनिधि होने थे जिनमें से 104 राजाओं द्वारा नियमित होने थे। शेष 156 में से 75 साधारण, 6 अनुसुचित जाति, 4 मिक्स, 49 मुसलमान, 6 स्थिया व 10 अन्य (6 एस्लो-इंडियन, यूरोपियन व भारतीय ईसाई) व 6 गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित होने थे। इस प्रवार बहुसंस्कृत हिन्दुओं के केवल 31 प्रतिशत सदस्य लिये जाने थे। अधिनियम वे निर्माता चाहते थे कि शासन में रियासतों का विशेष हाथ हो ताकि सामाजिक बदलाव और राजनीतिक प्रगति में वे रोड़े अटकाते रहे। इसी कारण रियासतों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 24 प्रतिशत होते भी उनको 40 प्रतिशत स्थान दिया गया। या राजस्व में भी खंच का दसवा भाग देने वाले राज्यों को 4/10 भाग दिया जाना था। संघ की विधान सभा में भी 375 सदस्यों में से 125 सदस्य राज्यों के होते अर्थात् 24 प्रतिशत आवादी एक तिहाई प्रतिनिवित्व करती।¹⁰⁰

इस प्रवार राजाओं के पक्ष में यह अधिनियम बनाने पर भी राजाओं ने अपनी पूर्व प्रतिष्ठा व सम्मान का बने रहने का आश्वासन चाहा। वे चाहते थे कि उनके संवैधानिक अधिकार, आतंरिक स्वायतता और सावभौमिकता पूर्व जैसी ही बनी रहे। जब उन्हें इसका आश्वासन नहीं मिला तो उन्होंने संघ में मिलने से बना कर दिया। ऐसा कर वे अपनी जनता की दृष्टि से गिर गये और साथ ही भारत के राष्ट्रीय नताओं की दृष्टि में भी। अग्रेजी सरकार राजाओं से आशा करती थी कि वे संघ में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय तत्वा का विरोध करते रहेंगे तथा गतिरोधात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। संघ में सम्मिलित न होकर वे उनकी दृष्टि में भी महत्वहीन हो गये। वायसराय लिनलिथगो ने अधिनियम लागू होने के बाद भी राजाओं को संघ में मिलाने के प्रयत्न जारी रखे। मार्च 1939 में नरेन्द्र मडल के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुये वायसराय ने यहा तक कहा नि रियासतों ने जो भी प्रश्न उठाये थे उनका निषय कर दिया गया है और सशोधित अधिमिलन प्रलेख हस्ताक्षर के लिये नरेशों के पास भेज दिया गया है। वायसराय ने रियासतों को आश्वासन दिया कि राज्यों में संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन करना पूर्ण स्पष्ट से नरेशों के ही अधिकार में होगा और सरकार उन पर किसी भी प्रवार का दबाव नहीं डालेगी। इस पर 10 जून 1939 को नरेशों व उनके

मध्यियों ने पुन विचार किया लेकिन उहे नया अधिमिलन प्रलेख और कड़ेशन की शर्तें असतोप्रद तथा अस्वीकारीय जान पड़ी अत कोई अतिम निराय नहीं लिया जा सका। पुन वार्ता चली लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अग्रेजों का उनपर विश्वास न रहा। तब ही द्वितीय प्रिश्व युद्ध आनन्द्य हो गया और सघ योजना यटार्ड में पड़ गई।¹¹⁰ अब राजाओं व उनकी जनता के पीछे बढ़ता बढ़ती ही गई।

प्रजा भण्डलों की स्थापना

ई० सन् 1930 के नागरिक अवज्ञा आदोलन ने राजस्थान की जनता को नई जागृति दी। प्रिटिश सरकार ने गोल मेज सम्मेलना में राजाओं को आश्वासन दिया कि उनके साथ की गई सधियों के अनुसार राज्यों में होने वाले आदोलना से उनकी रक्षा की जावेगी लेकिन जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ भी नहीं किया। अत जनता न केवल प्रिटिश सरकार विरुद्ध अपने राजाओं के प्रति भी अपनी परम्परागत श्रद्धा भावना वो छोड़ने लगी। अब वह उत्तरदार्ड जासन की वरावर माग करने लगी।

लाहोर के काग्रेस अधिवेशन में यह निश्चय लिया गया कि राज्यों में जनता के पथ प्रदर्शन तथा राजनीतिक जागृति के लिए वहां भी नगठन बने।¹¹¹ इसके फलस्वरूप कुछ राज्यों में प्रजाभण्डल स्थापित हुए। जयपुर में नवयुवक सघ तथा वाल भारत सभाएँ स्थापित हुईं। नवम्बर 1931 में पुष्कर में चादकरण शारदा के सभापतित्व में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ।¹¹²

ई० सन् 1930 में जब भारत में नागरिक अवज्ञा आदोलन आरम्भ हुआ तब जोधपुर के जयनारायण व्यास, गणेशलाल व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, मानमल जैन, अभयमल मेहता आदि युवक कायकर्ताओं ने अजमेर जाकर सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुए। अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय, स्वामी कुमारानन्द आदि गिरफ्तार कर लिये गये। जनवरी 26 को राष्ट्रीय झण्डा फहराने के कारण जोधपुर में छगनलाल चौपासनीवाला पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा गया।¹¹³ सन् 1932 में बीकानेर में सीताराम सर्फ़िक, स्वामी गोपालदास आदि आठ काग्रेसी नेताओं पर राजद्रोह एवं पड़यन के मुकद्दमे चलाये गये और सत्यनारायण सर्फ़िक को 7 वर्ष, खूबराम सर्फ़िक को 5 वर्ष, स्वामी गोपालदास को 4 वर्ष, चादनमल वहड़ को 3 वर्ष तथा शेष चार को दो वर्ष से तीन माह

तक बी सजाये दी गई।¹¹⁴ इस प्रत्तार की कठोर सजाये देने में राज्य का एक-मान उद्देश्य सारे राज्य में आतक पैदा कर जनता को भयभीत करना था। फिर भी यहाँ के निवासियों ने कलकत्ता में ई० सन् 1935 में प्रजा मण्डल की स्थापना की तथा वहाँ से लोगों में प्रचार किया। अगले वर्ष बीकानेर नगर में भी प्रजा मण्डल की स्थापना की गई। महाराजा ने शीघ्र ही उसके कार्यवर्तीओं को गिरफ्तार कर लिया।¹¹⁵ यो बीकानेर नरेश गगासिंह अपने को अत्यंत प्रगतिशील व सुधारक नरेश बतलाता था। वह साम, दाम दड व भेद की नीतियां में पारगत था। ई० सन् 1937 में तत्कालीन जोधपुर राज्य के प्रधान मन्त्री बनल फिटड को जयनारायण व्यास को सहायता देने के विषय में, एक पत्र लिखकर वह अपने को राष्ट्रीय नेताओं का हमदद बनने का प्रयत्न भी कर चुका था।¹¹⁶ लेकिन अपने राज्य की जनता के राजनीतिक व नागरिक अधिकारों को बुचलने में उसने कोई बसर नहीं रखी।

जोधपुर में 1934 में मारवाड़ राज्य प्रजामण्डल स्थापित हुआ। ई० सन् 1934 में रणछोड़दास गढ़ाणी की अध्यक्षता में नागरिक स्वतन्त्रता संघ स्थापित हुआ ताकि नागरिक स्वतन्त्रता के लिये आदोलन किया जा सके। इन सम्प्रयाओं की राजनीतिक गतिविधियों को देखकर राज्य सरकार ने दोनों सम्प्रयाओं को ई० मन् 1936 में ही गैरकानूनी घोषित कर दिया। जोधपुर प्रजा मण्डल के बुद्ध कार्यकर्त्ता नजरप्रद कर दिये गये। अगले वर्ष बुद्ध और गिरफ्तारिया राज्य को भारत संघ में मिलने के मामले को लेकर की गई। प्रजामण्डल तथा नागरिक स्वतन्त्रता संघ की समाप्ति पर एक नई सम्प्रयामारवाड़ लोक परिषद मई 1938 में महाराजा की छवद्वाया में उत्तरदार्ड सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई।¹¹⁷

सिरोही राज्य के बुद्ध लोगों ने वर्षई में ई० सन् 1935 में प्रजा मण्डल की स्थापना कर वहाँ से ही राज्य में चल रही धाधली का विरोध करना तथा उत्तरदार्ड सरकार की स्थापना करने की माग बरना आरम्भ किया। इनमें गोबुलभाई भट्ट, भीमशंकर शर्मा, टेकचाद सिंधी, वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भद्रूतमल सिंधी आदि मुख्य थे। ई० सन् 1939 की जनवरी 22 को जब कायवर्तीयों ने एक राजनीतिक सभा सिरोही नगर में बी तब सात व्यक्तियो—गोबुल भाई भट्ट, पुसराज सिंधी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका जनता ने बड़ा विरोध किया। पाच दिन तक विरोध चलता रहा अत राज्य सरकार को उहे पिना शत द्योड़ना पड़ा। उस समय ही यहाँ प्रजा मण्डल की स्थापना हुई।

इसको गतिविधियों को देखकर राज्य ने इसे नवम्बर 1939 में गैरकानूनी स्थाघोषित कर दिया तथा इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।¹¹⁸

भरतपुर राज्य में ई० सन् 1928 में प्रजा मण्डल की स्थापना सच्चिदानन्द व गोपीलाल यादव ने की। उस समय तब यहाँ के प्रगतिशील नरेश कृष्णसिंह को उत्तरदाई सरकार बनाने के प्रयत्न को विफल करने हेतु राजगढ़ी से हटाया जाकर प्रशासन अग्रेज अधिकारी भेकेजी के हाथा में आ गया था। प्रजा परिषद इसी के कारण समाप्त हो गई। उसरी निरखुशता के विहृद देशराज, गोकुल वर्मा, जगनाथ कवड़, हरिश्चन्द्र शर्मा आदि ने आदोलन किया। छात्रों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के कारण यहाँ के अध्यापक आदित्येन्द्र को त्यागपत्र देना पड़ा। ई० सन् 1939 में यहाँ प्रजा परिषद की स्थापना हुई। इसका प्रजायन नहीं किया गया। इसका विरोध करने पर लक्ष्मण स्वरूप श्रिपाठी, कु जयिहारीलाल भोदी, शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, मास्टर भोलानाथ, अब्दुल गफूर, ट्रिनारायण विकर, सुशीला श्रिपाठी आदि गिरफ्तार कर लिये गये।¹¹⁹

जयपुर राज्य के झु भनू क्षेत्र में किसानों ने भी अपनी मागों के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। ई० सन् 1930 में झु भनू के 2,000 किसान अपने अधिकारों हेतु महाराजा से बातचीत करने के लिये जयपुर भी गये लेविन कोई सतोषजनक परिणाम नहीं निकला। ई० सन् 1934 में सीकर में एक जाट प्रजापति महायज्ञ किया गया जो दस दिन तक चला। इसमें लगभग 80,000 किसान इकट्ठे हुए। ऐसे बृहत् सम्मेलन को देखकर राज्य सरकार घबरा गई और किसानों का दमन करना आरम्भ किया। सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। नरसिंह, मास्टर रत्नसिंह, किशनलाल जोशी आदि को राज्य से निकल जाने का आदेश दिये गये। नरसिंहदास व किशनलाल जोशी ने राज्य से बाहर जाने से इकार कर दिया। अत उनको गिरफ्तार कर सम्भव बैंद की सजा दी गई। सीकर ठिकाने के अत्याचार चल रहे थे कि सिहोर के ठाकुर ने कुछ किसान स्त्रियों का अपमान कर दिया—कुछ स्त्रियों को वाल पकड़ कर घसीटा और पीटा। इस पर लगभग 10,000 स्त्रियों ने सम्मिलित होकर मार रखी कि इस प्रकार अपमान करने के कारण ठाकुर को सजा दी जावे, किसानों की मागे स्वीकार की जावे तथा वादोवस्त जयपुर रियासत की देखरेख में कराया जावे। किसानों ने लगान न देने का विचार करते अपनी मागे जयपुर के दीवान के समक्ष रखी। जयपुर दरवार ने

ऐसी परिस्थितियों में सीकर में केप्टन वेब को नियुक्त कर दिया ताकि वहा किसानों के हित में सुधार कर सके।¹²⁰ फिर भी किसानों के हित में कोई राम नहीं हुआ और उनमें असन्तोष व्याप्त रहा।

सन् 1939 में जमनालाल वजाज के प्रयत्नों से जयपुर में प्रजा मण्डल की ख्यापना हुई। इसका राज्य ने पजीयन नहीं किया। वजाज द्वारा विरोध करने पर उसे राज्य की सीमा में घुसने से मना कर दिया गया। इसके विरोध स्वरूप जमनालाल वजाज ने फरवरी 1939 में जयपुर राज्य में घुसने वा प्रयास तीन बार किया। दो बार वह राज्य की पुलिस द्वारा पकड़ा जाकर जयपुर राज्य की सीमा के प्राहर ले जाया जाकर छोड़ा गया। अत में तीसरी बार 12 फरवरी को उसे नजरबन्द कर दिया गया। इस विरोध में प्रजा मण्डल ने सत्याग्रह चलाया जिसके कारण हीरालाल शास्त्री, कपूरचाद पाटणी, चिरजीलाल मिश्र, हरिष्चन्द्र शर्मा, हस ढी० राय आदि लगभग 600 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। यह सत्याग्रह 18 मार्च तक चला। अन्त में राज्य सरकार का प्रजा मण्डल से समझौता हो गया। अगस्त 7 बो जमनालाल वजाज व आय सत्याग्रही छोड़ दिये गये।¹²¹

जैसलमेर राज्य में जन जागृति का आरम्भ रघुनाथसिंह मेहता ने किया। महाराजा को उसका यह काय खटना और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जीवनलाल कोठारी ने कुछ काम किया लेकिन वह भी जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में प्रवासी जैसलमेरियों ने बड़ा आन्दोलन किया।¹²² सागरमल गोपा, जो नागपुर में बैठा जैसलमेर राज्य के जुल्मों के विरुद्ध आवाज बुलाद करता रहता था, जैसलमेर आया। वह भी 25 मई ई० सन् 1941 में गिरफ्तार कर लिया गया। वह ई० सन् 1946 की 4 अप्रैल बो जेल में ही जीवित जसा दिया गया।¹²³ रियासत के अत्याचार की यह पराकाष्ठा थी।

उदयपुर राज्य में कुछ नये करों तथा अधिकारियों द्वारा जनता के साथ दुष्यवहार करने के बारण जनता ने राज्य के विरुद्ध एक प्रयत्न प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा जनता पर लाठी के प्रहार किये गये। अत जनता ने नगर में सात दिन तक हड्डाल रखी। अन्त में सरकार बो जनता के सामने झुकना पड़ा और महाराणा बो उनकी शिकायतों को दूर करने का आश्वासन देना पड़ा। जब कांग्रेस ने रियासती जनता बो मताह दी कि उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये अपने पावों पर खड़ा होना चाहिये तब यहाँ भी अप्रैल 1938 में पलवन्तसिंह मेहता की अध्यक्षता में प्रजा मण्डल यी

स्थापना हुई लेकिन वह शीघ्र ही राज्य द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अत अक्टूबर 1938 मे वह सत्याग्रह किया गया गया। भूरेलाल वया, रमेशचन्द्र व्यास, बलवन्तरासिंह मेहता, दयाशंकर प्रोत्रिय, नरेन्द्रपालरासिंह चाधरी आदि लगभग 213 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये जिनमे से 35 को सजा दी गई।¹²⁴ सत्याग्रह का जोर उदयपुर के अलावा नाथद्वारा व भीलवाडा मे विशेष रहा। इस आदोलन के सचालक माणकलाल वर्मा उदयपुर से निर्वासित कर दिये गये। वह प्रजा मण्डल का कार्यालय अजमेर ले आये आर वहा से बार्य चालू रखा। 2 फरवरी 1939 मे उदयपुर राज्य पुलिस ने उन्हे देवली से जबरदस्ती उड़ा लिया और अपने राज्य मे ले जाकर जेल मे बद कर दिया। महात्मा गांधी के आदेश से 3 माच को सत्याग्रह बद कर दिया गया। सभी बायकर्ता 1940 मे रिहा किये गये लेकिन प्रजा मण्डल से प्रतिरक्षा 1941 मे हटा।¹²⁵

विभिन्न राज्या मे इस प्रकार से राजनीतिक चेतना बढ़ती देखकर वर्म्बई मे नवम्प्र 1938 मे विभिन्न राज्यो के नरेशो व मनियो ने बीकानेर नरश गर्गासिंह की अध्यक्षता मे एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन मे यह तय किया गया कि रियासतो मे वाहरी आन्दोलनकारियो को धुसने नही दिया जाव तथा प्रजा मण्डलो आदि नाम वाली राजनीतिक संस्थाओ को समाप्त कर दिया जावे। यह भी तय किया गया कि स्थानीय आदोलनकारियो की शिकायता को जहा तक हो सके जाच कर दूर कर दिया जावे तथा उनका ध्यान कुछ और प्रवृत्तियो—हस्तिन सुधार, ग्रामीण विकास आदि की ओर लगा दिया जावे।¹²⁶ उसी वर्ष राज्यो मे जन सुरक्षा कानून व सावजनिक संस्था कानून लगा कर प्रजा मण्डलो की स्थापना करने मे वावायें डाली गई। इस प्रकार स्पाट रूप से राजाओं व जनता के बीच सम्बाध बिंगड़ते ही गये। जनता अब राजाओं को निरकुशता सहने को क्तई तैयार नही थी। विभिन्न रियासतो की जनता को विश्वास हो गया कि जब तक भारत स्वतन्त्र नही होगा तब तक उहे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नही होगे।

द्वितीय विश्वयुद्ध

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत अग्रेजी प्रान्तो मे जो चुनाव 1936-37 मे हुवे उसमे कायेस को अपूर्व सफलता मिली। उहे अब विश्वास हो गया कि यदि देशी राज्यो मे भी चुनाव होते तो वे अवश्य सफलता प्राप्त

करते। कांग्रेस और देशी राज्यों में उसकी प्रतिलिप स्थानो—लोक परिषद व प्रजा मण्डल—ने उत्तरदायी शासन की माग के लिये आनंदोलन तेजी से आरम्भ कर दिये। तब ही 3 सितम्बर 1939 को यूरोप में अङ्ग्रेजों का जमनी से युद्ध शुरू हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के पहले ही युद्ध की आशका से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत सरकार (सशोधन) अविनियम 1939 पारित कर युद्ध की स्थिति में भारत सरकार को प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय विधयों के प्रशासन के लिये ज्यादा अधिकार दे दिये। कांग्रेस ने इस सशोधन को प्रान्तीय स्वशासन को नष्ट करना व तानाशाही स्थापित करना बतलाया। महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही वायसराय ने भी भारत को युद्ध में रत घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया व माग की कि ब्रिटिश सरकार भारत के भावी शासन के लिये भी घोषणा करे लेकिन वायसराय ने 17 अक्टूबर 1939 के बत्तिव्य में यही बतलाया कि युद्ध के बाद ही सब दलों से राय लेकर भारत सरकार अविनियम में परिवर्तन करेगी तथा उसका अन्तिम ध्येय डोमिनियन पद देना ही है। कांग्रेस ने इस घोषणा की निंदा की तथा 8 कांग्रेसी मंत्रीमण्डलों ने नवम्बर 1939 में स्तीफा दे दिया।¹²

कांग्रेस का इस प्रकार विरोध स्वरूप मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। उसका यह कदम आगे चलकर देश के लिये अत्यात धातक सिद्ध हुआ। अब तक कांग्रेस का देश के आधे भाग—आठ प्रांतों पर शासन होने से वह बहुत ही शक्तिशाली बनो हुई थी। इस कारण वह आगे किसी भी समझौते में बहुत ही महत्व रख सकती थी। इस प्रकार अपने आप मंत्रीमण्डल से अलग हो जाने पर वह शक्तिहीन हो गई। तब में अङ्ग्रेज हिन्दू-वहसरथक कांग्रेस को अपना शत्रु तथा मुसलमानों को, जिन्होंने इस समय युद्ध प्रयत्नों में अङ्ग्रेजों को सहायता देना स्वीकार कर लिया था, अपना मित्र समझने लगी। अत ब्रिटिश सरकार अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग, जो यद्यपि कही भी अपना मंत्रीमण्डल नहीं बना सकी थी, के बराबर ही मानने लगी। इसी कारण अङ्ग्रेजों के पक्षपात व कूटनीति के कारण आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ।

एक और जहा कांग्रेस ने आरम्भ से ही अङ्ग्रेजों को युद्ध में सहायता देने से इकार किया वहा भारतीय नरेणों ने युद्ध आरम्भ होते ही न केवल स्वयं वल्क अपने राज्यों के पूरे साधनों से युद्ध में सहायता देने के लिये, वायसराय

स्थापना हुई लेकिन वह शोध ही राज्य द्वारा गेर कानूनी घोषित कर दिया गया। अत अक्टूबर 1938 मे वहा सत्याग्रह किया गया गया। भूरेलाल वया, रमेशचन्द्र व्यास, बलवन्तसिंह मेहता, दयाशक्ति श्रोत्रिय, नरेन्द्रपालसिंह चौधरी आदि लगभग 213 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये जिनमे से 35 को सजा दी गई।¹⁴ सत्याग्रह का जोर उदयपुर के अलावा नाथद्वारा व भीलवाडा मे विशेष रहा। इस आंदोलन के सचालक माणकलाल वर्मा उदयपुर से निर्वासित कर दिये गये। वह प्रजा मण्डल का कार्यालय अजमेर ले आये और वहा से कार्य चालू रखा। 2 फरवरी 1939 मे उदयपुर राज्य पुलिस ने उन्हे देवली से जवरदस्ती उड़ा लिया और अपने राज्य मे ले जाकर जेल मे बन्द कर दिया। महात्मा गांधी के आदेश से 3 मार्च को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। मभी कार्यकर्ता 1940 मे रिहा किये गये लेकिन प्रजा मण्डल से प्रतिवध 1941 मे हटा।¹⁵

विभिन्न राज्यो मे इस प्रकार से राजनीतिक चेतना बढ़ती देखकर वर्ष 1938 मे नवम्बर 1938 मे विभिन्न राज्यो के नरेशो व मंत्रियो ने बीकानेर नरेश गर्गासिंह की अध्यक्षता मे एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन मे यह तय किया गया कि रियासतो मे वाहरी आन्दोलनकारियो को धुमने नही दिया जाव तथा प्रजा मण्डलो आदि नाम वाली राजनीतिक स्थानो को समाप्त कर दिया जावे। यह भी तय किया गया कि स्थानीय आन्दोलनकारियो की शिकायता को जहा तक हो सके जाच कर दूर कर दिया जावे तथा उनका ध्यान कुछ आर प्रवृत्तियो—हरिजन सुधार, ग्रामीण विकास आदि की ओर लगा दिया जावे।¹⁶ उसी वर्ष राज्यो मे जन सुरक्षा कानून व सावजनिक स्थान कानून लगा वर प्रजा मण्डलो की स्थापना करने मे वाधाये ढाली गई। इस प्रकार स्पष्ट रूप से राजाओ व जनता के बीच सम्बन्ध विगड़ते ही गये। जनता अब राजाओ की निरक्षण सहने को कठई तैयार नही थी। विभिन्न रियासतो की जनता को विश्वास ही गया कि जब तक भारत स्वतंत्र नही होगा तब तक उन्हे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नही होगे।

द्वितीय विश्वयुद्ध

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत अंग्रेजी प्रातो मे जो चुनाव 1936-37 मे हुवे उसमे वायेस वो अपूर्व मफलता मिली। उह अब विश्वास हो गया कि यदि देशी राज्यो मे भी चुनाव होते तो वे अवश्य सफलता प्राप्त

करते। कांग्रेस और देशी राज्यों में उसकी प्रतिरूप संस्थाओं—लोक परिषद व प्रजा मण्डल—ने उत्तरदायी शासन की माग के लिये आन्दोलन तेजी से आरम्भ कर दिये। तब ही 3 सितम्बर 1939 को यूरोप में अंग्रेजों का जर्मनी से युद्ध शुरू हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के पहले ही युद्ध की आशका से प्रिटिश पार्लियामेट ने भारत सरकार (संशोधन) अधिनियम 1939 पारित कर युद्ध की स्थिति में भारत सरकार को प्रान्तीय सरकार तथा प्रान्तीय विपयों के प्रशासन के लिये ज्यादा अधिकार दे दिये। कांग्रेस ने इस संशोधन को प्रान्तीय स्वशासन को नष्ट करना व तानाशाही स्थापित करना बतलाया। महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही वायसराय ने भी भारत को युद्ध में रत घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा का विरोध किया व माग की कि प्रिटिश सरकार भारत के भावी शासन के लिये भी घोषणा करे लेकिन वायसराय ने 17 अक्टूबर 1939 के वक्तव्य में यही बतलाया कि युद्ध के बाद ही सब दलों से राय लेकर भारत सरकार अधिनियम में परिवर्तन करेगी तथा उसका अंतिम घेय डोमिनियन पद देना ही है। कांग्रेस ने इस घोषणा की निंदा की तथा 8 कांग्रेसी मंत्रीमण्डल ने नवम्बर 1939 में स्तीफा दे दिया।¹²

कांग्रेस का इस प्रकार विरोध स्वरूप मंत्रीमण्डल से त्यागपत्र दे देना कोई बुद्धिमानी का बाम नहीं था। उसका यह बदम आगे चलकर देश के लिये अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। अब तक कांग्रेस का देश के आवे भाग—आठ प्रांतों पर शासन होने से वह बहुत ही शक्तिशाली बनी हुई थी। इस कारण वह आग विसी भी समझौते में बहुत ही महत्व रख सकती थी। इस प्रकार अपने आप मंत्रीमण्डल से अलग हो जाने पर वह शक्तिहीन हो गई। तब से अंग्रेज हिन्दू-बहुसंघ्यक कांग्रेस का अपना शत्रु तथा मुसलमानों को, जिन्होंने इस समय युद्ध प्रयत्नों में अंग्रेजों को सहायता देना स्वीकार कर लिया था, अपना मित्र समझने लगी। अत प्रिटिश सरकार अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग, जो यद्यपि कहीं भी अपना मंत्रीमण्डल नहीं बना सकी थी, के बराबर ही मानने लगी। इसी कारण अंग्रेजों के पक्षपात य ट्रूटनीति के कारण आगे चलकर भारत या विभाजन हुआ।

एक और जहा कांग्रेस ने आरम्भ से ही अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने से इकार रिया वहा भारतीय नरेणों ने युद्ध आरम्भ होने ही न बैवन स्वयं बन्धि अपने राज्यों के पूरे माधनों से युद्ध में सहायता देन के लिये, वायसराय

के प्रतिनिधि—बोकानेर, नवानगर व पटियाला नरेश—निप्स से मिले और यह तथ किया गया कि अपनी रियासतों की अखण्डता और प्रभुसत्ता के अनुस्प राजा लोग देश के हित मे सभी सम्भव महयोग देने को तैयार हैं। किप्स ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमश किया लेकिन उन्होंने उन प्रस्तावों को अपने-अपने इंटिकोर्ण से अस्वीकार कर दिया। किप्स वापस लौट गया।

जून 1942 मे जापान के सहयोग से अग्रेजी सेना के साथ बन्दी हुए वर्षान मोहनसिंह ने 16,000 भारतीय सैनिकों की आजाद हिन्द सेना, भारत के सुप्रसिद्ध क्रातिकारी रासविहारी बोस की प्रेरणा से, गठित की। सुभाषचन्द्र बोस ने जर्मनी से सिंगापुर पहुँच कर वहां के भारतीयों का नेतृत्व और आजाद हिन्द सेना की वागडोर 4 जुलाई 1943 को सम्भाल ली। उसके प्रभाव ने पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासियों मे नई जान फूँक दी। ई० सन् 1943 की 21 अक्टुबर को एक अस्थाई आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई जिसको जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों ने मान्यता दे दी। अब यह सेना भारत के पूर्वी सीमान्त पर आक्रमण करने लगी।¹²⁹

निप्स के लौट जाने पर भारत मे कांग्रेस ने यह तथ किया कि देश के लिए तथा महायुद्ध का सबट टालने के लिये आवश्यक है कि अग्रेजों वा भारत से साम्राज्य समाप्त हो जावे। अत गांधीजी के नेतृत्व मे कांग्रेस ने “अग्रेजों भारत छोड़ो” प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित होते ही गांधीजी तथा कांग्रेस के सभी बडे नेता 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये। जनता पर यह एव बड़ा बचपात था। उनमे इतना रोप भर गया कि उन्होंने तोड़-फोड़ तथा हिंसात्मक कार्यवाइया बहुत बडे पैमाने पर वो जिसके बारण अग्रेजी सरकार को शासन चलाना बठिन हो गया। संकड़ो व्यक्तियों द्वा सेना व पुलिस वी गोलियों का शिकार होना पड़ा। हजारों को जेसो मे बन्द होना पड़ा।¹³⁰ अग्रेजों ने इस राष्ट्रीय आदोलन को इस प्रवार बड़ी कूरता से दबाया। अब उन्हे आशका हो गई कि इस देश को गुनाम बनाये रखना सम्भव नहीं है।

ई० सन् 1945 की अगस्त तक अमरीकी सहायता से अग्रज महायुद्ध मे विजय पा गये। ‘आजाद हिन्द सेना’ वा बाफी बड़ा भाग बन्दी बना लिया गया। अग्रेजा ने यही ठीक समझा कि वे भारत की जनता का सहयोग लेकर ही यहा वा शासन चलाये। 14 जनवरी 1945 को कांग्रेस

को लिया। वीकानेर नरेण गगांसिंह इनमें मध्यसे आगे रहे। उसने सितम्बर 6 को ही वायसराय को तार भेजकर युद्ध कार्यों में लगाने के लिये सभ्राट को उड़ लास रखये और 1000 पाड़ भेट किये। राज्य की याफी सेना-मुतर सेना (गगा रिसाला), मादूल नाइट इन्फेन्टी, विजय वेटरी आदि को यूरोप में नड़ने को भेजा। इसके अलावा वीकानेर में एक युद्धबादी शिविर तथा युद्ध में घायलों और वीमारा के लिये दो सैनिक अस्पताल खोले गये। छोटे टैक और वायुयान खरीदने, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को मुनिधा दन, लन्दन की जनता की महायता करने तथा रेडआस जैगे आय महायता कार्यों के लिये महाराजा ने निजी कोष और रियासत की ओर से 15,19,063 रुपये, छ श्राना दो पाई की आर्थिक सहायता दी। इसी प्रकार एक दूसरी रियासत अलवर भी जय पल्टन लगभग 6 वप तक युद्ध में गई। यहाँ के 14,000 रग्मट भारतीय सेना में तथा 2,000 रग्मट राज्य की सेना में भर्ती किये गये। राज्य के लगभग 4500 व्यक्ति विदेशों में युद्ध नड़ने रहे, जिनमें से 400 युद्ध वादी हुए। राज्य ने 1,42,000 रुपये दो लडाकू हवाई जहाज दिये तथा युद्ध प्रयोजना के लिये 6,68,000 रुपये दिये गये। इसके अलावा 1,25,000 रुपये आय कार्यों के लिये दिये गये। लगभग साठ लाख रुपये युद्ध नहरों में दिये गये। इस प्रकार आय राजस्थानी नरेण भी अंग्रेजों को युद्ध सहायता देने में एक दूसरे से होड़ लगाते रहे। कई नरेण—वीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बून्दी आदि स्वयं युद्ध क्षेत्र में भी गये।

महायुद्ध शीघ्र ही यूरोप के अलावा एशिया में भी आरम्भ हो गया। ई० मन् 1941 के अन्त में जापान के युद्ध में प्रवेश करने पर युद्ध भारत की सीमा तक पहुँच गया। अंग्रेजी सेना जापान से वग़बर हारती जा रही थी। अत अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से समझौता करना चाहा ताकि वे किसी न किसी प्रकार उनके युद्ध प्रयत्नों में समर्थन देने लग जावें। अत माच 1942 में सर स्टफ़ॉर्ड निप्स को ब्रिटिश सरकार ने इन प्रस्तावों के साथ भारत भेजा कि महायुद्ध के समाप्त होते ही भारत को डोमीनियन पद दे दिया जावेगा तथा भारतीय अपना संविधान बना सकेंगे तथा फिलहाल, सिवाय प्रतिरक्षा विभाग के, समस्त विभाग भारतीयों को सीप दिये जावेंगे और इस प्रकार केंद्र म राष्ट्रीय सरकार बना दी जावेगी। ये प्रस्ताव भारतीयों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने थे। रियासतों के मामले में इन प्रस्तावों में पहले के समझौतों पर पुनर्विचार करने की बात भी कही गई थी।¹²⁸ राजाओं

के प्रतिनिधि—बीकानेर, नवानगर व पटियाला नरेश—क्रिप्स से मिले और यह तय किया गया कि अपनी रियामतों की अखण्डता और प्रभुसत्ता के अनुरूप राजा लोग देश के हित में सभी सम्भव सहयोग देने को तैयार हैं। क्रिप्स ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श किया लेकिन उन्होंने उन प्रस्तावों को अपने-अपने दृष्टिकोण से अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स वापस लौट गया।

जून 1942 में जापान के सहयोग से अंग्रेजी सेना के साथ बड़ी हुए क्षत्तान मोहनसिंह ने 16,000 भारतीय सैनिकों की आजाद हिन्द सेना, भारत के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी रासविहारी बोस की प्रेरणा से, गठित की। सुभाषचन्द्र बोस ने जर्मनी से सिंगापुर पहुँच कर वहां के भारतीयों का नेतृत्व और आजाद हिन्द सेना की बागडोर 4 जुलाई 1943 को सम्भाल ली। उसके प्रभाव ने पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासियों में नई जान फूँक दी। ई० सन् 1943 की 21 अक्टूबर को एक अस्थाई आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की गई जिसको जापान, जर्मनी, इटली आदि देशों ने मान्यता दे दी। अब यह सेना भारत के पूर्वी सीमान्त पर आक्रमण करने लगी।¹²⁹

क्रिप्स के लौट जाने पर भारत में कांग्रेस ने यह तय किया कि देश के लिए तथा महायुद्ध का सकट टालने के लिये आवश्यक है कि अंग्रेजों का भारत से साम्राज्य समाप्त हो जावे। अत गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने “अंग्रेजों भारत छोड़ो” प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित होते ही गांधीजी तथा कांग्रेस के सभी बड़े नेता 9 अगस्त यो गिरफ्तार कर लिये गये। जनता पर यह एक बड़ा बच्चपात था। उनमें इतना रोप भर गया कि उन्होंने तोड़-फोड़ तथा हिसात्मक कायवाइया बहुत बड़े पैमाने पर की जिसके बारें अंग्रेजी सरकार को शासन चलाना कठिन हो गया। संकटों व्यक्तियों को सेना व पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। हजारों को जेलों में बन्द होना पड़ा।¹³⁰ अंग्रेजों ने इस राष्ट्रीय आनंदोलन को इस प्रवार बड़ी कूरता से देखा। अब उन्हें आशका हो गई कि इस देश को गुलाम बनाये रखना सम्भव नहीं है।

ई० सन् 1945 की अगस्त तक अमरीकी सहायता से अंग्रेज महायुद्ध में विजय पा गये। ‘आजाद हिन्द सेना’ का काफी बड़ा भाग बड़ी बना लिया गया। अंग्रेजों ने यही ठीक समझा कि वे भारत की जनता का सहयोग लेकर ही यहा वा शासन चलायें। 14 जनवरी 1945 को अंग्रेज

वायकारिणी के सदस्य जेलो से छोड़ दिये गये। तत्कालीन वायसराय लॉड वैवेल ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलवाया ताकि वायसराय की वायकारिणी समिति वा पुनर्गठन हिन्दुओं व मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के प्राधार पर किया जा सके। कांग्रेस किसी हद तक ममझीता करने को नैयार हो गई लेकिन मुस्लिम लीग ने आड़ लगा दी अत बोई ममझीता नहीं हो सका।¹³¹

कांग्रेस द्वारा प्रजामण्डलों को सहयोग

कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (ई० सन् 1920) में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि कांग्रेस सभी नरेणों से अपील करती है कि वे अपने राज्यों में तत्काल उत्तरदायी सरकार स्वापित कर देवे।¹³² इस अधिवेशन के पाद राज्यों की प्रजा को कांग्रेस वा सदस्य बनाया जाने लगा और राज्यों को भारत में कांग्रेस के प्रातीय मण्डलों के साथ जोड़ा गया। बोई भी राज्य निकटवर्ती जिला कांग्रेस मण्डल के साथ जोड़ा जा सकता था और वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बनकर अपना कांग्रेस अधिवेशन में भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे। यह सब कुछ करते हुए भी कांग्रेस राज्यों के आतरिक मामला म बोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (ई० सन् 1935) में यह घोषणा की गई कि 'उसकी सम्मति में भारत के प्रत्येक नागरिक वो एक ही प्रकार के राजनीतिक, नागरिक व प्रजातात्मक अधिवार मिलने चाहिये। यो राज्यों की प्रजा को अपने अधिकारों के त्रिये स्वयं प्रयास करना चाहिये।'¹³³ इस प्रकार कांग्रेस राज्यों के मामलों में केवल सहानुभूति रखती रही लेकिन उसने कभी सुलै रूप से उनकी सहायता नहीं की। इसी बाररण बटलर समिति के सामने तथा गोल मेज सम्मेलन में राज्यों की जनता को अपनी आवाज बुलाद करने का बोई अवमर नहीं दिया गया। कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों—हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग आदि ने भी राज्यों की प्रजा को बोई महायता नहीं दी। अत राज्यों की जनता को बराबर प्रिटिश भारत के राजनीतिनों के प्रति रोप बना रहा।

जब कांग्रेस की, राज्यों की जनता के प्रति भावना की, ज्यादा ही आलोचना होने लगी तब कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 5 मार्च 1938 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 'कांग्रेस ग्रियासतों की भारत वा ही एक भाग मानती है जिहू उसमें कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अत योप भारत म जिम प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भवतप्रता

वह चाहती है वैसी ही रियासतों के लिये भी वह चाहती है, ऐसा उसका मत है। पूर्ण स्वराज्य अर्थात् सम्पूर्ण स्वाधीनता काग्रेस का घ्येय है। यह रियासतों सहित सम्पूर्ण भारत के लिये है। चूंकि रियासतों और शेष भारत की स्थिति अलग-अलग है, इसलिए काग्रेस की नीति रियासतों के लिये सामाजिक ठीक नहीं जचती है। वह शायद रियासतों की स्वतन्त्रता की हलचल के स्वाभाविक विकास के लिये बाधक भी हो। आज की परिस्थिति में रियासतों में स्वाधीनता की लड़ाई का भार वहां की जनता को ही उठाना चाहिये। काग्रेस की शुभ कामनाये और समर्थन ऐसे शास्त्रिपूर्वक और उचित तरीके पर चलाये जाने वाले सघर्षों को सदा मिलते रहेंगे लेकिन काग्रेस सगठन की यह सहायता बतमान परिस्थितियों में केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति के स्पष्ट में ही होगी। राज्य की जनता द्वारा कोई भीतरी आनंदोलन काग्रेस के नाम से नहीं उठाना चाहिये। इसके लिये राज्यों में स्वतन्त्र सगठन स्थापित किये जावे और यदि पहले से ही हो तो उनको जारी रखना चाहिये।”¹³⁴

उपरोक्त प्रस्ताव का रियासतों की जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके कारण राज्यों में जागृति और क्रियाशीलता की अपूर्व लहर आई। राज्यों के आनंदोलनों को और भी ज्यादा बल मिला जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता ई० सन् 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मम्भाली। तब नेहरू ने कहा था— ‘कई लोग काग्रेस के रियासतों के प्रति रुख की आलोचना करते हैं लेकिन यह काग्रेस व भारत की जनता को तथ बरना है कि वह और कैसे वे हस्तक्षेप करेंगे तथा कौनसी नीति अपनायेंगे ताकि हस्तक्षेप प्रभावशाली व सफल हो।’¹³⁵ नेहरूजी के नेतृत्व में देशी राज्यों की जनता शायद कोई ज्यादा प्रभावशाली बदम उठाती लेकिन तब ही (ई० सन् 1939 सितम्बर) दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। अत नभी का ध्यान उस ओर चला गया।

अब तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में प्रजा मण्डल आदि नामों से नये राजनीतिक सगठन स्थापित हो गये थे। इन सगठनों ने वहां की जनता में अपूर्व जागृति लाई थी। यह देखकर वहां के शासकों ने इस जागृति को कुचलने के उद्देश्य से जाव्ता फौजदारी सशोधन कानून तथा जन सुरक्षा कानून जैसे दमनकारी कानून बनाकर समस्त राजनीतिक सम्प्रयात्रों को सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए वाध्य किया। सरकारी मान्यता प्राप्त करने के लिए

उन्होंने ऐसी शर्तें रखी कि कोई भी स्वाभिमानी नागरिक उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अत वहां की जनता ने अपने स्वेच्छाचारी शासकों के विरुद्ध सघर्ष छेड़ दिया। ऐसे सघर्ष ई० सन् 1939 से 1948 तक बराबर चलते ही रहे। इस सघर्षों की मुख्य मार्गे उपरोक्त दोनों कानूनों को रद्द करने तथा अपने नरेशों की छनछाया में उत्तरदाई सरकार स्थापित करने की थी। इन मार्गों के मनवाने के लिए जितने सघर्ष किये गये वे अग्रेजी प्रान्तों में किये गये सघर्षों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। संकड़ों व्यक्तियों को जेल जाना पड़ा, पुलिस के अत्याचार सहने पड़े, स्त्रियों को वैइज्जत होना पड़ा तथा काफी लोगों को अपनी सम्पत्ति खोनी पड़ी। कुछ व्यक्तियों को अपने प्राण तक देने पड़े। उनमें से जोधपुर के वालमुकन्द विस्सा, जैसलमेर के सागरमल गोपा, भरतपुर के रमेश स्वामी, बीकानेर के बलबीरसिंह, कोटा के नेनूराम शर्मा, शाहपुरा के प्रतापसिंह वारहठ, बून्दी के नानकजी भील, वैगू के स्पाजी धाकड़ व किरपाजी धाकड़, धोलपुर के छत्रसिंह व पचमसिंह, डूगरपुर के मानाभाई स्वाट व काली वाई, लाडनू के चुन्नीलाल शर्मा व रुधाराम चौधरी, कुचामण के अल्वाराम चौधरी व डावडा के वन्नाराम चौधरी आदि-आदि के नाम लिये जा सकते हैं।¹³⁶

जन आदोलनों की चरम सीमा

जोधपुर राज्य में मारवाड़ लोक परिपद की स्थापना महाराजा वी छनछाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से मई 1938 में की गई लेकिन राज्य सरकार ने इसे समाप्त करने के प्रयत्न तत्काल आरम्भ कर दिये। तब ही राज्य सरकार के ईशारे से स्थापित वी गई 'श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा' मारवाड़ लोक परिपद के विरोध में काफी प्रचार करने लगी। इसी कारण जब विजयलक्ष्मी पण्डित जोधपुर आई तब वह भाषण देने भी जनता वे थीं उपस्थित नहीं हो सकी। सुभाषचांद्र बोस, जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे, ने दिसम्बर 1938 में वहां था कि जोधपुर राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता तथा उत्तरदाई सरकार स्थापित करने के लिये परिस्थितिया पिंगड़ती ही जा रही है। ई० सन् 1938 में जब जोधपुर राज्य में सलाहवार बोड बना तब वह बोड पूण्यस्प से ढोकोसला था। जयनागरण व्याम उसमें मदस्य बन गये और प्रत्येक मामले में, जो वहां लाया गया, प्रशासन को सुधारने वे लिये सुभाव दिये तथा राज्य परिपद को लो आलोचना की। इसी कारण लाल

अवसर मिल गया। जब राज्य सरकार से जयनारायण व्यास को सुधारो के लिये कोई आशा नहीं दिखलाई दी तब उसने इस्तीफा दे दिया। लोक परिपद ने ई० सन् 1940 में पुन उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन छेड़ दिया। मार्च 28 को जयनारायण व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, किशोरमल मेहता आदि गिरफतार कर लिये गये तथा लोक परिपद को अवैध घोषित कर दिया गया। महाराजा ने इस आन्दोलन को पूर्णतया आधारहीन आन्दोलन तथा लोक परिपद को नादान नवयुवको, जिन्होंने जीवन में कहीं सफलता प्राप्त नहीं की, की जमात बतलाया। अप्रैल में जब देशी राज्य लोक परिपद के प्रतिनिधि द्वारकादास कच्छ ने राजनीतिक समझौते के लिये जोधपुर के प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की तब प्रधानमंत्री ने उससे मिलने से इन्कार कर दिया। बाद में जोधपुर सरकार को आंदोलन के सामने भुक कर, लोक परिपद से समझौता कर, जयनारायण व्यास आदि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छोड़ना पड़ा। लोक परिपद कितनी लोकप्रिय थी इसका अनुमान राज्य को तब हुआ जब 1941 के नगर पालिका चुनावों में लोक परिपद ने बहुमत प्राप्त किया। व्यास नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।¹³⁷

अब लोक परिपद के कार्यकर्ताओं ने गावों में किसानों को उनके अधिकारों और जागीरदारों के अत्याचार के सम्बन्ध में जानकारी देना आरम्भ कर दिया। इस पर महाराजा और जागीरदारों ने इनके प्रभाव को समाप्त करने हेतु कायवाहिया शुरू कर दी। इस कारण लोक परिपद और सामन्ती तत्वों के बीच सघप की स्थिति आ गई। बढ़ते-बढ़ते ई० सन् 1942 के आरम्भ में किसानों व जागीरदारों के बीच लागवाग, लगान आदि के मामलों को लेकर काफी मनमुटाव हो गया। किसानों में और ज्यादा जागृति लाने के लिए लोक परिपद ने लाडनू, नीमाज, चण्डावल आदि जागीरी गावों में सभायें की जिनके कारण किसानों में काफी जागृति आई। मार्च 28 को जब चण्डावल गाव में उत्तरदायी शासन माग दिवस मनाने की कोशिश की गई तब गावों में जाते समय लोक परिपद के मुख्य कार्यकर्ता मीठालाल विवेदी व उनके साथियों को जागीरदार के आदमियों ने बिना किसी कारण वेरहमी से पीटा। राज्य सरकार ने फिर भी जागीरदार व उसके आदमियों के विरुद्ध कोई कायवाई नहीं की। लोक परिपद ने पुन सत्याग्रह आरम्भ कर दिया।¹³⁸ जून 9 को जयनारायण व्यास, अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, वालमुकन्द विस्सा, मथुरादास माथुर, छगनराज चौपासनीवाला, मीठालाल निवेदी आदि 9

कार्यकर्त्ता गिरफतार कर लिये गये। जेल में कुछ राजनीतिक वैदिया द्वारा भूग-हड़ताल की गई। कुछ कारणों से बालमुकाद विम्मा की 19 जून को मृत्यु हो गई। इससे जनता में काफी रोप फैल गया।¹³⁹ यह रोप बढ़ता ही गया और अगस्त 1942 के आंदोलन के समय तो कुछ लोगों ने मशस्त्र आन्दोलन तब की तैयारी कर ली। यारह नवयुवकों ने विदेशी सेनिकों की हत्या करने के लिये वर्मों तब का प्रयोग किया लेकिन यह ज्यादा नहीं चल सका। मई 1944 में जब राजनीतिक वातावरण कुछ शात हुआ तब राज्य सरकार ने समस्त राजनीतिक वैदियों को, जो भारत सुरक्षा अधिनियम के आतंक नजर पर थे, छोड़ दिया। वर्म काण्ड के वैदियों—जोरावर मल आदि को नहीं छोड़ा गया।¹⁴⁰ 24 अक्टूबर 1945 को जब देशी राज्य लोक परिपद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आये तब यहाँ की जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया। राज्य सरकार ने भी पहली बार एक राष्ट्रीय नेता के स्वागत में हार्दिक सहयोग किया तथा सावजनिक अवकाश घोषित किया।¹⁴¹ महाराजा ने भी नेहरूजी से मिलकर जनता की सद्भावना ली। ई० सन् 1947 में जोधपुर राज्य में जागीरदारों व वास्तकारों के बीच विवाद ज्यादा ही बढ़ गये। राज्य सरकार जागीरदारों का ही पक्ष लेती रही। मार्च 13 को जब किसान सभा वा एक विशेष सम्मेलन जागीरी गाव डावडा में हुआ तब जागीरदारों द्वारा बुनाये गये शेखावाटी के 22 ऊट सवारों ने किसान सभा के सम्मेलन को भग किया तथा ऊट सवारों ने नेताओं पर गोलिया चलाई आर तलवारों से बार किये। इस काण्ड में 5 व्यक्ति मारे गये।¹⁴² नरसिंह कछवाहा, राधाकिशन, मथुरादास मायुर, द्वारकादास पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला आदि बुरी तरह घायल हुए। जले पर नमक छिड़कने को राज्य ने इन कायवर्त्तीयों पर ही अशाति फैलाने का मुकदमा चलाया लेकिन 1948 में यह मुकदमा वापस ले लिया गया।¹⁴³ ई० सन् 1947 में जोधपुर राज्य ने अपने प्रतिनिधि केन्द्रीय संविधान सभा में भी भेजे। यो जोधपुर महाराजा ने मई 1944 में सर्वेधानिक सुधारों हेतु एक सदस्यी सुधालकर समिति बनाई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट में लोक प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तान्तरित करने की कोई योजना नहीं थी। जो सभा बनने को थी उसमें सभा के सदस्यों को तीन श्रेणियों में बाटा गया था—क्षेत्रीय 37, आरक्षित 15 और मनोनीत 9 तथा राज्य के 8 मन्त्री पदेन सदस्य होने थे। स्पष्टत यह सभा नाम की जन प्रतिनिधि सभा होती तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना न हो पाती। नोक परिपद ने 1946 में नावा अधिवेशन में इसकी आलोचना की। जोधपुर नरेश उम्मेदवासिंह शायद कुछ

और प्रगतिशील कदम उठाते लेकिन जून 1947 में उनका देहान्त हो गया।¹⁴⁴ उनके नवयुवक उत्तराधिकारी हनुवन्तर्सिंह को उनके सलाहकारों ने ऐसा गुमराह किया कि वह जोधपुर राज्य को पाकिस्तान में सम्मिलित करने तक का सोचने लगे। सौभाग्यवश वह ऐसा न कर सके और जोधपुर राज्य को भारत सघ में 11 अगस्त 1947 को सम्मिलित होना पड़ा। महाराजा हनुवन्तर्सिंह का पाकिस्तान में मिलने के इरादे वो बदलवाने में वायसराय माउण्टबेटन का प्रमुख हाथ था। केंद्रीय राज्य मन्त्रालय के सचिव वी० पी० मेनन ने प्रयत्न कर 11 अगस्त 1947 को माउण्टबेटन और हनुवन्तर्सिंह की भेंट करवा दी थी अबथा भोपाल का नवाव महाराजा को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये धरावर उकसा रहा था।¹⁴⁵

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बूद भारत में लोकतन्त्रवाद की एक नई लहर देश में दौड़ गई। राजस्थान की प्रत्येक रियासत में जन आन्दोलनों ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया। अत यहां की कई रियासतों के राजाओं ने अपने राज्यों की लोक परियों को सत्ता सौंपनी आरम्भ की। जोधपुर नरेश तब भी प्रतिक्रियावादियों से धिरा हुआ था। अत उसने अक्टूबर 1947 में अपने मन्त्री मण्डल को पूर्णतया सामन्तवादी बना दिया।¹⁴⁶ जनता में असातोप ज्यादा ही फैल गया। यह देखकर महाराजा ने 5 फरवरी 1948 को घोषणा की कि शीघ्र ही लोकप्रिय मारवाड़ी मन्त्रीमण्डल सरकार बनाई जावेगी तथा शीघ्र ही राज्य के लिये नया संविधान बनाने के लिये वालिंग मताधिकार से संविधान सभा बनाई जावेगी। इसको मारवाड़ लोक परिपद के अध्यक्ष जयनारायण व्यास ने एक ढकोसला बतलाया और महाराजा को चेतावनी दी कि वह वर्तमान सामन्ती मन्त्री मण्डल को 8 माच तक समाप्त कर देवे अन्यथा लोक परिपद उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिये सधप शुरू कर देगी।¹⁴⁷ तब ही भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और जोधपुर नरेश वो कुछ फेरवदल करने को विवश हाना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में जोधपुर नरेश ने प्रथम लोकप्रिय मिलीजुली सरकार का निर्माण 3 मार्च 1948 को बर दिया। उसके बाद मन्त्री मण्डल का पुन निर्माण 17 जून की आज्ञा द्वारा किया गया और अत में महाराजा ने 31 अगस्त 1948 की घोषणा द्वारा राज्य के शासन सम्बन्धी कामों के प्रति जिम्मेवार मन्त्री मण्डल की स्थापना कर दी। तब मुख्यमन्त्री जयनारायण व्यास को तथा दीवान पी० एस० राव को बनाया गया।¹⁴⁸

यह भट्टीमण्डल राजस्थान के निर्माण तक (30 मार्च 1949 तक) तक जबकि जोधपुर राज्य बृहत् राजस्थान में विलीन हो गया।

बीकानेर राज्य की जनता में राजनीतिक चेतना लाने तथा उत्तरदायी प्रणासन की स्थापना के लिये ई० सन् 1942 में रघुवरदयाल गोयल ने वहां प्रजा परिषद की स्थापना की लेकिन राज्य ने उसे गंवानूनी घोषित बर दिया और रघुवरदयाल को राज्य से निर्वासित कर दिया। अुद्ध माह तक बानपुर में रहने के बाद जब वह बीकानेर लौटा तभ वह अपने साथियों—गगासिंह कीजिक, दाऊदयाल आचार्य आदि के साथ गिरफतार बर लिया गया। अगले वर्ष जनवरी 26, ई० सन् 1943 को स्वतंत्रता दिवस भनाने पर महाराजा गगासिंह के देहात के पास ही ढोडे गये।¹¹⁰

ई० सन् 1943 की फरवरी 2 को बीकानेर नरेश गगासिंह वा देहान्त हो गया। वह एक भहान व्यक्तित्व का नरेश तथा आमुनिक बीकानेर का निर्माता था। उसकी गणना राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रभावशाली शासकों में ही नहीं वल्कि भारत के महान राजनीतिज्ञों में की जा सकती है। उसने न केवल भारत वित्क अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्थापित प्राप्त की। वह शोपणायें, भायण व वक्तव्य देने में बड़े कुशल थे। महाराजा ने अपने शासनकाल में प्रगतिशील राज्यों की भाँति ही अपने राज्य में न केवल धारा सभा वित्क नगरपालिकायें, जिला बोड व पचायतें भी स्थापित की। निजी खच की सीमा बाधी और बजट के रूप में राज्य का आय एवं व्यय का विवरण धारा सभा में पेश करने लगे तथा बीकानेर नगर में प्राथमिक शिक्षा को भी श्रनिवाय कर दिया था। ये सब कुछ करते भी ये सब ढकोसला बन कर रह गये। राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक इष्ट से बीकानेर अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार से ज्यादा प्रगति नहीं कर सका। उसके शासक के अन्तिम 20 वर्ष, जबकि देश में अपूर्व जन जागति आई तब बीकानेर में जमता का दमन, उत्पीड़न व शोपण ही किया गया। यदि बीकानेर राज्य ने कुछ ममृद्धि प्राप्त की तो वह राज्य के उत्तरी भाग में गगा नहर लाकर की, जिसके लिये न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान भी उनका चिर ऋणी रहेगा।

गगासिंह के उत्तराधिकारी साहू लसिंह ने भी अपने पिता की ही दमनात्मक नीति अपनाई। ई० सन् 1945 में जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध दूधवालारा के किंसानों ने सत्याग्रह किया तब उसे कठोरता से दबाया

या। इस समय चौधरी कुम्भाराम आर्य पुलिस सवइस्पेक्टर की नौकरी छोड़ कर प्रजा परिषद मे सम्मिलित हो गये। ई० सन् 1946 की मई मे तब किसानों ने बीकानेर व राजगढ़ मे जुलुस निकाले तब भी किसानों को बुरी तरह से पीटा गया तथा कई कार्यकर्ताश्रों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों मे रघुवरदयाल गोवल, गणपतसिंह, कुम्भाराम आर्य, हीरालाल शर्मा आदि मुख्य थे। जून 30 को रायसिंहनगर मे बीकानेर राज्य का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन किया गया। राज्य ने इस सम्मेलन मे लाठी प्रहार कराये। इसमे बीरबल शहीद हुआ। इस सम्मेलन का संयोजक रामचन्द्र जैन तथा स्वागताध्यक्ष चौधरी रायालीसिंह था। इस सम्मेलन मे भाग लेने के कारण कई नेता गिरफ्तार किये गये। इस सम्मेलन से राज्य मे काफी जागृति आई। यह जागृति देखकर ही महाराजा ने 26 जुलाई को शीघ्र ही उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की घोषणा की। जुलाई 27 को सभी राजनीतिक वन्दी, सिवाय हीरालाल, जिसे हिंसावादी माना जाता था, के छोड़ दिये गये। सितम्बर 13 को बीकानेर मे एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ लेकिन सरकार ने अकारण ही रामचन्द्र जैन, रामलाल, मालचन्द्र पिसारिया आदि को सम्मेलन मे ही गिरफ्तार कर लिया। कुम्भाराम के नाम भी वारण्ट जारी कर दिया गया। अक्टूबर 29 को प्रजा परिषद ने अपना दूसरा कार्यकर्ता सम्मेलन अपनी नीति स्पष्ट करने को बुलाया लेकिन उस समय भी हरदत्तसिंह, जो न्याय विभाग मे मुसिफ के पद को छोड़ कर प्रजा परिषद का सदस्य बन गया था, मनोहरसिंह, गुरुदयालसिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय बीकानेर राज्य के जागीरों गाव कागट मे जागीरदार द्वारा अनुचित लाग वांगे तथा लगान लेने का किसानों ने विरोध किया। इस पर जागीरदार के आदमियों ने गाव मे लूटमार की ओर स्थियों को बेइज्जत किया। किसान बीकानेर गये लेकिन वहा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तब प्रजा परिषद ने सात व्यक्तियो—स्वामी सच्चिदानन्द, केदारनाथ, हसराज, दीपचन्द्र, माजीराम, रगा व रूपराम को जाच के लिये भेजा। जागीरदार को जब यह जात हुआ तब उसने इन सात व्यक्तियों को गढ मे बुलवा कर नगा कर इतना पीटा की बे बेहोश हो गये। काफी तग करने के बाद इनको गाव से बाहर निकाल दिया।¹⁰⁰ केदारनाथ (उर्फ प्रो० केदार) अब राजस्थान सरकार मे मरी है। इस प्रकार जागीरदारों वा आतक बढ़ता ही गया। राज्य सरकार चुप ही बैठी रही। ई० सन् 1947 मे जब देश स्वतन्त्र हुआ तब भी यहा राष्ट्रीय ध्वज वा अपमान किया गया।

पहले लिखा जा चुका है कि वीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा 1913 में स्थापित की गई थी जिसमें 35 सदस्य होते थे। ई० सन् 1917 में यह संख्या 45 कर दी गई—6 कार्य कारिणी परिषद के, 15 चुने हुए तथा 19 मनोनीत। ई० सन् 1917 से यह विधान सभा कहलाने लगी। इस विधान सभा को अब लोकप्रिय बनाने के लिये इसके पुनर्गठन की घोषणा महाराजा ने 1946 में की और 1947 में वीकानेर अधिनियम लागू किया जिसके अनुसार महाराजा के सरकार में कार्य करते हुए जमता के प्रति उत्तरदायी सरकार बननी थी। व्यवस्थापिका दो सदन वाली होनी थी जो व्यस्क मताधिकार द्वारा चुनी जानी थी। सम्पूर्ण शासन एक परिषद को मौपा जाना था जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना था। महाराजा ने घोषणा की कि अप्रैल 1948 में उत्तरदायी सरकार बना दी जावेगी लेकिन यह घोषणा ही रह गई। चुनाव होने तक के लिये एक अतरिम मंत्री मण्डल 10 मार्च 1948 को बनाया गया। इसमें प्रधान मंत्री के अलावा 9 मंत्री लिये गये जिनमें से 4 प्रजा परिषद के तथा शेष राज्य के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मनोनित किये गये। प्रजा परिषद के हरदत्तसिंह को उपप्रधान मंत्री तथा पौरीशकर आचाय, मस्तानसिंह और कुम्भाराम को मंत्री बनाया गया।¹⁵¹ प्रजा परिषद इस प्रकार के मिले जुले मंत्री मण्डल से सतुष्ट नहीं हो सकी और इस कारण कायेसी मनियों ने त्याग पत्र दे दिया। अतः अतरिम मंत्री मण्डल भग्न कर दिया गया। अगले वर्ष वीकानेर राज्य राजस्थान सघ में सम्मिलित हो गया।

भारतीय सविधान सभा में भाग लेने तथा भारत के माथ मिलकर एक शक्तिशाली बैद्र के निर्माण में वीकानेर नरेश सादु लसिंह का विशेष महयोग रहा। उही के कारण वीकानेर, जोधपुर, जयपुर आदि के प्रतिनिधियों ने सविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यो महाराजा वीकानेर ने राज्य के ध्वज के विषय में विवाद उठाया था कि उस ध्वज को वैसा ही सम्मान मिलना चाहिये जैसे राष्ट्रीय ध्वज को लेकिन यह माना नहीं गया।¹⁵² शासव भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी राष्ट्रीय और राजकीय ध्वज में अतर नहीं समझ पाये थे। यह अन्तर उनको अपनी रियासत के 30 मार्च 1949 को राजस्थान में सम्मिलित होने के बाद समझ में आया।

जयपुर के शेखावाटी क्षेत्र में जागीरदारों व बिसानों के बीच सघप द्वितीय महायुद्ध बाल में भी चलता रहा। हरलालसिंह, नेतरामसिंह व

नरोत्तमलाल जोशी किसानों में अच्छा प्रभाव रखते थे तथा उनके नेतृत्व में ही आन्दोलन चला रहे थे। जयपुर राज्य प्रजा मण्डल किसानों की बराबर महायता कर रहा था। जून 1942 में, मिर्जा इस्माईल^[152] प्रधान मंत्री बनने के बाद इस आन्दोलन के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। अगस्त 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय यहाँ का प्रजा मण्डल दो दलों में बट गया। एक पक्ष—वावा हरिश्चन्द्र, ओमदत्त वैद्य रामकरण जोशी, दीलतमल भण्डारी, वी एम देश पाण्डे लादूराम शर्मा, रामेश्वरलाल अग्रवाल आदि—आन्दोलन के पक्ष में रहे लेकिन प्रजा मण्डल के कुछ अन्य सदस्यों ने भाग ही नहीं लिया। मिर्जा इस्माईल ने प्रजा मण्डल की समस्त कारबाइयों को बिफल कर दिया। कुछ नेता गिरफ्तार हुए लेकिन वे शीघ्र ही छोड़ दिये गये।^[153]

ई० सन् 1944 में जयपुर में निर्वाचित नगरपालिका स्थापित हुई। उसी समय जयपुर राज्य में विधान सभा व प्रतिनिधि सभा के चुनाव हुए। प्रतिनिधि सभा में 125 मदस्य तथा विधान सभा में 51 मदस्य निर्वाचित होने थे। इन सभाओं का 5 सितम्बर 1945 को विधिवत अधिवेशन हुआ। गमिशोर व्याम प्रतिनिधि सभा में तथा दीलतराम भण्डारी धारा सभा में प्रजा मण्डल दल के नेता बने। मई 1946 में प्रजा मण्डल के देवीश्वर तिवाड़ी को मंत्री पद दिया गया। अगले वर्ष प्रजा मण्डल के दीलतमल भण्डारी तथा मरदार दल के नेता कुशलसिंह को भी मंत्री पद दिये गये। भारत स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 27 मार्च 1948 को अतरिम संघार की स्थापना की गई। दीवान वी टी कृष्णमाचारी को मंत्री मण्डल का अध्यक्ष, प्रजा मण्डल दल के नेता हीरालाल शास्त्री को मुख्य मंत्री व टीकाराम पालीवाल को राजस्व मंत्री बनाया गया। यह मंत्री मण्डल संयुक्त दायित्व के आधार पर काम करने लगा। ई० सन् 1949 की 30 मार्च को जब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ तब यह मंत्री मण्डल समाप्त हो गया तथा जयपुर राज्य का विलयन राजस्थान में हो गया। इस प्रकार जयपुर राज्य को अंग गजयों की तुलना में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये बहुत बहुत सधर्पं बरने पड़े।^[154]

उदयपुर राज्य में प्रजा मण्डल से प्रतिवाध 1941 में हटा। अगले ही वर्ष जब 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ हुआ तब प्रजा मण्डल ने एक प्रस्ताव पास कर महाराणा दो अग्रेजी साम्राज्य से मन्दाव विच्छेद बरने को 20 अगस्त को लिखा। पत्र मिलते ही महाराणा ने प्रजा मण्डल के वायवर्ताओं को

गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 23 को जुलूस निकालने पर प्रतिवर्वद लगा दिया गया। लगभग 500 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें 7 महिलायें भी थीं। इस आन्दोलन में माणकलाल वर्मा, मोहनलाल सुदाडिया, नरेन्द्रपालमिह चौधरी, रूपलाल सोमानी, भवानीशकर नन्दवाना, उमरावमिह टावरिया, गणेशीलाल, जयसिंह राणावत आदि का विषेष योगदान रहा। इनको फरवरी 1944 में रिहा किया गया। ई० सन् 1945 के अन्त में उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य परिपद का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। देशी रियासत में पहली बार यह अधिवेशन होने के कारण यहाँ के प्रजा मण्डल को बहुत बत मिला।¹⁵⁵

ई० सन् 1947 में राज्य के कमचारियों ने उचित बेतन दिये जाने की मांग मनवाने के लिये यहा आन्दोलन किया। राज्य ने आदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की। एक बार तो कमचारियों के जुलूस पर गोली तक चलाई गई लेकिन राज्य को झुकना पड़ा व कमचारियों से समझौता करना पड़ा।

ई० सन् 1947 में राज्य ने वैधानिक सुधारों के लिये एक समिति के एम मु शी की अव्यक्ति में नियुक्त की जिसमें प्रजा मण्डल को बहुमत दिया गया। रिपोट तैयार होने पर उस पर राज्य ने अमल नहीं किया और एक नया ही विधान बनवाया जिसके अनुसार प्रजा मण्डल का एक ही प्रतिनिवि मन्त्री मण्डल में लिया गया। जागीरदारों को प्रजा मण्डल की अपेक्षा अधिक अधिकार दिये गये। अतः प्रजा मण्डल इस मविधान के विरुद्ध था। इस प्रकार यहा कोई लोकप्रिय मन्त्री मण्डल नहीं बन सका।¹⁵⁶

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महाराणा ने उदयपुर का भी भारतीय सघ में शामिल करने की घोषणा की। मार्च 1948 में राजपूतान की कुछ रियासतों का एक सघ बना तब 18 अप्रैल 1948 में उदयपुर भी उसमें सम्मिलित हो गया और इस प्रवार 10 रियासतों वा राजस्थान सघ स्थापित हुआ। इस सघ का नाम युनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान रखा गया तथा इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई। बाद में यह सघ बहुत राजस्थान राज्य में मिल गया।¹⁵⁷

हाड़ीती क्षेत्र (कोटा, बूदी व भालावाट राज्य) में जन-जागृति लाने वालों में अभिन्न हरि, गोपाललाल कोटिया, नित्यानन्द नागर, कृष्णदत्त मेहना आदि मुख्य थे। बाद के वर्षों में वृजसुदर शर्मा, इद्रदत्त स्वाधीन, बबरलाल जैलिया, मास्टर रामचंद्र, मागीलाल भव्य आदि न भी राजनीतिक जागृति में बापौं योगदान दिया।¹⁵⁸

बून्दी राज्य में मन् 1931 में स्थापित प्रजा मण्डल में महाराव ईश्वरसिंह के समय में ज्यादा पत्तप नहीं थका। ई० सन् 1944 में यहाँ लोक परिपद की स्थापना हुई। इसका अव्यक्त हरिमोहन माथुर तथा सचिव वृजसुन्दर शर्मा था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। लोक परिपद आन्दोलनों के द्वारा 1946 की अक्टूबर में महाराव से यह धोपणा करा थकी कि शीघ्र ही कुछ लोकप्रिय नेता मनी मण्डल में लिये जावेगे। महाराव ने राज्य के लिये एक मविधान बनाने की भी धोपणा की। लोक परिपद पूर्णतया लोकप्रिय मनी मण्डल चाहती थी अतः राज्य से समझौता नहीं हो सका। माच 1948 में बून्दी राज्य राजस्थान सध में सम्मिलित हो गया।¹⁵⁹

भालावाड राज्य में गिरधर शर्मा, रामनिवास शर्मा आदि राष्ट्रीय विचारों के व्यक्तियों ने राजनैतिक जागृति फैलाई। यहाँ के अंत प्रमुख कायकर्ताओं में भैरवलाल कालावाडल, मागीलाल भव्य, मास्टर रामचंद्र आदि थे। प्रजा मण्डल के 1947 में स्थापित होने पर यहाँ उसे राजराणा का महयोग व सरकार प्राप्त हुआ। ई० मन् 1947 में महाराज राणा स्वयं प्रधानमनी तथा कहैयालाल मित्तन और मागीलाल भव्य मनी बने लेकिन शीघ्र ही, 1948 की 18 अप्रैल को यह राज्य राजस्थान सध में सम्मिलित हो गया।¹⁶⁰

कोटा में राजनैतिक जागृति का थेव नयनूराम शर्मा, अभिनन्द हरि, उद्द्रदत्त स्वाधीन, नाथूलाल जैन, गजेद्रकुमार, विमलकुमार वजोलिया, तनमुन्नाल मित्तल आदि को है। ई० सन् 1938 में यहाँ प्रजा मण्डल की स्थापना हुई तब से यहाँ राजनैतिक जागृति बढ़ी। ई० सन् 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय यहाँ की जनता ने तीन दिन तक सम्पूर्ण जात्सन अपने हाथों में ले रखा। आन्दोलन के ग्राम्भ में ही यहाँ के कायकर्ता जेल में डाल दिये गये थे। अतः जनता ने कोटा नगर के दरवाजों पर कब्जा बर लिया। कोतवाली पर भी कब्जा बर लिया और सरकारी भवनों पर तिरणा भण्डा फहरा दिया। पुलिस वो वैरकों में बद बर दिया गया। बाद में कोटा महाराव द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि जनता का कोई दमन नहीं किया जावेगा शासन वापस सौंप दिया गया।¹⁶¹ ई० सन् 1945 में भी यहाँ राष्ट्रीय कायकर्ताओं को शाति भग न बरने मन्दाधी काले कानून का शिकार होना पड़ा। बाबूलाल 'इन्दु' को यह बतलाने पर कि उसका पेशा कोटा राज्य की

गैर जिम्मेवार सरकार को उखाट फेकना है, सरत कंद की सजा दी गई। भारत के स्वतंत्र होने पर यह राज्य संयुक्त राजस्थान में समिलित हो गया।

भरतपुर राज्य में ई० सन् 1938 में प्रजा मण्डल की स्थापना की योजना के बाद ई० सन् 1939 में प्रजा मण्डल और राज्य शासन के बीच सघष चला और 1940 में राज्य से समझौता होकर उमका पजीयन हुआ और इसका नाम भरतपुर राज्य प्रजा परिषद रखा गया। ई० सन् 1942 के आदोलन के समय यहाँ के कई कायकर्ता—युगलकिशोर चतुर्वेदी, आदित्येन्द्र आदि गिरफ्तार कर लिये गये। उसी वप राज्य में बाढ़ आ जाने के कारण यह आन्दोलन म्यगित हो गया और प्रजा मण्डल का राज्य से समझौता हो गया। ई० सन् 1943 में प्रजा मण्डल ने व्यवस्थापक सभा, व्रजजया प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 37 में से 27 स्थान जीत लिए। विधान सभा में प्रमुख विरोधी दल प्रजा परिषद का बना। इसका नेता युगलकिशोर चतुर्वेदी तथा उपनेता आदित्येन्द्र चुने गये। बाद में इन सदस्यों ने व्यवस्थापक सभा का वहिफ्कार कर दिया। ई० सन् 1947 में वेगार के विरोध में जनता ने आदोलन किया। इसको बड़ी झूरता से दबाया गया। एकत्रित भीड़ पर घुड़मवार सैनिक दौड़ाये गये जिसके कारण काफी लोगों को चोटे आई। कुछ दिन बाद जब महाराजा दौरे से लौटे तब जनता ने फिर सत्याग्रह किया। पुलिस ने एक बस सत्याग्रहियों पर चला दी जिसके कारण कई मत्याग्रही घायल हुए। रमेश स्वामी की नव ही मृत्यु हो गई। कई कायकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये।¹⁰² भारत के स्वतंत्र होने के बाद दिसंबर 1947 में महाराजा ने अन्तरिम सरकार बना कर चार लोकप्रिय मन्त्री लिये लेकिन तब ही यहाँ का शासन केंद्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया क्योंकि यहाँ तब साम्प्रदायिक दम ज्यादा ही हो रहे थे।

अलवर राज्य में ई० सन् 1933 में कायेस समिति की स्थापना हुई। कई लोग कायेस के साधारण सदस्य बने। राज्य ने ऐसे कई सदस्यों को राजद्राह कानून के तहत गिरफ्तार कर सजाये दे दी। ई० सन् 1938 में कायेस समिति ने अपना नाम बदल कर प्रजा मण्डल रख लिया। प्रजा मण्डल के लिये पहले राज्य सरकार न यह गेव लगा दी कि न तो प्रजा मण्डल अपना भण्डा लगा सकेगी और न वह अखिल भारतीय कायेस से सम्बद्ध हो सकेगी लेकिन इन शर्तों को प्रजा मण्डल ने बनने के बाद नहीं माना। ई० सन् 1942 के “भारत छाड़ो” आदोलन का प्रभाव इस राज्य पर भी पड़ा। उस समय प्रजा मण्डल के शोभाराम, रामचंद्र उपाध्याय व कृपादयाल ने बकालत छोड़ दी।

जोभाराम ने 13 दिवसीय अनशन भी किया।¹⁶³ ई० सन् 1943 में रामजन्मभूमि अग्रवाल के प्रजा मण्डल में आ जाने से इसका काल तंत्री से ज़्यादा नहीं बास्टर भालानाथ का भी प्रजा मण्डल में नाय प्रशसनीय रहा। फरवरी 1946 में जब प्रजा मण्डल का एक सम्मेलन जागीरी जुल्मो के विरुद्ध खेडा मगलसिंह में हो रहा था तब उमको सरकार विरोधी मान बार प्रजा मण्डल की कार्यकारिणी के सब सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। इन गिरफ्तारियों का जनता ने प्रबल विरोध किया तथा 8 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया। अलवर नगर में एक सप्ताह तक हड्डताल रही। राज्य ने काफी गिरफ्तारिया की। अन्त में हीरालाल शास्त्री के प्रयत्यो से प्रजा मण्डल तथा महाराजा के बीच समझौता हो गया। सभी गिरफ्तार व्यक्ति छोड़ दिये गये। अगस्त माह में यहाँ उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन हुआ जिसके कारण अलवर नगर तथा राज्य के सभी क्षेत्रों में पूर्ण हड्डताले हुई। यह आन्दोलन 11 दिन तक चला तथा 600 व्यक्ति गिरफ्तार हुए।¹⁶⁴ अक्टूबर 1947 में महाराजा ने मन्त्री मण्डल में तीन लोकप्रिय मन्त्री लेने की घोषणा की लेकिन यह घोषणा टकोसला मात्र थी। अत प्रजा मण्डल ने इसे स्वीकार नहीं किया। ई० सन् 1947 में यहाँ ज्यादा ही साम्प्रदायिक दण्डे हुए, अत 7 फरवरी 1948 को केन्द्रीय सरकार ने यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया। मार्च 18 को यह राज्य मत्स्य सघ में सम्मिलित हो गया।

धोलपुर राज्य प्रजा मण्डल की स्थापना 1936 में हुई। इसके अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल व सचिव मूलचन्द्र चुने गये। राज्य ने ऐसी राजनीतिक संस्था को विल्युत पसंद नहीं किया और मण्डल की सम्पत्ति जब्त कर ली। सन् 1938 में प्रजा मण्डल ने सरकार को आवेदन पत्र पेश किया कि राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जावे लेकिन सरकार ने कत्तर्ट ध्यान नहीं दिया। ई० सन् 1940 में पूर्वी राजपूताना की रियासत के एक मम्मन में पुन उत्तरदाई सरकार की मांग की गई लेकिन फिर भी मान्दा ने ऐसी मांग बरने वालों का दमन किया। ई० सन् 1947 में उत्तरदायी नाड़ी में कुट्ट लोगों ने एक राजनीतिक सम्मेलन किया तब दो न्या—द्विंशुसिंह व पचमिंह पुलिस की गोली के शिकार हुए।¹⁶⁵ उन्नास ने द्विंशुसिंह का नाम चारों अन्त में रियासत को भुक्तना पढ़ा था। द्विंशुसिंह कुमार की गोदाना घोषित करनी पड़ी लेकिन गोप्त्र मार्च 1947 में द्विंशुसिंह का विद्युत मन्त्र सुध़े हो गया।

करौली राज्य में राजनीतिक जागृति का सूनपात कुवर मदनसिंह ओकारसिंह, चिरजीलाल शर्मा आदि ने किया। ई० सन् 1938 में प्रजा मण्डल की स्थापना होने के बाद जनता को सगठित किया गया और मपोटरा आदि स्थानों पर जामीरी जुतमों के विरुद्ध सम्मेलन किये गये। नवम्बर 1946 में पड़ोसी रियासतों के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं ने उत्तरदाई सरकार की माग उठाई। अत महाराजा ने जुलाई 1947 में सर्वेवानिक सुधारों हेतु एक समिति बनाई। समिति का मंत्र बरने लगी ही थी कि ई० सन् 1948 में यह राज्य मत्स्य सघ में सम्मिलित हो गया।¹⁶⁵

किशनगढ़ राज्य अजमेर के अत्यन्त निकट होने के कारण वहाँ काफी जागृति आई। यहाँ के प्रजा मण्डल के मुख्य कार्यकर्त्ता कातिचाद्र व पुस्पोत्तमलाल शर्मा जमालगाह आदि थे।¹⁶⁶

टोक मुसलमानी राज्य था। यहाँ ज्यादातर धार्मिक आदोलन हुए। टोक म ही लावा ठिकाना था जहाँ के महेन्द्रकुमार जैन ने राष्ट्रीय कायमों में बड़े उत्साह से भाग लिया।¹⁶⁷

शाहपुरा राज्य में प्रजा मण्डल की स्थापना ई० सन् 1938 में हुई। इसने बेगार बन्द करने, नगरपालिका स्थापित करने आदि के लिये काफी प्रयत्न किये। ई० सन् 1942 के आन्दोलन में यहाँ के कार्यकर्त्ता पकड़े जाकर अजमेर जेल में रखे गये। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्त्ता गोकुललाल असावा, लालूराम व्यास, रमेशचन्द्र, लद्दमीदत आदि थे। ई० सन् 1947 में गोकुललाल असावा के प्रधान मन्त्रीत्व में लोकप्रिय सरकार और विधान निर्माणी परिपद बनी और उसे मविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया गया। इस प्रकार का प्रगतिशील बदम उठाने वाली यही रियासत थी।¹⁶⁸ 1948 में यह रियासत मयुक्त राजस्थान सघ में सम्मिलित हो गई।

मिरोही राज्य में प्रजा मण्डल 1939 में स्थापित हुआ लेकिन इसका पंजीयन 1940 की मई में हो सका। ई० सन् 1941 में पुन बुद्ध गडबडी हुई और सभी मुख्य कार्यकर्त्ता जेल में डाल दिये गये। अगस्त 1942 में “भारत घोड़ो” आदोलन के समय यहाँ तीमरा बड़ा आदोलन हुआ। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्त्ता गोकुलभाई भट्ट राजपूताना प्रानीय बायोस बमेटी के प्रथम सभापति थे। भारत के स्वतंत्र होने पर मिरोही राज्य भारतीय सघ में जामिल हो गया तथा वहाँ प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि लेकर मन्त्रीमण्डल भी बन गया जिसके मुख्यमन्त्री गोकुलभाई भट्ट थे। बुद्ध बारणों से मरदार पटल ने

सिरोही वा प्रशासन 8 नवम्बर 1948 को भारत सरकार के हाथों में लेकर 5 जनवरी 1949 को अम्बई सरकार द्वारा सुपुद कर दिया। जिसके विरोध में न केवल सिरोही वल्कि राजस्थान में भी धौर आन्दोलन हुआ। 1956 की नवम्बर 1 से यह क्षेत्र पुनर राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया।¹⁰

प्रतापगढ़ राज्य के उदयपुर राज्य के निवट होने के कारण वहां की हलचलों वा काफी प्रभाव पड़ा। यहां के कार्यकर्ताओं ने पिछड़ी जातियों व भीलों को जागृत करने का काफी प्रयास किया। सन् 1936 में ठक्कर वाप्पा ने हरिजनोत्थान हेतु यहां हरिजन पाठशाला स्थापित की। बाद में सादी प्रचार सभा, पाठशाला आदि द्वारा यहां जनजागरण हुआ। यहां अमृतलाल पायक ने 1946 में प्रजा मण्डल की स्थापना की।¹¹

डूगरपुर राज्य में भीलों की आदादा होने तथा उनके अत्यन्त पिछड़े होने के कारण सबसे बड़ा समस्या उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना था। अत भोगीलाल पड़या, शोभालाल गुप्ता, माणकलाल वर्मा आदि ने यहां भील सेवा सघ स्थापित किया। उसकी ओर से यहां अनेक पाठशालाये सोली गईं। इम कारण यहां राजनीतिक जागृति हुई तथा राज्य से भी सघप हुआ। यहां के मुख्य कार्यकर्ताओं में भोगीलाल पड़या, हरदेव जोशी व गोरीशकर उपाध्याय थे। ई० सन् 1944 में प्रजा मण्डल स्थापित हुआ। उत्तरदायी सरकार की माग करने के कारण प्रजा मण्डल को राज्य सरकार से सघर्ष करना पड़ा जिसके कारण भोगीलाल पड़या को काफी जुत्म सहने पड़े। तब ही एक साथ 35 कायकर्ता गिरफ्तार किये गये। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद यहां भी लोकप्रिय मनी मण्डल बना। मनी मण्डल में गोरीशकर उपाध्याय व भीखाभाई प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में थे। ई० सन् 1948 की 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान सघ वा निर्माण होने पर यह रियासत उसमें सम्मिलित हो गई।¹²

वासवाडा राज्य में भी भीलों की अधिकता थी। गुजराज व उदयपुर की जन जागृति का यहां पर भी प्रभाव पड़ा। यहां 1943 में प्रजा मण्डल की स्थापना हुई। यहां के कार्यकर्ताओं—पन्नालाल, भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसार, मणीशकर जानी, ध्यानीलाल चिमनलाल मालोत, नटवरलाल भट्ट, मोहनलाल त्रिवेदी आदि ने भीलों की स्थिति सुधारने के काफी प्रयास किये। भारत के स्वतन्त्र होने पर यहां लोकप्रिय मनी मण्डल बना तब

भूपेद्रनाथ निवेदी मुरथमनी बने। सयुक्त राजस्थान मध्य का निर्माण होने पर यह रियासत उसमें मिल गई।¹²³

कुशलगढ़ वासवाडा राज्य का ही एक अग माना जाता था लेकिन यह उपरियासत अग्रेजी शासनकाल में बना दी गई थी। अप्रैल 1942 म भवरलाल निगम की अध्यक्षता में यहा प्रजा मण्डल की स्थापना हुई जिसने लाग बागों के विरुद्ध आदोलन चलाये। भीलों का भी सगठन किया गया। ई० सन् 1948 में यहा गांधी आश्रम की स्थापना भी गई।

अजमेर में कांग्रेस सगठन ई० सन् 1938 के भगटों के नारगा काफी कमजोर हो गया था। इसी वय व्यावर में एक राजनीतिक सम्मेलन भूलाभाई देसाई के सभापतित्व में हुआ तब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अजमेर मरवाडा को यू०पी० (वत्तमान उत्तरप्रदेश) में मिला दिया जावे ताकि इस जिले को प्रातीय स्वशासन आदि के लाभों से बचित न रहना पडे। सरकार ने इस प्रस्ताव की क्तिई परवाह नहीं की। द्वितीय महायुद्ध के समय जन गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया तब वहां के प्रमुख कायकर्त्ताओं में से कुछ ने इसमें भाग लिया। अगस्त 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय यहा भी काफी सरगमिया रही। अगस्त 9 वो अजमेर, व्यावर, केवड़ी आदि स्थानों के 37 मुरथ कायकर्त्ता गिरफ्तार किये गये। सभी कांग्रेस कमेटिया को अवैध घोषित कर दिया गया। आदोलनकारी छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया।¹²⁴ रमेश व्यास, लेमराज आय, शबरलाल शर्मा, मूलचन्द असावा, गोकुललाल असावा, मुकुटविहारीलाल भागव, रामनारायण चौधरी, चाद्रगुप्त वार्ण्य, बालकिशन कौल, ब्रजमोहन शर्मा आदि को गिरफ्तार कर उहे सजायें दी गई। ई० सन् 1944 में ज्वालाप्रसाद शर्मा व रघुराजसिंह जेल अधिकारिया की आसो में धूल भोक कर जेल से भाग गये। बाद में सन् 1945 तब सभी बांदी नेता छोड़ दिये गये। भारत के स्वतन्त्र होने पर राजपूताना एजेसी समाप्त कर दी गई। अब अजमेर राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं रहा। अजमेर में राजस्थान की रियासतों के नेताओं का आये दिन रहने वाला जमघट समाप्त हो गया। ई० सन् 1951 में 'मी' श्रेणी के राज्य बनाने सम्बन्धी अधिनियम के लागू होने पर अजमेर अलग से एक राज्य बन गया तथा यहा विधान सभा भी बना दी गई।

स्वतन्त्रता पश्चात् लोकतात्रिक सरकार राजस्थान में बन गई। वह तथा अखिल भारतीय देशी राज्य नोक परिपद की राजपूताना प्रान्तीय सभा

अजमेर को राजस्थान में मिलाने की माग करने लगी कि 'भौगोलिक, सास्कृतिक व भाषायी इटि से वह राजस्थान का ही एक भाग है। अग्रेजा ने अपनी मुविधा के लिये उसे एक अलग उपप्रांत बना रखा था। यह एक अलग छोटा राज्य—केवल 2417 वर्ग मील व सात लाख आवादी वाना—है जो भारत भरकार की राज्य निर्माण नीति के अनुसार अलग स्वतन्त्र राज्य नहीं बना रह सकता है।' अत जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब अजमेर राज्य को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की गई।¹⁶ २० सन् 1956 की पहली नवम्बर को अजमेर राजस्थान का एक भाग बन गया और उसमें पूर्ववर्ती विश्वनगढ़ रियासत का क्षेत्र मिलाकर एक नया जिला अजमेर बना दिया गया।¹⁶

इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रतिया 18 मार्च 1948 को आरम्भ हुई थी वह 1 नवम्बर 1956 को पूण हुई। राजस्थान में राजाशाही का अन्तिम चिह्न राजप्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया। अब राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने लगा।

यह स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता को स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु काफी सघप करने पड़े। अग्रेजी प्रान्तों में वहाँ की जनता को केवल अग्रेजी सरकार से सघप करना पड़ा लेकिन यहाँ अग्रेजी सरकार के अलावा, निरकुश राजाओं व प्रतिक्रियावादी सामन्तों से भी नोहा लेना पड़ा। इन सघर्षों में पचासों वीरगति को प्राप्त हुए, सैकड़ों को जेल जाना पड़ा और हजारों को पुलिस की लाठियों के प्रहार भेलने पड़े। जागीरी गांवों में हजारों किसानों को अपने मूल अधिकारों के लिए मार यानी पड़ी, सैकड़ों को खेतों से वेदखल होना पड़ा तथा उपज का 90 प्रतिशत तक अनाज लगान व लाग बागों में देकर व वेगारें निवालकर दयनीय अवस्था में रहते वरावर सघप करना पड़ा। अत मे वे सफल हुए व जागीरदारी प्रथा समाप्त होकर रही।

प्रत्येक रियासत मे ये मध्यर्य अनग-अलग कारणों व अलग-अलग कालों मे हुए। प्रत्येक राज्य के अलग अलग नेता थे। अत यहा कोई एक वैद्वीय संगठन नहीं बन सका ताकि इन पर नियन्त्रण रख सके तथा आवश्यकतानुसार सहायता व सलाह दे सके। इस कारण यहा व्यक्तिवाद ज्यादा ही पनपा और नेताओं में भी पारस्परिक मध्यप हुए। जमनालाल बजाज, पिंजरमिह पथिक, रामनारायण चौधरी व अजुनलाल सेठी के बीच द्वितीय महायुद्ध के पहले तथा उत्तर-स्वतन्त्रता काल मे हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्याम,

भारणकलाल वर्मा व गोकुलभाई भट्ट के बीच सघप इसके उदाहरण ह। इन नेताओं के सघर्षों के बारण प्रान्त का अहित ही हुआ।

राजस्थान के निर्माण के बाद स्वतंत्रता आनंदोलन के नेता राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गये। कई मन्त्री पद पा गये तो कई विधायक बन गये। कई बड़े पूजीपति बन गये तो कई उद्योगपति। राजाशाही की समाप्ति के बाद सामन्तशाही का अन्त हो गया लेकिन कई नये बड़े भूमिपति हो गये जो काश्त न करते भी बड़े काश्तकार बन गये और धास्तविक काश्तकारों वा शोपण करने लगे। जनता को काफी सीमा तक सामाजिक व आर्थिक मूल अधिकारों की प्राप्ति हुई है लेकिन फिर भी वहुमरणवा ग्रामीणों का अभी भी सामाजिक व आर्थिक शोपण हो रहा है। अत सामाजिक व आर्थिक सघप अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

टिप्पणिया—

- 1 ए बी कीथ, स्पीच एण्ड डाक्यूमेंट्स आन इण्डियन कास्टीट्यूसन (1921-47), भाग 1, पृ 320
- 2 (अ) पी मुखर्जी, इण्डियन कास्टीट्यूसन डाक्यूमेंट्स, 123
(ब) आर सी मजूमदार, विटिश परामाउण्ट्सी एण्ड इण्डियन रिनासा, भाग 1, 745
- 3 रमेश दत्त, द इकानोमिक हिस्ट्री आफ इण्डिया इन द विकटोरियन ऐज, 232 35
- 4 (अ) फतहसिंह चापावत, ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ जयपुर, 184
(ब) एचीसन, टिटीज, एगेजेंट्स एण्ड सनद्दस, भाग 3 103 4
- 5 थामसन एण्ड सरठ राइज एण्ड कुरफिलमेण्ट आफ विटिश रूल इन इण्डिया 469-70
- 6 पैण्डुल मूर, स्ट्रेजर इन इण्डिया, 631
- 7 एलेवेंडर बेम्पवेल इट इज योर एम्पायर 173
- 8 डोडवता, बैन्डिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, जिल्ड 6, 492
- 9 वाइट पपर आन इण्डियन स्टेट्स 22
- 10 के आर शास्त्री, इण्डियन स्टट्स, 81
- 11 ए सी बनर्जी, इण्डियन कास्टीट्यूसनल डाक्यूमेंट्स, जिल्ड 2, 37 (भूमिका)
- 12 सरिंग, फ्लट्री आफ मेया कालेज, जिल्ड 1 10 12
- 13 (अ) डिस्पेच स 89 दिनाक 3 जून, 1875
(ब) आर सी मजूमदार, वही पृ 966
- 14 ए सी बनर्जी, वही पृ 35 (भूमिका)
- 15 (अ) डोडवल वही 498
(ब) राजपूताना एजेंसी रिपोर्ट 1867-68, पृ 98

- 16 फारेन एण्ड पालीटीकल फाइल, दिसम्बर 1870, न 425 6
 17 आर सी मजूमदार, वही, 964
 18 वही, 964
 19 जगदीशसिंह गहलोत, जोधपुर राज्य का इतिहास (हन्तलिचित), पृ 208
 20 (अ) टी रेले, लाल कजन इन इण्डिया, 236
 (ब) बी बी कुलकर्णी, द पूर्वचर आफ इण्डियन स्टट्स, 17
 21 आर सी मजूमदार, वही, 970
 22 विजयसिंह पथिक, डायरी (अप्रकाशित)
 23 एचीसन, वही, पृ 74-78 तथा 147-151
 24 वही, 4-7
 25 वही, 108 110
 26 वही, 7 4
 27 जगदीशसिंह गहलोत, वही, 209
 28 एचीसन, वही, 224
 29 वही, 270-272
 30 हरविलास शारदा, शकर एण्ड दयानंद, 122
 31 ताराचंद, भारतीय स्वतंत्रता आदोलन का इतिहास, भाग 2, पृ 455-57
 32 बी पट्टाभि सीतारमव्या, बाय्रेस का इतिहास, भाग 1, 8
 33 वेडरबन बायोप्राफीकल स्केच आफ हयूम, 53
 34 आर सी मजूमदार, वही, भाग 2, पृ 538
 35 पी एन मायुर, प्रासीडिंग्स आफ राजस्थान हिस्ट्री बाय्रेस, 1969, पृ 160
 36 आर सी मजूमदार, वही, भाग 2 586
 37 वही 407 8
 38 बी पट्टाभि सीतारमव्या वही, 68 73
 39 (अ) लाल बहादुर, मुस्लिम लीग, 43
 (ब) राम गोपाल, इण्डियन मुस्लिम्स पालिटिकल हिस्ट्री, 83-84
 40 भोहनदास करमचंद गाधी, हिंद स्वराज्य, 15-18
 41 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फार फीडम, 2
 42 विजयसिंह पथिक की डायरी (अप्रकाशित)
 43 पाटलीपुत्र दैनिक, दिनांक 4 जुलाई, 1914 पृ 6
 44 एम के गाधी, एन योंटोप्राफी, 547
 45 इण्डियन एयुल रजिस्टर 1919 भाग 2, पृ 14
 46 बटलर कमेटी रिपोर्ट का सारांश
 47 बीकानेर स्टेट इडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, 1913-14, पृ 34-39
 48 पृष्ठीसिंह मेहना, हमारा राज्यान, 323
 49 वही, 332

- 50 मारणकलाल वर्मा मेवाड़ का बतमान शासन 28
 51 (अ) नवीन राजस्थान, अजमेर 9 जुलाई 1922
 (ब) पृथ्वीसिंह महता वही 360
 52 पृथ्वीसिंह महता वही, 344
 53 वही 341
 54 राजपूताना मध्यभारत सभा का वार्षिक विवरण, 1924 पृ 1
 55 पृथ्वीसिंह मेहता वही 347
 56 पायानियर दनिक 30 दिसम्बर 1920
 57 टाइम्स आफ इण्डिया 30 दिसम्बर 1920
 58 रामनारायण चौधरी, बीसवा सदी का राजस्थान 42, 67 तथा 86
 59 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फार फ्रीडम 350 51
 60 रिपोर्ट आफ द इण्डियन स्टटम पीपल्स काफ़े स, 1927, पृ 1
 61 मित्रा, द इण्डियन क्वाटरली रजिस्टर, जुलाई स दिसम्बर, 1924, पृ 494 98
 62 रिपोर्ट आफ द इण्डियन स्टटम पीपल्स का फॉस, 8
 63 इण्डियन रिप्पू, जनवरी, 1921 पृ 59 तथा अप्रैल 1921, पृ 267
 64 वही
 65 बाब्द ब्रानाक्स 25 मार्च, 1931
 66 जगदीशसिंह गहलात टाक राज्य का इतिहास (अप्रकाशित) पृ 46
 67 वी पट्टाभीसीवारमध्या, पृ 222
 68 सारगढ़ दास बीकातर का राजनीतिक इतिहास 113
 69 पृथ्वीमिह मेहता, वही 318
 70 वही 320
 71 महात्मा गांधी, द मन एण्ड हिज मिशन, 82 85
 72 ए काधिल द लास्ट टामीनियन 271 व 276
 73 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फार फ्रीडम, 413
 74 रामनारायण चौधरी वही 86
 75 वही 58
 76 जयनारायण व्यास मारवाड़ म जागृति और उस रोकन के उद्योग 5 8
 77 मोतीलाल तेजावत की आत्म कथा (अप्रकाशित)
 78 सहस्र राजस्थान, 16 मई, 1926, पृ 4
 79 जी आर अम्यकर प्रावलम्ब आफ इण्डियन स्टटस, 9-11
 80 रामनारायण चौधरी वही, 85
 81 माभाग मधुर, स्ट्रगल फार रस्पो-सीबल गवर्मेंट इन मारवाड़ 23 24
 82 रामनारायण चौधरी वही 95 96
 83 पेमाराम, एप्रेलियन मूवमेंट इन राजस्थान पृ 150 51

- 84 (अ) विश्वनपुरी, मेमायस आफ द मारवाड पुलिस, 125
 (ब) द प्रिस्ली इण्डिया 19 अक्टूबर, 1928
- 85 जगदीशसिंह गहलात कच्छवाहो का इतिहास 173
- 86 रामनारायग चौधरी वही 102
- 87 शकर सहाय सक्सेना, जा देश के लिए जिए, 53
- 88 (अ) यग राजस्थान, सितम्बर अक्टूबर 1929
 (ब) द हिन्दुस्तान टाइम्स 4 अक्टूबर 1929
- 89 पृथ्वीसिंह मेहता, वही पृ 381
- 90 वही पृ 376 385
- 91 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फार फीडम 804
- 92 वाइट पेपर आन इण्डियन स्टेट्स, 20
- 93 जगदीशसिंह गहलात भारत के देशी राज्य 47
- 94 वही 48
- 95 एस एस अध्यर, इण्डियन बास्टीट्यूसनल रिफोर्म्स 210
- 96 जी आर अभ्यक्त वही, 273
- 97 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फोर फीडम 454
- 98 रिपोर्ट आफ द इण्डियन स्टेट्स कमेटी 1928-29 परिशिष्ट 2
- 99 वही
- 100 इण्डियन एयुश्वल रजिस्टर 1921, भाग 2 98-102
- 101 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फोर फीडम 472 4
- 102 वही, 477
- 103 वही 481
- 104 वही, 482 4
- 105 वही 488
- 106 वही, 492 3
- 107 बी आर अभ्यक्त वाट बायोस एण्ट गाधी हव डन टू द अनटचेवल्स, 126 30
- 108 तारानन्द, वही, 177 8
- 109 वही, 197
- 110 आर सी मजूमदार स्ट्रगल फार फीडम 617
- 111 बी पट्टाभिसीतारामप्पा वही पृ 364
- 112 हिन्दुस्तान टाइम्स, 14 नवम्बर 1931
- 113 पृथ्वीसिंह मेहता, वही 410
- 114 राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, फाइल स 7/1934 तथा 105/1934
- 115 जहूरगी मेहर, राजस्थान म भाजादी रो भादोलन, पृ 32

- 116 महाराजा यगार्मिह मा मर डानालड फील्ड मा पत्र, या म 201, प्रा मे 54/37 दि 21 फरवरी 1937
- 117 मोभाग माधुर वही 39 व 59
- 118 पूणिमा नवीन लाल, राजस्थान प्रनुगीता, 218
- 119 वही 217
- 120 पमाराम वही 162
- 121 जहूरर्पा मेहर वही, 35-36
- 122 पूणिमा नवीनलाल, वही 216-217
- 123 वही, 226
- 124 वही
- 125 वी एन पानगडिया, राजस्थान म स्वतंप्रता संग्राम, 47
- 126 जगदीशसिंह भारत के देशी राज्य, 57
- 127 वी पट्टाभि सीतारामेय्या, वही, भाग 2 147
- 128 (अ) वी पी भेनन, द्रास्फर याक फावर, 126
(ब) ए के मजूमदार, एडवेट याक फीडम, 172
- 129 ए सी चटर्जी, इण्डियाज स्ट्रगल फोर फीडम 38
- 130 वी पट्टाभि सीतारामेय्या वही, भाग 2 376
- 131 आर सी मजूमदार, स्ट्रगल फोर फीडम 718
- 132 वी पट्टाभि सीतारामेय्या, वही भाग 1
- 133 वही, भाग 2, 80
- 134 वही, पृ 80
- 135 सुखवीरसिंह गहलोत, राजस्थान का समिप्त इतिहास, पृ 248
- 136, पूणिमा नवीनलाल, वही 147 48
- 137 जहूरसा मेहर, वही 43
- 138 वही, 44
- 139 वही
- 140 वही
- 141 (अ) आकारसिंह, महाराजा, 29 30
(ब) पानगडिया, वही, 77 78
- 142 पूणिमा नवीनलाल, वही 225
- 143 वही
- 144 जगदीशसिंह गहलोत, जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रप्रवालित) 301
- 145 वही, 307
- 146 वही, 309
- 147 वही 309
- 148 वही 309

- 149 पूर्णिमा नवीनलाल वही, 225
 150 सुखबीरसिंह गहलात, वही, 248
 151 पूर्णिमा नवीनलाल, वही, 226
 152 बी एल पागडिया वही पृ 85
 153 वही 65 66
 154 वही, 63 66
 155 वही 61 63
 156 वही, 74
 157 वही, 76
 158 पूर्णिमा नवीनलाल वही, 220
 159 वही
 160 बी एल पागडिया, वही 95
 161 ही ही गोड कस्टीटयुशन डबलपमण्ट आँफ ईम्टन राज्य संघ 5.
 162 बी एल पानगडिया, वही, 55
 163 वही, 40 41
 164 वही 88
 165 बी एल पानगडिया 67
 166 बी एल पानगडिया वही, 39 व 55
 167 वही, 56
 168 जगदीशसिंह गहलोत, टाक राज्य संघ (भूतान्त्रिक) १२
 169 बी एल पानगडिया, वही, 95
 170 जहूरखा मेहर आजादी रा झान्सी 70
 171 पूर्णिमा नवीनलाल, राज्यसभा कानूनों का संघ
 172 जहूरखा मेहर, वही, 67
 173 वही 67 68
 174 गाविंद सहाय, 1942 संघ, ३१
 175 रिपाट आँफ द म्हाल संघ (भूतान्त्रिक) १३५५, ७५
 176 अजमेर गजेटियर २-

किसान आन्दोलन

राजस्थान में राजनीति चेतना एव स्वाधीनता मग्राम की पृष्ठभूमि का निर्माण रियासतों के किसान वर्ग के आन्दोलनों ने किया। सामतवादी व्यवस्था में जागीरदार और किसानों के हितों में अन्तर्विरोध पाया जाता है। इस आतंर्विरोध की प्रथम सशक्त अभिव्यक्ति मेवाट के विजोलिया किसान आन्दोलन में हुई। अत विजोलिया आन्दोलन के गभ से भावी राजस्थान की राजनीतिक चेतना ने जाम लिया।¹

किसान वर्ग के आन्दोलनों को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने सबप्रथम राजस्थान में राजनीतिक-भाषाजिक चेतना वा सूत्रपात बिया, राष्ट्रीय आन्दोलन के भावी नेतृत्व का निर्माण किया और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले प्रजामण्डलों के समर्थन में मूल प्रेरक तत्व की भूमिका प्रस्तुत की।

सामतवादी व्यवस्था के प्रतिमान

स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में निम्नलिखित बड़ी छोटी कुन 22 रियासतें थीं² अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, वासवाडा, बूद्धी, डूगरपुर, भालावाड, किशनगढ, कोटा, मेवाड, प्रतापगढ, शाहपुरा, टाक, जयपुर, जैसलमेर, वीकानेर, जोधपुर, सिरोही, और लावा, कुशलगढ नीमराना।

रियासतों एव उनके अधीनस्थ ठिकानों (जागीर क्षेत्र) में सामतवादी व्यवस्था के प्रतिमान प्रचलित थे। इसके आतंर्गत नरेश रियासत का सम्प्रभु शासक होता था।³ उसके अधीन अनेक सामत जागीरदार होते थे। जागीरदार अपनी जागीर के अर्धस्वतन्त्र शासक होते थे। उहे अपने राज्य के स्वामी को रेख (जागीर के कुल राजस्व का वार्षिक कर), चावरी (धूडसवार, ऊट सवार और पैदल सेनिक नरेश की सेवा में प्रस्तुत बरना), हुकमनामा अथवा तनवार बधाई (उत्तराधिकार कर), नजर नजराना और छट्टूद

(मेवाड़ मे प्रचलित चाकरी कर) देना पड़ता था, यद्यपि इनकी मात्रा और राशि प्रत्येक रियासत मे भिन्न भिन्न थी।⁴

प्रत्येक रियासत मे भूमि का बन्दोवस्त दो प्रकार का था। एक खालसा भूमि, जिस पर शासक का प्रत्यक्ष नियन्त्रण होता था और दूसरा जागीर क्षेत्र जिस पर जागीरदार का प्रत्यक्ष प्रशासन होता था। जागीरदार अपने ठिकाने मे सबोच्च शक्ति होने के कारण कार्यपालिका (प्रशासनिक एवं पुलिस शक्तिया) एवं न्यायपालिका की शक्तियो का उपभोग प्रयोग करते थे।

जागीर और रियासत की आय की वृद्धि के लिए भू-राजस्व (भूमि का लगान) के अलावा अनेक प्रकार की लाग वेगार (उपकर एवं बलात् श्रम) किसानो से जबरन वसूल की जाती थी। 1941 मे जोधपुर राज्य द्वारा गैर कानूनी लाग-बाग की जाच के लिये गठित जाच ममिति के सामने मारवाड़ किसान सभा ने जोधपुर के प्रधानमन्त्री को 136 अवैध लाग बागो की सूची दी थी। जयपुर रियासत मे जब शेखावटी के ठाकुर ने मोटरकार खरीदी तो प्रजा पर एक नई मोटर लाग थोप दी गई, जबकि वे पहले से ही 30 से ज्यादा लागें दे रहे थे। 1922 मे किसान पञ्चायत विजोलिया ने ए०जी०जी० हालैड को 74 लाग बागो की सूची दी थी। बीकानेर राज्य के जागीरदारो ने 1940 मे 37 लागो मे से 29 को समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। जोधपुर रियासत के विलाडा परगना मे विभिन्न प्रकार की 142 लाग बागे किसानो से वसूल की जाती थी।⁵

सामतवादी व्यवस्था मे खालसा और जागीर दोनो मे ही वेगार प्रथा प्रचलित थी। विभिन्न जातियो को वेगार देनी पड़ती थी। जैसे—चमार-भावी (गाव के जागीर कर्मचारियो का अवैतिनिक सेवक बन्धुआ मजदूर के समान), कुम्हार (मिट्टी के वरतन, खपरैल और पानी की आपूर्ति करना), नाई (मुफ्त मे हजामत बनाना, कपडे धोना, वतन माजना, झाड़ू देना, स्नान कराना तथा मालिश करना), माली (फल फूल सब्जी आदि मुफ्त मे देना), बढ़ई (ठिकाने के फरनीचर की मरम्मत करना), सरगरा (सरकारी घोड़ो की सेवा और आसामियो को बुलाने की वेगार देना), ढोली (जागीरदार की सवारी के पीछे गाते हुए चलना), भील (पश्चवाहक का कार्य करना), महाजन (रियासत अथवा जागीर के कर्मचारियो की मात्रा के समय चारपाई, विस्तर, वर्तन और भोजन सामग्री की व्यवस्था मुफ्त मे करना) और साधारण कृपको को तो सबसे अधिक वेगार देनी पड़ती थी।⁶

किसानों को रियासत और जागीर दोनों के घोड़ों के लिए मुफ्त में हरी धास और जो की आपूर्ति करनी पड़ती थी। जागीर परिवार में निवाह, मृत्यु-भोज के अवसर पर मुफ्त में धो, दूध, दही देना पड़ता था। शामक या जागीरदार की यात्रा के समय मुफ्त में बैलगाड़ी अथवा ऊँट की व्यवस्था करना और ठाकुर की भूमि पर मुफ्त में येती करनी पड़ती थी। जब ठिकाने के कर्मचारी गाव में आते तो उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था नि शुल्क करनी पड़ती थी।⁷

लाग-वागों के अतिरिक्त जागीरदार रेप, तलवार-बधाई, छटूद और नजराने की राशि भी किसानों से बलात् बसूल करते थे। किसान लाटा लिए विना फसल में से अनाज की एक सिट्टी (थाली) भी नहीं तोड़ सकता था। इस सन्दर्भ में किसानों के धरों और औरतों की तलाणी लेकर उहे अपमानित किया जाता था। अनेक ठिकानों में किसानों की वह बेटियों वा जागीरदार अथवा उनके कर्मचारी शील भग करते थे।⁸

इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में अवैध लाग-वागों किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक शोषण के सयार होते थे, जिनके परिणामस्वरूप किसान के पास दोनों समय पेट भर खाने को भी नहीं व्यक्ता था। किसानों के शोषण और उत्पीड़न के चरमोत्कर्ष की अभिव्यक्ति 1942 में राजपूत सभा जोधपुर में पारित उस सकल्प से होती है जिसमें कहा गया कि किसी भी किसान को आय जागीर में वसने की स्वीकृत नहीं दी जाएगी।⁹

सामन्तवादी व्यवस्था में किसानों के आर्थिक-सामाजिक शोषण एवं उत्पीड़न की पृष्ठभूमि ने राजस्थान में किसान आदोलन एवं राजनीतिक चेतना का सूनपात किया और किसान आदोलन के जनक विजयसिंह पथिक इतिहास के अमर हस्ताक्षर बन गए।

मेवाड़ में किसान आदोलन

भारत में सबप्रथम अहिंसात्मक नीति पर आधारित सामाजिक विरुद्ध किसानों का संगठित आन्दोलन मेवाड़ के विजोलिया ठिकाने में प्रारम्भ होता है। विजोलिया को ऊपरमाल भी कहते हैं। यह मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 19 ठिकानों में से एक था, जिसमें 96 गाव थे। अधिक भू लगान, लागत तथा बेगारों को जबरन लेना और जागीरदार के अत्याचार विजोलिया ठिकाने में किसान आदोलन प्रारम्भ होने के प्रमुख कारण थे। ठिकाना छटून्द कर के

वार्षिक 4500 रुपये और तलवार-बधाई लाग के प्रजा से 60 हजार रुपये तक वसूल करता था, जबकि महाराणा मेवाड़ को केवल 40 हजार रुपये देने पड़ते थे। विजोलिया किसानों ने ए० जी० जी० सर रॉवर्ट हालैंड को जून 1922 में 74 लाग बागों की सूची दी थी।¹⁰

आंदोलन का सूत्रपात्र प्रथम चरण (1897-1916)

सामन्तगादी शोपण के विस्तृ विजोलिया किसानों के प्रथम विरोध की अभिव्यक्ति 1897 में धाकड़ जाति के एक किसान के मृत्युभोज के अवसर पर हुई।¹¹ राव कृष्णसिंह ने 1903 में एक नई लाग चवरी कर (पुत्री के विवाह पर 13 रुपये ठिकाने को लागत देना) लगाया। इसके विरोध में किसानों ने दो वर्ष तक अपनी पुत्रियों के विवाह नहीं किए। राव द्वारा चवरी लाग समाप्त नहीं करने पर 1905 में किसानों ने ठिकाने की जमीन पड़त रख दी और विजोलिया छोड़कर ग्वालियर राज्य की सीमा में चले गए।¹²

राव पृथ्वीसिंह ने 1913 में तलवार-बधाई की लागत प्रजा पर थोप दी। किसानों ने साधु सीतारामदास, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की कार्यवाही का विरोध किया। परन्तु सुच्छ सगठन और योग्य नेतृत्व के अभाव में विजोलिया के किसानों का प्रतिरोध असफल रहा।¹³

आंदोलन का द्वितीय-चरण (1916-1929) विजयसिंह पथिक युग

इस कालखण्ड में भाग्यवश विजोलिया के किसानों को विजयसिंह पथिक के रूप में एक महान् ऋन्तिकारी, प्रतिभामप्न, विलक्षण सगठनकर्ता, राजनीति में निपुण नेता मिल गया, जिसकी वारणी और लेखनी में ओजस्विता थी। उन्होंने किसानों का एक शक्तिशाली सगठन ही खड़ा नहीं किया, बल्कि लोकनायक माणिक्यलाल वर्मा तथा साधु सीतारामदास जैसे सक्रिय कार्यकर्ता और प्रभावशाली सहायक तैयार किए, जो किसानों की स्थानीय नेतृत्व प्रदान कर सके। उनके द्वारा स्थापित किसानों के सगठन “उपरमाल पच बोड” ने विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और मार्ग-दर्शन पथिकजी ने दिया।

असहयोग आंदोलन का प्रारम्भ

पथिकजी के परामर्श से गांवों के किसानों ने प्रथम महायुद्ध का चन्दा, औरण तथा लाग-देगार देने से इन्कार कर दिया। विजोलिया किसान आंदोलन की ओर देश का ध्यान आकर्पित करने के लिए ‘प्रताप’ (कानपुर) के यशस्वी सम्पादक गणेशशक्ति विद्यार्थी ने ‘प्रताप’ के पृष्ठ आंदोलन के लिए खोल दिये।

लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र 'मराठा' में आनंदोलन के समर्थन में मम्पादकीय लेख लिखे।¹⁴

ठिकाने ने अपना दमन-चक्र चलाते हुए लाग-वेगार जवरन लेना शुरू किया और पथिकजी साधु सीतारामदाम, माणिक्यलाल वर्मा, प्रेमचंद भील और गणपतिलाल माथुर पर राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तारी वारट निकाला। भूमिगत होने के कारण पथिकजी पड़े न जा सके। लागते तथा वेगार न देने के अपराध में ठिकाने ने 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।¹⁵ विजोलिया किसान आनंदोलन की यह प्रथम सामूहिक गिरफ्तारी थी। वर्माजी और साधुजी को बादी बनाकर उनके पावो में बेडिया डाल दी गई।

जाच आयोग

विजोलिया आनंदोलन को राष्ट्रव्यापी सहानुभूति मिलने और आनंदोलन की व्यापकता के कारण महाराणा मेवाड़ ने दो जाच आयोग (प्रथम, अप्रैल 1919 में, और द्वितीय, फरवरी 1920) नियुक्त किए, परन्तु रियासत और ठिकाने के असहयोग के कारण किसानों के कष्टों का आत नहीं हुआ।¹⁶

पुन आनंदोलन

द्वितीय जाच आयोग का भी कोई परिणाम नहीं निकलन से विजोलिया पच बोड ने पुन असहयोग आनंदोलन प्रारम्भ कर दिया और गाव गाव में ऊपरमाल पच बोर्ड की समानान्तर सरकार स्थापित कर दी। उस समय पथिकजी वधारणा गाव (ग्वालियर राज्य) से आनंदोलन का माग-दशन कर रहे थे। उनके निर्देश से किसान पचायत ने ऊपरमाल की समस्त भूमि को पड़त रख दिया और किसान विजोलिया ठिकाना छोड़कर सीमावर्ती राज्यों में खेती करने चले गये।¹⁷ पथिकजी ने गाधी माग हिजरत का प्रथम परीक्षण विजोलिया में किया। वस्तुत इस आनंदोलन ने ठिकाने की सत्ता और प्रतिष्ठान को गम्भीर नुकशान पहुचाया।

दिसम्बर 1920 में पथिकजी ने राजस्थान सेवा संघ (वर्धा) के मध्य रामनारायण चौधरी को किसान आनंदोलन का माग दशन वरने के लिए विजोलिया भेजा।¹⁸ पथिकजी पर मेवाड़ राज्य में प्रवेश पर प्रतिवाध लगा दिया गया था।¹⁹

ए०जी०जी० द्वारा मध्यस्थिता, 1922

अब विजोलिया आनंदोलन का प्रभाव मेवाड़ के अय ठिकाना पर भी पहने लगा था। भारत सरकार को इसमें अंग्रेज सत्ता विरोधी चिंगारी

दिखाई देने लगी। अत राजपूताने के ए०जी०जी० सर हर्वेंट हॉलैंड के नेतृत्व में एक उच्च सत्ता सम्पन्न शिष्ट-मठल भेजा गया। इस बार किसानों का प्रतिनिधित्व राजस्थान सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी ने किया और किसान पचायत की ओर से वर्मजी आदि ने भाग लिया।^{१०}

ए०जी०जी० हालैंड के प्रयत्नों से ठिकाने और किसानों के बीच सम्मानपूर्वक समझौता हो गया। 35 लागते बेगार समाप्त कर दी गई। किसानों पर चलाए गए मुकदमे उठा लिये गये। तीन साल की अवधि में जागीर वा बन्दोबस्त (सैटलमैट) करने का आश्वासन दे दिया गया।^{११} विजोलिया किसान आदोलन की यह गौरवशाली विजय थी।

मालभूमि का समष्टण

भूमि बन्दोबस्त में ऊँची लगान दर रखने के विरोध में पथिकजी के परामर्श से किसानों ने 20 मई, 1927 को ठिकाने को अपनी मालभूमि समर्पित (सरेंडर) कर दी। यह महान् भूल थी। किसानों द्वारा अपनी जमीनों से इस्तीफे देने के प्रश्न पर पथिकजी और वर्मजी में मतभेद हो गये। अत पथिकजी ने 1929 में किसान पचायत के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया।^{१२}

आन्दोलन का तृतीय चरण (1929–1941)

हरिभाऊ उपाध्याय का नेतृत्व

मासिक्यलाल वर्मा के अनुरोध पर विजोलिया किसान आदोलन वा नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। आदोलन का मुख्य लक्ष्य समर्पित मालभूमि को पुन प्राप्त करना था। वाफी प्रयत्नों और 1931 के किसान सत्याग्रह के बाद, अत में सेठ जमनालाल बजाज और मेवाड के नये प्रधानमन्त्री टी० विजयराघवाचार्य के सहयोग से पुराने खातेदारों को अपनी मालभूमि पुन प्राप्त हो सकी।^{१३} इस प्रकार एक दीर्घकालीन संघ (1897–1940) के बाद 1941 में विजोलिया किसान आदोलन का पटाखेप हुआ।

मूल्यांकन

विजोलिया किसान आदोलन राजस्थान में किसानों का प्रथम दीघकालीन अर्हसात्मक, अग्रणी असहयोग आदोलन था। इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। इसने मेवाड के अय ठिकानों में भी किसानों को सामतवादी व्यवस्था के शोषण के संयंग्रे वे विरद्ध संगठित प्रतिरोध एवं असहयोग आदोलन बरने

किसान वर्ग के आनंदोलनों के कारणों तथा घटनाओं का पृथक् पृथक् विवेचन नहीं करके केवल नेतृत्व वर्ग का उल्लेख किया गया है।

सिरोही राज्य में किसान आनंदोलन

मेवाड़ से मोतीलाल तेजावत जनवरी, 1922 में भिरोही आए। सिरोही राज्य में किसान-आनंदोलन दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में, मोतीलाल तेजावत ने भील और गरासियों में एकी की व्यवस्था (वन्धुत्व एवं सगठन की भावना) स्थापित की। उसने भीलों को राज्य को भू लगान लाग बेगार देने से मना कर दिया। 6 मई, 1922 को राज्य ने दमन चत्र चलाया। भीलों के 640 घर जला दिए गए, 29 भील मारे गए और 80 हजार की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई।²⁶ भीलों गरासियों की अनेक मार्गे मान लेने के कारण यह आनंदोलन 1928 में समाप्त हो गया। 1929 में महात्मा गांधी की सत्ताह पर तेजावत ने अपने आपको ईडर पुलिस के सुपुर्दं कर दिया।²⁷

दूसरे चरण में, गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामडल के नेतृत्व में किसान आनंदोलन का सचालन किया। राज्य ने किसान जाच समिति की स्थापना की। उसके सुभावों के अनुसार जुलाई 1941 में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को कुछ रियायते दी गई परन्तु जागीर क्षेत्रों में किसानों का शोषण न्यूनाधिक रूप से होता रहा।²⁸

बूदी में किसान आनंदोलन

बिजोलिया और वेगू के किसान आनंदोलन से प्रेरित होकर बूदी के किसानों ने निम्नलिखित कारणों से बूदी के सामन्तवादी प्रशासन के विस्तृ आनंदोलन प्रारम्भ किया।

- (क) बूदी का प्रशासन भ्रष्ट एवं अकुशल था, जिसके कारण चोर-डाकुओं से किसानों के जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा बना रहता था।
- (ख) भू-राजस्व के अतिरिक्त लगभग 25 प्रबार की लागतें (उपकर) एवं अनेक प्रबार की बेगार किसानों को देनी पड़ती थीं।
- (ग) दबाव के कारण राजकीय अधिकारियों द्वारा कृषि उत्पादन नि शुल्क देना पड़ता था, और
- (घ) युद्ध कोप के लिए किसानों से जवरन वसूली।²⁹

राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन में वरड के किसानों ने सवप्रथम अप्रैल, 1922 में आनंदोलन प्रारम्भ किया। 1 मई 1922 को बूदी नरेश ने

की प्रेरणा और तकनीक प्रदान की। परिणामस्वरूप पहले बेगू, बस्सी, भसरोडगढ़, धागडमऊ, नीमली, पारसोली, अमरगढ़ और भींडर में तथा बाद में सम्पूर्ण मेवाड़ में किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गए। बेगू में विजयसिंह पथिक को 10 सितम्बर 1923 को राजद्रोह के आरोप में गिरफतार किया गया। उन्हे 27 अप्रैल, 1927 को रिहा किया गया।

विजोलिया किसान आन्दोलन और महात्मा गांधी द्वारा सचालित असहयोग आन्दोलन (1920–22) के प्रभाव के कारण राजस्थान की समस्त रियासतों में भी किसान वग के आन्दोलन प्रारम्भ हो गए।

भील गरासियों में आन्दोलन

डू गरपुर, वासबाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, इंडर, गुजरात और मालवा के बीच के तमाम पहाड़ी प्रदेश में मुख्यत आवादी भील, मीणो और गरासियों की है। भीलों का नेतृत्व गोविन्द गुरु (1858–1920) ने किया। उन्होंने भीलों में सगठन और समाज सुधार के लिए सम्पस्तभा की स्थापना की। गोविन्द गुरु के प्रयत्नों से भीलों ने राज्य को लाग बेगार देना बद कर दिया। अन्त में मानागढ़ की पहाड़ी (गुजरात) के वार्षिक मेले पर 7 दिसम्बर 1908 को भीलों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई। इस भीषण नरसहार में 1500 भील मारे गए तथा गोविन्द गुरु को बादी बना लिया गया।²⁴

गुरु गोविन्द के बाद भीलों को समर्थित करने का काय मोतीलाल तेजावत (1886–1963) ने किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1921 में भाडील ठिकाने (मेवाड़) की नौकरी छोड़ी। तेजावत ने बैठ बेगार और लाग बाग समाप्त करने सम्बंधी भागों को लेकर आस पास की रियासतों के भीलों का एक विशाल सम्मेलन नीमडा गाव (विजयनगर राज्य) में आयोजित किया। सम्मेलन के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की गई। इस नरसहार में 1200 भील मारे गए। घायल भील नेता तेजावत भूमिगत हो गए और पुलिस उहे बादी नहीं बना सकी।²⁵

अन्य रियासतों में किसान आन्दोलन

राजस्थान की अन्य रियासतों में किसान वग के आन्दोलनों के (व) सामाजिक बारण, (ख) प्रकृति, (ग) सामन्तवाद के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन वीं तकनीक और (घ) रियासतों तथा ठिकानों के दमन चक्र के प्रतिमान विजोलिया विमान आन्दोलन के समान रहे हैं। अत रियासतों के

किसान वग के आन्दोलनों के कारणों तथा घटनाओं का पृथक् पृथक् विवेचन नहीं करके केवल नेतृत्व वर्ग का उल्लेख किया गया है।

सिरोही राज्य में किसान आन्दोलन

मेवाड़ से मोतीलाल तेजावत जनवरी, 1922 में भिरोही आए। सिरोही राज्य में किसान-आन्दोलन दो चरणों में हुआ। प्रथम चरण में, मोतीलाल तेजावत ने भील और गरासियों में एकी की स्थापना (वाधुत्व एवं सगठन की भावना) स्थापित की। उसने भीलों को राज्य को भू लगान लाग बेगार देने से मना कर दिया। 6 मई, 1922 को राज्य ने दमन चन्न चलाया। भीलों के 640 घर जला दिए गए, 29 भील मारे गए और 80 हजार की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई।²⁶ भीलों गरासियों की अनेक मार्गे मान लेने के कारण यह आन्दोलन 1928 में समाप्त हो गया। 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पर तेजावत ने अपने आपको ईडर पुलिस के सुपुर्दं कर दिया।²⁷

दूसरे चरण में, गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामडल के नेतृत्व में किसान आन्दोलन का सचालन किया। राज्य ने किसान जाति समिति की स्थापना की। उसके सुभावों के अनुसार जुलाई 1941 में बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। किसानों को कुछ रियायते दी गई परन्तु जागीर क्षेत्रों में किसानों का शोषण न्यूनाधिक रूप से होता रहा।²⁸

बूदी में किसान आन्दोलन

विजोलिया और वेगू के किसान आन्दोलन से प्रेरित होकर बूदी के किसानों ने निम्नलिखित कारणों से बूदी के सामाजिक प्रशासन के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया।

- (क) बूदी का प्रशासन भ्रष्ट एवं अबुशल था, जिसके कारण चोर-डाकुओं से किसानों के जीवन एवं सम्पत्ति को खतरा बना रहता था।
- (ख) भू-राजस्व के अतिरिक्त लगभग 25 प्रकार की लागतें (उपकर) एवं अनेक प्रकार की बेगार किसानों को देनी पड़ती थी।
- (ग) दबाव के कारण राजकीय अधिकारियों को कृपि उत्पादन नि शुल्क देना पड़ता था, और
- (घ) युद्ध कोप के लिए किसानों से जवरन चसूली।²⁹

राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन में वरड के किसानों ने सबप्रथम अप्रैल, 1922 में आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1 मई, 1922 की बूदी नरेश ने

सावजनिक सभाओं पर प्रतिवध लगा दिया। परन्तु प्रतिवध-आदेश का उल्लंघन करते हुए किसानों ने मोरारी, डावी, गुड़ा लावासोह और नीमाना में सभाओं का आयोजन किया। नीमाना की सभा (30 मई) में स्त्रियों सहित 4,000-5,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान सेवा संघ के भवरलाल सुनार को बन्दी बना लिया, परन्तु 300 स्त्रियों की भीड़ ने उसे छुड़ा लिया।³⁰

किसान आन्दोलन को दबाने के लिए प्रशासन ने दमनचक्र का सहारा लिया। जून, 1922 में अनेक किसानों को बन्दी बनाया गया और उह छुड़ाने के प्रयास में पुलिस ने औरतों पर लाठिया तथा भालो से प्रहार किया। पुलिस अत्याचारों की जाच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को डावी गाव भेजा तथा 'बूदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार' शीषक से एक पैम्पलेट 30 जून, 1922 को प्रकाशित किया।³¹

राजस्थान सेवा संघ अजमेर और हाड़ौती तथा टोक के पोलिटिकल एजेण्ट के हस्तक्षेप के कारण बूदी प्रशासन ने जुलाई 1922 में अनेक वेगारों को समाप्त करने की घोषणा की, परन्तु किसान उनसे सतुष्ट नहीं हुए और उहोंने आन्दोलन जारी रखा। किसानों ने भूराजस्व देना बन्द कर दिया, आरक्षित चारागाहों पर अतिक्रमण शुरू किया तथा पारस्परिक विवादों को ग्राम पचायतों में हल करने का निश्चय किया।³²

आन्दोलन की गति को रोकने लिए प्रशासन ने सितम्बर, 1922 में नवीन राजस्थान (अजमेर) और प्रताप (कानपुर) पर राज्य में प्रतिवध लगा दिया। अक्टूबर, 1922 में किसान आन्दोलन बरड़ ज़िले से खेराड ज़िले में भी फैल गया। 2 अप्रैल, 1923 को डावी गाव में एक सभा हुई जिसमें किसानों ने निश्चय किया कि वे खाद्य सामग्री राज्याधिकारियों को नहीं देंगे। इस सभा को भग करने के लिए पुलिस ने गोलिया चलाई जिससे नानक भील और देवीलाल गुजर स्थल पर ही मर गए और अनेक किसान घायल हुए। 14 नवम्बर को पुलिस ने किसान आन्दोलन के नेता नेन्‌राम शर्मा को बन्दी बना लिया और उह चार वर्ष की सजा दे दी गई।³³

जून 1923 में बूदी प्रशासन ने राजस्थान सेवा संघ के विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिजी ब्रह्मचारी, सत्यभक्त, अजना देवी आदि पर बून्दी प्रवेश पर प्रतिवध लगा दिया। परन्तु इसके साथ-साथ किसानों को कुछ

रियायते देने की घोषणा वी और नेनूराम शर्मा को 24 मितम्पर, 1924 को रिहा बर दिया।³⁴

1925 26 मे नेनूराम शर्मा ने किसानों वी शिकायता को दूर करने के लिए अनेक आवेदन पत्र बूदी नरेण को भेजे। अन्तत राजस्थान सेवा संघ मे फूट पड़ने मे बूदी आदोनन 1927 मे मन्द पड़ गया।

दम वर्षों के अंतराल के बाद बूदी मे गूजरो वा आदोलन (1936–1945) प्रारम्भ हुआ। 5 अक्टूबर, 1936 को गूजर एवं मीणाओं की एक मभा वा आयोजन टिडोली नगर मे हुआ। इसमे 90 गावों के 500 व्यक्ति एकत्रित हुए। मभा म मुग्यत अधिक भू-राजस्थ, गैर वानूनी नाग-नाग तथा अधिन चराई दरके विरुद्ध आदोनन तरने वा निश्चय किया गया। बूदी मे गूजरो वा आदोनन 1945 ता चलता रहा, परंतु नेतृत्वविहीन होने के कारण इसे सफलता नहीं मिली।³⁵

निम्न-देह विसान आदोलन एवं गूजर आन्दोलन दोनों ने ही बूदी मे राजनीतिक चेतना के प्रचार-प्रमार मे योगदान दिया।

अलवर राज्य

अलवर राज्य मे मामतवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध वी प्रथम सगठित अभिव्यक्ति जगली सूअरो के उत्पात के बारण हुई। सूअर किसानों की यडी फमला को नष्ट बर देते थे, परंतु प्रतिग्रन्थ के बारण वे सूअरो को मार नहीं सकते थे। अत 1921 मे विसाना ने आदोलन प्रारम्भ किया। अन्तत महाराजा ने जगली सूअरो को मारने वी किसानों वी माग स्वीकार बर ली।³⁶

मई 1925 मे अलवर राज्य वी दो तहसीलो वानस्पूर और थाना गाजी मे सरकार द्वारा लागू वी गई भू राजस्व वी ऊँची दरो के विरोध मे आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। 14 मई 1925 को नीमूचारणा (तहसील गानस्पूर) गाव म एकत्रित किसानों वी सभा पर गोलियो की बौद्धार की गई, जिसके परिणामस्वरूप 353 घर जला दिए गए, 95 व्यक्तिया वी गोनो काण्ड से मृत्यु हो गई, 250 व्यक्ति घायल हुए और महिलाओं का अपमान किया गया।³⁷ महात्मा गावी ने इस दमन चक को “यग इण्डिया” मे “दोहरी डायरशाही” कहा था।³⁸

जयपुर राज्य

जयपुर राज्य मे विसान आदोलन के केन्द्र शेखावाटी, तोरावाटी, साभर तथा सीकर एवं खेतडी के ठिकाने थे। वस्तुत मीकर शेसागाटी का कृपक

आदोलन “जाट किसान और राजपूत जागीरदारों के सघर्ष की कहानी है। किसानों में वहुसरयक लोग जाट थे और जागीरदारों में वहुसरयक राजपूत थे।”³⁹

जयपुर राज्य में सीकर छिकाना एक अद्व्यतन राज्य था, जिसमें 436 गाँव थे। सीकर छिकाने का आधा भू भाग खालसा तथा आधा भू-भाग जागीर क्षेत्र, जिसमें छोटे-छोटे जागीरदार यानी भोमिया का जासन था। इष्टक आन्दोलन का सम्बंध सालसा तथा जागीर दोनों ही क्षेत्रों से था। किसान आन्दोलन के प्रमुख कारण ये— लगान में अत्यधिक वृद्धि, अनुचित टग से लगते (उपकर) बढ़ाना, जबरन बेगार लेना और जागीरदारा द्वारा किसानों का सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न करना।

1921 में महात्मा गांधी भिवानी आये थे। उस समय शेखावाटी के अनेक नेता उनसे मिले। युवक हरलालसिंह ने महात्मा गांधी और असहयोग आन्दोलन (1920-22) की प्रेरणा से किसान पचायतों की स्थापना का काम प्रारम्भ करके किसान सगठन और किसान-चेतना का वार्य प्रारम्भ किया।⁴⁰

सीकर में किसान आदोलन 1922 में प्रारम्भ हुआ जबकि नये ठाकुर कल्याणसिंह ने 25 से 50 प्रतिशत ताल भू राजस्व इस आधार पर बढ़ा दिया कि पूर्व ठाकुर के दाह सस्कार तथा उनके उत्तराविकार उत्सव पर अधिक खर्च हो गया था। किसानों की शिकायत पर रावराजा कल्याणसिंह ने अगले वर्ष लगान में छूट देने का वचन दिया, परंतु रावराजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया।

1923-1925 तक सीकर के किसान जयपुर राज्य परिपद्व को शिकायत करते रहे, परंतु रावराजा ने किसानों की शिकायते दूर करने के बजाय मार्च 1925 में 16 किसान नेताओं को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लिया और राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी पर फरवरी 1926 में भीकर प्रवेश पर प्रतिवन्ध लगा दिया। इसके अलावा उनके पत्र ‘तरुण राजस्थान’ को भी सीकर तथा जयपुर में प्रतिवन्धित कर दिया गया।

सीकर आदोलन की गूँज भारत की बेन्द्रीय असेम्बली एवं क्रिटेन की लोकसभा तक पहुँचने के परिणामस्वरूप रावराजा ने भू-लगान की दर निर्धारित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया। मई 1925 में छिकाने एवं

किसानों में यह समझौता हुआ कि लगान की मात्रा कृपि उत्पादन के अनुसार प्रतिवर्ष निर्धारित ही जाए।

समझौते के बाद रावराजा द्वारा बन्दोबस्त से पूब छोटी जरीब के भूमि-सर्वेक्षण कराने पर पुनः कृपक असन्तोष ने उग्र स्प धारण कर लिया। 1931 से भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर शेखवाटी के किसानों का मार्ग-दर्शन करना प्रारम्भ किया। उनके नेतृत्व में जनवरी 1934 में सीकर में 'प्रजापति जाट महायज्ञ' का आयोजन किया गया। यह महायज्ञ जाट किसानों के सगठन एवं जागीरदारों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का प्रतीक था।

18 फरवरी, 1934 को 200 जाट किसानों के शिष्ट-मण्डल ने जयपुर प्रशासन को अपनी शिकायतों का स्मरण पत्र दिया। परिणामस्वरूप सीकर के रावराजा ने दमन-चत्र का सहारा लिया। कई किसानों को बन्दी बनाया गया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सिहोट-ठाकुर ने तो औरतों के बात पकड़कर घसीटने एवं उन्हें बैंतों से मारकर अपनी निर्दयता का परिचय दिया। इसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ। जिसमें लगभग दस हजार महिलाओं ने भाग लिया। अब किसानों ने ठिकाने वाले लगान नहीं देने का आदोलन प्रारम्भ कर दिया। अन्तत 23 अगस्त, 1934 को सीकर के वरिष्ठ अधिकारी वेब और किसानों के मध्य समझौता हो गया, जिसके अनुमार कतिपय लागते और वेगार वाद कर दी गई। लगान में रियायत दी गई। यह समझौता सीकरवाटी जाट पचायत की महान् मफलता थी।

रावराजा सीकर द्वारा समझौते का पालन नहीं करने पर तथा शेखवाटी के पच पाने ठिकानों द्वारा दिसम्बर 1934 में वर्षा के अभाव में 25 प्रतिशत लगान कम करने पर पुनः जाटों ने मध्यर्ष प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने ठिकाने को लगान देना वाद कर दिया। ठिकाने ने जाट नेताओं को बन्दी बनाया और स्त्रियों पर अत्याचार किए, फिर भी रावराजा लगान बसूल नहीं कर सका। अन्त में रावराजा ने 4 लाख 16 हजार 300 रुपये की लगान की उकाया राशि माफ करने तथा बन्दोबस्त विभाग स्थापित करने की घोषणा जून 1935 में की। परन्तु कुदान काण्ड (अप्रैल, 1935) में बन्दी बनाए गए 23 जाटों को मजा देने के कारण आदोलन पुनः भड़व उठा।

अतः जयपुर प्रशासन के हस्तक्षेप के बारें रावराजा सीकर को झुकना पड़ा। खालसा क्षेत्र में भूमि वादोबस्त कर दिया गया। अनेक लगानों

और बलात वेगारो को समाप्त कर दिया गया। परन्तु जागीर क्षेत्र मे भू-वन्दोवस्त करने तथा खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने के लिए जनवरी 1939 मे पुन किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। जागीर क्षेत्रो के किसानो ने लगान देना बन्द कर दिया। किसान आन्दोलन के दबाव के बारण सीकर ठिकाने न दिसम्बर 1946 मे जागीरी गाँवो मे बन्दोवस्त करने की घोषणा की।⁴¹

अन्त मे, सीकर के इस दीधकालीन विसान सघप का पटाक्षेप मार्च 1947 मे जयपुर मे हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व मे लाक्ष्मि प्रिय मन्त्रीमण्डल की स्थापना के साथ हुआ। राजस्व मनी टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्रो मे ब दोबस्त करने के तुरन्त आदेश जारी किए। इस आन्दोलन मे अनेक व्यक्तियो ने महत्वपूण भूमिका अभिनीत की। उनमे से सरदार हरलाल सिंह, नेतरामसिंह गोरीर, चौधरी धासीराम, लालूसिंह, ताडकेश्वर शर्मा, नरोत्तमलाल जोशी, चौधरी ईश्वरसिंह, हरदेवसिंह पृथ्वीसिंह, गणेशराम, पनेसिंह और मास्टर चंद्रभानसिंह प्रमुख थे। भरतपुर वे जाट नता देशराज ने सीकर के किसानो को संगठित करने मे 1931 से महत्वपूण भूमिका निभाई।

शेखावाटी क्षेत्र मे किसान आन्दोलन

जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के अन्तर्गत चार भू भाग शामिल ह— उदयपुरवाटी, सिधानीवाटी, नरहरवाटी और झु झुनुवाटी। सम्पूण क्षेत्र म छोट-बडे जागीरदारो का आधिपत्य था। इस क्षेत्र मे पाच ठिकाने प्रमुख थे— विसाऊ, डु डलोद, मलमीसर, मण्डावा आर नवलगढ। इहे पचपाना सरदार ठिकाने भी कहा जाता था।

शेखावाटी भू भाग का कृपक आन्दोलन सीकर आन्दोलन वा ही विस्तार मान था। इस क्षेत्र के अधिकाश कृपक जाट थे। 1924 मे उहोने जागीरदारो वे सामाजिक आर्थिक उत्पीडन के विरुद्ध जयपुर प्रशासन से शिकायत की। पचपाने के जागीरदारो के अत्याचारो का विरोध किसानो ने सगान न देने के अभियान से प्रारम्भ किया। यहा के जागीरदार सीकर का तुलना मे अधिक शूर तथा अमानवीय थे। वाफो सघप और कुर्बानियो के बाद 1946 मे शेखावाटी क्षेत्र के विसानो वो लगान मे कुछ रियायतें मिली, परन्तु उनके दु खा का अत जयपुर मे माच 1947 मे हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व मे सोक्ष्मि सरकार बनन पर ही हुआ।

सीकर और शेखावाटी क्षेत्र के किसान आन्दोलन को जाट नेताओं के अतिरिक्त 1935 से जयपुर प्रजा मण्डल के नेताओं का भी सक्रिय मागदशन प्राप्त हुआ।

जोधपुर राज्य

सामन्तवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जोधपुर में जून 1924 में 'मारवाड हितकारिणी सभा' की स्थापना हुई। इस सभा के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित थे—

जयनारायण व्यास (जोधपुर), दुर्गाशक्ति श्रीमाली (जोधपुर), मीठालाल पुष्करण ब्राह्मण (जैसलमेर), जगदम्बा प्रसाद सेवक (सोजत) और जोधपुर के हरिराम जोशी।

सबप्रथम, मारवाड हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में राज्य से मादा पशुओं गाय, बवरी और भैसो के अजमेर, नसीराबाद, अहमदाबाद और वम्बई के तसाईखानों में भेजे जाने के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया और उन्हे 1 सितम्बर 1924 में भफलता मिल गई, जब राज्य प्रशासन ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया।⁴²

जागीर क्षेत्रों में आदोलन

1929 में मारवाड हितकारिणी सभा ने जोधपुर राज्य की लगभग 1300 जागीरों में रहने वाले किसानों को जागीरदारों के सामातवादी शोपण से मुक्ति दिलाने के लिए आदोलन करने का निश्चय किया। जागीर क्षेत्रों में किमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। कुल उपज का आधा भाग नो लगान के भुगतान में ही व्यय हो जाता था। इसके अलावा किमानों को 136 प्रकार की लागतें एवं बलात् वेगार देनी पड़ती थी।⁴³

12 मई 1929 को मारवाड हितकारिणी सभा की मीटिंग जयनारायण व्याम की अध्यक्षता में हुई। इसमें निश्चय विया गया कि लगान की उच्च दरे बलात् वेगार एवं अनेक लागतों (उपवर) तथा जमीदारों के सामाजिक-आर्थिक शोपण के विरुद्ध किसानों में चेतना उत्पन्न की जाए। इस सन्दर्भ में 9 व्यक्तियों की समिति बनाई गई। जयनारायण व्यास के अलावा प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार थे—आनादराज सुराणा, भवरलाल सरफ, हेमचंद्र छगानी। जयनारायण व्यास ने 'तरण राजस्थान' के 25 मार्च तथा 16 सितम्बर, 1929 के अव में किमानों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों से

अपील की कि उन्हें जागीरदारों के समतवादी अत्याचारों का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये तथा जागीरदारों को भू राजस्व और लाग-बागों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने किसानों की दुर्दशा का चित्रण दो पैम्पलेटों 'मारवाड़ की अवस्था और पोपाराई की पोल' में किया, जिनका प्रकाशन मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा किया गया था।

अहिंसात्मक तिसान आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रायपुर, बगड़ी और खूदा के ठिकाने थे। जोधपुर-प्रशासन ने आन्दोलन का दमन करने से लिए 'तरण राजस्थान' पर प्रतिवन्ध लगा दिया और 20 जनवरी, 1930 को जयनारायण व्यास आनन्दराज मुगरणा तथा भवरताल मर्फाक को बांदी बना लिया। जयनारायण व्यास को 5 वय के बड़ों कारावास तथा आनन्दराज मुगरणा, भवरताल मर्फाक का 4 4 वय के बड़ों कारावास की मजा दी गई। इनके अनावा तोना नेताओं पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना भी लिया गया, जिसका नुगतां नहीं बरने की दशा में एक एक वय की बड़ों मजा वा प्रावधान लिया गया।⁴⁴

अन म ब्रिटिश भारत म नविनय ग्रन्ता आन्दोलन में भाग लेने वाले विद्या तो रिहाई के मादभं में जोधपुर सरारान तो तीना नेताओं दा दिनान 9 मार, 1931 दा गुक्त तर दिया।

गांतमा क्षेत्र में आन्दोलन

1930-31 म मारवाड़ म घरान पउने भोव विश्वविद्यालयी आविदा मरी से लारण गांतमा भोव से तिमाह गज्य तो तिगोड़ी (तार तगा) देवे म प्रगमय गी गए। ८ तुराई, 1931 तो मारवाड़ पे पाम एवं गोव म मानी जानि ते तिमाहा तो पाम यटा दृष्टि तिमाह या निशाय लिया गया ति 50 प्रतिशत यिगोड़ी (सतान) पाम रक्का के तिमाह गज्य प्रभागा दा आपरा पाम प्रभुा लिया जाये।⁴⁵ धोर सायरा पाम तो गुरावाई तो गांता पर सिमाना ३ अगस्त 1931 म गांता तो तो का यांत्रां प्रारम्भ कर दिया।

मारवाड हितकारिणी सभा और मारवाड युवा संघ को 5 मार्च, 1932 को गैर कानूनी घोषित कर दिया।⁴⁶

राज्य प्रशासन की इस दमनात्मक कार्यवाही का किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्त में, राज्य सरकार ने प्रति एक स्पष्ट पर तीन आने की लगान में कटीती करने की घोषणा 16 जून, 1934 में की। इस घोषणा से किसानों का असन्तोष दूर हो गया।⁴⁷

मारवाड लोक परिषद् तथा मारवाड किसान परिषद्

1934 में जयनारायण व्यास तथा उनके सहयोगियों ने जोधपुर प्रजामण्डल वी स्थापना की थी। जोधपुर प्रशासन द्वारा 20 नवम्बर 1937 को प्रजामण्डल को अवैध घोषित किए जाने पर जयनारायण व्यास ने 26 मई 1938 को मारवाड लोक परिषद् की स्थापना की।

7 सितम्बर, 1939 को लोक परिषद् के नेतृत्व में किसानों ने लाग-वाग के उन्मूलन हेतु जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारम्भ किया। इन लाग-वागों में जोधपुर महाराजा द्वारा अवैध घोषित की गई 119 लाग-वागें भी थीं जिनकी जबरन वसूली जागीरदार निरन्तर कर रहे थे।⁴⁸

लोक परिषद् की गतिविधियों को प्रभावहीन करने के लिए जोधपुर प्रशासन ने 28 मार्च, 1940 को उसे अवैध घोषित कर दिया। परन्तु इससे जागीर क्षेत्रों में किसान आंदोलन का दमन नहीं किया जा सका। जून 1940 में जोधपुर प्रशासन द्वारा लोक परिषद् को भायता देने पर आनंदोलन पूर्ण आत्मविश्वास और तीव्र गति से पुनर्जीवित हो उठा।

मारवाड लोक परिषद् की कार्य समिति ने फरवरी 1941 में जागीर क्षेत्र में लाग वाग एवं थोपे गये अत्यधिक लगान हेतु एक जाच समिति की नियुक्ति की। लोक परिषद् के अनुरोध पर किसानों ने जागीरदारों को अनुचित लाग-वाग देना बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप जागीरदारों ने दमन-चक्र का सहारा लिया। किसानों को निदयतापूर्वक मार पीट कर गाव छोड़ने के लिए वाध्य किया गया, फसल वी लटाई बाद कर दी ताकि किसानों का अनाज खेत में ही नष्ट हो जाए।

मारवाड लोक परिषद् के प्रभाव को कम करने के लिए जोधपुर प्रशासन के आशीर्वाद से बलदेवराम मिर्धा के नेतृत्व में जून 1941 में मारवाड किसान सभा वी स्थापना हुई।

मारवाड लोक परिपद के आन्दोलन का दमन करने के लिए जैतारण, विनाटा एवं सोजत परगने के जागीरदारों ने अपनी बैठक में निश्चय किया कि गाव में आने पर लोक परिपद के कायकर्ताओं को पीटा जाए, गाव से खदेहकर उनकी मीटिंग सग बर दी जाए।

मारवाड किसान सभा ने प्रत्यधिक लगान और लाग-बाग के कारण किसानों की दयनीय दशा पर अनेक बुलेटिन जारी किए। परिणामस्वरूप जोधपुर सरकार ने 16 अक्टूबर, 1941 को 'लगान और लाग-बाग विशेष ममिति' की स्थापना की। उसका मुख्य नाय किसान सभा के बुलेटिनों में उल्लिखित शिकायतों की जाच करना था। परंतु, लाग-बाग उन्मूलन के सदम में विशेष ममिति कुछ नहीं कर सकी।

मारवाड किसान सभा और जाट सुधारक सभा ने जनवरी 1942 में रामदेवग तथा नागौर में बैठक आयोजित करके किसानों से, जागीरदारों को लाग बाग नहीं देने की अपील की। मारवाड लोक परिपद ने भी 7-9 फरवरी 1942 को लाडनू में रणछोडदास गट्टानी की अव्यक्तता में सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में लाग-बाग उन्मूलन और 28 मार्च को 'उत्तरदायी शासन दिवस' मनाने पर बल दिया गया।

चण्डावत ठाकुर ने लोक परिपद को 28 माच को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी और ठिकाने की पुलिम तथा लठेनों ने 28 मार्च को लोक परिपद के कायकर्ताओं पर ताठियों तथा भाला से प्राणघातक हमले किए। चण्डावल दुखानिका जोधपुर राज्य में स्वतंत्रता आदोलन का एक दुखद अध्याय है। इसी प्रकार 29 माच 1942 को निमाज ठाकुर के लगभग 200 व्यक्तियों ने लोक परिपद के कायकर्ताओं को पीटा। जोधपुर राज्य मरकार इन घटनाओं के प्रति तटस्थ रही। इस स्थिति में राजपूत सभा ने लोक परिपद की सभाओं को भग करने के लिए प्रत्येक जागीरदार से कहा।

जागीर क्षेत्र के किसानों की समस्या को हल बरने में जोधपुर राज्य की उदासीन नीति के विरोध में जयतारायण व्यास ने मई 1942 में सत्याग्रह आदोलन प्रारम्भ किया। उहोने जोधपुर राज्य की स्थिति पर प्रवाण डालने हेतु दो पत्रक प्रकाशित किये—(क) मारवाड में उत्तरदायी शासन, और (ख) जोधपुर की स्थिति पर प्रवाण। मारवाड किसान सभा ने भी 9 जून, 1942 मो एक बुलेटिन प्रकाशित किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को दूर बरने के लिए जोधपुर दरवार से कहा गया।

जोधपुर राज्य के किसानों पर जागीरदारों के अत्याचार और आतंक की निन्दा महात्मा गांधी के 'हरिजन' पत्र के 9 अगस्त 1942 के अंक में छपी और अभी भी जाट सभा, अलीगढ़ की बैठक में 26 जुलाई, 1942 को राजपूत ठाकुरों के जाटों पर अत्याचारों की निन्दा की गई। अन्ततः दिसम्बर 1943 में मारवाड़ के जागीरदारों ने भूमि वन्दोबस्त का विरोध किया, परन्तु राज्य सरकार की कठोर कार्यवाही के कारण उन्हें झुकना पड़ा।

अब जागीरदार किसानों पर और अधिक अत्याचार करने लगे। परिणामस्वरूप किसानों ने जागीरदारी प्रथा के उम्मूलन के लिए बल देना प्रारम्भ किया। जागीरदारों के पाश्विक अत्याचारों की पराकाण्डा डावरा गाव में हुई। 13 मार्च, 1947 को डावरा गाव में लोक परिपद और किसान सभा के लगभग 800 900 कायवताओं के जुलूस पर ठिकाने के लगभग 500 600 लठतों ने तलवार, लाठियों और बद्दों से हमला कर दिया। इस जुलूस में लोक परिपद के नेता—मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, सी आर चौपासनीवाला, राधाकिशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह बच्छवाहा, वशीधर, हरीन्द्र कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। सभी नेताओं ने ठाकुर के लठतों ने बवरतापूर्वक पीटा। डावरा काण्ड की कटु निदा बन्दे मातरम् (वम्बई), लोकवाणी (जयपुर), प्रजासेवक (जोधपुर) और हिंदुस्तान टाइम्स (दिल्ली) ने की।

स्वतंत्रता के पश्चात् मार्च, 1948 को जोधपुर महाराजा ने जयनारायण व्यास को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया परन्तु निरक्षण राजतन्त्र और साम्राज्यवाद का अन्त 30 मार्च, 1949 को राजस्थान के निर्माण के बाद ही हुआ। 6 अप्रैल, 1949 को मारवाड़ वास्तवारी अधिनियम पास हो जाने से जागीरक्षेत्रों में किसानों की स्थिति में आधारभूत अन्तर हो गया। अब वे अपनी जमीन के मालिक बन गए, खातेदार काश्तकार बन गए और इसके साथ साम्राज्यवाद के विस्फूट उमका दीधकालीन सघष समाप्त हो गया। इस सदम में उल्लेखनीय है कि जागीरदारों के किसानों पर वर्वर एवं अमानवीय अत्याचारों ने जागीरदारी प्रथा के उम्मूलन की काफी पृष्ठभूमि निर्मित की।

बीकानेर राज्य

गगानहर क्षेत्र में सिवख किसानों की कत्तिपय असुविधाओं के कारण बीकानेर राज्य में किसान असन्तोष री प्रथम अभिव्यक्ति 1929 में हुई। सिवख

जमीदारों (नहर क्षेत्र में भूमि के सरीदार) ने 20 अप्रैल, 1929 को जमीदार सभा की स्थापना की। जमीदार सभा ने 10 मई, 1929 को अपनी बैठक में निम्न प्रस्ताव पास किए —

- (1) नहर क्षेत्र में सिचाई हतु पर्याप्त पानी उपलब्ध न होन के बारण तागान की राशि में कटौती होनी चाहिये।
- (2) पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, फिर भी पानी कर (आविधान) पूरी दरों से लिया जा रहा है। अतः पानी दर में कमी हो।
- (3) जमीन के मूल्य की किश्तों को चुकाने की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए तथा किश्तों पर व्याज की दर कम होनी चाहिए।

महाराजा गगासिंह गगानहर क्षेत्र के विकास में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अतः किसानों के शातिपूण सर्वधानिक आन्दोलन की समाप्ति 30 सितम्बर, 1941 को हुई जब महाराजा गगासिंह ने उनकी मार्ग स्वीकार कर ली।

जागीर क्षेत्रों से आदोलन

बीकानेर राज्य में कुल 2917 गाव थे, जिनमें से 1393 गाव खालसा क्षेत्र में थे। सीमावर्ती क्षेत्र सीकर और शेखावाटी के जाट किसान आदोलनों का प्रभाव बीकानेर राज्य के बहुसंख्यक जाट किसानों पर भी पड़ा। परिणाम-स्वरूप उनमें सामन्तवाद के विरुद्ध प्रतिरोध करने की राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई।

सर्वप्रथम 18 दिसम्बर, 1934 को जाट किसानों ने अपने कट्टों को दूर करने के लिए एक आवेदन पत्र महाराजा गगासिंह को दिया। किसानों ने कहा कि उनकी शिकायतें दर नहीं करने की स्थिति में वे लगान तथा लाग वाग जागीरदारों को नहीं देंगे। 11 अप्रैल, 1935 को बीकानेर प्रशासन ने घोषणा की कि लगान का भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

सर्वप्रथम 1937 में उदरासर गाव में जीवन चौधरी ने प्रजामण्डल नेताओं के सहयोग से अवैध लाग वाग के विरुद्ध आवाज उठाई, परन्तु ठिकाने एवं राज्य अधिकारियों ने किसान नेताओं को निदयतापूर्वक मार पीटकर उनकी आवाज यो कुचल दिया।

महाजन ठिकाने में आन्दोलन

इसके बाद किसानों ने मई, 1938 में महाजन ठिकाने के विरुद्ध राज्य के राजस्व आयुक्त को शिकायत की। उनकी मुख्य शिकायतें थीं कि जागीरदार 1927 से लगातार लगान, चराई कर और अन्य लागनों (उपकर) में वृद्धि कर रहा है। किसानों के निर्गत प्रयास के बाद उनमें तथा जागीरदार के बीच जून, 1939 में समझौता हो गया। परन्तु बाद में जागीरदार ने समझौते का पालन नहीं किया, फलस्वरूप किसानों ने जागीरदार को भू-राजस्व नहीं देने का आन्दोलन पुनः प्रारम्भ कर दिया। अब ठिकाने के कामदार ने दमनचक्र का सहारा लिया। तीन वर्षों (1938-40) के बकाया लगान नहीं चुकाने पर कामदार जगन्नाथ जोशी ने किसान नेताओं की चल सम्पत्ति जब्त कर ली और राज्य पुलिस की सहायता से किसानों का दमन करने के असफल प्रयत्न किए। अन्ततः माच, 1942 में बीकानेर सरकार ने किसानों की पशु चराई कर तथा लगान में कटीती की माग स्वीकार कर ली।

दूधबा खारा आन्दोलन

बीकानेर में किसान आन्दोलनों की शृंखला में दूधबा खारा गाव का आन्दोलन किसानों पर पुलिस अत्याचारों की इटिंग से उल्लेखनीय है।

1944 के अन्त में ठाकुर सूरजमलसिंह ने बकाया लगान को बसूल करने के बहाने से किसानों के खेत जब्त कर लिए और उनके मकान लूट लिए। ठाकुर के अत्याचारों का विरोध किसान नेता हनुमानसिंह आय ने अटूट सकल्प और निर्भिकता के साथ किया। उन्हें राज्य प्रशासन ने जून अगस्त, 1945 तक, 20 माच—27 जुलाई 1946 तक और 7 अप्रैल, 1947 से 4 जनवरी 1948 तक जैल में रखा तथा उन पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, परन्तु वे टूटे नहीं। उन्होंने अपने तृतीय कारावास के दौरान 65 दिन तक उपयास किया।⁴⁰

हनुमानसिंह और उनके परिवार के बाटों ने किसानों में संगठन और राजनीतिक चेतना के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की।

प्रजामण्डल के नेतृत्व में आन्दोलन

1946 के प्रारम्भ में अनेक जाट नेताओं ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की सदस्यता ग्रहण कर ली। परिषद ने लाग-धाग वे विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1 मई, 1946 को कुभाराम आय को बड़ी बना लिया गया। प्रजा परिषद ने 2 जून को ललाना गाँव में भीटिंग की जिसमें 5000 किसानों ने भाग लिया।

रायसिंहनगर में एक वित्त किसानों की भीड़ पर 1 जुलाई, 1946 को गोलियाँ चलाई गईं जिसमें अनेक घायल हो गए तथा किसान बीरबलसिंह की मृत्यु हो गई।

काँगड़ गाव काण्ड

1946 में अकाल के कारण फसल नष्ट हो जाने की वजहसे किसानों ने लगान और लाग बाग देने में असमर्थता व्यक्त की, परंतु जागीरदार लगान और लागतें बसूल करने पर बल देता रहा। किसानों द्वारा विरोध करने पर ठाकुर ने किसानों, उनके बच्चों और औरतों के साथ मार-पीट की तथा औरतों का अपमान किया।

इस अत्याचार के बाद किसानों के अनुरोध पर प्रजा परिषद ने जाँच के लिए स्वामी सच्चिदानन्द बेदारनाथ, हसराज आय, दीपचाद, मौजीराम, गगादत्त रंगा और स्पराम को गाव में भेजा। ठाकुर ने उन्हें 1 नवम्बर, 1946 को गाव में निदयतापूर्वक पीटा। उनमें से 6 व्यक्ति बेहोश हो गये। उनको अपमानित करने के लिए ठाकुर ने उन्हें निर्वस्त्र करके नग्न अवस्था में ही गाव में घुमाया। बीकानेर दरबार ने सभाओं पर तथा भरतपुर से प्रकाशित 'किसान' पत्र पर प्रतिवाद लगा दिया।⁵⁰

इस प्रकार सामन्तवाद के अत्याचारों ने किसानों में प्रतिरोध क्षमता और राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। अंतत 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल के निर्माण से किसानों के कष्टों का अन्त हुआ।

भरतपुर राज्य

स्वतंत्रता से पूर्व भरतपुर रियासत में केवल 17 छोट-छोटी जागीरें थीं, उनमें से 14 गाव चाली बल्लभगढ़ की जागीर सबसे बड़ी थी। जागीर क्षेत्र के किसानों की स्थिति खालसा क्षेत्र के किसानों के समान थी। जागीरदार को प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तिया प्राप्त न होने के कारण यहाँ की सामतवादी व्यवस्था राजस्थान के आय राज्यों से सवधा भिन्न थी।⁵¹

नवम्बर, 1931 में भरतपुर राज्य में सन् 1900 के पुराने बन्दोबस्त को संशोधित करके नवीन बदोबस्त में लगान की मात्रा कुल उपज की 66 प्रतिशत कर दी गई। पानी कर भलवा और पटवार कोप की बसूली अलग से होती थी।⁵²

नये बन्दोवस्त में लगान की उच्च दरो के विरुद्ध गाव के मुखियाओं ने लगान नहीं देने का आन्दोलन प्रारम्भ किया। 23 नवम्बर, 1931 को लगभग 500 किसानों ने भोजी नम्बरदार के नेतृत्व में भरतपुर में प्रदर्शन किया। राज्य प्रशासन ने 24 नवम्बर को भोजी नम्बरदार को बन्दी बना लिया। अन्तत किसानों में बढ़ते हुए असन्तोष से वाध्य होकर राज्य प्रशासन ने नए बन्दोवस्त को 5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, फलस्वरूप आन्दोलन बन्द हो गया।⁶³

भरतपुर राज्य की पहाड़ी और नगर तहसीलों में मेव मुसलमान बहुसंख्यक थे। उन्होंने अलवर के मेव आन्दोलन की भाँति भरतपुर में भी आन्दोलन प्रारम्भ किया। अप्रैल 1933 में भरतपुर के मेव गावों ने लगान देना बन्द कर दिया क्योंकि रबी फसल का लगान अधिक था। मई 1933 में उन्होंने भारत सरकार को एक आवेदन पत्र राज्य सेवाओं में मुसलमानों को जनसरया के अनुपात में नौकरियाँ देने के सम्बन्ध में लिखा। कुछ दिनों बाद भरतपुर प्रशासन ने रबी फसल का लगान काफी कम कर दिया और एक मुसलमान को भी राज्य कौसिल में नियुक्त कर दिया। वास्तव में मेव आन्दोलन का मार्गदर्शन राज्य के बाहर से हो रहा था।

स्वाधीनता संग्राम में योगदान

राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम का विकास चार चरणों में हुआ। प्रथम चरण में, रियासतों के किसान वर्ग द्वारा सामन्तवादी व्यवस्था के शोपण के संयतों का ग्राम पचायतों के नेतृत्व में सामूहिक प्रतिरोध एवं संगठित सघप किया गया।

द्वितीय चरण में, रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामण्डलों की स्थापना हुई। इस चरण में किसान पचायतों एवं प्रजामण्डलों ने संयुक्त रूप से सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध आहिंसात्मक संघर्ष किया, क्योंकि दोनों का समान लक्ष्य शोपण एवं अन्याय का विरोध करना था।

तृतीय चरण में, रियासतों के भारत संघ में विलय के लिए और चतुर्थ चरण में, सामन्तवाद के अन्तिम अवशेष जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन किए गए।

इस प्रकार राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम के लिए राजनीतिक जन-जागरण का श्रेय सर्वप्रथम विजोलिया किसान आंदोलन को है और जागीरदारी

प्रथा के उन्मूलन के माथ स्वाधीनता सघर्ष की गीरव गाथा का समाप्त होता है।

राजस्थान में किसान वग के आन्दोलनों का स्वाधीनता संग्राम में योगदान निम्नलिखित है—

- (1) सबप्रथम विजोलिया किसान आन्दोलन ने राजस्थान में त्रिटिश सत्ता विरोधी बीज घोए। उदयपुर के त्रिटिश रेजीडेंट ने ए जी जी राजपूताना को 1923 में पत्र लिखा—‘मेवाड़ अव्यवस्था और कानून विरोधी गतिविधियों का मुरय स्थल बन गया है।’ आन्दोलन मुख्यतः महाराणा के विरुद्ध है, परंतु यह शीघ्र त्रिटिश क्षेत्रों में फैल सकता है।’ विजोलिया किसान आन्दोलन के परिणाम दूरगमी हुए। धीरे-धीरे इस किसान आन्दोलन की चिनारी भयकर दावानल का स्वरूप ग्रहण करके समस्त राजस्थान में फैल गई।
- (2) किसान आन्दोलन के जनक विजयसिंह पथिक थे। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ (अजमेर), ‘राजस्थान केसरी’ (वर्धा) और ‘नवीन राजस्थान’ (अजमेर) के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का अभियान छेड़ा।
- (3) राजस्थान के किसान आन्दोलन के गभ से ही राजस्थान के भावी स्वतन्त्रता सेनानी उत्पन्न हुए। जैसे, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, भील नेता मातीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट, हसगढ़ आय, कु भाराम आय, जयनारायण व्याम, द्वारकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर, हीरालाल शास्त्री, वलवन्तसिंह मेहता आदि।
- (4) किसान आन्दोलन की प्रारम्भिक सफलताओं से प्रेरित होकर राजस्थान में प्रजामण्डलों की स्थापना की गई, जिनके नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु सामरकादी व्यवस्था के विरुद्ध सघर्ष किया गया।
- (5) किसान आन्दोलनों के कारण ही देशी राज्यों की समस्याओं की ओर अ भा राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान आकर्षित हुआ। सबप्रथम विजोलिया आन्दोलन की जानकारी लेने हेतु महात्मा गांधी ने फरवरी 1918 में पथिकजी को बम्बई बुलाया और महादेव भाई देसाई को जाच हेतु विजोलिया भेजा। कांग्रेस ने सबप्रथम 1938 में रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की माग की।

- (6) किसान आन्दोलन ने पचायत राज की अवधारणा दी। पचायतों ने लोकतन्त्र की प्राथमिक पाठशालाओं की भूमिका प्रस्तुत की।
- (7) विजोलिया के किसान आन्दोलन ने गांधी मार्ग पर आधारित स्वाधीनता संग्राम के लिए समरनीति विकसित की।
- (8) किसान वर्ग के आदोलनों ने राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक-आर्थिक सुधारों पर भी बल दिया।
सक्षेप में, राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम की कहानी रियासतों के किसान वर्ग के आन्दोलनों की कोख से उत्पन्न हुई है।

टिप्पणिया—

- 1 शक्तरसहाय संवेदना विजोलिया आदोलन का इतिहास, (बीकानर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, 1972), पृ 202
- 2 वी डी मायुर, स्टेटस पीपुल्स काफरेंस, (जयपुर, पब्लिकेशन स्कीम, 1984), पृ 183
- 3 ब्रिटिश सरकार वी परमाच्च शक्ति के अनुसार रियासतों के शासक सम्प्रभु शासक नहीं होते थे। वे आंतरिक मामलों में भी सीमित सम्प्रभुता का प्रयोग करते थे।
- 4 पेमाराम, एप्रेलियन मूवमट इन राजस्थान, (जयपुर, पचशील प्रकाशन, 1986), पृ 2-3
- 5 उपयुक्त, पृ 10
- 6 शक्तरसहाय संवेदना, पूर्ववर्णित, पृ 24 25
- 7 पेमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 10
- 8 उपयुक्त पृ 12
- 9 मारवाड़ लोक परिपद बुलटिन, जुलाई 1942
- 10 शक्तरसहाय संवेदना, पूर्ववर्णित, पृ 10 तथा 28 एवं लाग बेगारों की सूची पृ 36 39 पर देखें।
- 11 उपयुक्त, पृ 41
- 12 उपयुक्त, पृ 46 47
- 13 वी एल पानगडिया राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम (जयपुर, हिंदी प्रथ अकादमी 1985), पृ 8
- 14 शक्तरसहाय संवेदना, पूर्ववर्णित, पृ 82 84
- 15 उपयुक्त, पृ 83-84 एवं 93
- 16 उपयुक्त, पृ 103 107
- 17 उपयुक्त, पृ 109
- 18 रामनारायण चौधरी, वीसवी सदी का राजस्थान (घजमेर, छच्छा ब्रदस, 1981), पृ 48
- 19 पेमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 26
- 20 शक्तरसहाय संवेदना, पूर्ववर्णित पृ 137-39

- 21 पेमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 28-32 पर समझोत का विस्तृत विवरण देते हैं।
- 22 उपयुक्त, पृ 36 एवं 38
- 23 शक्त्रसहाय सम्प्रेसन, पूर्ववर्णित, पृ 269-70
- 24 सुमनेश जाशी, राजस्थान के स्वतन्त्रता सनानी (जयपुर, गगानगढ़, 1973), पृ 1-7
- 25 वी एल पानगडिया, पूर्ववर्णित, पृ 30
- 26 नवीन राजस्थान, 11 जून, 1922
- 27 सुमनेश जोशी, पूर्ववर्णित, पृ 178
- 28 पेमाराम, पूर्ववर्णित, विस्तृत विवरण पृ 113-18 पर अक्षित है।
- 29 उपयुक्त, पृ 120
- 30 उपयुक्त, पृ 121-122
- 31 उपयुक्त, पृ 123-124
- 32 उपयुक्त, पृ 124-129
- 33 उपयुक्त, पृ 129-132
- 34 उपयुक्त पृ 133
- 35 उपयुक्त, पृ 136-144
- 36 बाबूलाल पानगडिया पूर्ववर्णित, पृ 27
- 37 वे एस सबरेना, द पालिटिकल मूवमेट एण्ड अवेक्टिंग इन राजस्थान (नई दिल्ली, एस चौद एण्ड कम्पनी, 1971), पृ 188
- 38 रामनारायण चौधरी पूर्ववर्णित, पृ 96
- 39 रतनलाल मिश्र, शेखावाटी का इतिहास, (मडावा भुभूत 1984), पृ 240
- 40 राम पाण्ड, एसेरियन मूवमेट इन राजस्थान (दिल्ली यूनीवर्सिटी पब्लिशर्स, 1974,) पृ 67
- 41 सीकर ठिकाने के किसान ग्रा दालन का विवरण मुख्यतः पेमाराम के शोध पथ (पूर्ववर्णित) पर आधारित है।
- 42 द मारवाड गजट 6 सितम्बर, 1924
- 43 मारवाड किसान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1943 वो जाधपुर राज्य वी लाग वाग जाच समिति द्वो प्रस्तुत की गई सच्ची मे 136 लाग गाँव अक्षित थी।
- 44 पेमाराम, पूर्ववर्णित, पृ 210
- 45 उपयुक्त, पृ 211
- 46 उपयुक्त, पृ 212-213
- 47 उपयुक्त, पृ 216-17
- 48 उपयुक्त, पृ 217-18
- 49 उपयुक्त, पृ 298-302
- 50 उपयुक्त, पृ 304-306
- 51 उपयुक्त, पृ 259
- 52 उपयुक्त, पृ 260
- 53 उपयुक्त पृ 260-61

राजस्थान में भील आनंदोलन

अनादि काल से भील जाति राजस्थान के दक्षिणी तथा उससे जुड़े मालवा तथा गुजरात के क्षेत्र में रह रही है। राजस्थान में स्वतन्त्रता से पूर्व भील मुख्यतः मेवाड़, छूगरपुर, बासवाडा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ की रियासतों में रहते थे। वर्तमान में वे भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, छूगरपुर और बासवाडा क्षेत्र में बसे हैं। इससे पूर्व कि राजस्थान में भील आनंदोलन की विवेचना की जाय, उनके बारे में सक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।

भील—एक परिचय

भील^१ भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक है, अनुमान है कि भारत में उनकी जनसंख्या सन् 1891 में 6,12,459 थी। 1981 की जनगणना के अनुसार 38,38,002 थी। भारत की जनजातियों में भीलों का स्थान दूसरा है।

उत्पत्ति

भीलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न किवदतिया प्रचलित है। वाण भट्ट कृत 'कादम्बरी' के अनुसार भील शब्द का प्रयोग प्राचीन सस्कृत और अपभ्रंश साहित्य में भी मिलता है। 'क्या सरित सागर,' जिसको रचना ई सन् 600 में हुई थी, में भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है जिसमें भील मुख्या द्वारा एक दूसरी जाति के राजा की प्रगति का विद्यु पर्वत में विरोध किया गया है।^२ मनु ने निशाद (भील का पर्यायिकाची) को द्राह्यण पिता व शूद्र माता की सतान माना है।^३ वेदों में निशाद उन लोगों को कहा गया है, जो मध्य भारत के बनों में रहते थे।^४

नूवश शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान उह भारत का प्राचीनतम निवासी मानते हैं।^५ जबकि कुछ उन्हें विदेशी स्वीकार करते हैं। वर्णल टॉड, जिसने उन्हें बनपुत्र लिखा है, का विश्वास है कि

- 21 पेमाराम, पूवर्णित, पृ 28 32 पर समझौते का विस्तृत विवरण देवें।
- 22 उपयुक्त पृ 36 एवं 38
- 23 शकरसहाय सक्सेना, पूवर्णित, पृ 269-70
- 24 सुमनश जाशी, राजस्थान के न्यत-यता सनानी
(जयपुर, गगानगर, 1973), पृ 1-7
- 25 वी एल पानगडिया, पूवर्णित, पृ 30
- 26 नवीन राजस्थान 11 जून, 1922
- 27 सुमनेश जोशी, पूवर्णित, पृ 178
- 28 पेमाराम, पूवर्णित, विस्तृत विवरण पृ 113 18 पर अद्वित है।
- 29 उपयुक्त, पृ 120
- 30 उपयुक्त, पृ 121 122
- 31 उपयुक्त, पृ 123 124
- 32 उपयुक्त, पृ 124-129
- 33 उपयुक्त, पृ 129 132
- 34 उपयुक्त पृ 133
- 35 उपयुक्त, पृ 136 144
- 36 बावलाल पानगडिया पूवर्णित, पृ 27
- 37 के एस सक्सेना, द पालिटिकल मूवमेट एण्ड अवेक्निंग इन राजस्थान,
(नई दिल्ली, एस चौद एण्ड कम्पनी, 1971), पृ 188
- 38 राधभारायण चौधरी, पूवर्णित, पृ 96
- 39 रतनलाल मिश्र, शेखावाटी का इतिहास
(मढावा, झु भूत, 1984), पृ 240
- 40 राम पाण्डे, एमेरियन मूवमेट इन राजस्थान,
(दिल्ली यूनीवर्सिटी पब्लिशस, 1974,), पृ 67
- 41 सीवर ठिकाने के किसान आ दोलत का विवरण मुख्यत पेमाराम के शाथ ग्रथ
(पूवर्णित) पर आधारित है।
- 42 दि भारवड गजट 6 सितम्बर, 1924
- 43 मारवाड किसान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 1943 वो जाधपुर राज्य की
लाग बाग जाच समिति का प्रस्तुत थी गई सूची म 136 लाग गांवे अन्वित थी।
- 44 पेमाराम पूवर्णित, पृ 210
- 45 उपयुक्त, पृ 211
- 46 उपयुक्त, पृ 212-213
- 47 उपयुक्त पृ 216-17
- 48 उपयुक्त पृ 217 18
- 49 उपयुक्त पृ 298 302
- 50 उपयुक्त, पृ 304 306
- 51 उपयुक्त पृ 259
- 52 उपयुक्त, पृ 260
- 53 उपयुक्त पृ 260 61

राजस्थान में भील आनंदोलन

अनादि काल से भील जाति राजस्थान के दक्षिणी तथा उससे जुड़े मालवा तथा गुजरात के क्षेत्र में रह रही है। राजस्थान में स्वतन्त्रता से पूर्व भील मुख्यतः भेवाड, डूगरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ की रियासतों में रहते थे। वर्तमान में वे भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूगरपुर और वासवाडा क्षेत्र में वसे हैं। इससे पूर्व की राजस्थान में भील आनंदोलन की विवेचना की जाय, उनके बारे में मध्यिक्त जानकारी इस प्रकार है।

भील—एक परिचय

भील^१ भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक है, अनुमान है कि भारत में उनकी जनसंख्या सन् 1891 में 6,12,459 थी। 1981 की जनगणना के अनुसार 38,38,002 थी। भारत की जनजातियों में भीलों का स्थान दूसरा है।

उत्पत्ति

भीलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न किवदतिया प्रचलित है। वाण भट्ट कृत 'कादम्बरी' के अनुसार भील शब्द का प्रयोग प्राचीन स्कृत और अपभ्रंश साहित्य में भी मिलता है। 'कथा सरित सागर,' जिसकी रचना है सन् 600 में हुई थी, में भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है जिसमें भील मुख्याद्वारा एक दूसरी जाति के राजा की प्रगति का विध्य पवत में विरोध किया गया है।^२ मनु ने निशाद (भील का पर्यायवाची) को ब्राह्मण पिता व शूद्र माता की सतान माना है।^३ वेदों में निशाद उन लोगों का बहा गया है, जो मध्य भारत के बनों में रहते थे।^४

नृवश शास्त्र के अनुसार भीलों की उत्पत्ति विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान उन्हें भारत का प्राचीनतम निवासी मानते हैं।^५ जबकि कुछ उन्हें विदेशी स्वीकार करते हैं। कन्ल टाँड, जिसने उन्हें वनपुत्र लिखा है, वा विश्वास है कि

भीलों का प्रारम्भिक विद्रोह

सन् 1818 में दक्षिणी राजस्थान के पाचो राज्यों (मेवाड़, ढूगरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़) ने ईस्ट इण्डिया कंपनी के साथ संधि कर ली। संधि से इन राज्यों की विदेश नीति तो अग्रेजों के हाथ में आ ही गई किन्तु कुछ मामलों में अग्रेज इनके आतंरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। इस प्रकार अग्रेज ही इस क्षेत्र के वास्तविक स्वामी बन गये।

1818 में सबप्रथम मेवाड़ में भीलों ने विद्रोह किया। मेवाड़ में भीलों के विद्रोह के कई कारण थे। प्रथम, 1818 की संधि के द्वारा स्थानीय सेना भग न कर दी गई। राज्य की व जागीरदारों की सेना में भील भी कार्यरत थे जो सेना के समाप्त होने से बेकार हो गये। दूसरा, संधि के तुरंत बाद मेवाड़ का आतंरिक प्रशासन निटिंग रेजीडेंट कनल जेम्स टॉड ने सभाल लिया। उसने भीलों को नियन्त्रण में रखने का प्रयास किया। तीसरा, कनत टॉड ने भीलों का बोलाई व रखवाली कर वसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया¹⁰ और यही विद्रोह का तत्कालिक कारण बना।

1823 का अभियान

भीलों को दबाने के लिये कनल लूँवे के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसने भीलों को समर्पण के लिये विवश कर दिया। अग्रेजों की मध्यस्थिता से भीलों व महाराणा के मध्य एक संधि हो गई, जिसके अनुसार—

- (1) प्रत्येक पाल के गमती (पाल का मुखिया) ने महाराणा की सर्वोच्चता स्वीकार की।
- (2) महाराणा पहाड़ी क्षेत्र में याने स्थापित कर सकेंगे।
- (3) भील अपने यमस्त हथियार महाराणा को सौंप देंगे और भविष्य में भी विसी प्रकार के हथियार अपने पास नहीं रखेंगे।
- (4) भील अपनी कृषि उपज का एक चौथाई लगान के रूप में देंगे।
- (5) वे भील रखवाली कर वसूल नहीं करेंगे।
- (6) भील राहजनी, चोरी, डकैती, आदि अपराध नहीं करेंगे और यदि कोई करेंगे तो गमती को उन्ह राज्य को सौंपना होगा।
- (7) सभी मामलों में भील महाराणा और पोलिटिकल एजेण्ट का नियम स्वीकार करेंगे।
- (8) वे कन्या वध तथा गो वध नहीं करेंगे।

आर्यों ने उन्हें जगल में रहने को विवश कर दिया। राजपूत भी उन्हे यही का निवासी मानते हैं। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, भीलों ने भेवाड़ के गुहिल शासकों की अविस्मरणीय सेवाएँ की हैं। यही कारण था कि भेवाड़ के राजचिह्न में राजपूत के साथ एक धनुधारी भील का चित्र भी अकित था। डूगरपुर, वासवाडा, 'देवलिया' आदि शहरों के नाम कुछ भील मुखियाओं के नाम पर रखे गए थे।

प्रकृति से भील एक स्वतन्त्र, नियमों में न बधने वालों युद्धप्रिय जाति है। इनके मुख्य हथियार तीर व कमान हैं। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही पिछड़ा वर्ग है और इनके आर्थिक साधन भी बहुत कम हैं। प्रारम्भ में वे भोजन की खोज में इधर उधर भटका करते थे, किन्तु बाद में वे 'फिसतो' विधि से (जगल जला कर खेती करना) खेती करने लगे। खेती के अतिरिक्त वे लकड़ी काटना, धासफूस, फल, जड़ी बूटी, शहद, गोद एकत्रित करना, मछली पकड़ना, जगली जानवरों का शिकार करना भी उनका पेशा है। वे 'बोलाई' कर यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के बदले में तथा रखवाली कर गाव वालों से गाव की रखवाली के बदले में लेते थे। उन्नीसवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कई अकाल पड़े अत भूख से बचने के लिये उनमें से कई ने चोरी व डकैती का पेशा भी अपना लिया।

भील बहुत अधिविश्वासी होते हैं और भूतप्रेत से बचने के लिये अपने हाथों पर गोदने गुदवाते हैं तथा गडे ताबीज बाधते हैं। धार्मिक रूप से वे चुड़ैल या डाकन के जादू टोने में विश्वास करते हैं और भोपों के माध्यम से दूर करते हैं। यदि विसी स्त्री पर चुड़ैल होने वा सदेह हो तो उसे अनेक प्रकार की सत्य परीक्षा में गुजरना पड़ता है।¹⁸ यदि विना विसी नुवमान के बह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, अन्यथा उसे अपराध स्वीकार करने के लिये पेड़ की शादी से लटका दिया जाता है। यदि वह अपराध स्वीकार कर लेती है तो उसे या तो मार दिया जाता है या पाल में बाहर निकाल दिया जाता है। बस्तान ग्राहा वा भीलों वे यारे में कथन है—

'The Bhils are the most uncivilized of all the wild tribes, with intellect barely sufficient to understand and totally unequal to comprehend anything beyond the most simple communication and with souls stunned by hardships, the bad climate and the bitter poverty in which they are steeped.'

भीलों का प्रारम्भिक विद्रोह

सन् 1818 में दक्षिणी राजस्थान के पांचों राज्यों (मेवाड़, डूगरपुर, वासवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़) ने इस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संधि कर ली। संधि से इन राज्यों की विदेश नीति तो अग्रेजों के हाथ में आ ही गई किंतु कुछ मामलों में अग्रेज इनके आतंरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते लगे थे। इस प्रकार अग्रेज ही इस क्षेत्र के वास्तविक स्वामी बन गये।

1818 में सर्वप्रथम मेवाड़ में भीलों ने विद्रोह किया। मेवाड़ में भीलों के विद्रोह के कई कारण थे। प्रथम, 1818 की संधि के द्वारा स्थानीय सेना भग कर दी गई। राज्य की व जागीरदारों की सेना में भील भी कार्यरत थे जो सेना के समाप्त होने से बेकार हो गये। दूसरा, संधि के तुरन्त बाद मेवाड़ का आतंरिक प्रशासन ब्रिटिश रेजीडेंट कर्नल जेम्स टॉड ने सभाल लिया। उसने भीलों को नियन्त्रण में रखने का प्रयास किया। तीसरा, कर्नल टॉड ने भीलों का बोलाई व रखवाली कर बसूलने का अधिकार समाप्त कर दिया¹⁰ और यही विद्रोह का तत्कालिक कारण बना।

1823 का अभियान

भीलों को दबाने के लिये कर्नल लूवे के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसने भीलों को समर्पण के लिये विवश कर दिया। अग्रेजों की मध्यस्थिता से भीलों व महाराणा के मध्य एक संधि हो गई, जिसके अनुसार—

- (1) प्रत्येक पाल के गमती (पाल का मुखिया) ने महाराणा की सर्वोच्चता स्वीकार की।
- (2) महाराणा पहाड़ी क्षेत्र में थाने स्थापित कर सकेंगे।
- (3) भील अपने समस्त हथियार महाराणा को सीप देंगे और भविष्य में भी किसी प्रकार के हथियार अपने पास नहीं रखेंगे।
- (4) भील अपनी वृपि उपज वा एक चौथाई लगान के स्प में देंगे।
- (5) वे भील रखवाली कर बसूल नहीं करेंगे।
- (6) भील राहजनी, चोरी, डर्वती, आदि अपराध नहीं करेंगे और यदि कोई करेंगे तो गमती दो उन्हें राज्य वो सौंपना होगा।
- (7) मभी मामलों में भील महाराणा और पोलिटिवल एजेंट वा निर्णय स्वीकार करेंगे।
- (8) वे काया वध तथा गो वध नहीं करेंगे।

(9) यदि कोई भील उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है तो वह अपराधी माना जायेगा और राज्य के कानून ये अनुसार उसके विरुद्ध बायंवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों सभी पाल के गमतियों द्वारा स्वीकार कर ली गई, किन्तु जैसे ही अग्रेजी सेना नायक कप्तान कौव ने ऋषभदेव की ओर प्रस्थान किया, आसपास के भील पुन पशुपां की चोरी और डकैती के कार्यों में लिप्त हा गए। वस्तुत भीलों ने उनके क्षेत्रों में याने की स्थापना, अस्थ सम्परण, भूराजस्व कर, क्या वध नियेध आदि नियन्त्रणों को स्वीकार नहीं किया। ये सभी प्रतिवध उनकी परम्परा, सामाजिक रीति-रिवाजों और सभी अथ व्यवस्था पर आधार बनने वाले थे। कप्तान कौव ने भी उनकी परम्परा व रीति-रिवाजों पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उनकी अथ-व्यवस्था को सुधारने का कोई सुझाव दिया था। अत एक सैनिक टुकड़ी पुन उस क्षेत्र में शाति स्थापित करने के लिए भेजी गई। महाराणा के एक प्रतिनिधि ने नियुक्ति भीलों से कर एकत्रित करने और उससे निपटने के लिए कर दी।¹³

डू गरपुर और बासवाडा के भीलों के विरुद्ध कारबाही

1823 के अनियान के पश्चात् भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। ज्योही सेना हटाई जाती, भील और गरासिये पुन उस क्षेत्र में उपद्रव प्रारम्भ कर देते। भीलों के नेता दोलतसिंह और गोविन्दा ने भीलों और कुछ भाडे के सिपाहियों की एक फौज एकत्रित कर ली। उहे डू गरपुर और ईंडर की स्थानीय जनता का समर्थन भी प्राप्त था। इधर महाराणा अपनी आतंकिक उलझनों में फसे रहने के कारण इस क्षेत्र में शाति स्थापित करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सके।¹⁴

स्थिति विगड़ने पर महारावल की प्रार्थना पर मैकडोनल्ड के नेतृत्व में राज्य के खर्चे पर भीलों के विरुद्ध सेना भेजी गई। 1825 में डू गरपुर और बासवाडा के गांवों के अनेक गमतियों ने हथियारों का समर्पण कर दिया। उन्होंने चोरी व डकैती से जो क्षति पहुंची थी, उसकी भरपाई करने का भी वायदा किया। उन्होंने समस्त राजकीय कर चुकाने व त्रिटिश जनता को उस क्षेत्र में सुरक्षित गुजरने, शासकों व कुलीनों को आतंकित नहीं करने का भी वायदा किया। कप्तान ने भील प्रमुखों को उस क्षेत्र में शाति बनाए रखने तथा महाराणा वी सर्वोच्चता स्वीकार करने की सलाह दी। भीलों ने उसके परामर्श

को स्वीकार किया और महाराणा का एक एजेन्ट विभिन्न भील प्रमुखों के क्षेत्र में रखा गया।¹⁶

दौलतसिंह द्वारा प्रतिरोध

सन् 1826 में दौलतसिंह व गोविन्दा ने जवास और जूडा (Joora) के थानों को नष्ट कर दिया। जूडा में उन्होंने 100 सैनिक मार डाले। अगले ही महीने उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लगभग 250 व्यक्तियों को मार दिया। उन्होंने खेरवाडा को घेर लिया। महाराणा ने विद्रोह दबाने में असमर्थता जाहिर की और कप्तान कौव से विद्रोह दबाने की प्रार्थना की। कौव व ब्रायट ने सेना के साथ खेरवाडा प्रस्थान किया।¹⁷ साथ ही उसने भीलों के असन्तोष के कारणों की जाच कराने का प्रस्ताव किया।¹⁸ उसने भीलों को शात रखने के भी अनेक उपाय सुझाए।¹⁹ उसके विचार में उपद्रव वा कारण स्थानीय अधिकारियों का दुर्ब्यवहार, थाने में सिपाहियों की अनियमित नियुक्तिया आदि था। ब्रिटिश अधिकारी भी भील आदोलन को पूणतया दबाने में असमर्थ रहे, क्योंकि एक तो दौलतसिंह व गोविन्दा को स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त था, दूसरे ब्रिटिश सेना को उस क्षेत्र की पूर्ण जानकारी नहीं थी तथा महाराणा वी जो सेना ब्रिटिश अधिकारियों के साथ थी वह भी जानकारी नहीं रखती थी।

चहुमुखी अव्यवस्था

उपरोक्त अभियान की असफलता के पश्चात् अग्रेज अधिकारियों ने एक पैदल सेना व कुछ धुड़सवार सैनिक कप्तान व्लैंक के नेतृत्व में मेवाड़ की सहायता के लिए भेजी। व्लैंक को उस क्षेत्र में पूर्ण सैनिक व नागरिक अधिकार दिए गए। उसे विद्रोह और गडबडी के मूल कारणों को भी ज्ञात करने के लिए कहा गया और उस क्षेत्र में स्थायी शाति स्थापित करने के लिए भी सुझाव मार्गे गए।²⁰ फरवरी 1827 में कप्तान व्लैंक खेरवाडा पहुंचा और वहां से जवास। यहां दौलतसिंह ने हरनाथ सिंह मोघिया की सहायता से उसे बाकी परेशान किया। इसके पश्चात् मेवाड़, डूगरपुर और वासवाडा के क्षेत्र में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। अब एक सशक्त सेना कर्नल वर्ग के नेतृत्व में नीमच से खेरवाडा भेजी गई। कप्तान व्लैंक भी वर्ग की सहायता हेतु गया, विन्तु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व व्लैंक ने भीलों की बोलाई एकत्रित करने का अधिकार दे दिया था, जिससे इस क्षेत्र में कुछ शाति स्थापित हुई।

स्पीयस की अव्यवस्था

दौलतसिंह ब्रिटिश सेना वा मुकाबला न कर सका और उसे वार्ता के लिए बाध्य होना पड़ा। लम्बी वार्ता के पश्चात् दौलतसिंह ने समर्पण कर

दिया, उसे बबूलवाडा नामक गाय अपने गुजारे के लिए दिया गया। स्पीयर्स ने जयास का गाव उसके मुसिया को वापस देने की भी सिफारिश की, साथ ही उसके द्वारा दिया जाने वाला कर भी निर्धारित किया गया।¹³ तत्पश्चात् स्पीयर्स ने पुनर्ग्रा और जूडा के प्रमुखों को भी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मना लिया। इस समझौते के द्वारा उन्होंने उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अवाद्धित कर एकत्रित न करने, राहजनी और डकैती की क्षतिपूर्ति करने तथा अग्रेजों की आज्ञा मानना स्वीकार किया। उस क्षेत्र के अन्य अनेक मुसियाओं ने भी इस प्रकार के इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् इस क्षेत्र में अनेक याने स्थापित किए गए और 1828 के अंत तक कनल बग की सेना इस क्षेत्र से हटा ली गई।¹⁴

‘रैब द्वारा ‘बोलाई’ एकत्रित करने का अधिकार,’¹⁵ मेवाड़ के महाराणा जवानसिंह के शासन में भीलों के प्रति मानवीय व्यवहार¹⁶ ने कुछ अश तक भीलों को प्रभावित किया। निटिंग सेना के हटने के पश्चात् भी महाराणा ने उन्हे ‘बोलाई’ एकत्रित करने का अधिकार दिया, जिससे उन्हे दुर्भिक्ष में विना चोरी, डकैती किए जीवन निर्वाह में सहायता मिली।¹⁷ कुछ छुटपुट घटनाओं के अलावा दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में शांति बनी रही।

मेवाड़ भील कोर की स्थापना

दक्षिणी राजस्थान में निरन्तर भील विद्रोह तथा यहा के भीलों द्वारा निरन्तर महीकाठा क्षेत्र में उत्पात मचाने के कारण आउट्रम ने एक अग्रेज अधिकारी की अधीनता में मेवाड़ भील कोर की स्थापना का परामर्श दिया।¹⁸ उसका सुभाव था कि विना नियन्त्रण के कोई स्थानीय समाधान नहीं निकलेगा। उसका यह भी मानना था कि ये व्यवस्था मेवाड़ राज्य के लिए भी लाभदायक रहेगी। उसने ए जी जी (राजपुताना में गवनर जनरल के एजेंट) से प्राथना की कि वह मेवाड़ महाराणा को मेवाड़ भील कोर का व्यय बहन करने के लिए मना ले।¹⁹ उसके सुभाव की कनल आल्वसं ए जी जी ने भी विशेष सिफारिश की। उभने महाराणा से इसका सचें बहन करने की भी सलाह दी। सन् 1838 में मेवाड़ महाराणा ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की प्रयोग की इष्टि से 10 वर्षों के लिए मजूरी प्रदान की। अंत में 1841 में गवनर जनरल की काय-कारिरणी ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की अनुमति दे दी और विलिमय हट्टर वो उसका कमाण्डेंट बनाया गया।²⁰ गवनर जनरल की काय-कारिरणी ने कप्तान हट्टर को लेरवाडा से अच्छे चरित्र वाले भीलों की भर्ती के आदेश दिए। मेवाड़

भील कोर में खेरवाडा से 7 गमेतियों और जवास से 12 गमेतियों को लिया गया। इन गमेतियों को अपने कर्तव्य पालन के लिए रेजीमेन्ट में नहीं आना था, वल्कि उनका वेतन उन्हे घर बैठे ही दिया जाना था। उनसे उनके गावों में शाति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। इस व्यवस्था को 1861 में बन्द कर दिया गया।³⁰

ब्रिटिश अधिकारियों की राय में भील कोर की स्थापना दक्षिणी राजस्थान में शाति और व्यवस्था बनाए रखने में बहुत लाभदायक थी। उनके अनुसार 1841 के अन्त तक खेरवाडा के आसपास के क्षेत्र में काफी अनुशासन आ गया था।³¹ 1843 से सदरलैंड³² ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हटर की व्यवस्था ने उस क्षेत्र के भीलों के व्यवहार में काफी परिवर्तन ला दिया। उसके विचार में यह व्यवस्था उदयपुर के शासक के लिए भी लाभदायक थी,³³ किन्तु इससे भीलों के चरित्र में ग्राए परिवर्तन अधिक समय तक नहीं बने रहे।

नवीन सुधार और भील प्रतिरोध

1881 से 1883 के बीच मेवाड़ के भीलों ने पुन ब्रिटिश व महाराणा की प्रभुसत्ता को चुनौती दी। उनके विरोह के कारण निम्न ये—

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सत्ता सभाल ली। उन्होंने भारतीय राज्यों में ब्रिटिश पद्धति के अनुसार अनेक सुधार लागू किए। नवीन सुधारों ने भीलों के अनेक अधिकारों पर रोक लगा दी। वे विना कर दिए कृषि उपज तथा जगल से लाई वस्तुओं को नहीं ले जा सकते थे। नागरिक अधिकारी भीलों से कूरतापूर्ण व अमानवीय व्यवहार वरने लगे थे और जवरन उनसे धा वसूल करते थे। उनके भ्रष्ट होने की शिकायत भी निरन्तर मिल रही थी।³⁴ मेजर मैक्सन³⁵ ने 1868 में महाराणा मेवाड़ की लिखा कि उस क्षेत्र में शाति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है।³⁶ हकीम रघुनाथ सिंह व उसके मातहत मोतीमिह भीलों से कूरतापूरण व अायायपूर्ण व्यवहार वर रहे हैं। ये अधिकारी भीलों से दुगना कर व भारी जुर्माना जवरदस्ती वसूल रहे हैं।³⁷ अभी तक भील क्षेत्र में वनिए व महाजन नहीं थे, किन्तु नई व्यवस्था द्वारा वे लोग भी आ गए और अशिक्षित व भोले-भाले भीलों का शोपण वरने लगे।³⁸

नवीन प्रशासनिक सुधारों ने भीलों पर नए नए वर लगा दिए। भील क्षेत्र में चुगी चौकीया स्थापित कर दी गई जिससे उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

बढ़ गए। तम्बाकू, नमक व अफीम पर नए कर लगा दिए गए। भीलों द्वारा शराब बनाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया।³⁹

अग्रेजों द्वारा भीलों के सामाजिक कायकलापों में हस्तक्षेप ने उन्हें उत्तेजित कर दिया। सन् 1840 से 1880 तक भील क्षेत्र में अनेक चुड़ैल वध की घटनाएँ घटित हुई थीं। जिस कारण अनेक भीलों को राज्य ने दफ्तिर किया तथा चुड़ैल वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया। चुड़ैल वध पर प्रतिबन्ध को उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास पर अतिरिक्त लगा दिया। इन सुधारों को लागू करने का अर्थ युग-युगात्मन से चली आ रही भील परम्पराओं का उल्लंघन करना था। मेवाड़ में 1881 की जनगणना ने भी भीलों में उत्तेजना फैला दी। जनगणना के कारण भील समाज में अनेक प्रकार की अफवाहे फैल गईं। कुछ लोगों का विचार था कि जनगणना के माध्यम से अग्रेजी सरकार अफगान युद्ध के लिए धन एकत्रित करना चाहती थी, जबकि कुछ भीलों का विचार था कि स्वस्थ व्यक्तियों को लड़ने के लिए काबुल भेजा जाएगा।⁴⁰ कुछ लोगों का अनुमान था कि जनगणना के द्वारा मोटी स्त्रिया भोटे युवकों तथा पतली स्त्रिया पतले युवकों को दे दी जायेगी। यह भी सोचा गया कि जनगणना भील जाति को समाप्त करने का एक प्रयास है।⁴¹

भीलों पर पुलिस अत्याचार ने भी भील विद्रोह को उभाड़ दिया। 1881 में माच के प्रथम सप्ताह में पदोना गाव (उदयपुर-खेरवाड़ा मार्ग पर स्थित) की एक घटना भील विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गई।

श्यामलदास के अनुसार वडे पाल के थानेदार ने इस गाव के गमती (भीलों का मुखिया) को किसी भूमि विवाद सम्बन्धी मामले में गवाही देने के लिए बुलाया। थानेदार ने गमती को बुलाने के लिए सवार भेजा, किन्तु गमती ने जाने से इन्कार कर दिया। जब सवार ने उसे जवरदस्ती ले जाना चाहा तो भीलों ने उसे मार दिया। इस पर थानेदार अपने सिपाहियों के साथ गाव पहुंचा और गमती को गिरफ्तार कर याने ले गया। थाने में उसे अमानवीय यातना दी गई, जिससे गमती की मृत्यु हो गई।⁴² एक अर्थ कथन के अनुसार गमती को शराब बनाने से गोकर्ने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इससे शराब के ठेकेदार को नुकसान होता था, जो कि वडे पाल के थानेदार का मित्र था।⁴³

इस घटना से भील उत्तेजित हो उठे। तगभग तीन हजार भीलों ने वडे पाल के थाने को धेर लिया और थानेदार सहित सोलह व्यक्तियों को मार डाला। उन्होंने वडे पाल के थाने और समस्त बनियों को दुकानों को जला दिया।⁴⁴

उन्होंने उदयपुर-खेरवाडा मार्ग को भी काट दिया। कोटडा व टिही के भील भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। कुछ ही समय में यह विद्रोह मेवाड भर में फैल गया।

सूचना मिलने पर मेवाड राज्य की ओर अग्रेजी सेना को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, किन्तु उह सफलता नहीं मिली, क्योंकि भील बनों में भाग गए, जिससे सेना उनका कुछ भी विगाड नहीं सकी।

समझौते के लिए वार्ता

अब महाराणा ने भीलों से वार्ता करने का निर्णय लिया। उन्होंने भीलों के प्रतिनिधियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया तथा उन्हे वार्ता के लिए उदयपुर बुलाया, किन्तु भीलों ने ऋषभदेव को वार्ता का स्थल चुना। महाराणा ने श्यामलदास को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसे भीलों के साथ उदार तथा नरम शर्तें लागू करने को कहा। समझौते की वार्ता ऋषभदेव मन्दिर के पुजारी खेमराज भण्डारी की मध्यस्थता में 18 अप्रैल 1882 को प्रारम्भ हुई। वरीव 6-7 हजार भील ऋषभदेव में एकनित हो गए। निटिंश अधिकारी श्यामलदास का प्रभाव भीलों पर नहीं बढ़ने देना चाहते थे, इसलिए उनके प्रतिनिधि कनल व्लेयर एवं विंगेट भी श्यामलदास को परामर्श देने के लिए वहां पहुंच गए। मेवाड पोलिटिकल एजेण्ट ने महाराणा से आवश्यकता पड़ने पर श्यामलदास की जगह कनल व्लेयर को अपना प्रतिनिधित्व करने को कहा।⁴⁵

वार्ता मौहादपूर्ण बातावरण में प्रारम्भ हुई किन्तु ज्योही श्यामलदास ने हाथ उठा कर भीलों की भीड़ को पीछे हटने को कहा, भीलों ने इसका गलत अर्थ निकाला। एक भील ने अपनी बदूक दाग दी और भीलों ने इसे युद्ध प्रारम्भ होने का सकेत समझ लिया।⁴⁶ किन्तु कनल व्लेयर के बर्णन के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि श्यामलदास ने अचानक भीलों से पूछा—“तुम लोग समझौता क्यों नहीं कर लेते?” और इसके तुरन्त बाद राज्य के सिपाही अपनी बदूके भरने लगे। यह देखकर भील भाग छूटे और भागते हुए भीलों पर राज्य के सिपाहियों द्वारा गोलाधारी की गई।⁴⁷ श्यामलदास भीलों को पुन वार्ता के लिये मुश्किल से ही तैयार कर पाया। इस बार वार्ता के लिये अकेला ही भीलों के पास गया। अतत मेवाड राज्य व भीलों में एक समझौता हो गया। समझौते में 21 धाराएँ थीं और उसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं—⁴⁸

- 1 भीलों के गावों में जनगणना का कार्य नहीं किया जायेगा ।
- 2 भील पुरुषों व स्त्रियों द्वा वजन नहीं लिया जायेगा ।
- 3 बड़े पाल व बधुना हत्याकाड़ के लिये उन्हें क्षमादान दिया जायेगा ।
- 4 भील क्षेत्र में थानों की बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी ।
- 5 भीलों की भूमि की माप नहीं किया जायेगा ।
- 6 विना मूल्य दिए उनसे धास और लकड़ी नहीं ली जायेगी ।
- 7 अफीम, नमक व तम्बाकू वा ठेका नहीं दिया जायेगा ।
- 8 उन तीर्थयात्रियों से जो ऋषभदेव व श्रीनाथजी के दर्शन के लिये जा रहे हैं, पुरानी प्रथा के अनुसार भीलों द्वारा वो बोलाई न रखने वा अधिकार होगा ।
- 9 राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में धास व लकड़ी ठेके पर नहीं दी जायेगी ।
- 10 उन भीलों द्वारा जो मिछले तीन वर्षों से जेलों में बद है, जुर्माना देने पर छोड़ दिया जायेगा ।
- 11 भीलों के गावों से जीगियों और धोवियों से फूटा नहीं लिया जायेगा किंतु वे राज्य के कार्य पुरानी प्रथा के अनुसार करते रहेंगे ।
- 12 भीलों से आम व महुआ की पत्तियाँ एकत्रित करने पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जायेगा ।
- 13 उन सड़कों की चौकियों पर सवार नहीं रखे जायेंगे जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भीलों पर है ।

इस प्रकार भीलों के प्रारम्भिक विद्रोह नवीन पद्धति की प्रतिनिया स्वरूप थे । ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में भील विद्रोहों को रोकने के लिये अनेक उपाय किए । एक तरफ उन्होंने भीलों को कुछ रियायते प्रदान की तथा दूसरी तरफ उन पर प्रभावशाली सैनिक व नागरिक नियनण स्थापित किया । इन उपायों के द्वारा भील क्षेत्र में काफी समय तक शाति बनी रही ।

गोविन्द गुरु द्वारा भीलों से समाज सुधार का प्रयास व भील आदोलन

भीलों में समाज सुधार का कार्य श्री गोविन्द गुरु ने प्रारम्भ किया था । उन्होंने भीलों के नैतिक और भौतिक जीवन को सामाजिक और धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर सुधारने का प्रयास किया । गोविन्द गुरु की शिक्षाओं ने भीलों में नवीन जागृति उत्पन्न की और उनका धम व समाज सुधार आदोलन राजनीतिक व आधिक विद्रोह में परिणित हो गया ।

गोविन्द गुरु का जन्म 1858 में डूगरपुर राज्य के बेदसा ग्राम में एक बनजारे के घर में हुआ था उन्होंने गाव के पुजारी की सहायता से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। वह स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने धूनी और निशान वासिया ग्राम में स्थापित किया और आसपास के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी प्रारम्भ की⁴⁹ उनकी मुख्य शिक्षा उनके स्वयं के शब्दों में इस प्रकार थी⁵⁰—

‘मैंने जब भीलों के मध्य रहना प्रारम्भ किया तब उन्हे सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जो भी भील मेरे पास आए, मैंने उन्हे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने तथा ईश्वर की आराधना करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि वे नफरत की भावना न रखें किन्तु सभी को एक ही परमात्मा की सतान समझें और दूसरों के साथ शांति से रहने का प्रयास करें। वे भूत, प्रेत चुड़ैल आदि पर विश्वास न करें वल्कि उनको भगाने के लिये धूनी और निशान की पूजा करें उन्होंने भीलों से मास व मदिरा सेवन न करने का भी आह्वान किया।’⁵¹

अपनी शिक्षा व कल्याणकारी कार्यों से वे भीलों में लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे उनका प्रभाव भीलों में बढ़ता गया। भीलों को एकत्रित करने के लिये 1905 में उन्होंने सम्प सभा की स्थापना की⁵² इस सभा के माध्यम से उन्होंने भेवाड, डूगरपुर, ईंडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों को संगठित किया। उन्होंने एक और तो उनमें व्याप्त सामाजिक बुराईयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर उनको अपने मूलभूत अधिकारों का अहसास कराया।

भीलों में बढ़ती जागृति से आसपास की रियासतों के शासक सशक्ति हो उठे। राज्य अधिकारियों ने अपने क्षेत्र से गोविंद गुरु व उनके पथ को उखाड़ने का प्रयास किया। भीलों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा व उन्हे पथ छोड़ने को विवश किया जाने लगा। बुद्ध मामलों में उन्हें जवरन मद्यपान के लिये विवश किया गया।⁵³ जागीरदार और राज्य ने गोविन्द गुरु को डूगरपुर छोड़ने के लिये विवश किया गया। राज्याधिकारियों के कार्यों ने भीलों के मन में धूणा उत्पन्न कर दी तथा उन्हे राज्याधिकारियों के विरुद्ध राजनीतिक आदोलन छेड़ने को विवश कर दिया। इस समय भीलों के विद्रोह के कारण जानना अनुचित न होगा। ये कारण थे—

प्राचीन काल में पुराने समय में भील जगल से एकत्रित वस्तुओं पर निर्बाह करते थे, किन्तु अब उन्हे हृषि कम के लिये विवश कर दिया गया।

प्रकार वे सीधे अग्रेजो, देशी राज्यो और जागीरदारो के नियन्त्रण में आ गये, क्योंकि वे अब तक स्वच्छद थे। उहोने नियन्त्रण में रहना पसन्द नहीं किया।

राज्य और जागीरदार उनसे भारी कर लेते थे। बटाई प्रथा के अन्तर्गत वे उनसे भारी लगान वसूतते थे। यदि वे न दे पाते थे तो राज्याधिकारी उनसे घूर व निमम व्यवहार करते थे। कृपि भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं था। वे सिफ खेती करने वाले दास थे,⁵⁴ वे अब जगली वस्तुए विना बर दिए नहीं ले जा सकते थे।⁵⁵ भील क्षेत्र में वैठ वेगार प्रथा भी सामान्य थी। भील राज्य और जागीरदारो के लिये वेगार करने को विवश थे। वे विना वेतन के जागीरदार की जमीन में खेती करने, उसके मकान बनाने आदि काय करने को विवश थे। राज्याधिकारी उनसे माल ढुलवाने, रखवाली आदि की वेगार कराया करते थे। ये जागीरदार और राज्याधिकारी के घरो में भी काय करते थे। राजपूनाना के ए जी जी ने एक पन में लिखा, “वतमान परिस्थितियों में भीलों पर करों का बोझ बहुत ज्यादा है, उनमें वेगार का आतंक इतना अधिक है कि गाव के गाव साली हो गए हैं और भूमि पड़त पड़ी है।”⁵⁶ भील लम्बे समय से वेगार कर रहे थे, किन्तु गोविन्द गुरु की शिक्षा ने उनसे जागृति उत्पन्न कर दी। अब भील यह महसूस करने लगे कि उनके निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनका शोषण किया जा रहा है। गोविन्द गुरु के सामाजिक, धार्मिक मुधार आन्दोलन ने उनमें सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ने की जागृति उत्पन्न की।

राज्य की दोषपूण आवकारी नीति ने भी भीलों को उद्देलित कर दिया। वे छोटी छोटी रियासतें (सूथ, ईडर, वासवाडा, डू गरपुर, कुशलगढ) जिसमें भील जनसंख्या अधिक थी, के राजस्व का मुख्य क्षेत्र शराब की विनी थी। राज्य में अवैध शराब बनाने पर प्रतिवाध लगा दिया गया। भीलों को देशी शराब बनाने का अधिकार लम्बे समय से प्राप्त था। वे महुआ के फूलो से शराब बनाते थे, जिसे अब राज्य ने प्रतिवधित कर दिया। भीलों में इसमें बहुत रोप पैदा हुआ, किन्तु सुधार आन्दोलन के प्रभाव से उहोने शराब पीना बंद कर दिया। इससे राज्य और ठेकेदारो को भारी नुकसान होने लगा। उदाहरण स्वरूप वासवाडा में अक्टूबर 1913 में शराब की विनी 18470 गैलन से 5154 गैलन रह गई। आसपास के राज्यों की स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई।⁵⁷ वासवाडा और कुशलगढ का कुल राजस्व कमश दो लाख पचास हजार रुपये तथा 86,000 रु था, जिसमें से 56,000 वासवाडा को शराब से 31,000 कुशलगढ को शराब से प्राप्त होता था,⁵⁸ राज्य के ठेकेदारो ने उठे जबरदस्ती

शराव पिलाने का प्रयास किया। अत शराव का प्रश्न भीलों के लिये बड़ा मुहा बन गया।

1913 के भील आन्दोलन का तात्कालिक कारण गुरु गोविन्द गुरु के नेतृत्व में धार्मिक आन्दोलन था। उनके प्रयासों से राजपूताना के दक्षिणी भाग के पहाड़ी इलाकों के भील पूरी तरह से सगठित हो गए थे। उनमें जागरण की नई लहर आ गई थी। वे राज्य के दमन, शोपण और अत्याचार का मुकाबला करने को हर प्रकार से तैयार हो रहे थे। सिरोही, वासवाडा, ढू गरपुर, मेवाड़ के राजा इससे चित्तित हो जठे। उन्होंने भीलों को कुचलने और उनकी शक्ति को छिन्न-भिन्न करने के हर सभव प्रयास किये, किन्तु वे सफल नहीं हो सके।⁵⁹ अप्रैल 1913 में ढू गरपुर राज्य की पुलिस ने उन्हे गिरपतार कर लिया और उनके परिवार को भी पुलिस निगरानी में रखा गया। उन्हे तीन दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन ढू गरपुर राज्य से बाहर चले जाने को कहा गया। वह गुजरात के ईंडर राज्य में चले आए,⁶⁰ किन्तु वहाँ के शासक ने भी उन्हे वहाँ से भगाने का प्रयास किया।

गोविन्द गुरु और उनके शिष्यों को जिस प्रकार राज्य द्वारा आकात किया गया, उससे उन्हे भील राज्य बनाने तथा सामतवाद के पजो से मुक्त होने को विवश कर दिया। ईंडर से वह अपने माथियों सहित मानगढ़ की पहाड़ी (वासवाडा और सूथ राज्य की सीमा पर स्थित) पर चल दिये।⁶¹ पहाड़ी घने बन से पिरी हुई थी और इस प्रकार प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। गोविन्द गुरु ने अक्टूबर 1913 को भीलों को मानगढ़ ने एकनित होने के लिये चारों ओर सन्देश भेज दिए।⁶² भील अपने साथ रमद व हथियार बाफी मात्रा में ले आये। यह भी अफवाह फैली कि भील दिवाली से चार दिन पूर्व सूथ राज्य पर आत्ममण करेंगे। वस्तुत गोविन्द गुरु के कट्टर अनुयायियों से केवल मानगढ़ पहुँचने को कहा गया था, ये समर्थ चलते बक्त भील पालों तो अधिकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिये तैयार रहने को वह गए।

30 अक्टूबर 1913 वो पुलिस यानेदार ने दो सिपाहियों को यह देसने के लिये कि वहा क्या हो रहा है, मानगढ़ भेजा। इन सिपाहियों को भीलों ने पकड़ लिया। इनमें से एक सिपाही को मार डाला गया व दूसरे दो युद्धी तरह पीटा गया और वदी बना लिया गया।⁶³ 1 नवम्बर को युद्ध भीतों ने प्रतापगढ़ के सूथ विले पर भी आत्ममण किया, किन्तु अमर्फल होकर लौट आए।⁶⁴ भीलों वी इम कार्यवाही ने सूथ, वासवाडा, ढू गरपुर और ईंडर राज्य को चौरमा

कर दिया। उन्होंने ए जी जी से प्रार्थना की कि गोविन्द गुरु को गिरफ्तार किया जाय और भीलों के इस हिस्से के सगठन को समाप्त किया जाय।

6 से 10 नवम्बर 1913 के बीच दो कम्पनी मेवाड़ भील कोर, एक कम्पनी 104 घैलेजली राइफल्स, एक कम्पनी राजपूत रेजीमेट और एक कम्पनी जाट रेजीमेट मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को तितर वितर करने के लिये पहुंच गई।⁶⁵ 8 नवम्बर को फौजी पलटनों ने मानगढ़ की पहाड़ियों पर अन्धाधुध गोलियों की बौद्धार शुरू कर दी। सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर से गोलिया वरसाई जाने लगी। करीब 1500 भील मारे गए⁶⁶ और उनके नेता गोविन्द गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हे अहमदाबाद की जेत में भेज दिया गया और इस प्रकार भीलों के आन्दोलन को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया।⁶⁷

गोविन्द गुरु पर मुकदमा चलाया गया और उहे फासी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिया गया। गोविन्द गुरु की लोकप्रियता को देखते हुए इसे 10 वर्ष के बठोर काराबास में परिवर्तित कर दिया गया।⁶⁸ सन् 1930 में उन्हे इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूथ, हूंगरपुर, बासवाडा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे।

भीलों का गोविन्द गुरु के नेतृत्व में आन्दोलन असफल रहा, किन्तु इसके महत्व को बम करके नहीं आका जा सकता। इसके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। इस आन्दोलन ने भीलों में चेतना जागृत कर दी और उहे अपने अधिकारों के प्रति सजग कर दिया। इस आन्दोलन ने न केवल भीलों में वरन् दक्षिण राजस्थान के दूसरे समाज के लोगों में भी चेतना उत्पन्न कर दी। इससे कृपक आन्दोलन व राजस्थान में स्वतन्त्रता आन्दोलन को काफी प्रोत्साहन मिला।

आन्दोलन के तुरन्त पश्चात् श्रग्रेज अधिकारियों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के भीलों की दशा के धारे में काफी पूछताछ की। उन्होंने कुछ हद तक उनके जगत के अधिकारों को स्वीकार कर लिया। उनके लिये जाने वाले भू-राजस्व, ताम-वाग तथा वेगार में भी कमी की गई। इस प्रकार यह आन्दोलन भीलों की मुक्ति का प्रतीक बन गया।

परवर्ती भील आन्दोलन

1917 मे मेवाड़ के विजोलिया आन्दोलन से प्रेरित होकर भीलों ने पुन आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस समय गरासियों ने भी भीलों का साथ दिया। गरासिया एक बनवासी जाति है, जो उदयपुर, डू गरपुर, सिरोही राज्यों मे वसी है। ये मुख्यत अरावली की पहाड़ियों मे रहते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह जाति भीलों के समान है। इनकी ज्यादा सरत्या सिरोही जिला के आवृ रोड व पिण्डवाड तहसीलों मे है। प्राचीनकाल मे यह एक शासकीय जाति थी, जिसे विजेताओं ने उनसे राज्य लेकर उन्हे जीविका के लिये ग्रास के लिये कुछ भूमि दे दी। इसी से ये गिरासिने कहलाने लगे। ये पहले मुख्यत मेवाड़ मे वसे थे। उससे परे सिरोही मे, जब सिरोही का यह भाग मेवाड़ मे ही था। इनके गौत्र भी राजपूतों की भाति परमार, चौहान, राठोड आदि है, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि ये राजपूतों की भील स्त्रियों से उत्पन्न है। इनका मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हीन है। अत जगली उत्पादनो—गोद, शहद, वास आदि को इकट्ठा कर काम चलाते हैं। ये लकड़ी का कोयला भी बनाते हैं।

इस जाति ने भी भीलों का साथ दिया और दोनों ने जागीरदार द्वारा दमनकारी साधन अपनाने का विरोध किया। उन्होंने जागीरदार द्वारा वेगार अत्याधिक लगान और अवैध लाग वाग लगाने का बी विरोध किया। कृपको ने 1917 मे महाराणा से भारी कर व वेगार के विरुद्ध अपील की। महाराणा ने स्थिति बी जाच करके और यह जान कर कि कर वास्तव मे ही बहुत अधिक है, 16 नवम्बर 1918 को निम्न निर्णय लिये —⁷⁰

- 1 कुल उत्पादन का 1/5 भाग कू ता के रूप मे लिया जायेगा।
- 2 गृहकर हर दूसरे वर्ष आसामी को देना होगा। कुल राशि गाव के मुखिया की सलाह से तथ की जायेगी। यह जिन्स या नकद दोनों मे दी जा सकेगी।
- 3 पेटिया कर नी नकद (रुपया) कू ता के समय ही देना होगा।
- 4 कू ता मुखिया की सलाह से तथ किया जाएगा और मू कड़ी लाग के समय ही वसूल किया जाएगा।
- 5 वेगार के विरुद्ध शिकायत पेश होने पर जाच की जाएगी।

कुछ कारणों से भील और गरासियों, दोनों ने ही महाराणा के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। खेरवाडा के पोलिटिकल अधीक्षक एव मेवाड़ के अग्रेजी रेजीडेंट के प्रयास भी भीलों की समझाने मे असफल रहे और पहाड़ी

जागीर के क्षेत्रों में गडवडी और अव्यवस्था बनी हो रही ।⁷¹ वाद में ये आदोलन मेवाड़ के समस्त भील क्षेत्र में फैल गए। मई 1921 में भील भी मेवाड़ राज्य के अंतर्य कृपको के साथ मिल गए और उसे दु स-दर्द लेकन महाराणा के माथ उपस्थित हुए। उनके दु से कारण वेगार, अनेक लागो, भारी कर, करो में भेदभाव और जागीरदारों का तानाशाह वा रवंया था। महाराणा से सतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर सानसा भूमि पर रहने वाले भीलों ने भाडोल, कोलियारी, मगरा और मेवाड़ के अंतर्य भील गांवों में सदेश भेजे कि वे तब तक भू राजस्व, लागें व वेगार न दें, जब तक कि उनके बष्टा का निवारण नहीं किया जाता। यह भी चेतावनी दी गई कि जो इन आदेशों की अवहेलना करेगा, उसे 12 वप के लिए जाति धाहर कर दिया जाएगा।⁷²

मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आदोलन

8 जुलाई 1921 को मेवाड़ की सालसा क्षेत्र के भीला की प्रेरणा से मादडी पट्टा के भीलों ने कर व लाग-वाग देने से इकार कर दिया।³ इसी समय भीलों को मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व प्राप्त हुआ,⁷⁴ जिसने भीलों को किसी भी प्रकार का जागीरदारों को कर न देने का आह्वान किया। उनका यह आन्दोलन एकी आन्दोलन के नाम से विरयात है, क्योंकि उन्होंने सभी भील व अंतर्य जातियों को सगठित (एकी) करने वा प्रयास किया था। यह प्रथम अवसर था कि समस्त भील मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राज्य और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। भील उसे अपना मसीहा समझने लगे थे, जो उनकी मुक्ति के लिये अवतरित हुआ था।

मोतीलाल तेजावत का ज म ईस्वी सन् 1887 (विक्रम सवत् 1944 को ज्येष्ठ शुक्ला 1) को कोलियारी नामक गाँव, जिला उदयपुर में ओसवाल परिवार में हुआ। विवाह पूर्व वह भाडोल ठिकाने में स्थानीय जागीरदार के यहा कामदार वा काय करने लगे।

इस नौकरी के दौरान ही उह मेवाड़ महाराणा श्री कतहर्सिंह जी के दौरे में जहाजपुर, नाहर मगरा, जयसमाद आदि स्थानों पर जाने का मौका मिला। इस दौरे में उहोंने देखा कि जहाज महाराणा का मुकाम होता था, वहा कई कोस चलकर उनका सामान घोड़ी, ऊटी, बैलों पर लाद कर लोग ले जाते थे, कि तु मजदूरी में उन्हें चार पेसे भी नहीं चुकाए जाते थे।

इसी प्रकार भील, गरातिए एवं अंतर्य काश्तवार लोगों को कई दिन पहले पवडा जाता उनसे वेगार में काम लिया जाता था, किन्तु मजदूरी के नाम पर

एक पाई भी नहीं चुकाई जाती थी। यदि काय मे कुछ कमी रह जाती तो उन्हें वुरी तरह पीटा जाता। इस प्रकार का जुलम उनसे देखा नहीं गया, अत भाडोल आकर उन्होंने ठिकाने की नोकरी छोड़ दी और चित्तीड़ जिले मे सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य के जुलमो के खिलाफ एकी आन्दोलन का श्री गणेश किया।

मोतीलाल की सलाह से भीलों ने कर देने से इन्कार कर दिया। 13 जुलाई 1921 को जवास के वामदार ने गाव के गमंती से कर उगाने के लिये सिपाही भेजे, किन्तु उन्होंने तब तक कर देने से इन्कार कर दिया जब तक कि खालसा भूमि के भीलों के बष्ट महाराणा सुन नहीं लेते।¹⁴

झू गरपुर के महारावल ने यह सोच कर कि कही आदोलन उनके राज्य मे भी न फैल जाए, जुलाई 1921 को सभी प्रकार की वेगार हटा दी। जुलाई 1921 के प्रथम सप्ताह मे ही मेवाड़ के महाराणा ने भी भीलों तथा खालसा भूमि के अन्य कृपको के लिये कुछ रियायते घोषित की। अत मेवाड़ के खालसा गावों मे तो आन्दोलन नहीं फैला, किन्तु जागीरदारों ने किसी भी प्रकार की रियायत कृपको को नहीं दी थी, इसलिये यह आन्दोलन कोलियारी, भाडोल मादडी आदि जागीरों मे फैल गया।¹⁵

19 अगस्त 1921 के भाडोल के ठाकुर ने मोतीलाल को भीलों को भडकाने तथा उन्हे कर व वेगार न करने देने के आरोप मे गिरपतार कर लिया। किन्तु शीघ्र ही पट्टा, जवास, पहाड़ा मादडी आदि 65 गावो से करीब 7 हजार भील एकत्रित हो गए और उहोंने मोतीलाल को छुडवा लिया।¹⁶ इससे प्रोत्साहित होकर मोतीलाल ने भीलों को सगठित किया और उन्हे जागीरदार वो अव और अधिक राजस्व व लाग न देने के लिये समझाया।¹⁷ इस प्रकार सितम्बर 1921 तक उनका प्रभाव समस्त भूमट क्षेत्र मे फैल गया।

मोतीलाल तेजावत ने भील प्रतिनिधियों के साथ उदयपुर महकमा खाम वो उनके मुरय बष्ट बताए। ये राजसीय कमचारियों के भ्रष्टाचार, वर्तमान राजस्व नीति, वेगार, सुग्रारा के खेत चर जाने आदि के बारे मे थे। महकमा खास ने राजस्व के बारे मे शीघ्र समझौता बराने तथा सुग्रारों वो नप्ट बरने वे बारे मे आश्वासन दिया।¹⁸ नवम्बर 1921 मे जूडा जागीर के विसानों ने भी राजस्व बर देने से इच्छार्थी बर दिया। भील विसानों ने बिना आगा के सुग्रारों वो मार दिया तथा आरक्षित बन मे अपने पशु चराने लगे।¹⁹ मादडी जागीर के भील विसानों ने अपने बष्टों का विवरण लियवर मादडी के रावत वो 1921 मे दिया, किन्तु अधिकारियों ने उनके बष्टों पर योई ध्यान नहीं दिया,

अत आन्दोलन चलता रहा। दिसम्बर 1921 तक भील आन्दोलन मेवाड़ की सीमाओं से ईंडर राज्य तक फैल गया।⁸⁰ मेवाड़ राज्य के भीलों ने जागीरदार को किसी भी प्रकार वी वेगार, वरार तथा भू-राजस्व नहीं दिया। दिसम्बर 1921 में पुनर्वा के राणा, जूड़ा तथा ओधना के राव ने मेवाड़ के रेजीडेट से मोतीलाल को तुरन्त ही गिरफ्तार करने की प्राथना की।⁸¹ मोतीलाल का भील क्षेत्र में प्रभाव उल्लेखनीय था। भीलों का यह विश्वास था कि मोनीलाल गाधी वावा का पवित्र दूत है। दिसम्बर 1921 में मोतीलाल की सलाह से भील मुखियों ने कोटडा के सहायक पोलिटिकल अधीक्षक को निम्न अर्जी दी।⁸²

“हम पचों ने सर्व सम्मति से निरुद्य लिया है कि रवी फसल पर कर एक रुपये में चार आने और खरीफ पर 15 सेर मक्का देंगे और किसी भी प्रकार वी वेगार नहीं करेंगे।” जब भाडोल जागीर के अधिकारी लगान एकनित कर रहे थे, मोतीलाल 200 भीलों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने तीन अधिकारियों को पीटा और जो राजस्व उन्होंने एकनित किया था, उसे छीन लिया।

मोतीलाल तेजावत के बढ़ते प्रभाव को देख कर मेवाड़ महाराणा ने कोटडा तथा खेरवाडा भूमट में 50 से अधिक भीलों के एकनित होने पर प्रतिवध लगा दिया, साथ ही मोतीलाल की गिरफ्तारी पर 500/- का इनाम घोषित कर दिया।⁸³

जनवरी 1922 को मोतीलाल तेजावत सिरोही राज्य चले गए। उनकी अनुपस्थिति में नए वेगार व सरबराह नियम जबास, थाना पहाड़ा, मादडी आदि जागीर में लागू किए गए। कुछ लागों में भी कमी की गई और साथ ही वेगार में भी ढील दी गई। मेवाड़ में खालसा भूमि पर 20 से 25 प्रतिशत रियायता की घोषणा की गई और वहां भी वेगार में ढील दी गई।⁸⁴

धीरे धीरे सिरोही के भीलों व गरासियों में भी असतोष फैल गया। मोतीलाल तेजावत 1 जनवरी 1922 में सिरोही जिले में आए। वे 12 से 20 जनवरी तक वहां ठहरे और उन्होंने भीलों और गरासियों की अनेक समाजों को सद्वोधित किया। उन्होंने भीलों और गरासियों को बोई भी कर या वेगार राज्य को तब नक्क न देने को वहां जब तक कि उन पर से करो व वेगार का भारी बोझ कम न किया जाय। मोतीलाल ने उनसे देवी भवानी की शपथ लेकर एकी बनाए रखने को वहां। भीलों ने यह भी शपथ ली कि यदि राज्य उनकी माझे स्वीकार नहीं बरता तो वे सघप जारी रखेंग। 24 जनवरी 1922 को भीलों और गरासियों ने तिल वी सारी फसल विना लगान दिए हटा सी।

उन्होंने आबू से अबाजी जाने वाली सड़क की रखवाली करना भी बद कर दिया जिसकी पूर्व में वे यात्रियों की सुरक्षा के लिये करते थे। गरासियों ने मुगथला के थाने को तोड़ दिया और राजस्व अधिकारी के घर को भी लूट लिया। उन्होंने उन मालियों की फसल को भी नुकसान पहुँचाया जिन्होंने राज्य को लगान दिया था। उन्होंने उन लोगों को भी डराया व धमकाया जो राज्य की सेना के लिये ईधन लाते थे तथा वेगार करते थे।⁸⁵

परिस्थितियों को देखते हुए सिरोही राज्य के मुख्यमन्त्री ने राज्य के अन्दर सार्वजनिक सभाएं करना निपिढ़ कर दिया⁸⁶ किन्तु भील और गरासियों ने इसकी उपेक्षा की। और दूसरे राज्य (मारवाड़) के भील और गरासियों को भी सगठित करने की शपथ ली। उन्होंने हासील न देने तथा वेगार न करने का भी निषय लिया।⁸⁷

फरवरी माह के प्रारम्भ में मोतीलाल पुन सिरोही आये। इस समय तक वे काफी प्रसिद्धि पा चुके थे और मेवाड़ के गांधी नाम से लोकप्रिय हो गए। वे करीब चार हजार भीलों के साथ सिरोही आये और राज्य के अनेक भील मुखियाओं से मिले उन्होंने भीलों व गरासियों से पुन एक रपये में चार आना तथा 5 मन अनाज प्रति बुवाई से अधिक राज्य को देने से मना किया।⁸⁸

स्थिति को विगड़ते देख सिरोही के मुख्यमन्त्री ने विजयसिंह पथिक, अध्यक्ष, राजस्थान सेवा सघ, अजमेर की सहायता मांगी। 12 फरवरी 1922 को वरीव 15 हजार वृपव, गोपेश्वर में एकत्रित हुए। विजयसिंह पथिक व मुख्यमन्त्री ने उन्हे समझाने वा प्रयास किया। साथ ही उनके पट्टा या निवारण करने वा भी आश्वासन दिया किन्तु समस्या सुलभी नहीं और भील व गरासिये निरन्तर राज्य के आदेशों वा उल्लंघन करते रहे। 23 मार्च 1922 को रोहीडा के तहसीलदार ने सूचना भेजी वि भील अपने खेतों से बिना राज्य को हासील दिए सारी फसल ले गए हैं।⁸⁹ अगले ही दिन आबूरोड के मजिस्ट्रेट ने सूचना दी वि चदेला, गिरवर और आमपान वे गाव के गरासिये सरसों और चने की फसल बिना हासील दिए ले गये हैं⁹⁰ ऐसी स्थिति में सिरोही वे मुख्यमन्त्री ने राज्य वी सेना वो भीलों के गाव भेजने वा निर्णय किया विन्तु इसमें पूर्व मिरोही राज्य वी सरवार ने सियावा वे मुखिया व आय गरासियों वे गाव के मुखिया से बातचीत परने वा प्रयास किया किन्तु उनका प्रयास विफल रहा। 12 मंग्रेल 1922 को मियावा पर सिरोही राज्य वी सेना व मेवाड़ भील दोनों ने

आकमण किया जिसमें तीन गरासिये मारे गए व एक बुरी तरह धायल हुआ। 40 गरासियों के घर व बड़ी मात्रा में एकनित किए गए चंते जला दिए गए।

इस कार्यवाही के पश्चात् सातपुर तहसील में कुछ शाति स्थापित हो गई किन्तु पिण्डवाडा, भाकर, रोहिडा के परगने में स्थिति विल्कुल नहीं सुधरी। यह प्रतीत होने लगा कि रोहिडा तहसील के बालोरिया, भूला, नया वास आदि गाव भी विद्रोह की मुद्रा अपना चुके हैं। उन्होंने रवी और यरीफ फसल में से राज्य का भाग देने से इन्कार कर दिया। सिरोही के मुख्यमन्त्री ने तहसीलदार से भीला व गरासिया को समझाने का वहा किन्तु वह असफल रहा। तब सिरोही राज्य की सेना व मेवाड भील कोर ने बालोरिया गाव में सैनिक कार्यवाही की। गाव का अधिकाश भाग जला दिया गया व 11 भील और गरासिए मार डाले गए⁹¹। राज्य में भूला और नयावास के मुखिया तथा गाववासियों को यह चेतावनी दी कि यदि वे एकी खत्म नहीं करते हैं तथा राजस्व सदा की तरह नहीं देते हैं तो उनके गाव वो जला दिया जायेगा किन्तु गाव के लोगों ने उत्तर दिया कि न तो वे एकी तोड़ेंगे और नहीं जितना राजस्व उन्होंने तय किया है, उससे एक पाई भी अधिक राजस्व देंगे। उनके इस जवाब पर राज्य ने उनके विरुद्ध 13 मई 1922 को सैनिक कार्यवाही की तथा गाव के अधिकाश भोपडे जला दिए गए।⁹²

राजस्थान सेवा सघ ने इसे गम्भीर घटना माना और उसने रामनारायण चौधरी तथा सत्यभक्त को घटना की जाच पढ़ताल करने तथा रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 'सिरोही राज्य में दूसरी भील दुघटना' के नाम से प्रकाशित की जिसमें उन्होंने भूला और बालोरिया गाव के नुकसान वा आकलन किया। राजस्थान सेवा सघ को रिपोर्ट के अनुसार 640 भीलों के घर राय कर दिए गए। 29 भील मारे गए व अनेक धायल हुए। लगभग 90 हजार की सम्पत्ति या तो लूट ली गई या जला दी गई। रामनारायण चौधरी ने लिखा कि भील और गरासियों का क्षूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकारी लगान तब तक न देने की बहु जब तक उन पर से गेर कानूनी वेगार व आय करने हटा लिए जाय।

सध की सूचना को सही माना जाय तो 325 परिवार वे 1800 स्त्री पुरुष मारे गये थे, 640 घर या तो जला दिए गए थे या भूमिसात कर दिए गए थे, संकड़ो मन अनाज नष्ट कर दिया गया था, 600 गाड़िया नष्ट कर दी गई 100 पशु या तो मार दिए गए थे अथवा साध में ले जाये गए थे और करीब

96 हजार रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई^{१३} भील-दुर्घटना ने लोगों को जागरूक बना दिया और उन्हे अनेक प्रोजेक्टों के लारे में जगा दिया।

राज्य की इस कार्यवाही से डर कर भूला, नयावास, वालोरिया और आस-पास के गाँवों के मुखिया राज्य के मुख्यमनी से मिले और उनकी उपस्थिति में एको तोड़ने की प्राथना की। एकी सरकार को आश्वस्त करने के लिये तोड़ी गई वे भविष्य में राज्य के विश्वद्व कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। सिरोही के महाराव स्वयं रोहिडा गए और भूला, वालोरिया, नयावास के कृपको में स्वयं मिले, उनके कष्ट सुने तथा उन्हे कुछ रियायतें प्रदान की जिसमें मुख्य इस प्रकार हैं^{१४}

- 1 सभी विद्रोहियों को आम माफी प्रदान की गई।
- 2 उन कृपकों को लगान चुकाने से मुक्त कर दिया गया जिनके घर जल गये थे।
- 3 खरीफ फसल का लगान उन नावालिंग पुत्रों से नहीं वसूल किया जायेगा जिनके पिता मारे गए थे।
- 4 खरीफ फसल पर श्रलग से सूकड़ी लाग वसूल नहीं की जायेगी।
- 5 स्वयं की भौपडिया बनाने के लिये भीलों और गरासियों को जगल से लकड़ी व धास लाने की अनुमति दी गई।
- 6 चार व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई जिसमें एक भील, एक गरासिया एक महाजन व एक द्वाह्यण नियुक्त किया गया जो कि चोरी गए पशुओं के बारे में विचार करते थे।

इस प्रकार भीलों और गरासियों द्वारा प्रारम्भ किया गया आदोलन कुछ समय के लिये दब गया। मोतीलाल तेजावत ने यह जानकार कि भील और गरासियों की एकता कमजोर पड़ गई है, 1923 में पोसीना और सिरोही के भीलों व गरासियों में नया एकी आदोलन प्रारम्भ किया। उन्हाने आदोलन का नेतृत्व देलवाडा के निकट छोड़कर से किया^{१५} ऐसा प्रतीत होता है कि पोसीना के मुखिया ने ईंडर राज्य के प्रजामंडल से सम्पर्क किया। ईंडर प्रजामंडल भी भील आदोलन में रुचि रखने लगा और इसने भीलों वो प्रजामंडल का सदस्य बनने के लिये समझाया। इस विषय में वे मोतीलाल वी सेवाएं भी लेना चाहते थे।^{१६} उनकी इस कार्यवाही ने देशी रियासतों व विदेशी सरकार को नाराज कर दिया। महीकाठा के पोलिटिकल एजेंट, मेवाड महाराणा तथा वर्वई राज्य की पुलिम

उन्हे गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी, जबकि मोतीलाल का यह कहना था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह तो केवल भीलों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिये काय कर रहा है। राज्य कमचारी स्वयं भ्रष्ट है, इसलिये वे उन्हे गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने ए जी जी से प्राथना की कि उन्हे सत्याग्रह आश्रम जाने दिया जाय। किंतु वर्वई और ईडर सरकार ने इस बात का बड़ा विरोध किया कि तेजावत को स्वतन्त्रता पूर्वक घूमने दिया जाय⁹⁷। अत उनकी गिरफ्तारी के बारट जारी कर दिए गए और ईडर के खेडब्रह्मा ब्रह्माजी के मदिर से उन्हे गिरफ्तार कर लिया जहा वह भीलों की एक सभा को सवोधित कर रहे थे⁹⁸। उसे मेवाड़ राज्य के सुपर्द कर दिया गया। (जुलाई 1929) मेवाड़ राज्य ने उसे केंद्रीय कारागार मे 9 वप तक बिना किसी यायिक जाच व बिना किसी अभियोग के गिरफ्तार रखा⁹⁹। उहे छुड़ाने के कई प्रयास किए गए किंतु कोई फल नहीं निकला।

3 नवम्बर 1935 को मोतीलाल तेजावत को छुड़ाने के पुन प्रयास शुरू किए गए। मणीलाल कोठारी, महाराणा मेवाड़ व रेजीडेंट कनल वैथम से मिले व मोतीलाल दो छुड़ाने की प्राथना की¹⁰⁰ किंतु मेवाड़ राज्य उहे बिना शर्त रिहा करने को तैयार नहीं था। राज्य चाहता था कि मोतीलाल बचन दे कि वे किसी भी राज्य विरोधी गतिविधियों मे भाग नहीं लेंगे, महाराणा की अनुमति के पिना मेवाड़ राज्य नहीं छोड़ेंगे।

- 4 यदि राज्य उन्ह कोई नीकरी प्रदान करता है तो वे उसे स्वीकार करेंगे ।
- 5 उहे उन लोगो के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाय जिहो उन पर भूठे आरोप लगाए हैं ।

25 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत वो केन्द्रीय कारागार से गिरा बर दिया गया । जेल अधीक्षक ने उन्ह मे प्रमाण पत्र प्रदान किया कि वे 6 अगस्त 1929 से 23 अप्रैल 1936 तक राजनीतिक वदी थे तथा जेल मे उनका व्यवहार एव चरित्र सतोपजनक था ।¹⁰³

1942 मे भारत छोड़ो आदोलन के दौरान उन्ह पुन गिरफ्तार कर लिया गया । कारीब डेढ वर्ष तक उन्हे जेल मे बद रखा गया । 1946 मे मोतीलाल ने महानिरीक्षक वो भूचित किया कि भीलो मे गोवध और चोरी की घटनाए बहुत बढ गई ह इसलिये वे उनके मध्य रहना चाहते है और उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं किन्तु मेवाड पुलिम ने उन्ह उदयपुर छोड़ने की अनुमति नही दी तथा बाद मे उहे गिरफ्तार बर लिया¹⁰⁴ । 3 फरवरी 1947 को उन्ह पुन रिहा किया गया । उदयपुर की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया ।¹⁰⁵

बनवासी सेवा सघ

भारत मे ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ ही ईसाई सगठन के पादरी भी आ गए थे । उहोने वासवाडा, डू गरपुर, सिरोही आदि राज्यो मे जहा भीलो को स्वया अधिक थी, गिर्जाधर स्थापित किए तथा उन लोगो के मध्य काय करना प्रारम्भ किया जो बहुत गरीब व पिछडे हुए थे । उहोने भीलो की अकाल व प्राकृतिक दुर्घटनाओ के समय नकद व जिम मे सहायता करनी प्रारम्भ की और सरलता से उनका धर्म परिवर्तन करना प्रारम्भ किया । धर्म प्रसार के लिये जगह-जगह गिरजाघर व स्कूल सोले गए । उनकी इन कायवाहियो से जनता मे असतोष पैदा होने लगा । परिणाम स्वरूप ए जी जी ने धर्म परिवर्तन की पादरियो की कायवाही वो बद कर दिया ।¹⁰⁶

दूसरा मुख्य सगठन बनवासी सेवा सघ था । इसकी स्थापना मुख्यत भीलो के कल्याण के लिये की गई थी ताकि उनमे सामाजिक और राजनीति चेतना जागृत हो । सघ अपने उद्देश्य और कार्यकलापो मे सफल रहा । वडी मध्या मे भीलो ने मदिरापान और अफीम न खाने की सीगध खाई¹⁰⁷ । 1940 मे शर के बनवासी सेवा सघ ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमे अनेक भील

उन्हे गिरफ्तार करने का प्रयास करने लगी, जबकि मोतीलाल का यह कहना था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह तो केवल भीलों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिये काय बर रहा है। राज्य वर्मचारी म्वय भ्रष्ट है, इसलिये वे उन्हे गिरफ्तार बरना चाहते हैं। उन्होंने ए जी जी से प्राथना की कि उन्हे सत्याग्रह आश्रम जाने दिया जाय। किंतु वर्वर्ड और ईडर सरकार ने इस बात का कड़ा विरोध किया कि तेजावत को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने दिया जाय⁹⁷। अत उनकी गिरफ्तारी के बारट जारी कर दिए गए और ईडर के खेडग्राहा ब्रह्माजी के मदिर से उहे गिरफ्तार कर लिया जहा वह भीलों की एक सभा को सवोधित कर रहे थे⁹⁸। उसे मेवाड़ राज्य के सुपर्द कर दिया गया। (जुलाई 1929) मेवाड़ राज्य ने उसे केन्द्रीय कारागार में 9 वर्ष तक विना किसी यायिक जाच व विना किसी अभियोग के गिरफ्तार रखा⁹⁹। उन्हे छुड़ाने के कई प्रयास किए गए किंतु कोई फल नहीं निकला।

3 नवम्बर 1935 को मोतीलाल तेजावत को छुड़ाने के पुन व्रयास शुरू किए गए। मणीलाल कोठारी, महाराणा मेवाड व रेजीडेंट कनल वैथम से मिले व मोतीलाल को छुड़ाने की प्राथना बी¹⁰⁰ किंतु मेवाड़ राज्य उन्ह विना शर्त रिहा करने को तैयार नहीं था। राज्य चाहता था कि मोतीलाल बचन दे कि वे किसी भी राज्य विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, महाराणा बी अनुमति के विना मेवाड़ राज्य नहीं छोड़ेंगे।

मणिलाल कोठारी मोतीलाल से मिले व उहे महाराणा की शर्तों के बारे में बताया। मोतीलाल ने सशत रिहा होने से इकार कर दिया। मेवाड़ राज्य सरकार ने पुन उन्हे सशत रिहा करने की ही शत रखी, तब मोतीलाल ने भी अपनी दो शर्तें राज्य के सामने रखी —

- 1 यह प्रमाणित किया जाय कि वो किसी अपराध के लिये दोपी नहीं है।
- 2 उन्हे उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार होगा जिहोने उनके विरुद्ध पड़यत्र रचा और उन्हे बदनाम करने की साजिश बी¹⁰¹। राज्य सरकार ने उनकी यह मार्गे स्वीकार कर ली और मोतीलाल ने भी यह लिख कर दिया कि¹⁰²—

- 1 वो राज्य की अनुमति के विना मेवाड नहीं छोड़ेगे।
- 2 उहोने राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं किया है और नहीं वे आगे ऐसा बरेंगे।
- 3 उन्ह यह प्रमाण पत्र दिया जाय कि वे निर्दोष थे और जेल में उनका चरित्र अच्छा रहा।

- 4 यदि राज्य उन्हें कोई नौकरी प्रदान करता है तो वे उसे स्वीकार करेंगे ।
- 5 उन्हें उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाय जिहोने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं ।

25 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को बेन्द्रीय कारागार से गिरा कर दिया गया । जेल अधीक्षक ने उहे ये प्रमाण पत्र प्रदान किया कि वे 6 अगस्त 1929 से 23 अप्रैल 1936 तक राजनीतिक बदी थे तथा जेल में उनका व्यवहार एवं चरित्र सतोषजनक था ।¹⁰³

1942 में भारत छोड़ो आदोलन के दौरान उह पुन गिरफ्तार कर लिया गया । बरीब डेढ़ वर्ष तक उहे जेल में बद रखा गया । 1946 में मोतीलाल ने महानिरीक्षक को सूचित किया कि भीलों में गौवध और चोरी की घटनाएँ बहुत बढ़ गई हैं इसलिये वे उनके मध्य रहना चाहते हैं और उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं किन्तु मेवाड़ पुलिस ने उन्हे उदयपुर छोड़ने की अनुमति नहीं दी तथा बाद में उन्हे गिरफ्तार घर लिया¹⁰⁴ । 3 फरवरी 1947 को उन्हे पुन रिहा किया गया । उदयपुर की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया ।¹⁰⁵

वनवासी सेवा सघ

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ ही ईसाई सगठन के पादरी भी आ गए थे । उहोने वासवाडा, दूगरपुर, सिरोही आदि राज्यों में जहा भीलों की सरया अधिक थी, गिर्जाघर स्थापित किए तथा उन लोगों के मध्य कार्य करना प्रारम्भ किया जो बहुत गरीब व पिछड़े हुए थे । उहोने भीलों की अकाल व प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय नकद व जिन्स में सहायता करनी प्रारम्भ की और सरलता से उनका धम परिवर्तन करना प्रारम्भ किया । धर्म प्रसार के लिये जगह-जगह गिरजाघर व स्कूल खोले गए । उनकी इन कायवाहियों से जनता में अस्तोप पैदा होने लगा । परिणाम स्वरूप ए जी जी ने धम परिवर्तन की पादरियों वी कायवाही को बद कर दिया ।¹⁰⁶

दूसरा मुख्य सगठन वनवासी सेवा सघ था । इसकी स्थापना मुख्यत भीलों के कल्याण के लिये की गई थी ताकि उनमे सामाजिक और राजनीति चेतना जागृत हो । सघ अपने उद्देश्य और कायकलापों में सफल रहा । बड़ी सख्ता में भीलों ने मदिरापान और अफोम न खाने की सीगध खाई¹⁰⁷ । 1940 में दूगरपुर के वनवासी सेवा सघ ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें अनेक भील

लड़के और लड़कियों ने देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की भाविया प्रस्तुत की।

भील आदोलन—एक नजर

भीलों में जो चेतना गुरु गोविन्द व मोतीलाल तेजावत ने जगाई, उससे वे अपने अधिकारों के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। भीलों की सम्पत्ति लूटी व नष्ट की गई। उनकी, निमम हृत्यायें की गई व उन्हें अनेकों बष्ट दिये गये। फिर भी वे ध्वराए नहीं। भारत के स्वतंत्र होने तक उनमें नाममान की शिक्षा का प्रचार हुआ व उनको नाम मात्र के भूमि अधिकार मिले। इसी के फलस्वरूप उन्हें अभी तक बनवासी अनुसूचित जनजाति का माना जा रहा है। पिछले चालीस वर्षों में भी उनका कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। यह देश का दुर्भाग्य ही है।

टिप्पणिया—

- 1 कुछ इतिहासकारों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द वील विलु या भील से हुई है जिसका अथ धनुप है और धनुप भीलों का प्रमुख हथियार है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह सस्तृत शब्द है जिसका अथ है बेघना या मारना। इसकिन राजपूताना गजेटियर, मेवाड़ रेडीडेसी 1908 जिल्द द्वितीय ए पृ 227
- 2 एथोवन ट्राइव्स एड कास्ट ओफ बोम्बे, बोत्यूम I
- 3 मनु-सस्तृत ट्वस्ट, बोल्यूम प्रथम, पृ 481।
- 4 विदिक इडवस II निशाद
- 5 राजपूताना गजेटियर, पेज 227
- 6 इस सदम में कनल टाड लिखते हैं कि किस प्रबार गुहा (सिसादिया राजपूता का आदि पुरुष) न गुपारात स्थित ईंडर का राज्य भीलों में ले निया था। टाड एनाल्स एण्ड एटीबीटीआ आफ राजस्थान जिल्द I पेज 184।
- 7 प्रतापगढ़ की पुरानी राजधानी।
- 8 मेवाड़ के कालियावास भील पाल म चुड़ल वध की घटना राजनतिक एवं वर्देशिक विभाग, जनवरी 1883 पृ 51-58 अ भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार।
- 9 चाल्स एचीशन-ट्रीटीज एगेजमेंट्स एण्ड सनद भाग III पृष्ठ 2।
- 10 वही, भाग II पृष्ठ 6।
- 11 चाल्स एचीशन, ट्रीटीज, एगेजमेंट एण्ड सनद भाग II, पृष्ठ 9।
- 12 वही भाग III, पृष्ठ 2।
- 13 चाल्स मैटकाफ़ का पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ के नाम पा 13 मई 1827।
- 14 फौरन पोलिटिकल 8 जून 1827, 40
- 15 वही।

- 16 डूगरपुर राज्य का सक्षिप्त इतिहास, पृ 108 ।
 17 फौरेन, 5 मई, 1826, पृ 1-4 ।
 18 वही ।
 19 वही ।
 20 फौरेन, 19 फरवरी 1827, पेज 17-18 ।
 21 दलेंक का उत्तराधिकारी ।
 22 जे कोलब्रुक का पत्र, 5 जून 1828 ।
 23 सचिव, भारत सरकार का जे कोलब्रुक को पन 8 अगस्त 1828 ।
 24 मेवाड रजीडेंसी उदयपुर फाइल ।, 1827, जे ब्रुक सहायक पोलिटिकल एजेंट
मेवाड का एस पी लोरेस, पोलिटिकल एजेंट मेवाड को पन, 6 दिसम्बर
1856, 56 ।
 25 ब्रुक्स मेवाड का इतिहास, पृष्ठ 78 ।
 26 मेवाड प्रेसीज प्रथम भाग 10 परा 10 ।
 27 फौरेन कन्सलटेशन, 7 अगस्त 1837, 70 71 ।
 28 वही, 8 अगस्त 1838, 63
 29 वही, 28 मई 1841, 44 45 ।
 30 फौरेन इटरनल ए, फरवरी 1904, 51-56 ।
 31 वही, 23 नवम्बर 1842, 17-19 ।
 32 राजपूताना म गवनर जनरल के एजेंट ।
 33 सदरलैंड का सचिव विदेश विभाग, भारत सरकार को पत्र, 12 नवम्बर 1843
(मुख्य आयुक्त, अजमेर मेवाड रिकाड)
 34 श्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठ 2192 ।
 35 मेवाड भीलकार के अधीक्षक एव वायवाहक पोलिटिकल अधीक्षक ।
 36 मेजर मैक्सन का मेवाड महाराणा शभूसिंह जो 20 अप्रैल 1868 का पत्र
बरशीवाना, उदयपुर ।
 37 वही ।
 38 श्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठ 2192 ।
 39 भारतीय राष्ट्रीय अभियानगार, विदेश विभाग, पालिटिकल अ प्रोसीडिंग्स, 1881,
ज्यामाक 25-37 ।
 40 फौरेन एण्ड पोलिटिकल ए अप्रैल 1881, नम्बर 25 39, एन ए पार्ट ।
 41 वही, 1881, 313-34 ।
 42 श्यामलदास वीर विनोद, पृष्ठ 2220 27 ।
 43 फौरेन एण्ड पोलिटिकल ए, अगस्त 1881, पृष्ठ 313 34 ।
 44 वही ।
 45 फौरेन पोलिटिकल अ प्रैल 1881, 137 79 ।
 46 श्यामलदास, वीर विनोद, पृष्ठ स 2220 27 ।

- 47 भारत औपर वा 18 पश्चिम 1881 वा तो श्री राष्ट्र, पौरा वाविहिन
य घटेत 1881, इमार 137 79, राष्ट्रीय घटितगांवार, गई निर्मी ।
- 48 पौरा, वातिटिव य, पश्चिम 1881, 313 34
- 49 भारतीय राष्ट्रीय घटितगांवार यंगिर राजनिक विभाग, प्रांगीदिल्ली घटेत
1916, इमार 38 47, गृह 11 ।
- 50 यही ।
- 51 (प) यही, प्रांगीदिल्ली, पश्चिम 1914 इमार 18 22 ।
(मा) जहूरगांव मेहर, राजस्थान म आजादी रो आदोलन, पृ 81 ।
- 52 (प) शोप पत्रिका, भाग 9, घट 2, गवां 2014 (1957) गृह 67 ।
(मा) जहूरगांव मेहर, घनु न आजी घोग, पृ 120 ।
- 53 भारतीय राष्ट्रीय घटितगांवार, नई दिल्ली यंगिर एवं राजनिक विभाग,
प्रांगीदिल्ली माप 1914, इमार 8, गृह 29 67 ।
- 54 यही, इटरनल य प्रांगीदिल्ली घटेत 1916, इमार 38 47 ।
- 55 यही ।
- 56 यही पन नम्बर 3342, पात्र, नियां 12 नितन्म्बर 1914 ।
- 57 भारतीय राष्ट्रीय घटितगांवार यंगिर एवं राजनिक विभाग, इटरनल प्रांगीदिल्ली
माप 1914 इमार 8 67 ।
- 58 यही गृह 33 34 ।
- 59 सुमनेश जागी, राजस्थान म स्वतंत्रता संग्राम के सामने गृह 6 ।
- 60 भारत या अभि य रा वि इटरनल य प्रांगीदिल्ली घटेत 1914, इमार
18 22, गृह 3 4 ।
- 61 यही प्रोसीडिंग्स, माच 1914, इमार 8 67, गृह 29 ।
- 62 यही, घटेत 1914, इमार 18 522, गृह 4 ।
- 63 इटरनल प्रोसीडिंग्स, वेदेशिक एवं राजनिक विभाग, माच 1914, इमार 8 67 ।
- 64 यही, घटेत 1914, इमार 18-82 ।
- 65 भा रा अभि इटरनल प्रांगीडिंग्स माप 1914 इमार 8 67 ।
- 66 सुमनेश जागी, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्रामी गृह 7 ।
- 67 (अ) नवीनतम शोषण स यह प्रकट होता है वि बरीब 3000 भील मार गए थे
थोर यह हैत्याकांड जलियावाला बाग से विसी भी प्रकार वम नहीं था ।
(मा) जहूरगांव मेहर, राजस्थान म आजादी रो आदोलन, पृ 83 ।
- 68 (प) भा रा अभि य प्रोसीडिंग्स घटेत 1914 इमार 8 22 ।
(मा) जहूरगांव मेहर, घनु न आजी घात, पृ 124 ।
- 69 उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाड फाइल न 19 व न 60 1917, ए डी
आर एस ए वी, ।
- 70 यही ।
- 71 यही, वेदेशिक एवं राजनिक विभाग फाइल न 1276 प्रथम ।
- 72 26 जून 1921 का खेरवाडा के पोलिटिकल सुप्रीटेंट वा मवाड रेजीडेंट को पन,
उदयपुर रेजीडेंट जागीर रिकाड फाइल नम्बर 91 वस्ता नम्बर 65, 192 ।
- 73 मादादी के रावत की दिनाव 6 जुलाई 1921 की पोलिटिकल सुप्रीटेंट खेरवाडा
को रिपोर्ट, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाड फाइल नम्बर 91 वस्ता न 65,
1921 ।

- 74 (म) कामदार जवास की दिनाक 13 जुलाई 1921 की पोलिटिकल सुप्रीटेंट सेरवाडा को रिपाट उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाढ़, फाइल नम्बर 91 वस्ता न 65, 1921 एच डी आर एस ए बी ।
 (ग्रा) जहूरखा मेहर, राजस्थानी ग आजादी रो आदालन, पृ 84 ।
- 75 राजनतिक एवं धैदेशिक विभाग, फाइल नम्बर 428 पी (गोपीनाथ) 1923 भा रा अभि ।
- 76 मेवाड़ बकील की दिनाक 25 अगस्त एवं 27 अगस्त 1921 की पोलिटिकल सुप्रीटेंट सेरवाडा को रिपाट, उदयपुर जागीर रिकाड़, फाइल न 91, वस्ता न 65, 1921 ।
- 77 मादडी वे रावत रणजीत सिंह का दिनाक 8 सितम्बर 1921 का पोलिटिकल सुप्रीटेंट सेरवाडा का पत्र, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाड़ फाइल नम्बर 91 वस्ता नम्बर 65, 1921 ।
- 78 31 अक्टूबर 1921 तक का पाक्षिक स्मरण पत्र क्रमांक 55, व रा विभाग फाइल न 428, (गोपनीय) 1921, भा रा अभि ।
- 79 15 नवम्बर 1921 तक का पाक्षिक स्मरण पत्र न 56, व रा विभाग, फाइल न 428, (गोपनीय) 1921, भा रा अभि ।
- 80 ईंडर राज्य मे महाराज कुमार का पोलिटिकल एजेंट, महाकाठा का गोपनीय पत्र न 263 दिनाक 20 दिसम्बर 1921, उदयपुर रेजीडेंसी रिकाड़, फाइल न 87, 1921-22 आर एस ए बी ।
- 81 22 दिसम्बर 1921 का पानडवा के राणा जूढा तथा ओधना के राव का मेवाड़ रेजीडेंट का पत्र उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाड़ फाइल न 87, वस्ता न 65 1921-22 ।
- 82 सहायक पोलिटिकल अधीक्षक बोटा का दिनाक 23 दिसम्बर 1921 का पोलिटिकल अधीक्षक सेरवाडा का पत्र, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाड़ फाइल न 87, वस्ता न 65 1921 ।
- 83 दिनाक 31 दिसम्बर 1921 अ मेवाड़ रजीडेंट का पोलिटिकल सुप्रीटेंट सेरवाडा को पत्र, उदयपुर रेजीडेंसी जागीर रिकाड़, फाइल न 87, वस्ता न 65, 1921 22 ।
- 84 एजेंट गवनर जनरल राजपूताना का दिनाक 7 माच 1922 का भणिलाल काठारी को 1922 का पत्र गोपनीय रिकाड़, फाइल नम्बर 125, क्रमांक 13, 1922 ।
- 85 दिनाक 31 जनवरी 1922 का पाक्षिक भमोरडम प 61, युद्ध होम पौटिक डिपालमेट, फाइल न 18, 1922 भा रा अभि सिरोही सदर श्राफिस रिकाड़, फाइल न 367 1921-22 ।
- 86 इश्तहार न 250 दिनाक 28 जनवरी 1922 सिरोही सदर कार्यालय रिकाड़, फाइल न 367, 1921-22 ।
- 87 सिरोही सदर कार्यालय रिकाड़, फाइल न 367, 1921 22 ।
- 88 पुलिस महानिरीक्षक श्री एम आर कोटावाला का दिनाक 5 फरवरी 1922 को पोलिटिकल भेस्वर जोधपुर राज्य परिषद का गोपनीय पत्र, गोपनीय रिकाड़ फाइल न 106, 1922 ।

- 89 23 मार्च 1922 का रोहीडा के तहसीलदार का मुख्यमंत्री सिरोही को दिया गया तार, सिरोही सदर कार्यालय रिकाड़ फाइल न 367, 1921-22।
- 90 मजिस्ट्रेट आवूरोड का दिनांक 24 मार्च, 1922 का मुख्यमंत्री सिरोही को पत्र सिरोही सदर कार्यालय रिकाड़ फाइल न 367 ए 1921-22।
- 91 प्रेस विज्ञप्ति शिमला, दिनांक 7 मई 1922 भारत सरकार, वैदेशिक एवं राजनीतिक विभाग, पाइल न 428 (गोपनीय) 1923 मा रा अभि।
- 92 भारत सरकार की 7 मई 1922 वी प्रेस विज्ञप्ति, वैदेशिक एवं राजनीतिक विभाग, पाइल न 428, (गोपनीय) 1923, मा रा अभि।
- 93 लोगों वी मृत्यु के बारे में भिन्न-भिन्न विचार हैं। प्रिचंड के अनुसार 50 व्यक्ति मारे गए तथा 50 घायल हुए। दुमाग्यवश राजस्थान सेवा संघ की रिपोर्ट खो गई।
- 94 सिरोही के मुख्यमंत्री का 25 मई 1922 का पत्र (पत्र न 9840) का गदनर जनरल एजेंट राजपूताना था पत्र वैदेशिक एवं राजनीतिक विभाग फाइल न 428 वी (गोपनीय) 1923, मा रा अभि।
- 95 खान बहादुर फँमरोज एस भास्टर अध्यक्ष ईंडर राज्य परिषद का 10 जून 1929 (पत्र न 821 का 1928 29 गोपनीय पत्र) महीकाठा के पोलिटिकल एजेंट को, भा रा अभि।
- 96 मोतीलाल तेजावत के पास से गिरफ्तारी के समय मिला पत्र जिसमें दिनांक नहीं है फाइल न 276, 1929, वैदेशिक एवं राजनीतिक विभाग, भा रा अभि।
- 97 बम्बई सरकार का भारत सरकार को 7 जून 1925 का पत्र (पत्र न 29 वी) वैदेशिक एवं राजनीतिक विभाग, फाइल न 185 वी 1925।
- 98 ईंडर राज्य परिषद के अध्यक्ष का 1928 29 का पत्र न 821 (गोपनीय) महीकाठा के पोलिटिकल एजेंट को पत्र भा रा अभि।
- 99 राजस्थान दिनांक 18 नवम्बर 1955।
- 100 राजस्थान दिनांक 18 नवम्बर 1955।
- 101 राजस्थान दिनांक 4 मई 1936।
- 102 वही दिनांक 12 मई 1936।
- 103 राजस्थान दिनांक 4 मई 1936 मोतीलाल की रिहाई में डा सगमानी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
- 104 नव जीवन, दिनांक 18 फरवरी 1946।
- 105 वही, 3 फरवरी 1948।
- 106 वैदेशिक एवं राजनीतिक, एजेंट गज के नोट फाइल नम्बर 233 वी (5) 1936 भा रा अभि।
- 107 केला, भगवानदास देशी राज्यो म शासन, अध्याय 47, पृष्ठ 382 83।

जहूरखा भेहर

जाम 20 जनवरी 1941, सिवाची गेट, जोधपुर

प्रकाशित पुस्तके

राजस्थानी सस्तति का चितराम (1981)

घर मजला घर बोसां (1984)

राजस्थान में आजादी री आदोलन (1986)

टालवा निवाध (1986)

ऊज़ल पल (1990)

अर्जुन आळी आब (1990)

राजस्थान म स्वतंत्रता समय (1991)

राजस्थान के इतिहास, साहित्य एव सस्तति मे सम्बन्धित दो सौ से अधिक निवाध प्रकाशित। एक दजन से अधिक शाध जनलो, स्मारिकाओं तथा अभिनन्दन ग्रन्थों का सम्पादन। एक सौ से अधिक वार्ताएं विभिन्न आकाशवाणी बेंड्रो से प्रसारित।

सम्मान-पुरस्कार

* महेंद्र जाजोदिया पुरस्कार, 1981

राजस्थान रत्नाकर, नई दिल्ली

* अकादमी पुरस्कार, 1981-82

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

* राजस्थानी प्रेजूएट्स नशनल सविस एसो-
शियेसन, बम्बई के रजत जयन्ती समारोह
(30 नवम्बर, 1982) के प्रवक्षर पर
भाव, भाषा व कथ्य की विष्ट से सवधेष्ठ
लेखन पुरस्कार

* पृष्ठोराज राठोड़ पुरस्कार 1982-83

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

* रामेश्वर टॉटिया पुरस्कार, 1986

भारतीय भाषा परिषद, कलवत्ता

* जिला प्रशासन, लायस बलब, राटरी बलब,
युवा साहित्यकार परिषद प्रादि द्वारा
सम्मानित-पुरस्तत

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, राजस्थानी भाषा,
साहित्य एव सस्तति अकादमी, बीकानेर (दो सत्र
तक सदस्य), जगदीशसिंह यहलोत शोध सम्पादन,
अमृतम भारतीय विद्या शोध सम्पादन व अनेक
ऐतिहासिक साहित्यिक संस्थाओं की सदस्यता।

सम्प्रति रीडर, इतिहास विभाग

जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर